प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में रखने के लिये संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 (i) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में क्रमशः 31 अक्टूबर 2000 तक संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की सरकार और 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश राज्य सरकार (उत्तराधिकारी राज्य) के वित्त लेखे और वर्ष 2000–01 के लिये मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विनियोग लेखे की परीक्षा से उद्‌भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं।

3. शेष अध्यायों में 31 अक्टूबर 2000 तक संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की सरकार और 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश सरकार (उत्तराधिकारी) के भी लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से चयनित अभ्युक्तियों का वर्णन किया गया है। तथापि 31 अक्टूबर 2000 तक संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की सरकार के लेनदेनों और 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश (उत्तराधिकारी राज्य) और छत्तीसगढ दोनों की सरकारों के भी लेनदेनों को समावृत करते हुये चार योजनाओं अर्थात् (क) वायु प्रदूषण एवं अपशेष प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियम एवं नियम (ख) रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण (ग) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) तथा (घ) औपचारिकेतर शिक्षा की निष्पादन लेखापरीक्षा का उल्लेख भी प्रतिवेदन में किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उद्‌भूत अभ्युक्तियां समाविष्ट करते हुये प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

5. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा जल संसाधन विभाग पर ऐसी ही अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये गये हैं।

6. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2000–01 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये, साथ ही वे प्रकरण भी हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे किन्तु पूर्व के प्रतिवेदनों में उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी, 2000–01 से पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 1 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2001 की अवधि के लिये संयुक्त मध्यप्रदेश के तथा 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 की अवधि के लिये उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य के वित्त लेखे तथा वर्ष 2000–01 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे एवं दो अन्य अध्याय जिनमें, राज्य सरकार की कतिपय चयनित योजनाओं , कार्यक्रम और राज्य सरकार के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 6 समीक्षाएं एवं 26 कंडिकाएं हैं वे भी सम्मिलित किए गए हैं। इस विहंगावलोकन में समीक्षाओं में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं अधिक महत्वपूर्ण कंडिकाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियां (12839 करोड़ रुपए) राजस्व व्यय (14985 करोड़ रुपए) से बहुत कम थीं परिणामस्वरूप 2146 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (5640 करोड़ रुपए), कर भिन्न राजस्व (1724 करोड़ रुपए) संघीय करों एवं शुल्कों के राज्य अंश (3955 करोड़ रुपए) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों (1520 करोड़ रुपए) की राशि समाविष्ट थीं। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय कर (49 प्रतिशत), राज्य आबकारी (17 प्रतिशत), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (8 प्रतिशत) और वाहन कर (7 प्रतिशत) थे। कर भिन्न राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों (11 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं (74 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ।

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्त 13 करोड़ रुपए और सार्वजनिक कर्ज से प्राप्त 3101 करोड रुपए की राशि समाविष्ट हैं। इसके विरुद्ध पूंजीगत परिव्यय पर 1110 करोड़ रुपए, ऋणों एवं अग्रिमों के वितरण पर 296 करोड़ रुपए तथा लोक ऋण के प्रतिभुगतान पर 818 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। लोक लेखे में 16520 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुईं जिनके विरुद्ध 15836 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया। समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में किये गये लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष में 565 करोड़ रुपए (1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित (–) 45 करोड़ रुपए सहित) की कमी के रूप में हुआ।

निधियां मुख्यतः राजस्व व्यय के रूप में प्रयोज्य रहीं जिनका अंश राज्य सरकार के कुल व्यय में 91.77 प्रतिशत से घटकर 90.38 प्रतिशत हो गया परन्तु राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (77.44 प्रतिशत) के अंश की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा। पूंजीगत परिव्यय का प्रतिशत 5 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया परन्तु विकास के प्रयोजनों के लिये उधार देना 1.95 प्रतिशत से घटकर 1.78 प्रतिशत हो गया।

राज्य सरकार के वित्तीय परिचालन में अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2000 की अवधि में उसके वित्तीय दायित्व में 8.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु उसके पश्चात मुख्यतः नये छत्तीसगढ़ राज्य के दायित्वों के बंटवारे के परिणाम के रूप में नवम्बर 2000 से मार्च 2001 की अवधि में 19.35 प्रतिशत की गिरावट आई। जिन परिसंपत्तियों में अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2000 की अवधि में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई उनमें भी मुख्यतः उन्हीं कारणों से नवम्बर 2000 से मार्च 2001 की अवधि में 5.53 प्रतिशत की गिरावट आई।

विगत पांच वर्षों में व्यय की गुणवत्ता का ह्रास हुआ जो आयोजना एवं पूंजीगत परिव्यय के गिरते हुये प्रतिशत, सामान्य सेवाओं पर होनेवाले व्यय के बढ़ते हुये प्रतिशत, अपूर्ण परियोजनाओं में भारी मात्रा में अवरुद्ध हुईं निधि तथा व्यय के रूप में पुस्तांकित करने के पश्चात जमा खाते में अंतरित उल्लेखनीय निधियों से स्पष्ट था।

सरकार को 3539 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ एवं पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे पर 9.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। राजस्व घाटा, जिसमें 26.81 प्रतिशत की गिरावट हुई, वह राजकोषीय घाटे के लगभग 61 प्रतिशत तक लेखांकित किया गया इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत संरचना बिगड़ी।

सरकार के कुल दायित्व 1999–2000 में 25947.76 करोड़ रुपए से घटकर 22548.42 करोड़ रुपए रह गये। तथापि विगत उधारियों से प्रतिभुगतान के दायित्वों में निवेश एवं अन्य व्यय के लिये बहुत थोड़ी उधारियां बची रहने दीं। बढ़ते हुये लंबित कर्जों को देखते हुये उधारियों से निधियों की निवल उपलब्धता की स्थिति में आगे और गिरावट आने की संभावना है।

आंतरिक कर्ज 1999–2000 में 6141.25 करोड़ रुपए से थोड़ा घटकर 2000–01 में 5967.51 करोड़ रुपए हो गया। भारत सरकार के प्रति ऋणग्रस्तता में पिछले चार वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई परन्तु 2000–01 में केन्द्र सरकार से नये छत्तीसगढ़ राज्य को कतिपय ऋणों और अग्रिमों के बंटवारे के परिणामस्वरूप इसमें गिरावट आई तथा यह 2000–01 के अंत में 7964.77 करोड़ रुपए था।

राज्य के वित्त की विशेषता बड़ी मात्रा में घटता हुआ चालू राजस्व शेष और बढ़ता हुआ ब्याज अनुपात रहा जबकि कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहा। इस प्रकार ब्याज भुगतानों पर बड़ी राशियां व्यय की गईं जो प्राप्तियों में वृद्धि की गति से बहुत आगे रहीं। संघीय करों के राज्यांश में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद ऊँचे राजस्व घाटे के कारण उत्तरोत्तर अधिक उधारियां बढ़ीं जिन्हें राजस्व व्यय ने निगल लिया। जिससे परिसंपत्तियों की संरचना के लिये केवल स्वल्प निधियां ही उपलब्ध हो सकीं जैसा कि 0.61 के ऊँचे राजस्व घाटे/राजकोषीय घाटे के अनुपात से स्पष्ट है। राजकोषीय घाटे से ऊँचे राजस्व घाटे से पूर्व की उधारियों के प्रतिभुगतान सहित केवल चालू व्यय की पूर्ति करने के लिये आगे उधारियों के लिये सरकारी वित्त व्यवस्था की भेद्यता में वृद्धि होती है।

बढ़ता हुआ कर्ज /सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात राज्य की वित्त व्यवस्था पर आगे और दबाव ही बढ़ा रहा है।

(कंडिका 1.1 से 1.11)

2. विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

25914.70 करोड़ रुपए के पुनरीक्षित विनियोग के विरुद्ध 2000–01 की अवधि में वास्तविक व्यय 20785.89 करोड़ रुपए था परिणामस्वरूप 5128.81 करोड़ रुपए की बचत हुई। 2000–01 की अवधि में राज्य सरकार का 3 मांगों एवं 4 विनियोगों में बजट प्रावधान से 265.07 करोड़ रुपए अधिक व्यय हुआ। वर्ष 1990–91 से 1999–2000 तक से संबंधित 4872.92 करोड़ रुपए के ऐसे कुल आधिक्य का नियमितीकरण नहीं किया गया था (दिसंबर 2001)। अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष के दौरान 64 प्रकरणों में प्राप्त 1290.64 करोड़ रुपए के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये।

20 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 134.99 करोड़ रुपए का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 54 योजनाओं में 5 करोड़ रुपए अथवा अधिक की उल्लेखनीय बचत हुईं जो प्रावधानों के 80 प्रतिशत से भी अधिक थी।

11 योजनाओं में 5 करोड़ रुपए अथवा अधिक यात्रा में अधिक व्यय हुआ जो प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक था।

143 प्रकरणों में 2608.44 करोड़ रुपए की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं तथा व्यपगत हो जाने दी गईं । इसमें उन 45 प्रकरणों के 2523.92 करोड़ रुपए भी सम्मिलित थे जिनमें प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपए अथवा अधिक की बचत हुईं जो अभ्यर्पित नहीं की गईं।

152 प्रकरणों में वर्ष के दौरान 3499.11 करोड़ रुपए अभ्यर्पित किये गये जिनमें से छत्तीसगढ़ के 92.30 करोड़ रुपए सहित 1164.44 करोड़ रुपए वित्त वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये।

2 प्रकरणों में 614.76 करोड़ रुपए की निधियां अभ्यर्पित की गईं यद्यपि अन्ततः उनमें 264.70 करोड़ रुपए का आधिक्य था जिससे बचतों का त्रुटिपूर्ण आकलन करना सूचित हुआ।

व्यय की कमी के रूप में लेखे में समायोजित किये जाने योग्य वसूलियां/क्रेडिट 887.99 करोड़ रुपए आकलित किये गये थे जबकि 2000–01 के दौरान वास्तविक वसूलियां केवल 340.26 करोड़ रुपए की ही थीं।

16 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 3872.14 करोड़ रुपए के व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान कार्य ही नहीं किया गया था।

2000–01 के दौरान 220.96 करोड़ रुपए आहरित किये गये तथा 8443–सिविल जमाएं – 800 अन्य जमाओं को अंतरित करने के पश्चात विभिन्न शीर्षों (योजनाओं) के अन्तर्गत अंतिम व्यय के रूप में प्रदर्शित किये गये। इसमें से 52.17 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार की योजनाओं से संबधित थे।

(कंडिका 2.1 से 2.4)

3 रेशम उत्पादन उद्योग योजना का कार्यान्वयन

रेशम–उत्पादन के क्रियाकलाप 1995 तक "विकास खण्ड वृक्षारोपण योजना" के अन्तर्गत चलाए जाते थे जिसमें शहतूत/टसर केन्द्रों में स्थानीय ग्रामीणों को दैनिक मजदूरी के आधार पर काम पर लगाया गया था। भारत सरकार ने 1995 में चयनित, जिलों में "प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम" नामक एक नवीन योजना आरंभ की । योजना में ग्रामीण महिलाओं को रेशम उत्पादन क्रियाकलापों के लिये सरकारी शहतूत वृक्षारोपण के फलोपभोग अधिकार सौंपते हुए उनके लिये रेशम उद्योग के माध्यम से स्व–रोजगार का प्रावधान करना था। "स्वावलंबन" नाम की एक ऐसी ही अन्य योजना राज्य सरकार ने 1996 में आरंभ की थी जिसमें हितग्राहियों को उनकी आय बढ़ाने के लिये कोकूनों के उत्पादन स्तर तक के क्रियाकलाप सौंपे गये थे। इसके अतिरिक्त उत्तम श्रेणी के कोकूनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये 8 परियोजनाओं की भी संस्वीकृति प्रदान की गई जिसमें केन्द्रीय सहायता प्राप्त 5 परियोजनाएं (1995–99) एवं जापान के सहयोग से एक परियोजना (1998) सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं में मृदा कार्य से रेशम उत्पादन तक के समस्त क्रियाकलाप समाविष्ट हैं।

फलोषभोग अधिकार के बावजूद भी नवीन योजनाओं के लागू करने से कोकूनों के उत्पादन में एवं हितग्राहियों की आय में परिकल्पित वृद्धि नहीं हुई। सिंचाई सुविधाओं एवं तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव में शहतूत कोकूनों के उत्पादन तथा वृक्षारोपण के प्रभावी क्षेत्र में कमी आई। विकास कार्यों पर 3.23 करोड़ रुपए का व्यय करने के बावजूद हितग्राहियों की वार्षिक आय में ह्रास हुआ विकास खण्ड वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध मजदूरी भुगतान के अभाव में विषयवस्तु योजनाएं परियोजनाएं अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहीं।

-- प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम सहायता योजना पर किया गया 6.18 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा क्योंकि कोकूनों का उत्पादन, सूत एवं कपड़े का प्रतिशत लक्ष्यों (1995–98) का क्रमशः 17, 2 एवं 1 प्रतिशत था।

-- बस्तर जिले में प्राकृतिक टसर विकास परियोजना प्रारंभ करने के लिये 1998–99 के दौरान उपलब्ध कराए गए 41.34 लाख रुपए व्यय के रूप में दर्शाए जा कर "8443 सिविल जमा" "800 अन्य जमा" के अन्तर्गत जमा किए गए।

-- प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम एवं स्वावलंबन योजनाओं में जो कि क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थीं, अभीष्ट परिणाम नहीं दिए क्योंकि शहतूत कोकूनों के उत्पादन, वृक्षारोपण के प्रभावी क्षेत्र एवं हितग्राहियों की वार्षिक आय में कमी आई। नमूना जांच किए गए सात जिलों में शहतूत केन्द्रों के विकास कार्य पर व्यय किए गए 3.23 करोड़ रुपए भी निष्फल सिद्ध हुए।

-- जल की अनुपलब्धता एवं स्थल के दोषपूर्ण चयन के कारण 120 शहतूत केन्द्रों को बन्द करना पड़ा तथा उनकी स्थापना पर किया गया 7.55 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

-- राजगढ़ में कोकूनों के उत्पादन में असामान्य गिरावट के कारण शहतूत रेशम उत्पादन परियोजना पर 90.50 लाख रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

-- धर्मजयगढ़ में धागा लपेटने एवं बटने के कारखाने कच्चे माल (कोकून) की कमी के कारण बंद हो गये जिससे 24.38 लाख रुपए का व्यय निष्फल हो गया। मार्च 2001 के अंत तक 22.71 लाख रुपए मूल्य के टसर कोकून सरकारी भण्डार में अविक्रीत पड़े थे।

(कंडिका 3.1)

4 पर्यावरण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण एवं अपशेष प्रबंधन से संबंधित नियम

वायु प्रदूषण एवं अपशेष प्रबन्धन के निवारण एवं नियंत्रण की दृष्टि से, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (पर्यावरण अधिनियम) बनाए गए थे। इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिये मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (मंडल) उत्तरदायी था।

मंडल, वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिये अपेक्षित व्यापक कार्यक्रम तैयार करने में विफल रहा। औद्योगिक इकाइयां, अधिकतर स्टोन क्रशर्स मंडल के अनुमोदन के बिना चल रहे थे। मंडल एवं यातायात पुलिस के मध्य समन्वय के अभाव में 30 प्रतिशत चिन्हित वाहन जो कि अधिक मात्रा में वायु प्रदूषक उत्सर्जित कर रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे। ताप संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के पश्चात भी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। चिकित्सालयों में से निकले हुए जैव चिकित्सीय अपशेषों का अपेक्षित निपटान एवं उपचार नहीं किया जा सका।

-- उद्योगों में वायु के नमूनों के संग्रहण एवं विश्लेषण के मामले भोपाल में (73 प्रतिशत) एवं दुर्ग में (62 प्रतिशत) बहुत अधिक गिरावट थी। ताप विद्युत संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की प्रतिष्ठापना के पश्चात भी निलंबित प्रदूषण तत्वों की सामग्री (एस.पी.एम) के उत्सर्जन का स्तर अपेक्षित सीमा से 305 से 466 प्रतिशत अधिक था।

-- निर्दाहक न लगाए जाने के कारण अधिकांश शासकीय चिकित्सालयों में जैव चिकित्सीय अपशेष का निपटान ठीक प्रकार से नहीं किया जा सका। इन चिकित्सालयों में उत्पन्न अपशेष का पृथक्करण, उपचार एवं निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया।

-- उद्योगों के खतरनाक अपशेषों के निपटान के लिये उपयुक्त स्थलों की पहचान करके उनका विकास नहीं किया गया, अतः अपशेष का उचित निपटान नहीं किया गया जो कि जन–स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा बना हुआ था।

-- स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशेषों के निपटान एवं प्रबंधन के लिये कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई।

(कंडिका 3.2)

5. मध्यप्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली

1950 में प्रारंभ किये गये शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम से, लाभप्रद रोजगार हेतु, शिक्षित युवकों को औद्योगिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

योजना की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3 से लेकर 6 संस्वीकृत व्यवसायों (ट्रेड) के स्थान पर केवल एक व्यवसाय ही चला रहे थे जिसका कारण कर्मचारियों एवं अधोसंरचना का अभाव तथा कुछ व्यवसायों में प्रशिक्षणार्थियों का अभाव इत्यादि थे। यद्यपि 1996–2001 के दौरान 47 से 66 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया था। तथापि 49932 अभ्यार्थियों में से केवल 3612 लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सके थे। 55 से 70 प्रतिशत प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद एवं 32 से 52 प्रतिशत अनुदेशकों के पद रिक्त पड़े थे जिसके कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य निष्पादन निम्न स्तरीय रहा। कार्यक्रम का कार्यान्वयन खराब था।

-- 5 औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने के लिये निधियों का विमोचन न किए जाने से अभी तक उन पर किया गया 5.48 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

-- भारत सरकार की 6.16 करोड़ रुपए की निधियों को अनियमित रूप से राज्य प्राप्तियों (1.01 करोड़ रुपए) एवं सिविल जमा (5.15 करोड़ रुपए) के अंतर्गत जमा किया गया था।

-- उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (49932) का प्रतिशत 47 से 66 के मध्य था जिसमें से (3612) केवल 4.2 प्रतिशत को ही 1996–2001 के दौरान लाभप्रद रोजगार उपलब्ध हुआ।

-- कतिपय व्यवसायों (ट्रेड) का प्रशिक्षण बंद कर दिए जाने के कारण, मशीनों पर किया गया 79.67 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

-- लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों के निर्माण के लिये उपलब्ध कराई गई निधियों में से 3.43 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से वसूल किया जाना शेष था।

-- प्राचार्य/उप प्राचार्यों के संवर्गों एवं अनुदेशकों के रिक्त पदों के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ।

(कंडिका 3.3)

6. रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

राज्य में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1962 से किया जा रहा है। परिकल्पित रोगमुक्ति दर प्राप्त नहीं की गई। नवीन प्रकरणों का पता लगाने एवं कफ जांच कार्य में कमियां पाई गईं। अनुवर्ती उपचार अवस्तरीय था और कई प्रकरणों में उपचार को बीच में ही छोड़ दिया गया था।कर्मचारियों की कमी होने एवं कर्मचारी अप्रशिक्षित होने के कारण भी कार्य निष्पादन का स्तर घटिया रहा।

राज्य में 1976 से अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता से 1994 से मोतियाबिंद अंधत्व नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य में मार्च 2001 को अंधत्व का विद्यमान प्रतिशत 0.3 प्रतिशत की दर के विरुद्ध 0.63 प्रतिशत था। राज्य में मोतियाबिंद के कारण अंधत्व का निर्धारण नहीं किया गया अतः मोतियाबिंद की शल्य–चिकित्सा के लिये लक्ष्यों का निर्धारण तदर्थ आधार पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2001 तक मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिये बकाया प्रकरणों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। मोतियाबिंद की उच्च विद्यमानता दर होने के कारणों में रोगियों को शल्य चिकित्सा के लिये तैयार करने के कार्य का कमजोर निष्पादन निधियों का शिथिल उपयोग, सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों का अभाव होना एवं स्तरहीन अनुवर्ती कार्यवाही होना इत्यादि थे।

(क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

-- राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग की औषधियां क्रय करने के लिये 1.74 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का उपयोग 3 वर्ष से भी अधिक समय तक नहीं

किया गया तथा इसे "8443–सिविल जमा" के अंतर्गत रखा गया। 86 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जिला क्षयरोग नियंत्रण समितियों के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

-- नये रोगियों की कफ जांच के प्रकरणों की उपलब्धि के आंकड़े बढ़ाकर बताये गये थे। 76 प्रतिशत रोगियों ने संपूर्ण क्रमिक उपचार नहीं लिया एवं 1996–2001 के दौरान क्षयरोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। 7 से 20 प्रतिशत तक नए क्षयरोगियों को उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

-- 4 से 19 प्रतिशत पद रिक्त थे एवं अप्रशिक्षित कर्मचारी काम पर लगाए जाने का प्रतिशत 28 से 57 के मध्य था।

-- रोगमुक्ति एवं चूक की दर 90 प्रतिशत से अधिक एवं 5 प्रतिशत से कम के मानदंड के विरुद्ध क्रमशः 55 और 86 एवं 4 और 22 प्रतिशत के मध्य थी।

-- क्षयरोग की औषधियों का कालातीत दिनांक के पूर्व उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप 13.48 लाख रुपए की हानि हुई।

(ख) राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम

-- व्यय की गई निधियों की तुलना में, भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि बहुत ही कम रही।

-- जिलों को अवास्तविक लक्ष्यों के वितरण के कारण कार्यक्रम के उद्देश्य विफल हो गए। सरकारी क्षेत्र का योगदान मोतियाबिंद की शल्य–चिकित्सा के लक्ष्यों का केवल 10 से 43 प्रतिशत ही रहा। 2000–01 के दौरान 20 प्रतिशत के मानदण्डों के विरुद्ध शिविरों में मोतियाबिंद की 50 प्रतिशत शल्य चिकित्साएं ही संपन्न की गईं। प्रत्येक चलित नेत्रचिकित्सा इकाई द्वारा प्रतिवर्ष 1500 मोतियाबिंद शल्य चिकित्साएं किए जाने की तुलना में वास्तविक शल्य चिकित्साओं की संख्या 505 से 897 के मध्य थी।

-- नमूना जांच किये गये जिलों में, 3120 रोगियों की दृष्टि को फिर से ठीक नहीं किया जा सका। कमजोर दृष्टि (रेफ्रेक्टिंग) हेतु पहचान किये गये बच्चों में से केवल 5 प्रतिशत को ही चश्में दिये गये।

-- आठ जिलों में नेत्र चिकित्सकों के 20 पद रिक्त पड़े हुये थे।

-- अस्पतालों/वार्डों के निर्माण कार्य की पूर्णता के लिये 31 मार्च 2001 के लक्ष्य दिनांक के विरुद्ध अंधेरे कक्षों सहित 32 नेत्र वार्डों का निर्माण कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप लोक निर्माण विभाग के पास 1.77 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध थीं।

-- योजनाओं का परिवीक्षण अपर्याप्त था। अन्धत्व नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2000–01 के दौरान किए गए सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि मोतियाबिंद के कारण अंधत्व विद्यमानता का प्रतिशत 0.30 प्रतिशत के मानदण्ड के विरुद्ध 0.63 था। इस प्रकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विफल हो गया।

(कंडिका 3.4)

7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

राज्य के 45 जिलों में 1987–90 के दौरान सेवापूर्ण शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये दिशानिर्देश कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा एवं औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों के लिये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से "शिक्षक शिक्षा की पुनर्रचना एवं पुनर्गठन" की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 1987–90 के दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। 1987–97 के दौरान समस्त 45 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिये 26.22 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अप्रैल 2001 तक विभाग को केवल 24 भवन सौंपे जा सके। उचित योजना एवं परिवीक्षण के अभाव के कारण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारियों के उपलब्ध मानव दिवसों के केवल 12 से 68 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया। 1996–2001 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को 2000–01 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों को कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यस्थल पर वैचारिक आदान प्रदान, क्षेत्र का अध्ययन, कार्य अनुसंधान, परीक्षण इत्यादि अन्य क्रियाकलापों को अनदेखा किया गया। इस प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

-- 3.11 करोड़ रुपए का केन्द्र सरकार से अनियमित दावा किया गया।

-- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के 45 भवनों में से जिनके लिये 26.22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, 35 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था जिनमें से केवल 24 ही सुपुर्द किये गये थे।

-- शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिये विशेष दिशानिर्देश कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त 0.51 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया।

-- नमूना जांच किए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रयुक्त कर्मचारियों के मानव दिवसों का प्रतिशत उपलब्ध मानव दिवसों के 12 से 68 प्रतिशत के मध्य था तथा 15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में से 11 संस्थानों में यह 50 प्रतिशत से भी कम पाया गया।

-- राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 1.47 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अव्ययित रही तथा औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत निष्क्रिय प्रशिक्षण कर्मचारियों के वेतनों पर व्यय किए गए 1.48 करोड़ रुपए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण निष्फल सिद्ध हुए।

(कंडिका 3.5)

8. औपचारिकेतर शिक्षा

"औपचारिकेतर शिक्षा" योजना फरवरी 1975 में मध्यप्रदेश में राज्य योजना के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं का पोषण करने के लिये आरंभ की गई थी जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक विवशताओं के कारण शिक्षा की औपचारिक प्रणाली से विलग रहे तथापि यह योजना बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों तथा नामांकन में वृद्धि जैसे इसके पूरक उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी विफल रहीं। 1995–2001 के दौरान राज्य क्षेत्र में औपचारिकेतर शिक्षा पर 157.98 करोड़ रुपए व्यय करने के बावजूद भी प्राथमिक स्तर पर बीच में छोड़कर जाने वालों की दर 96 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 84 प्रतिशत थी। राज्य सरकार ने जनवरी 1997 से एक नई योजना "शिक्षा गारंटी योजना" के नाम से प्रारंभ की जो 1996–2000 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा योजना के समानान्तर चलती रही। यद्यपि औपचारिकेतर शिक्षा योजना 1 अप्रैल 2000 से बंद हो गई थी, तब भी राज्य सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुदान का दावा जारी रखा।

-- 1995–99 के दौरान, कम संख्या में औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के काम करने एवं पाठ्य पुस्तकों का क्रय न किए जाने के परिणामस्वरूप 1.12 करोड़ रुपए से 9.07 करोड़ रुपए के मध्य बचतें हुईं।

-- बोनस, जन–सूचना, माध्यम/जन–अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि के भुगतान के लिये भारत सरकार द्वारा विमोचित 2.42 करोड़ रुपए का उपयोग कार्यालयीन व्ययों के रूप में किया गया।

-- 2000–2001 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत विमोचित 10.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का उपयोग राज्य सरकार ने शिक्षा गारंटी योजना पर किया क्योंकि राज्य में समस्त औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र 1 अप्रैल 2000 से बंद हो गये थे।

-- राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा औपचारिकेतर शिक्षणार्थियों के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा शिक्षणार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष रूप से तैयार की गईं। पठन/पाठन सामग्री का विकास नहीं किया गया था।

-- 94.92 लाख रुपए मूल्य की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति में 4 माह से 1 वर्ष तक का विलम्ब हुआ। 3.83 करोड़ रुपए मूल्य की पठन–पाठन सामग्री 8 से 30 माह तक के विलम्ब से क्रय की गई। 23.40 लाख रुपए की पठन पाठन सामग्री अप्रयुक्त पड़ी थी।

-- फर्नीचर, क्रीड़ा–सामग्री एवं लेखन सामग्री के अनियमित क्रय की राशि 50.76 लाख रुपए थी। 12.09 लाख रुपए मूल्य की औपचारिकेतर शिक्षा की पठन–पाठन सामग्री का शिक्षा गारंटी योजना के लिये अनियमित उपयोग किया गया।

-- दिन के समय चलाए गए 741 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों द्वारा प्रकाश/ईंधन प्रभारों के रूप में 44.46 लाख रुपए का अनियमित दावा किया गया।

-- बोर्ड की पांचवीं तथा आठवीं परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्रमशः 2 से 5 एवं 6 से 9 प्रतिशत के मध्य रहा और उससे औपचारिकेतर शिक्षा योजना के घटिया निष्पादन का संकेत प्रकट हुआ।

-- 8 जिलों में 1875 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिये 26 स्वैच्छिक एजेन्सियों को विमोचित की गई राशि 3.79 करोड़ रुपए का उपयोग संदिग्ध था।

(कंडिका 3.6)

9. लेखापरीक्षा कंडिकाएं

क. निष्फल व्यय

(i) आबकारी प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 34.98 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

(कंडिका 3.11)

(ii) अनुचित योजना तैयार करने एवं समन्वय के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाने के लिये पदस्थ अतिरिक्त कर्मचारियों की पदस्थापना पर किया गया 37.13 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में उन्नयन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.24)

ख. अनियमित व्यय

(i) किसी मांग के बिना औषधियों के क्रय तथा उच्चतर विशिष्टियों की पट्टियों के क्रय के परिणामस्वरूप 59.87 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.22)

(ii) भारत की स्वाधीनता की 50 वीं वर्षगांठ के समापन समारोहों को मनाने के लिये भारत सरकार से प्राप्त 40 लाख रुपए का 15 अगस्त 1998 के पश्चात अनियमित रूप से व्यय किया गया।

(कंडिका 3.9)

ग. सरकारी निधियों का अवरुद्ध होना।

(i) संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिये उचित योजना के अभाव में 4.20 करोड़ रुपए अवरुद्ध हो गये।

(कंडिका 3.8)

(ii) भू–अर्जन के लिये अभिप्रेत 1.69 करोड़ रुपए की राशि जिलाधीशों द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर अनाधिकृत रूप से बैंक खातों में रखी गई।

(कंडिका 3.13)

(iii) इंदिरा सागर बांध के ढाँचे में भूकम्प यंत्र न लगाये जाने के परिणामस्वरूप 1.13 करोड़ रुपए अवरुद्ध हुये।

(कंडिका 3.19)

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विहंगावलोकन

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वित्त लेखे में निहित जानकारी के विश्लेषण के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया गया है। विश्लेषण राज्य सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की प्रवृत्तियों, व्यय की गुणवत्ता और वित्तीय प्रबंधन के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वित्त लेखे में निहित जानकारी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अन्य जानकारी के आधार पर विकसित कतिपय अनुपातों तथा देयताओं पर आधारित सरकार के वित्तीय निष्पादन के संदर्शकों के विश्लेषण पर एक प्रखण्ड भी समाविष्ट किया गया है। इस अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा ***परिशिष्ट I*** में दी गई हैं।

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अनुसार तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिले* 1 नवम्बर 2000 के "नियत दिनांक" पर नवीन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु हस्तांतरित किये गये। "नियत दिन" के ठीक पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं पर बटवारा और इसके साथ ही अन्य वित्तीय समायोजन प्रत्येक प्रकरण में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जाने हैं। इस संबंध में हुई वास्तविक प्रगति ***परिशिष्ट II*** में दर्शाई गई हैं।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन आदि जैसी स्थाई परिसंपत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया गया है फिर भी सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा सरकार द्वारा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का लेखाकरण तो किया ही जाता है। प्रदर्श–1 में 31 मार्च 2000 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2001 को ऐसी ही देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सारांश दिया गया है। देयताओं में मुख्यतः

* *बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर, चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा।*

आन्तरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां, लोक लेखे से प्राप्तियां तथा आरक्षित निधियां समाविष्ट है जबकि परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे एवं पेशगियां तथा रोकड़ रोष समाविष्ट हैं।

प्रदर्श–1 में देखा जा सकता है कि अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2000 के दौरान देयताओं में 8.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु तत्पश्चात नवम्बर 2000 से मार्च 2001 के दौरान 19.35 प्रतिशत कमी हुई जो नवीन छत्तीसगढ राज्य को कतिपय देयताओं के बड़ी मात्रा में स्वाभाविक विभाजन के कारण हुई। अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2000 के दौरान परिसंपत्तियों में जो 1.63 प्रतिशत वद्धि हुई उसमें भी मुख्यतः उक्त कारणों से ही नवम्बर 2000 से मार्च 2001 के दौरान 5.53 प्रतिशत कमी हुई।

प्रदर्श-I

31 मार्च 2001 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

31.03.2000 को	*देयताएं*	**31.10.2000** को	**31.03.2001** को
6141.25	**आंतरिक ऋण**	**7628.95**	**5967.51**
4250.58	ब्याज सहित बाजार कर्जे	4709.69	3794.21
4.33	ब्याज रहित बाजार कर्जे	5.39	3.70
721.17	अन्य संस्थाओं से कर्जे	775.61	645.95
171.62	अर्थोपाय पेशगियां	256.87	--
--	**भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष**	**145.53**	--
993.55	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	1735.86	1523.65
10195.04	**केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां**	**10606.50**	**7964.77**
550.77	1984–85 से पूर्व के कर्जे	526.47	365.27
3483.21	योजनेतर कर्जे	3441.82	2516.89
5961.95	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	6440.06	4932.36
62.71	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	61.30	43.91
136.40	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	136.85	106.34
33.07	**आकस्मिक व्यय निधि**	**26.61**	**40.00**
6752.98	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	**7371.50**	**6534.82**
2196.00	**निक्षेप**	**1872.19**	**1806.12**
662.50	आरक्षित निधियां	663.77	**275.20**
156.40	उचंत तथा विविध शेष	80.60	**196.14**
26137.24		**28250.12**	**22784.56**

31.03.2000 को	परिसम्पत्तियां	31.03.2000 को	31.03.2000 को
15236.23	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	**15760.57**	**14862.15**
1637.93	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1642.14	1679.08
13598.30	अन्य पूंजीगत परिव्यय	14118.43	13183.07
2844.63	**कर्जें एवं पेशगियां**	**2883.18**	**2990.98**
1819.17	विद्युत परियोजनाओं हेतु कर्जें	1819.17	2010.84
961.98	अन्य विकास कर्जें	995.85	914.27
63.48	सरकारी कर्मचारियों को कर्जें तथा विविध कर्जें	68.16	65.87
	आरक्षित निधि निवेश	--	--
13.26	**पेशगियां**	**13.88**	**10.32**
638.08	**प्रेषण शेष**	**665.60**	**631.59**
296.72	**रोकड़**	**17.11**	**(-)223.57**
(-)0.17	कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	(-)68.26	(-)28.22
184.29	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	38.51	(-)546.29
82.02	स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	21.86	12.19
30.58	रोकड़ शेष निवेश एवं अदिदष्ट निधियों का निवेश	25.00	338.75
7108.32	सरकारी लेखे पर घाटा	8909.78	4513.09
4175.02	(i) संचित घाटे का अग्रेनयन	7108.32	4167.53
2932.26	(ii) वर्तमान वर्ष/अवधि का राजस्व घाटा	1801.46	344.46
1.04	(iii) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	--	1.10
26137.24		**28250.12**	**22784.56**

प्रदर्श-2

वर्ष 2000-01 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां						संवितरण								
1999-2000			**1/4/2000 से 31/10/2001 तक**	**1/11/2000 से 31/3/2001 तक**	योग	**1999-2000**		**1/4/2000 से 31/10/2000 तक**			**1/11/2000 से 31/3/2001 तक**			**महायोग**
								योजनेतर	**आयोजनागत**	**योग**	**योजनेतर**	**आयोजनागत**	**योग**	
		अनुभाग-क राजस्व												
13203.68	I.	***राजस्व प्राप्तियां***	7136.48	5702.82	12839.30		1. **राजस्व व्यय**							
5795.22		– कर राजस्व	3224.57	2415.01	5639.58	5244.45	**सामान्य सेवाएं**	**3355.84**	**7.74**	**3363.58**	**1922.08**	**36.99**	**1959..07**	**5322.65**
						6210.38	**सामाजिक सेवाएं**	**2795.95**	**843.51**	**3639.46**	**1425.39**	**771.61**	**2197.00**	**5836.46**
2468.97		– कर भिन्न राजस्व	1020.20	701.13	1721.33	3022.66	– शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1582.72	228.31	1811.03	751.33	187.51	938.84	2749.87
						836.52	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	353.17	158.22	511.39	209.75	110.85	320.60	831.99
3261.64		– संघ करों का राज्यांश	2317.94	1637.57	3955.51	697.54	– जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास	201.35	148.65	350.00	98.63	234.68	333.31	683.31
327.24		– **योजनेतर अनुदान**	34.82	154.58	189.40	21.10	– सूचना एवं प्रसारण	10.76	--	10.76	10.46	0.07	10.53	21.29
						1028.46	– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	453.94	195.59	649.53	148.44	134.79	283.23	932.76
723.07		–राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	244.47	458.72	703.19	66.10	– श्रम एवं श्रमिक कल्याण	31.80	8.00	39.80	16.71	5.58	22.29	62.09
						529.67	– सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	157.15	104.73	261.88	186.92	97.99	284.91	546.79
627.54		– केन्द्रीय और केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	294.48	332.81	627.29	8.33	– अन्य	5.07	--	5.07	3.14	0.14	3.28	8.35
						4033.27	**आर्थिक सेवाएं**	**1219.09**	**365.83**	**1584.92**	**1055.61**	**657..07**	**1712.68**	**3297.60**
						1364.81	– कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	542.58	153.89	696.47	311.20	206.92	518.12	1214.59
						723.96	– ग्रामीण विकास	250.05	116.71	366.76	158.02	378.23	536.25	903.01
						--	– विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	--	--	--
						347.22	– सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	165.83	67.14	232.97	73.07	29.96	103.03	336.00
						1170.79	– उर्जा	--	1.68	1.68	393.58	15.23	408.81	410.49
						79.51	– उद्योग एवं खनिज	28.95	23.91	52.86	12.76	22.57	35.33	88.19
						310.96	– परिवहन	206.75	1.09	207.84	86.56	0.31	86.87	294.71

जारी

प्रदर्श-II (जारी)

प्राप्तियां						संवितरण								
1999-2000			1/4/2000 से 31/10/2001 तक	1/11/2000 से 31/3/2001 तक	योग	1999-2000		1/4/2000 से 31/10/2000 तक			1/11/2000 से 31/3/2001 तक			महायोग
						2.43	– विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.82	0.40	1.22	0.50	0.93	1.43	2.65
						33.59	– सामान्य आर्थिक सेवाए	24.11	1.01	25.12	19.92	2.92	22.84	47.96
						647.84	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	349.97	--	349.97	178.53	--	178.53	528.50
2932.26	II.	अनुभाग ख को अग्रनीत राजस्व घाटा	1801.45	344.46	2145.91	--	**II – अनुभाग को अग्रेनीत राजस्व बचत**	--	--	--	--	--	--	--
16135.94		**योग**	8937.93	6047.28	14985.21	16135.94	**योग**	**7720.85**	**1217.08**	**8937.93**	**4581.61**	**1465.67**	**6047.28**	**14985.21**
		अनुभाग ख												
							III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष							
171.11	**III**	स्थाई पेशगियों एवं रोकड शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	296.72	61.68	358.40	--				--			--	--
							IV. पूंजीगत परिव्यय			--			--	--
	IV	**विविध पूंजीगत प्राप्तिया**				15.82	**सामान्य सेवाएं**	**0.37**	**4.91**	**5.28**	--	**10.58**	**10.58**	**15.86**
						194.73	**सामाजिक सेवाएं**	**0.19**	**37.56**	**37.75**	**1.40**	**96.63**	**98.03**	**135.78**
						36.28	– शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	--	1.16	1.16	--	11.50	11.50	12.66
						44.16	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.19	13.64	13.83	1.40	14.36	15.76	29.59
						17.10	– जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास	--	5.70	5.70	--	12.42	12.42	18.12
						0.25	– सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	0.13	0.13	0.13
						92.54	– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडावर्गों का कल्याण	--	16.04	16.04	--	57.72	57.72	73.76
						3.88	– सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	--	0.23	0.23	--	0.37	0.37	0.60
						0.52	– अन्य सामाजिक सेवाए	--	0.79	0.79	--	0.13	0.13	0.92
						739.52	**आर्थिक सेवाए**	**5.62**	**475.69**	**481.31**	**(-)2.57**	**480.12**	**477.55**	**958.86**
						59.02	– कृषि एवं संबद्ध गतिविधिया	5.22	(-)0.25	4.97	(-)2.92	41.00	38.08	43.05
						64.20	– ग्रामीण विकास	--	24.57	24.57	--	42.24	42.24	66.81
						374.70	– सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.33	263.37	263.70	0.12	223.42	223.54	487.24
						154.81	–ऊर्जा	--	126.34	126.34	--	112.37	112.37	238.71
						8.29	– उद्योग एवं खनिज	0.05	3.11	3.16	0.05	1.31	1.36	4.52
						77.31	– परिवहन	--	57.67	57.67	0.17	58.20	58.37	116.04
						1.19	– सामान्य आर्थिक सेवाए	0.02	0.88	0.90	0.01	1.58	1.59	2.49
		योग				**950.07**	**योग**	**6.18**	**518.16**	**524.34**	**(-)1.17**	**587.33**	**586.16**	**1110.50**

जारी

प्रदर्श-II (जारी)

	प्राप्तियां						संवितरण			
1999-2000			2000-2001			1999-2000		2000-2001		
			01.04.2000 से 31.10.2000 तक	01.11.2000 से 31.03.2001 तक	योग			01.04.2000 से 31.10.2000 तक	01.11.2000 से 31.3.2001 तक	योग
313.80	**V**	**कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियां**	**(-)5.79**	**19.24**	**13.45**	**342.85**	**V.संवितरित कर्जे एवं पेशगियां**	**32.76**	**262.95**	**295.71**
118.79-		– विद्युत परियोजनाओं से	--	--		216.31	–विद्युत परियोजनाओं के लिए	--	191.67	191.67
14.64		– सरकारी कर्मचारियों से	9.72	4.42	14.14	10.72	– सरकारी कर्मचारियों को	14.40	2.13	16.53
180.37		– अन्य से	(-)15.51	14.82	(-)0.69	115.82	– अन्य को	18.36	69.15	87.51
	VI	**अधनीत राजस्व बचत**	--			**2932.26**	**VI. अधनीत राजस्व घाटा**	**1801.46**	**344.46**	**2145.92**
3462.25	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**2170.59**	**929.94**	**3100.53**	**549.49**	**VII. लोक ऋण का प्रतिभुगतान**	**271.44**	**546.92**	**818.36**
2104.24		– अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	1308.30	567.84	1876.14	135.27	– अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	51.37	72.46	123.83
1358.01		– केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	631.52	362.10	993.62	393.31	– केन्द्र सरकार को कर्जे तथा पेशगियों का प्रतिभुगतान	220.07	180.58	400.65
--		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन	230.77	--	230.77	20.91	– अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन	--	293.88	293.88
	VIII	**आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग**	--	--	--	--	**VIII. आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग**	--	--	--
0.23	**IX**	**आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित राशि**	**6.93**	--	**6.93**	**6.93**	**IX. आकस्मिक व्यय निधि से व्यय**	**13.39**	**(-)13.39**	--
17170.49	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**9881.84**	**6638.57**	**16520.41**	**16039.56**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**9689.79**	**6145.90**	**15835.69**
1923.89		– अल्प बचतें एवं भविष्य निधि	1221.95	530.25	1752.20	1015.28	–अल्प बचतें एवं भविष्य निधि	603.42	392.42	995.84
139.17		– आरक्षित निधियां	1.77	125.17	126.94	62.09	– आरक्षित निधियां	0.50	2.26	2.76
8116.27		– उचंत एवं विविध	5131.11	3606.20	8737.31	8138.82	– उचंत एवं विविध	5206.92	3479.85	8686.77
4230.00		प्रेषण	2286.88	1499.60	3786.48	4146.51	– प्रेषण	2314.39	1618.48	3932.87
2761.16		जमा एवं पेशगियां	1240.13	877.35	2117.48	2676.86	-- जमाएं एवं पेशगियां	1564.56	652.89	2217.45
--	**XI**	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष**	--	--		**296.72**	**XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**	**17.11**	**(-)223.57**	**(-)206.46**
						(-)0.17	– कोषालयों में रोकड एवं स्थानीय प्रेषण	(-)68.26	(-)28.22	(-)96.48
						184.29	– रिजर्व बैंक में जमा	38.51	(-)546.29	(-)507.78
						82.02	– स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	21.86	12.19	34.05
						30.58	– रोकड़ शेष निवेश और उदिष्ट निधि निवेश	25.00	338.75	363.75
21117.88		**योग**	**12350.29**	**7649.43**	**19999.72**	**21117.88**	**योग**	**12350.29**	**7649.43**	**19999.72**

प्रदर्श-3

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(राशि करोड़ रुपयों में)

1999-2000		स्रोत	2000-2001			प्रतिशत
राशि	प्रतिशत		01.04.2000 से 31.10.2000 तक	01.11.2000 से 31.3.2001 तक	कुल राशि	
13203.68	75.09	राजस्व प्राप्तियां	7136.48	5702.82	12839.30	77.44
313.80	1.78	कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियां	(-) 5.79	19.24	13.45	0.08
2912.76	16.57	लोक ऋण में वृद्धि	1899.15	383.02	2282.17	13.76
1153.48	6.56	लोक लेखे से प्राप्तियां	619.80	260.74	880.54	5.31
908.61		क. अल्प बचतों में वृद्धि	618.53	137.83	756.36	
84.30		ख. जमा एवं पेशगियों में वृद्धि		--	--	
77.08		ग. आरक्षित निधियों एवं आरक्षित निधि निवेश में वृद्धि	1.27	122.91	124.18	
83.49		घ. प्रेषण लेन देनों का प्रभाव	--	--		
		अंतिम रोकड़ शेष में कमी	279.60	285.25	564.85*	3.41
17583.72	**100.00**	**योग**	**9929.24**	**6651.07**	**16580.31**	**100.00**
		उपयोग				
16135.94	91.77	राजस्व व्यय	8937.93	6047.28	14985.21	90.38
342.85	1.95	विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देना	32.76	262.95	295.71	1.78
950.07	5.40	पूंजीगत व्यय	524.34	586.16	1110.50	6.70
6.70	0.04	आकस्मिक व्यय निधि लेनदेनों का निवल प्रभाव	6.46	(-)13.39	(-)6.93	(-)0.04
22.55	0.13	लोक लेखा से उपयोग	427.75	(-)231.93	195.82	1.18
22.55		क. उचंत एवं विविध का निवल प्रभाव	75.81	(-)126.35	(-)50.54	
		ख. विविध शासकीय लेखे	--	--	--	
		ग. जमा तथा अग्रिमों में कमी	324.43	(-)224.46	99.97	
--		घ. प्रेषण लेनदेनों का प्रभाव	27.51	118.88	146.39	
125.61	0.71	अंतिम रोकड़ शेष में वृद्धि	--	--	--	--
17583.72	**100.00**	**योग**	**9929.24**	**6651.07**	**16580.31**	**100.00**

प्रदर्श 1, 2, एवं 3 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. उपरोक्त विवरण पत्रों में दर्शाए गए संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जायें।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, प्रदर्श–1 में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा, वाणिज्य लेखे में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्तियोग्य मदें या भण्डार के आंकड़ों इत्यादि में मूल्यह्रास अथवा भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।

3. उचंत एवं विविध शेषों में जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चेक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अंतर्विभागीय और सरकारों के मध्य भुगतान एवं अन्य लंबित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।

4. रोकड़ शेष में समाविष्ट "रिज़र्व बैंक में जमा" के संबंध में लेखाओं में प्रतिबिम्बित आंकड़ों 54629.37 लाख रुपये (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 50591.55 लाख रुपये (नामे) के मध्य 4037.82 लाख रुपये (जमा) के अंतर का अब मिलान कर लिया गया है (दिसम्बर 2002)

* इसमें 1 नवम्बर 2000 को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित किये गये– 44.57 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

प्रदर्श-4

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपए में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		
					01.04.2000 से 31.10.2000 तक	01.11.2000 से 31.03.2001 तक	योग
भाग-क प्राप्तियां							
1. राजस्व प्राप्तियां	**10014**	**11257**	**11346**	**13204**	**7136**	**5703**	**12839**
(i) कर राजस्व	4104 (41)	4564 (40)	5108 (45)	5795 (44)	3225	2415	5640 (44)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--	--	--
विक्रय व्यापार आदि पर कर	1731 (42)	2056 (45)	2297 (45)	2555 (44)	1568	1198	2766 (49)
राज्य आबकारी	743 (18)	845 (19)	965 (19)	1073 (19)	674	301	975 (17)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	319 (8)	361 (8)	400 (8)	470 (8)	298	179	477 (8)
वाहनों पर कर	338 (8)	371(8)	382 (7)	402 (7)	257	149	406 (7)
अन्य कर	973(24)	931 (20)	1064 (21)	1295 (22)	428	588	1016 (19)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1975 (20)	2019 (18)	1782 (16)	2469 (18)	1020	704	1724 (13)
(iii) संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश	2636 (26)	3327 (30)	2932 (26)	3262 (25)	2318	1637	3955 (31)
(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान	1300 (13)	1348 (12)	1523 (13)	1678 (13)	574	946	1520 (12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	--	--	--	--
3. कुल राजस्व एवं ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)	**10014**	**11257**	**11346**	**13204**	**7136**	**5703**	**12839**
4. कर्जे एवं पेशगियों की वसूली	**861**	**794**	**56**	**314**	**(-)6**	**19**	**13**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**1689**	**2093**	**2796**	**3462**	**2171**	**930**	**3101**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	624 (37)	651 (31)	742 (28)	2104 (61)	1308	568	1876 (61)
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां*	1065 (63)	1442 (69)	1862 (72)	1358 (39)	632	362	994 (32)
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	192	--	231	--	231 (7)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां(3+4+5)	**12564**	**14144**	**14198**	**16980**	**9301**	**6652**	**15953**
7. आकस्मिक व्यय निधि प्राप्तियां	**13**	**3**	**--**	**--**	**7**	**--**	**7**
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**12364**	**13961**	**15717**	**17170**	**9882**	**6638**	**16520**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**24941**	**28108**	**29915**	**34150**	**19190**	**13290**	**32480**
भाग-ख व्यय/संवितरण							
10. राजस्व व्यय	**11462** (90)	**11726** (85)	**14218** (92)	**16136** (93)	**8938**	**6047**	**14985 (91)**
आयोजनागत	2440 (21)	2283 (19)	2476 (17)	2727 (17)	1217	1466	2683 (18)
योजनेतर	9022(79)	9443(81)	11742(83)	13409(83)	7721	4581	12302 (82)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	3343(29)	3857(33)	4766(34)	5244(33)	3364	1959	5323 (36)
सामाजिक सेवाएं	4040(35)	4482(38)	5574(39)	6210(38)	3639	2197	5836 (39)
आर्थिक सेवाएं	3749(33)	3052(26)	3462(24)	4033(25)	1585	1713	3298 (22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	329(3)	335(3)	416(3)	648(4)	350	178	528 (3)
11. पूंजीगत व्यय	**1021(8)**	**1678(12)**	**1010(6)**	**950(5)**	**524**	**586**	**1110 (7)**
आयोजनागत	1010 (99)	1672 (100)	999 (99)	946 (100)	518	587	1105 (100)
योजनेतर	11 (1)	6	11 (1)	4	06	(-)01	05
सामान्य सेवाएं	21 (2)	22 (1)	20 (2)	16 (2)	05	11	16
सामाजिक सेवाएं	212 (21)	170 (10)	219 (22)	195 (20)	38	98	136 (12)
आर्थिक सेवाए	788 (77)	1486 (89)	771 (76)	739 (78)	481	477	958 (86)

*** भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियां सम्मिलित हैं।**

प्रदर्श-4 (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		
					01.04.2000 से 31.10.2000 तक	01.11.2000 से 31.03.2001 तक	योग
12. कर्जे एवं पेशगियों का वितरण	318 (2)	468 (3)	302 (2)	343 (2)	33	263	296 (2)
13. कुल व्यय (10+11+12)	**12801**	**13872**	**15530**	**17429**	**9495**	**6896**	**16391**
14. लोक ऋण का प्रतिभुगतान	**543**	**353**	**439**	**549**	**271**	**547**	**818**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	22	43	90	135	51	72	123
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	252	--	--	21	--	294	294
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	269	310	349	393	220	181	401
15. आकस्मिक व्यय निधि विनियोग	--	--	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**13344**	**14225**	**15969**	**17978**	**9766**	**7443**	**17209**
17. आकस्मिक व्यय निधि संवितरण	**3**	--(1)	--(2)	**7**	**13**	**(-)13**	--
18. लोक लेखा संवितरण	**11472**	**13729**	**14131**	**16040**	**9690**	**6146**	**15836**
19. सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**24819**	**27954**	**30100**	**34025**	**19469**	**13576**	**33045**
भाग ग. घाटा							
20. राजस्व घाटा (1-10)	1448	469	2872	2932	*1802*	344	2146
21. राजकोषीय घाटा (3+4-13)	**1926**	**1821**	**4127**	**3911**	2365	**1174**	**3539**
22. प्राथमिक धाटा (21-23)	**550**	**161**	**2292**	**1772**	**858**	**270**	**1128**
भाग घ. अन्य आंकडे					--	--	
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1376	1660	1835	2139	*1507*	904	2411
24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	238 (4)	264 (4)	248 (4)	465 (6)	--	--	347 (5)
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1318	677	759	1505	224	589	813
26. ली गई अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष (दिन)	171/24	142/48	129/144	165/100	70/9	95/38	165/47
27. अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष पर ब्याज	4/1	4/1	5/3	10/3	6/2	2/1	8/3
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	75345	81042	90737	98768 (अ) (3)	--	--	88445 (4)
29. बकाया ऋण (वर्षान्त)	15948	17972	21959	25948		22548	22548
30. बकाया गारंटियां (वर्षान्त)	3546	3890	1413	142		--	467
31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	8352	9092	8599	9671		--	9673
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	53	55	59	237	--	--	185
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	3058	3498	3725	5957	--	--	4983

* आधारवर्ष के रूप में 1993–94 के साथ पुनरीक्षित श्रृंखला के अनुसार सकल घरेलू उत्पात के आंकड़ों में संशोधन किया गया है।

(अ) अनन्तिम

(1) 0.05 करोड़ रूपये

(2) 0.23 करोड़ रूपये

(3) औसत आधार पर संगणित, सरकारी आंकड़े तैयार नहीं किये गये।

(4) परवर्ती मध्यप्रदेश राज्य के लिये पूर्ण वर्ष हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अंनतिम राशि (73165 करोड रूपये) + छत्तीसगढ के किये अप्रैल – अक्टूबर 2000 हेतु उक्त की आनुपातिक राशि (15280 करोड़ रूपये)।

1.3 राज्य सरकार के वित्तीय कार्यचालन

1.3.1 प्रदर्श–2 में राज्य सरकार द्वारा की गई प्राप्तियों तथा किये गये संवितरणों के ब्यौरे दिये गये हैं। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (14985 करोड़ रुपए) में राजस्व प्राप्तियों (12839 करोड़ रुपए) की तुलना में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप 2146 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (5640 करोड़ रुपए) कर भिन्न राजस्व (1724 करोड़ रुपए), संघ करों तथा शुल्कों का राज्यांश (3955 करोड़ रुपए) और भारत सरकार से सहायतानुदान (1520 करोड़ रुपए) समाविष्ट हैं। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय पर कर (49 प्रतिशत) राज्य आबकारी (17 प्रतिशत) मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (8 प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (7 प्रतिशत) हैं। कर भिन्न राजस्व मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों (11 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं (74 प्रतिशत) से प्राप्त होता है।

1.3.2 पूंजीगत प्राप्तियों में कर्जे एवं पेशगियों की वसूली से प्राप्त 13 करोड़ रुपए तथा लोक ऋण से प्राप्त 3101 करोड़ रुपए समाविष्ट हैं। इसके विरुद्ध पूंजीगत परिव्यय पर 1110 करोड़ रुपये, कर्जे एवं पेशगियों के संवितरण पर 296 करोड़ रुपए और लोक ऋण के प्रतिभुगतान पर 818 करोड़ रुपए व्यय किये गये। लोक लेखे में 16520 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध 15836 करोड़ रूपये संवितरित किये गये। समेकित निधि, आकस्मिक व्यय निधि तथा लोक लेखे में लेनदेनों के निवल प्रभाव के रूप में रोकड़ शेष में वर्ष के अन्त में 565 करोड़ रुपए की कमी हुई।

1.3.3 राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित वित्तीय कार्यचालन का प्रदर्श–2 तथा प्रदर्श–4 में प्रस्तुत 1996–2001 तक के 5 वर्षों के समयबद्ध आंकड़ों के संदर्भ में आगामी कण्डिकाओं में उल्लेख किया गया है।

1.4 निधियों के स्रोत एवं उनका उपयोग

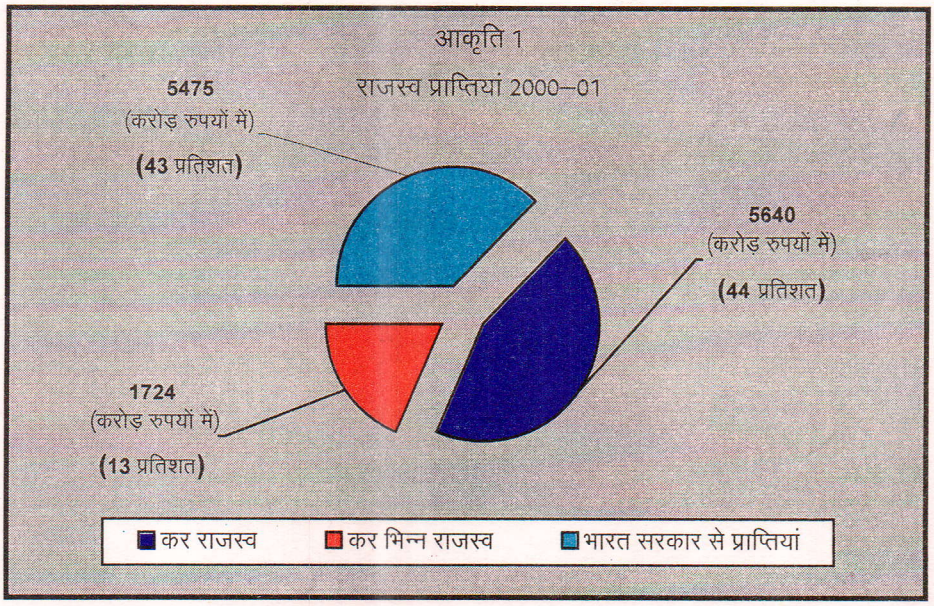
प्रदर्श–3 में चालू वर्ष तथा गत वर्ष के दौरान निधियों के स्रोतों तथा उनके उपयोग की स्थिति का उल्लेख किया गया है। निधियों के मुख्य स्रोतों में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियां, लोक ऋण तथा लोक लेखे में प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से राजस्व तथा पूंजीगत व्यय पर और विकास हेतु उधारियों के लिये किया जाता है। यह दृष्टव्य है कि राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार की निधियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्व प्राप्तियों के आनुपाती अंश में 1999–2000 में न्यूनतम 75.09 प्रतिशत से 2000–01 के दौरान 77.44 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि लोक लेखे से प्राप्तियों, कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का अंश तथा लोक ऋण से प्राप्तियां 1999–2000 में क्रमशः 6.56 प्रतिशत, 1.78

प्रतिशत तथा 16.57 प्रतिशत से घटकर 2000–01 में 5.31 प्रतिशत, 0.08 प्रतिशत तथा 13.76 प्रतिशत तक रह गईं।

1.4.2 निधियों का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व व्यय में किया जाता है जिस के अंशदान में 91.77 प्रतिशत से 90.38 प्रतिशत तक कमी हुई परंतु यह राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (77.44 प्रतिशत) के अंशदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक भी रहा। इससे राजस्व घाटा हुआ। एक ओर जहां पूंजीगत व्यय के प्रतिशत में 5.40 से 6.70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई वहीं विकास संबंधी उधारियों में 1.95 प्रतिशत से 1.78 प्रतिशत तक कमी हुई।

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में मुख्य रूप से कर एवं कर भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्तियां समाविष्ट हैं। उनके सह संबंधी अंश आकृति 1 में दर्शाए गए हैं। 1996–2000 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 10.62 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक वृद्धि हुई परंतु राज्य के पुनर्गठन के स्वाभाविक कारण से 2000–01 में 2.76 प्रतिशत की कमी आई।



1.5.2 कर राजस्व

इससे राजस्व प्राप्तियों में बड़ा अंशदान (44 प्रतिशत) प्राप्त होता है। यद्यपि 1999–2000 में कर राजस्व में 5795 करोड़ रुपए से वर्तमान वर्ष के दौरान 5640 करोड़ रुपए तक कमी हुई तथापि राजस्व प्राप्तियों में इसका अंशदान वर्ष के दौरान स्थिर रहा। प्रदर्श–4 दर्शाता है कि विक्रय कर के सापेक्ष अंशदान में 1999–2000 में 44 प्रतिशत से 2000–01 में 49 प्रतिशत तक

वृद्धि हुई परन्तु राज्य आबकारी में 1999–2000 में 19 प्रतिशत से 2000–01 में 17 प्रतिशत तक कमी हुई जबकि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा वाहनों पर कर यथावत रहे।

1.5.3 कर भिन्न राजस्व

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व के अंशदान में 1999–2000 को छोड़कर, जब यह 18 प्रतिशत था, 1996–97 में 20 प्रतिशत से 2000–01 में 13 प्रतिशत तक निरन्तर कमी होती रही।

1.5.4 संघ करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान संघ करों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर एवं निगम कर) के राज्यांश में 21 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान में 9 प्रतिशत कमी हुई तथापि राजस्व प्राप्तियों (दोनों के साथ) के प्रतिशत के रूप में 1996–97 में 39 प्रतिशत से 2000–01 के दौरान 43 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 राजस्व व्यय 1999–2000 में राज्य सरकार के कुल व्यय का 93 प्रतिशत लेखांकित किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान यह घटकर 91 प्रतिशत रह गया। वस्तुतः वर्ष के दौरान राज्य के पुनर्गठन के कारण इसमें 7 प्रतिशत की कमी (16136 करोड़ रुपए से 14985 करोड़ रुपए तक) आई। योजनागत और योजनेतर दोनों में कमी आई तथापि एक तुलना से प्रकट हुआ कि 1996–97 (9022 करोड़ रुपए) से 2000–01 (12302 करोड़ रुपए) तक की अवधि में योजनागत व्यय (10 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व व्यय के योजनेतर घटक में वृद्धि दर (36 प्रतिशत) बहुत अधिक रही जिसे प्रदर्श–4 में देखा जा सकता है। प्रवृत्ति विश्लेषण दर्शाता है कि सरकार कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के बढ़ते हुये अंशदान को रोकने में विफल रही जो 1997–98 में 85 प्रतिशत की न्यूनतम स्थिति से तुलनात्मक रूप में 2000–01 में बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 क्षेत्रवार विश्लेषण दर्शाता है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय में 1996–97 में 3343 करोड़ रुपए से 2000–01 में 5323 करोड़ रुपए अर्थात 59 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं पर व्यय पर अनुवर्ती वृद्धि केवल 44 प्रतिशत रही तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वस्तुतः 12 प्रतिशत तक कमी हुई। राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं के अंशदान में 1996–97 में 29 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत से 2000–01 में 36 एवं 39 प्रतिशत तक क्रमशः वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं का अंशदान 1996–97 में 33 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2000–01 में 22 प्रतिशत तक रह गया।

1.6.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान में 1996–97 में 1376 करोड़ रुपए से 2000–01 में 2411 करोड़ रुपए तक अर्थात 75 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत रही। इसका वित्तीय संसूचक खण्ड में आगे भी उल्लेख किया गया है।

1.6.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

2000–01 को समाप्य पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को प्रदत्त आर्थिक सहायता की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		योग
					31.10.2000 को	31.3.2001 को	
शिक्षा	203	206	292	312	193	160	353
जल प्रदाय, मल निकास, आवास तथा शहरी विकास	25	55	36	45	26	39	65
सहकारिता	7	44	25	2	1	2	3
मध्यप्रदेश विद्युतमण्डल	1079	365	402	1140	--	385	385
सार्वजनिक उपक्रम	4	7	4	6	4	3	7
योग	**1318**	**677**	**759**	**1505**	**224**	**589**	**813**
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	139	-49	12	98	--	--	(-)46
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप मे सहायता	12	6	5	9	--	--	5

आर्थिक सहायता का वृहद् भाग राज्य विद्युत मण्डल तथा शैक्षणिक संस्थाओं में लेखांकित किया गया।

1.7 पूंजीगत व्यय

1.7.1 पूंजीगत व्यय से सामान्यतः परिसंपत्तियां सृजित होती हैं। इसके अतिरिक्त अशासकीय संस्थाओं अथवा उपक्रमों यथा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों आदि में निवेशित धन तथा कर्जे एवं पेशगियों से वित्तीय परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं। प्रदर्श–4 प्रदर्शित करता है कि अधिकांश पूंजीगत व्यय आयोजना की आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर किया गया है।

1.7.2 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं पेशगियां

सरकार विकासात्मक तथा अविकासात्मक क्रियाकलापों के लिये सरकारी कंपनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, अशासकीय संस्थाओं आदि

को कर्जे एवं पेशगियां देती हैं। 1996–97 से 2000–01 तक विगत पांच वर्षों की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		योग
					31.10.2000 को	**31.3.2001 को**	
आरंभिक शेष	3439	2897	2570	2816	2845	2883	2845
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	319	467	302	343	32	263	295
वर्ष के दौरान प्रतिप्रदत्त राशि	861	794	56	314	(-)6	19	13
प्रोफार्मा संशोधन राशि का छत्तीसगढ को अंतरण						(-)136	(-)136
अन्त शेष	2897	2570	2816	2845	2883	2991[a]	2991[a]
निवल वृद्धि	-542	-327	245	29	38	244	282
प्राप्त ब्याज	270	223	147	247	33	124	157

यह दृष्टव्य है कि 1996–97 एवं 1997–98 को छोड़कर दिए गए अग्रिमों के प्रतिभुगतान का प्रतिशत अत्यंत कम रहा है जो यह दर्शाता है कि ऋणों की वसूली नगण्य थीं। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधारित विस्तृत लेखाओं के अनुसार दिये गये कर्जो में से 31 मार्च 2001 को 189.14 करोड़ रुपए (मूलधन) की राशि की वसूली उस पर देय ब्याज के अलावा (जो राज्य के पुनर्गठन के कारण परिगणित नहीं किया जा सका) बकाया थी। ऋणों से संबंधित विस्तृत ब्यौरे जो विभागीय अधिकारी संधारित करते हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किए गये।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा विकास संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों हेतु विनियामक कार्यों से लेकर विभिन्न गतिविधियों के लिए धन का व्यय करती है। सरकारी व्यय मोटे तौर पर आयोजनागत एवं योजनेतर तथा राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। आयोजनागत व्यय सामान्यतः परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित रहते हैं जबकि योजनेतर व्यय स्थापना, रखरखाव एवं सेवाओं पर व्यय के रूप में जाने जाते हैं अतः समान्यतः पारिभाषिक रूप में आयोजनागत व्यय गुणवत्ता में योगदान करने वाला व्यय माना जा सकता है।

[a] *उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य बटवारा लंबित रहने के कारण मध्यप्रदेश द्वारा रोककर रखे गये 2191 करोड़ रुपये सम्मिलित है।*

1.8.2 सार्वजनिक धन के अपव्यय, निधियों के व्यपवर्तन तथा अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध निधियों से भी व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार निधियॉं लोक लेखे में जमाशीर्ष में अंतरित करके व्यय दर्शाना भी व्यय की गुणवत्ता के आकलन में एक नकारात्मक तत्व माना जा सकता है क्योंकि व्यय संबंधित वर्ष में वास्तव में नहीं किया गया था अतः उस वर्ष के व्यय के आंकड़ों से उसे पृथक रखा जाना चाहिये था। सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के अहित की एक अन्य संभावित सूचक है।

1.8.3 निम्नांकित तालिका में उक्त संसूचकों की प्रवृत्ति सूचीबद्ध की गई है:–

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		
						अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000 से मार्च 2001	योग
1.	प्रतिशत के रूप में आयोजनागत व्यय: –कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत)	28	30	23	22	18	31	24
2.	पूंजीगत व्यय	8	13	7	6	6	9	7
3.	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाओं पर व्यय (राजस्व + पूंजीगत)	27	29	31	31	36	--	33
4.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित अपव्यय तथा निधियों के व्यपवर्तन आदि की राशि (करोड़ रूपये में)	1	25	24	232			399
5.	अधूरी परियोजनाओं पर अलाभकारी व्यय (करोड़ रूपये में)	405	456	404	5957			4983
6.	जमाशीर्ष में व्यय के रूप में लेखांकित अव्ययित शेष	618	505	1101	1089			880

यह दृष्टव्य है कि 2000–01 को छोडकर जब दोनों में ही वृद्धि हुई तब आयोजनागत व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों के अंशदान में ह्रास होता रहा है परंतु 1997–98 में क्रमशः 30 और 13 प्रतिशत उच्च था जिसकी तुलना में यह अभी भी बहुत कम है। उसी अवधि में सामान्य सेवाओं पर व्यय में निरंतर वृद्धि होती रही है। 31 मार्च 2001 को 185 अधूरी परियोजनाओं में विपुल धन राशियां (4983 करोड़ रुपए) अवरुद्ध रहीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्ष दर वर्ष सूचित बड़ी मात्रा में राशियों के अपव्यय एवं निधियों के व्यपवर्तन के अतिरिक्त प्रचुर धनराशि बिना कोई व्यय किए प्रतिवर्ष सिविल जमा में अंतरित की गई। इन सब से व्यय की गुणवत्ता पर विपरीत स्थिति परिलक्षित होती है ।

1.9 वित्तीय प्रबंधन

सरकार के वित्तीय प्रबंधन को इसके राजस्व एवं व्यय कार्यचालन की दक्षता, मितव्ययता एवं प्रभावकारिता से जोड़ा जाना चाहिये। इस प्रतिवेदन के आगामी अध्यायों में नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर इन प्रकरणों की विस्तृत विवेचना की गई है विशेषकर जहां उनका संबंध व्यय प्रबंधन से है। कतिपय अन्य मानदण्डों जिन्हें सरकार के लेखाओं से पृथक रखा जा सकता है तथा जो सरकार की अन्य वित्तीय जानकारी से संबंधित है,का उल्लेख इस खण्ड में किया गया है।

1.9.1 निवेश एवं प्रतिलाभ

सरकार विकासात्मक, निर्माणात्मक, विपणन एवं सामाजिक कार्यकलापों के लिए पूंजीगत परिव्यय में से निवेश करती है। निवेश के क्षेत्रवार विवरण एवं उपक्रमों की संख्या निम्नानुसार है:–

(करोड रुपए में)

क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या	निवेश की राशि	
		2000-01 के दौरान	31/3/2001 को
सांविधिक निगम	13	5.14	947.82
सरकारी कम्पनियां	25	- 0.02	199.54
संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां	24	-	1.65
सहकारी संस्थाएं	124	36.03	530.08
योग	**186**	**41.15**	**1679.09***

* उत्तराधिकारी दो राज्यों के मध्य अभी भी विभाजनीय 1628 करोड़ रुपये समाविष्ट हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान निवेश तथा लाभांश एवं ब्याज के रूप में प्राप्त किए गए प्रतिलाभों के विवरण निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ का प्रतिशत	सरकारी उधारियों पर ब्याज की दर (प्रतिशत)
	(करोड़ रुपए में)			
1996-97	764.53	2.81	0.37	13.75
1997-98	1531.36	1.55	0.10	12.30
1998-99	1598.36	1.00	0.06	12.50
1999-2000	1637.94	1.81	0.11	11.70
2000-2001	1679.09	0.31	0.02	10.95

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि सरकार बाजार से ऊंची दर पर उधारियां ले रही थी जबकि सरकारी कम्पनियों इत्यादि में इसके निवेश पर नगण्य प्रतिलाभ मिल रहा था जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों एवं सहकारी निकायों का अत्यधिक कम निष्पादन दर्शाता है।

1.9.2 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान 335.99 करोड़ रुपए की राजस्व व्यय युक्त 10 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों में परिलक्षित हुआ कि 2000–01 के दौरान इन परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व (47.16 करोड़ रुपए), राजस्व व्यय का 14.04 प्रतिशत था जो संधारण व्यय को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त नहीं था।

1.9.3 अधूरी परियोजनाएं

31 मार्च 2001 को 4983.31 करोड़ रुपए की संचयी निवेश वाली 185 अधूरी परियोजनाएं थीं। विगत वर्षों के दौरान एकीकृत राज्य में ऐसी परियोजनाओं की संख्या में 237 तक वृद्धि हुई । इससे दृष्टिगत हुआ कि सरकार ने अपने स्रोतों का अत्यधिक कम विस्तार किया जिससे कोई प्रतिलाभ नहीं मिल सका तथापि ऐसी परियोजनाओं की संख्या राज्य के पुनर्गठन के कारण 2000–01 के दौरान कम हुई।

1.9.4 बकाया राजस्व

31 मार्च 2001 को कुछ विभागों द्वारा यथासूचित लंबित राजस्व संग्रहण का बकाया निम्नानुसार था:–

क्र. सं.	राजस्व की प्रकृति/ विभाग का नाम	31.3.2001 को बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	31.3.2001 को पांच वर्षों से अधिक तक के बकाया शेष की राशि (करोड़ रुपए में)
1.	वाणिज्यिक कर	225.79	112.65
2.	वाहनों पर कर	11.09	अनुपलब्ध
3.	राज्य आबकारी	37.17	29.51
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.18	6.68
5.	मुद्रांक शुल्क एव पंजीयन शुल्क	11.37	2.83
6.	खनन एवं धातुकर्म उद्योग	37.81	अनुपलब्ध
7.	सहकारिता	7.78	2.05
योग		**347.19**	**153.72**

2000–01 के दौरान संग्रहण हेतु लंबित बकाया राजस्व की प्रतिशतता कुल कर एवं कर भिन्न राजस्व की 1999–2000 के दौरान 6 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह गई परन्तु यह 1996–97 से 1998–99 के दौरान की प्रतिशतता (4 प्रतिशत) से अधिक ही थी।

1.9.5 अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक से किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन न्यूनतम 1.96 करोड़ रुपए का रोकड़ शेष बनाए रखना था। यदि किसी भी दिन अनुबंधित न्यूनतम शेष से राशि कम रह जाती है तो कमी को बैंक से अर्थोपाय/विशेष अर्थोपाय पेशगियां लेकर ठीक किया जाना था। इसके अतिरिक्त बैंक यथावश्यक अधिविकर्ष भी उपलब्ध कराता है। अर्थोपाय पेशगियां अधिविकर्ष का सहारा लेने का अर्थ है कि सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय में असंतुलन है जो सरकार के वित्तीय प्रबंधन में कमी को प्रतिबिंबित करता है।

वर्ष 2000–01 के दौरान सरकार ने 165 दिनों के लिए 2246 करोड़ रुपए राशि की अर्थोपाय पेशगियां (1999–2000 के दौरान 165 दिनों के लिये 2926 करोड़ रूपये की तुलना में) एवं 47 दिनों हेतु 1220 करोड़ रुपए का अधिविकर्ष (1999–2000 में 100 दिनों के लिये 2274 करोड़ रुपए) लिया। अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष पर क्रमशः 8 करोड़ रुपए एवं 3 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया गया।

1.9.6 घाटा

1.9.6.1 सरकारी लेखे में घाटा आय एवं व्यय में अंतर दर्शाता है। घाटे का स्वरूप वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण संसूचक होता है। इसके अतिरिक्त घाटे की वित्तपूर्ति के तरीके तथा इस प्रकार प्राप्त की गई निधियों का उपयोग करना भी सरकार की वित्तीय दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संसूचक होते हैं। इस खण्ड में किया गया विवेचन घाटे के तीन प्रकारों से संबंधित है – यथा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा।

1.9.6.2 राजस्व प्राप्तियों की तुलना में किए गए राजस्व व्यय का आधिक्य राजस्व घाटा होता है। राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (दिए गए निवल कर्जों सहित) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्राथमिक घाटा, ब्याज भुगतानों को घटाकर बचा हुआ शेष राजकोषीय घाटा होता है। निम्नांकित प्रदर्श में सरकारी लेखे में घाटे के विवरण दिए गए हैं।

(करोड़ रुपए में)

समेकित निधि								
प्राप्ति	**राशि**				**संवितरण**	**राशि**		
	अप्रैल-अक्टूबर 2000	**नवम्बर 2000 - मार्च 2001**	**योग**			**अप्रैल-अक्टूबर 2000**	**नवम्बर 2000 - मार्च 2001**	**योग**
राजस्व	7136	5703	12839	**राजस्व घाटा : 2146**	राजस्व	8938	6047	14985
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--		पूंजीगत	524	586	1110
कर्जों एवं पेशगियों की वसूली	6	19	13		कर्जों एवं पेशगियों का संवितरण	33	263	296
उप-योग	7130	5722	12852	**सकल राजकोषीय घाटा : 3539**	उप योग	9495	6896	16391
लोक ऋण	2171	930	3101		लोक ऋण प्रतिभुगतान *	271	547	818
योग	9301	6652	15953	**क: समेकित निधि में घाटा: 1256**	योग	9766	7443	17209
आकस्मिक व्यय निधि								
आकस्मिक व्यय निधि को आन्तरित राशि	07	--	07	**ख: आकस्मिक व्यय निधि में बचतें:7**	आकस्मिक व्यय निधि से व्यय	13	(-)13	--
लोक लेखा								
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि	1222	530	1752		अल्प बचतें भविष्य निधि आदि	603	393	996
जमा एवं पेशगियां	1240	877	2117		जमा एवं पेशगियां	1564	653	2217
आरक्षित निधियां	02	125	127		आरक्षित निधियां	-	03	03
उचंत एवं विविध	5131	3606	8737		उचंत एवं विविध	5207	3480	8687
प्रेषण	2287	1500	3787		प्रेषण	2314	1619	3933
कुल लोक लेखा			**16520**	**ग: लोक लेखा से वित्तपोषित समेकित निधि एवं आकस्मिक व्यय निधि में घाटा: 684 रुपए**	**योग**			**15836**
रोकड शेष में कमी ग-(क+ख) = 684 – (1256 - 7) = 565								

3494 करोड़ रुपए के सकल राजकोषीय घाटे (3539 करोड़ रुपए में से छत्तीसगढ़ को आबंटित 45 करोड़ रुपए घटाकर) का वित्त पोषण लोक ऋण (2283 करोड़ रुपए), लोक लेखे से बचत (684 करोड़ रुपए), आकस्मिक व्यय निधि (7 करोड़ रुपए) और रोकड़ शेष (565 करोड़ रुपए) की निवल प्राप्तियों से किया गया।

संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य को रोकड़ शेष जो 31 मार्च 2000 को 296.72 करोड़ रुपए था 31 अक्टूबर 2000 को कम हो कर 17.11 करोड़ रुपए रह गया। इसमें से (–) 44.57 करोड़ रुपए 1 नवम्बर 2000 को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित किये गये जिसके परिणामस्वरूप उत्तराधिकारी राज्य मध्यप्रदेश के पास नियत दिन को 61.68 करोड़ रुपए का रोकड़ शेष बच रहा तथापि 31 मार्च 2001 को अंतिम रोकड़ शेष कम होकर (–) 223.57 करोड़ रह गया और वर्ष के दौरान इसमें 564.86 करोड़ रुपए की संपूर्ण कमी दर्ज की गई।

1.9.6.3 उधार ली गई निधियों का उपयोग (राजकोषीय घाटा)

राजकोषीय घाटा सरकार की कुल निवल उधारियां प्रदर्शित करता है। इन उधारियों का उपयोग राजस्व घाटे की पूर्ति, पूंजीगत व्यय एवं विकासात्मक तथा अन्य उद्देश्यों हेतु विभिन्न निकायों को कर्जे देने के लिये किया जाता है। इन उपयोगों के सापेक्ष अनुपात राज्य सरकार की वित्तीय दूरदर्शिता तथा इसके कार्यचालन की पोषणीयता के भी सूचक होते हैं क्योंकि राजस्व व्यय के लिए सतत उधारियां अंततोगत्वा पोषणीय नहीं होंगी। निम्नांकित तालिका में विगत पांच वर्षों की स्थिति दर्शाई गई है:

अनुपात	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
राजस्वघाटा/ राजकोषीय घाटा	0.75	0.26	0.70	0.75	0.61
पूंजीगत व्यय/ राजकोषीय घाटा	0.53	0.92	0.24	0.24	0.31
निवल कर्जे/राजकोषीय घाटा	-0.28	-0.18	0.06	0.01	0.08
योग	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

विगत पांच वर्षों में राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटे के वर्द्धमान अनुपात से सिद्ध होता है कि राजस्व व्यय को पूरा करने में उधार ली गई निधियों की प्रधानता रही है। परिणामतः पूंजीगत व्यय में कमी हुई जैसा कि पूंजीगत व्यय/राजकोषीय घाटे के ह्रासमान अनुपात से देखा जा सकता है। 1997–98 में पूंजीगत व्यय में इसलिए वृद्धि संभव हुई क्योंकि राजस्व व्यय में कमी हुई और ऋणों की अच्छी वसूली हुई । अतः स्पष्ट है कि राजस्व व्यय पर नियंत्रण करने की तत्काल आवश्यकता है अन्यथा पूंजो निर्माण में निरंतर कठिनाई होगी ।

1.10 लोक ऋण

1.10.1 भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई राज्य भारत की सीमा के अंदर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उन सीमाओं के अंतर्गत, यदि कोई हों, जैसी कि राज्य की

विधायिका ने पारित अधिनियम द्वारा समय समय पर निर्धारित की हों, उधार ले सकता है। राज्य विधायिका ने सीमा निर्धारित करने हेतु ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है। विगत पांच वर्षों के अंत में राज्य सरकार की कुल देयताओं के विवरण निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं। पांच वर्षों की अवधि के दौरान सरकार की कुल देयताओं में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। ऐसा आंतरिक ऋणों में 117 प्रतिशत की वृद्धि, भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियों में 21 प्रतिशत की वृद्धि तथा अन्य देयताओं में 30 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ। वास्तव में राज्य के पुनर्गठन के कारण 2000–01 में लोकऋण में विगत वर्ष की तुलना में 13.1 प्रतिशत तक कमी हुई तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत बना रहा।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	कुल लोक ऋण	अन्य देयताएं	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋणों का अनुपात
1996-97	2741.13	6585.38	9326.51	6621.55	15948.06	0.21
1997-98	3349.02	7717.61	11066.63	6905.73	17972.36	0.22
1998-99	4193.19	9230.35	13423.54	8535.09	21958.63	0.24
1999-2000	6141.25	10195.05	16336.30	9611.46	25947.76	0.26
2000-2001	5967.51	7964.77	13932.28	8616.14	22548.42	0.25

1.10.2 लोक ऋण के माध्यम से सृजित निधियों की राशि, प्रतिभुगतान की राशि एवं उपलब्ध निवल निधियां निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है:

(करोड़ रुपए में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001		
					31.10.2000 तक	31.03.2001 तक	योग
आंतरिक ऋण							
-प्राप्तियां	2335	3222	4738	7304	2758	2585	5343
-प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	2282	2992	4346	5913	1737	2636	4373
-उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)*	53(2)	230(7)	392(8)	1391(19)	1021	(-)51	970 (18)
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां							
- वर्ष के दौरान प्राप्ति	1065	1442	1862	1358	632	362	994
- प्रतिभुगतान (मूलधन + ब्याज)	908	1058	1268	1527	836	658	1494
- उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	157 (15)	384 (27)	594 (32)	(-)169 (-12)	(-)204	(-)296	(-)500 (-)50
अन्य देयताएं							
- वर्ष के दौरान प्राप्ति	3019	2940	4229	4381	2242	1396	3638
- प्रतिभुगतान	2459	3106	3062	3758	2371	1086	3457
- उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	560 (19)	-166 --	1167 (28)	623 (14)	(-)129	310	181 (5)

इसे ध्यान में रखते हुये कि बकाया ऋण में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के पुनर्गठन के कारण ही कमी हुई) हो रही है, उधारियों के माध्यम से निधियों की निवल उपलब्धता में विपुल कमी हो रही है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अन्य देयताओं से प्राप्तियों में

* अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां एवं जमाएं आदि समाविष्ट हैं।

टीप: आधार वर्ष 1993–94 कर दिए जाने के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकडे पुनरीक्षित किए गए।

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 442 करोड़ रुपये की कमी भी हुई जबकि भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों से निवल प्राप्तियों की स्थिति बदतर थी जो कि 500 करोड रूपये की सीमा तक ऋणात्मक रही। यह स्थिति निधियों के निवल उत्प्रवाह की संदर्शक हैं!

1.11 वित्तीय निष्पादन के संदर्शक

1.11.1 कोई सरकार क्रियाकलापों का या तो विद्यमान स्तर बनाये रख सकती है अथवा क्रियाकलापों का स्तर बढ़ा सकती है। क्रियाकलापों का विद्यमान स्तर बनाए रखने के लिए यह जानना आवश्यक होगा कि वित्तपोषण के साधन कहां तक पोषणीय है। इसी प्रकार यदि सरकार अपने क्रियाकलापों का स्तर बढ़ाना चाहती है तो प्रक्रिया में वित्तपोषण के साधनों के लचीलेपन और अंतिम रूप से सरकार की वृद्धित भेद्यता की जांच करना आवश्यक होगा। समस्त राज्य सरकार अपने क्रियाकलापों* का स्तर सिद्धांतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अभिवर्द्धित करती रहती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं में रूपान्तरित होता है और जिनका प्रावधान राज्य के बजट में किया जाता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि योजनेतर व्यय सरकार के क्रियाकलापों* के विद्यमान स्तर को बनाए रखने का परिचायक है जबकि आयोजनागत व्यय से क्रियाकलापों का विस्तार होता है। इन दोनों क्रियाकलापों के लिए स्रोतों को गतिशील बनाने की आवश्यकता होती है जो सरकार की भेद्यता बढ़ाते हैं। संक्षेप में सरकार की वित्तीय स्थिति का वर्णन पोषणीयता, लचीलेपन तथा भेद्यता के रूप में किया जा सकता है। इन शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार है:

(i) पोषणीयता

पोषणीयता वह स्तर है जहां तक सरकार अपने विद्यमान कार्यक्रमों का रखरखाव कर सकती है तथा विद्यमान लेनदारी आवश्यकताओं को ऋणभार बढ़ाए बिना पूर्ण कर सकती है।

(ii) लचीलापन

लचीलापन वह स्तर है जहां तक सरकार अपनी बढ़ती हुई वचनबद्धता को पूरा करने हेतु या तो अपने राजस्व आधार का विस्तार कर अथवा अपने ऋणभार में वृद्धि कर अपने वित्तीय संसाधन बढ़ा सकती है।

(iii) भेद्यता

भेद्यता वह स्तर है जहां तक कोई सरकार अपने नियंत्रण अथवा प्रभाव से परे आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वित्तपोषण के संसाधनों पर निर्भर और इस प्रकार भेद्य रहती है।

* इसके अपवाद भी हैं, विशेष रूप से योजना अवधि के अन्त में आयोजना से योजनेतर को अन्तरण।

(iv) पारदर्शिता

यह सरकार द्वारा वित्तीय सूचना उपलब्ध कराने का मुद्दा भी है, इसमें वार्षिक वित्त विवरणपत्र (बजट) तथा लेखे समाविष्ट है। जहां तक बजट का प्रश्न है, इसके महत्वपूर्ण मानदण्ड, बजट प्रक्रिया की दक्षता तथा अनुमानों की परिशुद्धता दर्शाते हुए, समय पर प्रस्तुति है। जहां तक लेखाओं का प्रश्न है इसके प्रस्तुतिकरण में निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्धता तथा लेखाओं की पूर्णता मुख्य कसौटी है।

1.11.2 वित्त लेखे में उपलब्ध जानकारी पोषणीयता, लचीलेपन एवं भेद्यता को दर्शाने के लिये उपयोग में लाई जा सकती है और जिसे वित्त लेखे से संगणित कतिपय देशनाओं/अनुपातों में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी देशनाओं/अनुपातों की सूची इस अध्याय के परिशिष्ट–1 में दी गई है। प्रदर्श 5 वर्ष 1996–97 से 2000–01 की अवधि के लिये उक्त देशनाओं/अनुपातों का व्यवहार दर्शाता है।

प्रदर्श-5

मध्यप्रदेश सरकार के लिए वित्तीय देशनाएं

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
पोषणीयता					
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रुपए में)	(-)234	662	(-)1725	(-)1556	(-)793
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपए में)	550	161	2292	1772	1128
ब्याज अनुपात	0.11	0.13	0.15	0.15	0.18
पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां	0.37	0.61	0.31	0.22	0.28
कुल कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11
राज्य कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.37	0.10	0.06	0.11	0.02
लचीलापन					
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रुपए में)	(-)234	662	(-)1725	(-)1556	(-)793
पूंजीगत प्रतिभूतियां/ पूंजीगत देयताएं	0.17	0.17	0.17	0.15	0.18
राज्य कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पादन	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.21	0.22	0.24	0.26	0.25
भेद्यता					
राजस्व घाटा(करोड़ रुपए में)	1448	469	2872	2932	2146
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए में)	1926	1821	4127	3911	3539
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपए में)	550	161	2292	1772	1128
प्रारंभिक घाटा/ राजकोषीय घाटा	0.29	0.09	0.55	0.45	0.32
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	0.75	0.26	0.70	0.75	0.61
बकाया गारंटियां/ राजस्व प्राप्तियां	0.35	0.35	0.12	0.01	0.04
परिसम्पत्तियां/ देयताएं	0.95	0.93	0.81	0.73	0.80

टिप्पणी:

1. राजकोषीय घाटे की संगणना इस प्रकार की गई है: राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल कर्जे एवं पेशगियां – राजस्व प्राप्तियां – ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां

2. पूंजीगत परिव्यय विरुद्ध पूंजीगत प्राप्तियों के अनुपात में डीनोमिनेटर इस प्रकार लिया गया है – आंतरिक कर्जे + भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां + अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि से निवल प्राप्तियां तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों की वसूली – राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज।

3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े पुनरीक्षित किए गए हैं क्योंकि इसका आधार वर्ष परिवर्तित होकर 1993–94 किया गया है।

1.11.3 राज्य सरकार की वित्तीय स्वस्थता की स्थिति हेतु उक्त देशनाओं/अनुपातों के निहितार्थों की विवेचना निम्नांकित कंडिकाओं में की गई है।

(i) चालू राजस्व से शेष

चालू राजस्व से शेष की परिभाषा ऐसे राजस्व प्राप्तियों के रूप में की जाती हैं जिसमें से आयोजनागत सहायता अनुदान तथा योजनेतर राजस्व व्यय दोनों को घटा दिया गया हो। सकारात्मक चालू राजस्व शेष दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास आयोजनागत व्यय की पूर्ति हेतु अपनी राजस्व बचत है। तालिका दर्शाती है कि राज्य सरकार के पास पांच वर्षों में से एक वर्ष (1997–98) में सकारात्मक चालू राजस्व शेष था। जो इस बात का संकेतक है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर बड़ा दबाव है तथा सरकार को न केवल अपने आयोजनागत व्यय को पूरा करने हेतु बल्कि चालू राजस्व में बड़े अंतर को पूरा करने के लिए भी 1997–98 को छोड़कर जहॉ चालू राजस्व शेष सकारात्मक था, उधारियों पर निर्भर रहना पड़ा।

(ii) ब्याज अनुपात

ब्याज अनुपात की व्याख्या इस प्रकार की गई है

$$\frac{\text{ब्याज भुगतान–ब्याज प्राप्तियॉ}}{\text{कुल राजस्व प्राप्तियॉ–ब्याज प्राप्तियॉ}}$$

उच्चतर ब्याज अनुपात से पोषणीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह बढ़ते हुये ब्याजभार का संकेतक है जो न केवल चालू वर्ष के राजस्व पर अपितु आगामी स्रोतों पर भी प्रभाव डालता हैं। ब्याज अनुपात जितना अधिक होता है उतनी ही सरकार की कोई नया ऋण वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और इसे अपने राजस्व व्यय की पूर्ति अपनी राजस्व प्राप्तियों से करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश के मामले में यह अनुपात 1996–97 में 0.11 से 2000–01 में 0.18 तक बढ़ गया जो मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की तुलना में ब्याज भुगतानों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुआ। जहॉ ब्याज भुगतान 1996–97 की तुलना में 2000–01 में 75 प्रतिशत तक बढ़े (कण्डिका 1.6.3 में की गई व्याख्या के अनुसार) वहीं राजस्व प्राप्तियों की तदनुरूपी वृद्धि केवल 28 प्रतिशत तक रही।

(iii) पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत संरचना में पूंजीगत प्राप्तियां किस सीमा तक प्रयुक्त की गई है यह इस अनुपात से प्रकट होता है। एक से कम का अनुपात अंततोगत्वा पोषणीय नहीं होगा क्योंकि यह इस तथ्य का द्योतक है कि पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग अनुत्पादक राजस्व व्यय में व्यपवर्तित किया जा रहा है। इसके विपरीत एक से अधिक का अनुपात इस तथ्य को इंगित करता है कि राजस्व बचत से पूंजीगत निवेश किया जा रहा है। इस अनुपात की प्रवृत्ति का विश्लेषण राज्य सरकार के राजकोषीय निष्पादन पर प्रकाश डालेगा। बढ़ती हुई प्रवृत्ति का अर्थ निष्पादन में सुधार

होगा। मध्य प्रदेश के प्रकरण में अनुपात लगातार एक से कम रहा तथा 1997–98 में 0.61 से निरंतर कम होकर 2000–01 में यह 0.28 रह गया जो इंगित करता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का सारभूत भाग निवेश हेतु उपलब्ध नहीं था। 1997–98 में 0.61 का अपेक्षाकृत उच्चतर अनुपात मुख्य रूप से 1996–01 अवधि के पॉच वर्षो के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का निम्नतम अंश होने के साथ ही पिछले कर्जो की अधिक वसूली के कारण संभव हुआ जो अनुवर्ती वर्षो में किसी भी वर्ष में प्रतिरूपित नहीं हुआ जैसा कि कंडिका 1.9.6.3 में उल्लेख किया गया है।

(iv) कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद

कर प्राप्तियों में राज्य कर तथा केन्द्रीय करों का राज्यांश समाविष्ट है। दूसरे तथ्य को राज्य में रहने वाली जनता द्वारा भुगतान किए जाने वाले केन्द्रीय करों के भुगतान के रूप में भी देखा जा सकता है। कर प्राप्तियां पोषणीयता का संकेत देती हैं, परंतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कर प्राप्तियों के अनुपात का निहितार्थ लचीलापन भी होगा। कम अनुपात से तात्पर्य है कि सरकार अधिक कराधान कर सकती है जबकि उच्च अनुपात वित्त के इस स्रोत की सीमाओं को ही इंगित नहीं करता वरन् इसके लचीलेपन के न होने को भी दर्शाता है। प्रदर्श–5 दर्शाता है कि मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1996–2000 के दौरान (0.10/0.09) पर वस्तुतः स्थिर रहने के उपरान्त संघ करों के राज्यांश में विगत वर्ष की तुलना में वृहद रूप से 22 प्रतिशत की वृद्धि के कारण सुधर (2000–2001 में 0.11) गया। दूसरी ओर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों का अनुपात भी विगत चार वर्षो के दौरान 0.06 पर स्थिर रहा। कंडिका 1.5.2 में कर राजस्व संयोजन के विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि अन्य करों में कोई सारभूत सुधार न होने के साथ ही राज्य सरकार स्थूल रूप से विक्रय कर पर ही निर्भर रही।

(v) निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी से प्राप्त आय का अनुपात है। निवेश पर उच्च प्रतिलाभ पोषणीयता का संकेतक है। प्रदर्श–V दर्शाता है कि मध्यप्रदेश सरकार के प्रकरण में निवेश पर प्रतिलाभ नगण्य है तथा यह 1996–97 में अल्प 0.37 प्रतिशत से कम होकर 2000–01 में अत्यल्प 0.02 प्रतिशत रह गया। जबकि इन निवेशों को पोषित करने के लिये ली गई सरकारी उधारियों की लागत बहुत अधिक थी जैसा कि कंडिका 1.9.1 में उल्लेख किया गया है। स्पष्टतः स्थिति अपोषणीय है।

(vi) पूंजीगत प्रतिभुगतान विरुद्ध पूंजीगत उधारियां

यह अनुपात पूंजीगत प्रतिभुगतान के उपरांत निवेश हेतु पूंजीगत उधारियों की उपलब्ध मात्रा (आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं पेशगियॉ) की सीमा दर्शाता है। अनुपात जितना कम होगा, निवेश हेतु पूंजी उतनी ही अधिक उपलब्ध होगी। मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1999–2000 के दौरान 0.15 से बढ़कर चालू वर्ष में 0.18 हो गया जो निवेश हेतु

इन कर्जों के विरूद्ध प्रतिभुगतान दायित्व के कारण प्रति भुगतानों के बढ़ते हुये स्तर की पूर्ति हेतु भविष्य में सरकार के राजस्व पर अत्यधिक दबाब पड़ेगा।

(vii) ऋण विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य सरकार के कुल आंतरिक संसाधन का आधार है जिनका सेवाऋणों में उपयोग किया जा सकता है। ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि राज्य सरकार के अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में इसकी सक्षमता में कमी दर्शाएगा और इस प्रकार ऋणदाताओं के लिए जोखिम में वृद्धि होगी। मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1996–97 में 0.21 की तुलना में 2000–01 में 0.25 तक कम हुआ।

(viii) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का आधिक्य है तथा यह उधारियों आदि से वित्तपोषित राजस्व व्यय के भाग को इंगित करता है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व घाटा जितना अधिक होगा राज्य उतना ही अधिक भेद्य होगा। चूंकि राजकोषीय घाटा समस्त उधारियों का योग है अतः राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा उस सीमा का द्योतक है जिस सीमा तक सरकार उधारियों का उपयोग अनुत्पादक राजस्व व्यय के वित्तपोषण हेतु कर रही है। इस प्रकार जितना अधिक अनुपात होता है उतनी ही राज्य की बदतर स्थिति होती है क्योंकि यह स्थिति यह प्रकट करती है कि राज्य की प्रतिभुगतान क्षमता नहीं बढ़ी है जबकि राज्य के ऋणभार में वृद्धि हो रही है। जैसा कि कंडिका 1.9.6.3 में उल्लेख किया गया है यह अनुपात कम होने के पूर्व 1997–1998 में 0.26 के अल्पस्तर से 1999–2000 में 0.75 की उच्चता पर बढ़ रहा है किन्तु 2000–01 में अभी भी यह 0.61 के सार्थक उच्चता स्तर पर है। यह दर्शाता है कि 1997–98 में 26 प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय में 61 प्रतिशत उधारियों का उपयोग किया गया जिससे उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट प्रदर्शित हुई। यह मुख्यतः अन्तवर्ती अवधि में राजस्व व्यय (28 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों (14 प्रतिशत) से दुगुनी मात्रा में बढ़ जाने के कारण हुआ।

(ix) प्रारंभिक घाटा विरूद्ध राजकोषीय घाटा

प्रारंभिक घाटा ब्याज भुगतान घटाकर शेष रहा राजकोषीय घाटा है। प्रारंभिक घाटा ब्याज दायित्व (ऐसा मानकर कि ब्याज भुगतान सरकार की विगत कार्यवाहियों के परिणाम हैं) को पूरा करने के उपरांत उपलब्ध निवल उधारियों का द्योतक है। प्रारंभिक घाटा तभी पोषणीय होता है जब अर्थव्यवस्था उधारियों पर देय ब्याज दर से अधिक बढ़ाई जाये। जैसा कि प्रदर्श–5 से दृष्टव्य है कि प्रारंभिक घाटा, 1998–99 में 2292 करोड़ रूपये तक पहुंचने के उपरान्त कम हुआ है किन्तु 1996–97 (550 करोड़ रूपये) की तुलना में अभी भी 2000–01 (1128 करोड़ रुपए) में 105 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। ऐसा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने से हुआ किन्तु इसमें गति नहीं लाई गई है इससे स्पष्टतः पोषणीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

(x) गारंटियां विरुद्ध राजस्व प्राप्तियां

सरकार द्वारा जारी समाश्वासनपत्र सहित बकाया गारंटियां जोखिम की सीमा प्रकट करती हैं और इसलिये इसकी सरकार की भुगतान करने की क्षमता अर्थात इसकी राजस्व प्राप्तियों से तुलना की जानी चाहिये। इस प्रकार सरकार को कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल बकाया गारंटियों का अनुपात राज्य सरकार की भेद्यता के स्तर का द्योतक होगा। मध्यप्रदेश के प्रकरण में यह अनुपात 1996–97 एवं 1997–98 में 0.35 तक बढ़ने के उपरांत 1999–2000 एवं 2000–01 में तीव्रता से घटकर यह क्रमशः 0.1 एवं 0.04 रह गया। तथापि बकाया कुल गारंटियों के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के अधिकांश विभागों ने जानकारी प्रेषित नहीं की थी, अस्तु देयता की सीमा तथा राज्य राजस्व की गारंटियों की जोखिम सीमा प्रकट नहीं हुई।

(xi) परिसंपत्तियां विरुद्ध देयताएं

यह अनुपात राज्य की संपन्नता दर्शाता है। एक से अधिक का अनुपात इस तथ्य का परिचायक है कि राज्य सरकार संपन्न है (देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियां अधिक हैं) जबकि एक से कम का अनुपात इसका प्रतिकूल संकेतक होगा। जैसा कि कंडिका 1.2 में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी लेखे में मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं समाविष्ट रहती हैं। तथापि इस अनुपात की प्रवृत्ति भी वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण संदर्शक होगी। प्रदर्श–5 दर्शाता है कि मध्यप्रदेश सरकार के प्रकरण में यह अनुपात 1996–97 में 0.95 से धीरे धीरे घटकर 2000–01 में 0.80 रह गया जो यह दर्शाता है कि अनुकूल परिसम्पत्तियॉ सृजित किये बिना ही वित्तीय देयताओं की वचनबद्धता हो गई परन्तु तदनुरूपी परिसंपत्तियां सृजित नहीं की गई हैं। तथापि यथार्थपरक स्पष्ट परिदृश्य उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के पूर्णतः समानुपातिक विभाजन के उपरान्त ही उपलब्ध हो सकेगा।

(xii) बजट

बजट अनुमानों की प्रस्तुति तथा उनके अनुमोदन में कोई विलम्ब नहीं हुआ। विवरण निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं:–

निर्मिति	प्रस्तुति का माह	अनुमोदन का माह
लेखानुदान	मार्च 2000	मार्च 2000
बजट	मार्च 2000	मार्च 2000
अनुपूरक–I	जुलाई 2000	जुलाई 2000
अनुपूरक–II	नवम्बर 2000	नवम्बर 2000
अनुपूरक–III	मार्च 2001	मार्च 2001

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय में भिन्नता तथा बजट प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं व्यय पर नियंत्रण के विस्तृत विश्लेषण भी दिए गए हैं। यह त्रुटिपूर्ण

बजट पद्धति तथा व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण का संसूचक है जैसा कि प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण राशियों के सतत पुनर्निर्धारण (अभ्यर्पण) तथा अंतिम संशोधित अनुदान से सिद्ध होता है। अंतिम संशोधित अनुदान एवं वास्तविक व्यय के मध्य महत्वपूर्ण अन्तर (आधिक्य/बचत) भी सतत बना रहा।

(xiii) लेखे

2000–01 के दौरान कोषालयों /विभागों द्वारा लेखे प्रस्तुत किए जाने मे बहुत अधिक विलंब नहीं हुआ यद्यपि अक्टूबर 2000 तक 94 मासिक लेखाओं यथा लोक निर्माण संभागों (89 लेखे), वन मण्डलों (4 लेखे) एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (एक लेखा) तथा नवम्बर 2000 से मार्च 2001 अवधि के 19 लेखाओं यथा लोक निर्माण संभागों (16 लेखे), वन मंडलों (2 लेखे) एवं ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग (एक लेखा) के लेखाओं की प्रस्तुति में 12 दिनों अथवा इससे अधिक का विलंब हुआ परिणामतः उन्हें मासिक रोकड़ लेखे में सम्मिलित नहीं किया गया। बहुत अधिक संख्या में लेखाओं के सम्मिलित न होने के परिणामस्वरूप मासिक लेखे अनुदान एवं व्यय की प्रगति का यथार्थपरक प्रदर्शन करने में विफल रहे तथापि समस्त असमावेशित लेखे बाद में समायोजित किए गए।

1.11.4 निष्कर्ष

राज्य की वित्त व्यवस्था उच्च ऋणात्मक चालू शेष, बढ़ते हुये ब्याज अनुपात से अभिलक्षित की गई है जबकि कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात स्थिर रहा। अस्तु ब्याज भुगतानों पर अत्यधिक राशियॉ व्यय की गई जिससे प्राप्तियों की वृद्धि में गति अवरोधित हुई। संघ करों एवं शुल्कों के राज्यांश में प्रचुर वृद्धि के बाद भी बढ़ते हुये राजस्व घाटे के कारण अधिकाधिक उधारियां लेनी पड़ी जिसे राजस्व व्यय ने समाप्त कर दिया। 0.61 अनुपात के बढ़ते हुये राजस्व घाटे/राजकोषीय घाटे से यह स्पष्ट है कि परिसम्पत्ति सृजन हेतु बहुत ही कम निधियां उपलब्ध रहीं। राजकोषीय घाटे की तुलना में बढ़ते हुये राजस्व व्यय के अनुपात से सरकार की वित्त व्यवस्था की भेद्यता बढ़ी और पूर्ववर्ती उधारियों के प्रति भुगतान सहित केवल चालू व्यय की पूर्ति हेतु और अधिक उधारियॉ लेना पड़ी। बढ़ते हुये ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात से राज्य की वित्त व्यवस्था पर ही अधिक भार पड़ेगा।

स्पष्टतः सरकार को अपने राजस्व घाटे तथा अपनी वित्तीय स्थिति से सुधार हेतु उधारियों की निर्भरता पर नियंत्रण की आवश्यकता है।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

विनियोग लेखे 2000-2001 - एक दृष्टि में

विनियोग लेखा : एकीकृत एवं उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य

कुल अनुदान संख्या : 97 अनुदान/ विनियोग

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

प्रावधान	राशि	व्यय	राशि
मूल	22935.96		
पूरक	2978.74		
कुल सकल प्रावधान	25914.70	कुल सकल व्यय	20785.89
घटाएं – व्यय की कमी के रूप में अनुमानित वसूलियां	887.99	घटाएं– व्यय की कमी के रूप में वास्तविक वसूलियां	340.26
कुल निवल प्रावधान	**25026.71**	**कुल निवल व्यय**	**20445.63**

दत्तमत तथा प्रभारित प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रुपयों में)

	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	*प्रभारित*	दत्तमत	*प्रभारित*
राजस्व	16953.08	*2870.60*	12730.98	*2498.07*
पूंजीगत	2294.99	*3796.03*	1502.15	*4054.69*
सकल योग	19248.07	*6666.63*	14233.13	*6552.76*
घटाएं – व्यय की कमी के रूप में वसूलियां	887.49	*0.50*	340.26	--
निवल योग	**18360.58**	***6666.13***	**13892.87**	***6552.76***

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है जिसमें बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों पर सरकार द्वारा दर्शाई गई विभिन्न सेवाओं पर वस्तुतः व्यय की गई राशियों तथा विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशियों के विवरण दर्शाए जाते हैं ।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। विनियोग लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधान, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के क्रमांक 28 के अनुसार संयुक्त एवं परवर्ती मध्यप्रदेश राज्य सरकार हेतु वर्ष 2000–2001 के लिए एक ही विनियोग लेखा तैयार किया गया है।

2.1.1 1 नवम्बर 2000 से मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 34 के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश सरकार के परवर्ती राज्य के विभागों को 2000–2001 के लिए मध्यप्रदेश राज्य के अनुमोदित बजट प्रावधानों में से छत्तीसगढ़ राज्य के नवम्बर 2000 से मार्च 2001 के पांच माह के अनुमानित व्यय के बराबर राशि के अभ्यर्पण हेतु अनुदेश जारी किए (अक्टूबर 2000)।

मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नवसृजित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली 3241.97 करोड रुपये की निधियों (राजस्व : 2363.28 करोड़ रुपए, पूंजीगत : 878.69 करोड़ रुपये) के विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार के उत्तराधिकारी राज्य के विभागों ने 2413.17 करोड़ रुपये की राशि (राजस्व : 1631.95 करोड़ रुपये, पूंजीगत : 781.22 करोड़ रुपये) छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अभ्यर्पित की जिसके लिये निधियों के कम मात्रा में अन्तरण के कारण नहीं दिए गए हैं, निधियों के ऐसे अभ्यर्पण के विवरण ***विनियोग लेखे 2000-2001 के परिशिष्ट -III*** में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिये निधि उपलब्ध कराने हेतु 828.80 करोड़ रुपए की निधियों के कम अभ्यर्पण के विवरण भी ***इस अध्याय के परिशिष्ट*** में दिए गए हैं:

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2000–2001 के दौरान 97 अनुदानों/ विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपयों में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	अन्तर बचत (-)/ आधिक्य (+)
	I-राजस्व	14870.41	2082.67	16953.08	12730.98	-4222.10
दत्तमत	II- पूंजीगत	1393.49	515.87	1909.36	1206.44	- 702.92
	III- ऋण तथा अग्रिम	321.65	63.98	385.63	295.71	- 89.92
कुल दत्तमत		**16585.55**	**2662.52**	**19248.07**	**14233.13**	**- 5014.94**
	IV- राजस्व	*2757.50*	*113.10*	*2870.60*	*2498.07*	*- 372.53*
प्रभारित	*V- पूंजीगत*	*2.13*	*3.51*	*5.64*	*0.50*	*- 5.14*
	VI- लोक ऋण	*3590.78*	*199.61*	*3790.39*	*4054.19*	*+ 263.80*
कुल प्रभारित		***6350.41***	***316.22***	***6666.63***	***6552.76***	***- 113.87***
आकस्मिक निधि में विनियोग (यदि कोई हो)	निरंक					
	महायोग	**22,935.96**	**2978.74**	**25914.70**	**20785.89**	**- 5128.81**

तालिका राज्य सरकार की बजट तैयार किए जाने एवं बजट प्रवर्तन की निम्न गुणवत्ता की स्थिति दर्शाती है विशेषतः पूरक अनुदानों को देखते हुए राजस्व बजट (24.9 प्रतिशत) तथा कर्जे एवं अग्रिमों सहित पूंजीगत बजट (34.5 प्रतिशत) के दत्तमत अनुभाग में प्रचुर बचतें उस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जहां व्यय मूल अनुदान से भी कम था तथा 2662.52 करोड़ रुपए के पूरक अनुदान का औचित्य सकारात्मक नहीं था। इसी प्रकार की स्थिति प्रभारित अनुभाग (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत है जहां 116.61 करोड़ रुपए के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। बचतें अंशतः नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु निधियों के कम अभ्यर्पण के कारण थीं जिसके संबंध में कारण नहीं दिए गए हैं। लोक ऋण (प्रभारित व्यय) के प्रकरण में पूरक विनियोग के बावजूद 263.80 करोड़ रुपये का अधिक व्यय (7 प्रतिशत) हुआ। लोकऋण के अंतर्गत 263.80 करोड़ रुपए का आधिक्य नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को 612.86 करोड़ रुपए के अन्तरण के कारण और बढ़कर 876.66 करोड़ रुपए (23.1 प्रतिशत) हो गया। नमूना जांच किए गए कतिपय अनुदानों में व्यय एवं बजट प्रणाली पर विस्तृत अभ्युक्तियां कंडिका 2.4 में समाविष्ट की गई हैं।

(क) अधिक बताए गए व्यय के आंकड़े निम्नांकित विवरणानुसार हैं

1. 220.96 करोड़ रुपये (राजस्व अनुभाग : 183.93 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत अनुभाग 37.03 करोड़ रुपये) का निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्यशीर्ष 8443 सिविल जमा–800 अन्य जमा में अंतरण।

2. 2000–2001 के दौरान 8.89 करोड़ रुपये के व्यय के समर्थन में विस्तृत आकस्मिक व्यय देयकों के अभाव में व्यय की वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकी।

(ख) कुल व्यय का निम्नांकित सीमा तक न्यून कथन किया गया

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किया गया 4.58 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिसके लिए कोषालय से प्रमाणक प्राप्त नहीं हुए, अस्तु लेखाकरण नहीं हो सका तथा इन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय की पुस्तकों में उचंत लेखे की आपत्ति पुस्तिका में रखा गया।

2.3 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.3.1 अधिक व्यय का नियमितीकरण

(क) विगत वर्षों से संबंधित अधिक व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनुदान या विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधान मण्डल से नियमितीकरण कराया जाना अनिवार्य होता है तथापि 1990–91 से 1999–2000 तक के वर्षों के 4872.92 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का अभी भी (दिसम्बर 2001) नियमन कराया जाना है। विवरण नीचे दिए गए हैं –

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिए लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए
1990-91	22	119.51	–
1991-92	16	258.58	–
1992-93	21	189.32	–
1993-94	21	258.11	2.05
1994-95	15	407.46	0.39
1995-96	21	251.59	–
1996-97	18	224.17	0.91
1997-98	13	302.79	106.23
1998-99	17	1276.45	328.05
1999-2000	17	1584.94	1584.94
योग		**4872.92**	**2022.57**

अनियमित अधिक व्यय के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने में विफलता एवं अधिक विलंब के कारण जांच नहीं की गई/ पता नहीं लगाई गई शेष वित्तीय अनियमितताओं की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

(ख) 2000-2001 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

निम्नांकित विवरणानुसार वर्ष 2000–2001 के दौरान अनुदानों के 3 प्रकरणों (1.03 करोड़ रुपए) एवं विनियोगों के 4 प्रकरणों (264.04 करोड़ रुपए) के अंतर्गत 2,65,07,37,362 रुपए के अधिक व्यय की संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(रुपयों में)

क्रम संख्या	*अनुदान संख्या और नाम*	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि (आधिक्य का प्रतिशत)	मुख्य कारण
1.	2.	3	4	5	6
	क- राजस्व दत्तमत				
1.	02– सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	12,97,31,000	13,87,34,622	90,03,622 (6.94%)	सूचित नहीं किए
2.	70– जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1000	56,742	55,742 (5574.2)	सूचित नहीं किए
	योक (क)	**12,97,32,000**	**13,87,91,364**	**90,59,364**	
	ख- राजस्व प्रभारित				
1.	*24– लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल*	*10,00,000*	*14,16,316*	*4,16,316 (41.63%)*	सूचित नहीं किए
	योग (ख)	**10,00,000**	**14,16,316**	**4,16,316**	
	ग- पूंजीगत दत्तमत				
1.	88– ग्यारहवें वित्त आयोग से अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– न्याय प्रशासन	2,49,00,000	2,62,06,000	13,06,000 (5.24%)	सूचित नहीं किए
	योग (ग)	**2,49,00,000**	**2,62,06,000**	**13,06,000**	
	घ- पूंजीगत प्रभारित				
1.	*लोक ऋण*	*37,90,39,04,000*	*40,54,18,96,173*	*2,63,79,92,173 (7%)*	प्रावधान की तुलना में अधिक आहरण जो बजट तैयार किए जाने के दौरान ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया जा सका तथा राज्य सरकार की वित्तीय तंगी के कारण कर्जों एवं अधिविकर्ष की राशि में वृद्धि

(रुपयों में)

1.	2.	3	4	5	6
2.	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	1,00,000	1,15,540	15,540 (15.54%)	सूचित नहीं किए गए
3.	23– जल संसाधन विभाग	20,00,000	39,47,969	19,47,969 (97.39%)	सूचित नहीं किए गए
	योग (ध)	**37,90,60,04,000**	**40,54,59,59,682**	**2,63,99,55,682**	
	योग (दत्तमत) (क+ग)	**15,46,32,000**	**16,49,97,364**	**1,03,65,364**	
	योग (प्रभारित) (ख+घ)	***37,90,70,04,000***	***40,54,73,75,998***	***2,64,03,71,998***	
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**38,06,16,36,000**	**40,71,23,73,362**	**2,65,07,37,362**	

राज्य सरकार ने दिसंबर 2001 तक "लोक ऋण" विनियोग को छोड़कर आधिक्य के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

2.3.2 5128.81 करोड़ रुपये की संपूर्ण बचत 181 अनुदान तथा विनियोग प्रकरणों में 5393.88 करोड़ रुपये की बचत का परिणाम थी जिसे अनुदानों तथा विनियोगों के 7 प्रकरणों में 265.07 करोड़ रुपये के आधिक्य से प्रतिसंतुलित किया गया।

2.3.3 वर्ष के दौरान प्राप्त 2978.74 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान विगत वर्ष में 18.68 प्रतिशत की तुलना में मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत था।

2.3.4 वर्ष के दौरान 64 प्रकरणों में किये गये 1290.64 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक की कुल 4385.40 करोड़ रुपये की बचत के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक सिद्ध हुए जिसके विवरण ***परिशिष्ट–III*** में दिए गए हैं।

2.3.5 33 प्रकरणों में केवल 763.54 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 1448.10 करोड़ रुपए के पूरक अनुदान प्राप्त किये गए जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक कुल 684.56 करोड़ रुपये की बचत हुई। इन प्रकरणों के विवरण ***परिशिष्ट - IV*** में दिए गए हैं।

2.3.6 3 प्रकरणों में 203.91 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक व्यय होने के कारण 264.83 करोड़ रुपये का कुल अनावृत अधिक व्यय रहा, जिसके विवरण ***परिशिष्ट–V*** में दिए गए हैं।

2.3.7(क) 111 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा तक कम रहा जैसा कि ***परिशिष्ट-VI*** में दर्शाया गया है।

2.3.7(ख) 20 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया एक करोड़ रुपये और उससे अधिक का कुल 134.99 करोड़ रुपये का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके विवरण ***परिशिष्ट-VII*** में दिए गए हैं।

2.3.8(क) 21 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये अथवा अधिक की एवं प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की सतत बचतें थी। विवरण ***परिशिष्ट -VIII*** में दिए गए हैं।

2.3.8(ख) एक विनियोग प्रकरण में निरन्तर अत्यधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विनियोग का विवरण	आधिक्य की राशि (करोड़ रुपयों में) (आधिक्य का प्रतिशत कोष्ठकों में)		
	1998-99	**1999-2000**	**2000-01**
पूंजीगत - प्रभारित			
लोक ऋण	801.99 (23.3)	1026 (21.7)	263.80 (7.0)

निरन्तर अधिक व्यय के उपचारी उपाय हेतु सरकार द्वारा जांच की आवश्यकता है।

2.3.9(क) 11 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में व्यय स्वीकृत प्रावधान से 5 करोड़ रुपये या इससे भी अधिक और कुल प्रावधान से 100 प्रतिशत अधिक तक कुल 199.35 करोड़ रुपये का हुआ। इसके विवरण ***परिशिष्ट -IX*** में दिये गए हैं।

2.3.9(ख) 54 योजनाओं के प्रकरणों में 5 करोड़ रुपये अथवा अधिक और प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान से 80 प्रतिशत से अधिक सारभूत बचतें हुईं जो कुल 1699.84 करोड़ रुपये की दृष्टिगत हुई। 54 में से 27 योजनाओं में संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। विवरण ***परिशिष्ट -X*** में दिए गए हैं।

2.3.10 निधियों का आधिक्य/ अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के भीतर विनियोग की उस इकाई से जिसमें बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जिसमें अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है। वे प्रकरण जिनमें (क) पहले से ही अधिक व्यय हो चुका था ऐसे शीर्षों से निधियों का आहरण, (ख) उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का आहरण (ग) बचत के बावजूद निधियों के अनावश्यक आवर्द्धन और (घ) आधिक्य को आवृत करने हेतु आवश्यकता से अधिक निधियों के आवर्द्धन के

कारण प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपऐ से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ जिसके विवरण ***परिशिष्ट-XI*** में दिए गए हैं।

2.3.11 अनभ्यर्पित प्रत्याशित बचत

2.3.11(क) नियमानुसार व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षित है कि जैसे ही बचतें प्रत्याशित हों, वे अनुदानों/ विनियोगों अथवा उनके भाग को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दें। तथापि 143 अनुदान प्रकरणों/ विनियोगों में विभागों ने जो बड़ी बचतें अभ्यर्पित नहीं कीं, उनकी राशि 2608.44 करोड़ रुपये थी। 45 प्रकरणों में कुल मिला कर 2523.92 करोड़ रुपए की उपलब्ध बचतों की (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की) महत्वपूर्ण राशियां अभ्यर्पित नहीं की गई (***परिशिष्ट-XII***)

2.3.11(ख) 152 प्रकरणों में, 3499.11 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से छत्तीसगढ़ के लिए 92.30 करोड़ रुपये सहित 1164.44 करोड़ रुपये (33.3 प्रतिशत) का अभ्यर्पण 31 मार्च 2001 को किया गया जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है।

2.3.12(क) वास्तविक बचतों की तुलना में अधिक अभ्यर्पण

20 प्रकरणों में 408.20 करोड़ रुपये की वास्तविक बचत की तुलना में कुल अभ्यर्पित राशि 507.10 करोड़ रुपये की थी। इसके परिणामस्वरूप 98.90 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ जो बजट नियंत्रण की अपर्याप्तता प्रकट करता है। विवरण ***परिशिष्ट-XIII*** में दिए गए हैं।

2.3.12(ख) 2 प्रकरणों में 614.76 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किए गए यद्यपि इनमें पूर्व से ही 264.70 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ। विवरण ***परिशिष्ट-XIV*** में दिए गए हैं।

यद्यपि बजट संबंधी अनियमितताओं के उदाहरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में वर्ष प्रति वर्ष सूचित किए जाते हैं फिर भी सरकार/विभागों ने इन अनियमितताओं को न्यूनतम करने हेतु सावधानियां नहीं बरतीं।

2.3.13 आकस्मिक निधि से अग्रिम

राज्य की आकस्मिक व्यय निधि की स्थापना 1957 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश आकस्मिक निधि अधिनियम 1957 के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये के अग्रदाय निकाय के रूप में की गई थी। 1 नवम्बर 2000 से मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद भी आकस्मिक निधि संकोष 40 करोड़ रुपए ही रखना जारी रहा।

निधि से अग्रिम केवल उन अप्रत्याशित तथा आपातिक प्रकार के व्यय की पूर्ति हेतु ही दिए जाते हैं जिन्हें विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक टाला नहीं जा सकता।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रत्येक माह आकस्मिक व्यय निधि से संस्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय के विवरण प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं जिससे उन्हें ठीक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सके। नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अंकित व्यय उनके द्वारा संधारित आकस्मिक व्यय निधि के लेखाओं से मिलान करना भी अपेक्षित है तथापि नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय के मासिक विवरण प्रेषित नहीं किए तथा महालेखाकार की पुस्तिकाओं से मिलान नहीं किया।

वर्ष 2000–2001 के दौरान 58.87 करोड़ रुपये के आहरण के लिए 34 संस्वीकृतियां जारी की गईं जिनमें से 23 संस्वीकृतियों के विरुद्ध 40.34 करोड़ रुपये (68.5 प्रतिशत) के अग्रिम आहरित किए गए।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश से प्राप्त जानकारी से प्रकट हुआ कि (i) निधियों की आवश्यकता के बिना अग्रिमों हेतु संस्वीकृतियां जारी की गई, (ii) आवश्यकता से अधिक अग्रिम संस्वीकृत किया गया तथा (iii) नियमित बजट में अथवा पूरक मांग में प्रावधान किया जा सकता था तथापि अग्रिम संस्वीकृत किए गए जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :–

(क) 13.26 करोड़ रुपये की तीन संस्वीकृतियां आंशिक रूप में क्रियान्वित हुईं।

(ख) आहरित 40.34 करोड़ रुपये में 10 लाख रुपये राशि की एक संस्वीकृति का प्रत्यक्षतः संबंधित मुख्य शीर्ष में विकलन किया गया।

आकस्मिकता व्यय निधि से अग्रिमों के अविवेकपूर्ण उपयोग टालने हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद उपरोक्तानुसार आकस्मिकता व्यय निधि से अग्रिमों की संस्वीकृति की प्रक्रिया जारी रही।

2.3.14 वसूलियों तथा जमाओं की प्रवृत्ति

सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली सकल बजट संबंधी प्रणाली के अधीन विधान मण्डल को प्रस्तुत अनुदानों की मांगें सकल व्यय के लिए होती हैं और इसमें से समस्त जमाएं एवं वसूलियां जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखे में समायोजित किया जाता है, सम्मिलित नहीं की जाती हैं। प्रत्याशित वसूलियां तथा जमाएं बजट अनुमानों में पृथक से दर्शाई जाती हैं।

3 अनुदानों/ विनियोगों में व्यय की कमी के रूप में वस्तुतः समायोजित वसूलियां (72.69 करोड़ रुपये) अनुमानित वसूलियों (57.40 करोड़ रुपये) से अधिक रहीं तथा 26 अनुदानों/

विनियोगों में वास्तविक वसूलियाँ (267.57 करोड़ रुपये) अनुमानित वसूलियों (830.59 करोड़ रुपये) से कम थीं। इस प्रकार 2000–2001 के दौरान निवल वास्तविक वसूली 547.73 करोड़ रुपये तक कम रहीं। आगे 26 अनुदान/ विनियोगों में से 14 अनुदान/विनियोगों में भी कोई वसूली नहीं की गई यद्यपि वर्ष के दौरान बजट अनुमानों में 143.48 करोड़ रुपए की वसूली का प्रावधान है। अधिक विवरण ***विनियोग लेखा 2000-2001 के परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।***

2.3.15 बचतों/आधिक्यों के स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के उपरांत अंतिम अनुदान/विनियोगों, वास्तविक व्यय एवं परिणाम जन्य भिन्नता दर्शाने वाला विस्तृत विनियोग लेखा नियंत्रण अधिकारियों की ओर भेजा जाता है जिसमें उनसे शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताओं का स्पष्टीकरण अपेक्षित रहता है। वर्ष 2000–2001 के दौरान कुल 1107 उपशीर्षों, में से 894 उपशीर्षों में बचतों/ अधिक व्ययों के स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए अथवा अपूर्ण प्राप्त हुए।

2.3.16 मिलान न किया गया व्यय

वित्तीय नियमों में यह अपेक्षा की गई है कि विभागीय नियंत्रण अधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अंकित किए गए व्यय के आंकड़ों से विभागीय व्यय के आंकडों का नियतकालिक मिलान करें। अनेक नियंत्रण अधिकारियों ने 16 मुख्य शीर्षों में 2000–2001 से संबंधित 3872.14 करोड़ रुपये के व्यय का मिलान नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट - XV*** में दिए गए हैं।

2.3.17 पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (अगस्त 1996) तथा वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यालय व्यय शीर्ष के अंतर्गत किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोग द्वारा बजट प्रावधान बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, वेतन एवं मजदूरी से किसी अन्य शीर्ष को पुनर्विनियोग अनुमत्य नहीं है तथा पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण हेतु समस्त संस्वीकृतियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर दी जानी चाहिए। इन अनुदेशों के प्रतिकूल सरकार ने 2000–2001 के दौरान 133.85 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण किया जिसके विवरण ***परिशिष्ट-XVI*** में दिए गए हैं।

2.3.18 व्यय की अधिकता

वर्ष में बजट का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। विशेषकर वित्त वर्ष के अंत के महिनों में व्यय की अधिकता वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है तथापि यह दृष्टिगत हुआ कि 14 प्रकरणों में मार्च 2001 के दौरान किया गया व्यय वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के 49 और 100 प्रतिशत के मध्य रहा। विभाग समान व्यय बनाए रखने में विफल रहा यद्यपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश द्वारा जून 2000, सितम्बर 2000 एवं मार्च 2001 को समाप्त तिमाही के लिए प्रत्येक प्रकरण में व्यय की स्थिति नियमित

रूप से प्रेषित मासिक विनियोग लेखे के माध्यम से वित्त विभाग की जानकारी में लाई गई। विवरण ***परिशिष्ट-XVII*** में दिए गए हैं।

2.3.19 सिविल जमाओं (अन्य जमाओं) को निधियों का अंतरण

वित्तीय नियमों में यह व्यवस्था है कि कोई भी धन तब तक कोषालय से आहरित न किया जावे जब तक कि उसके अविलम्ब वितरण की आवश्यकता न हो। तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 20 अनुदानों में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन 220.96 करोड़ रुपये विशेषतः मार्च 2001 में आहरित किए गए और उन्हें लेखे में व्यय के रूप में दिखाकर मुख्य शीर्ष 8443– सिविल जमा– 800 अन्य जमा में जमा किया गया। इस प्रकार वस्तुतः किया गया व्यय 220.96 करोड़ रुपये बढ़ाकर बताया गया और बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु उन्हें सिविल जमा में जमा किया गया। उपर्युक्त राशियों में से 52.17 करोड रुपये केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं* से संबंधित थे ।

14 प्रकरणों में राज्य की विभिन्न योजनाओं से संबंधित 57.12 करोड़ रुपये का संपूर्ण बजट प्रावधान आहरित किया गया और लेखाओं में व्यय के रूप में दर्शाने के उपरांत सिविल जमा में जमा किया गया। और अधिक विवरण ***2000-2001 के विनियोग लेखे के परिशिष्ट–II में दिए गए हैं।***

2.3.20 बजट प्रावधान के बिना व्यय

बजट द्वारा निधियों के प्रावधान के बिना योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि यह दृष्टिगत हुआ कि अनुदान संख्या 6 –वित्त विभाग से संबंधित व्यय में 7610–204 योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरों के क्रय हेतु अग्रिम में मूल अनुमान/ पूरक मांग में प्रावधान किए बिना 27.37 लाख रुपए का व्यय किया गया।

2.4 व्यय तथा बजट नियंत्रण पर टिप्पणियां

2.4.1 बजट संबंधी प्रक्रिया तथा कार्य प्रणाली

प्रत्येक अधीनस्थ इकाई द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बजट अनुमान, समेकित बजट अनुमान तैयार करना एवं संस्वीकृति हेतु नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना अपेक्षित रहता है। विधान मण्डल द्वारा बजट अनुमान के अनुमोदन के तुरन्त बाद वित्त विभाग, विभाग के नियंत्रण अधिकारी को अंतिम आवंटन की सूचना देता है जो बाद में संबंधित संभागीय/ वृत

* *0701 – केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य (1.89 करोड़ रुपए)*
0801 – केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं सामान्य (29.47 करोड़ रुपए)
0703 – केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं विशेषांश योजना (20.48 करोड़ रुपए)
0802 – केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं टी.एस.पी. (0.33 करोड़ रुपए)

स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य आगे वितरण के लिए संचालन कार्यालयों (आयुक्तों/ संचालकों/ मुख्य यंत्रियों आदि) को उसे आवंटित करता है। व्यय प्रत्येक स्तर पर इन आवंटनों तक परिसीमित रखना अपेक्षित है।

सरकार के प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष जिसकी ओर से विधान मण्डल अनुदान या विनियोग प्राधिकृत करता है, अपने अधीनस्थ अन्य नियंत्रण अधिकारियों संवितरण अधिकारियों नियंत्रण कार्यविधि तथा व्यय पर नियतकालिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति और व्यय के नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पंजियों के संधारण के माध्यम से संस्वीकृत अनुदान या विनियोग के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण हेतु उत्तरदाई होता है। व्यय के विभागीय आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश कार्यालय में अंकित आंकड़ों से वर्ष हेतु लेखाओं के समापन के पूर्व नियतकालिक समय में किया जाना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त कोषालय से किसी राशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके तुरन्त वितरण की आवश्यकता न हो और बजट अनुदान को व्यपगत होने से टालने हेतु उसे सिविल जमाओं के अंतर्गत जमा करने के लिए भी आहरित नहीं किया जाना चाहिए साथ ही बजट का नियमित प्रवाह बजट संबंधी नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

उपर्युक्त अनुदेशों के प्रतिकूल वर्ष 2000–2001 के लिए अनुदान संख्या 8–भू राजस्व एवं जिला प्रशासन, 32–जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय, 42–जनजाति क्षेत्र उपयोजना,सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण कार्य, 49– अनुसूचित जाति कल्याण, 56–ग्रामोद्योग, 67–लोक निर्माण कार्य–भवन एवं 78–ग्रामोद्योग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना से संबद्ध अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए :–

(क) व्यय नियंत्रण पंजियां संधारित न करना

नमूना जांच किए गए अनुदानों* में नियंत्रण अधिकारियों को अधीनस्थ इकाइयों से नियमित रूप में मासिक व्यय विवरण पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा इन कार्यालयों में व्यय नियंत्रण पंजियां भी संधारित नहीं की गईं अथवा ये अपूर्ण थीं। इस प्रकार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा माह दर माह व्यय के समीचीन प्रगामी योग संगणित नहीं किये जा सके। इससे व्यय के उचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव प्रकट हुआ।

(ख) दोषपूर्ण बजट अनुमान तैयार करना

नमूना जांच किए गए अनुदानों** एवं विनियोग लेखा 2000–2001 में अपनाई गई प्रक्रिया में प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों हेतु मांगों का उचित प्रकार से आकलन नहीं किया गया तथा ये

* *अनुदान संख्या (8, 32, 42, 49, 56, 67 एवं 78)*

** *अनुदान संख्या (संख्या 8, 32, 42, 49, 56, 67 एवं 78)*

तदर्थ आधार पर तैयार किए गए, इससे अनुदान संख्या 32, 49, 56 एवं 78 के राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत क्रमशः 10.21 करोड़ रुपये, 10.99 करोड़ रुपये, 8.08 करोड़ रुपये एवं 9.31 करोड़ रुपये तथा अनुदान संख्या 8, 42 एवं 67 के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत क्रमशः 7.67 करोड़ रुपये, 45.69 करोड़ रुपये एवं 61.61 करोड़ रुपये का अधिक बजट प्रावधान हुआ ।

नमूना जांच किये गए अनुदानों में मुख्यतः 39 योजनाओं में प्रचुर बचतें होना पाई गई। विवरण ***परिशिष्ट–XVIII*** में दिए गए हैं।

अनुदान संख्या 67 एवं 42 के अंतर्गत 7 मुख्य शीर्षों में व्यय अनुमानों के 5 प्रतिशत से कम था जो किसी योजनाबद्ध आवश्यकता के बिना तदर्थ आधार पर बजट निर्माण का प्रतिदर्शक है। इसके साथ ही अनुदान संख्या 67 के 7 मुख्यशीर्षों तथा अनुदान संख्या 42 के 1 मुख्यशीर्ष में अभी तक व्यय 30 प्रतिशत से भी कम था। परिणामस्वरूप प्रावधान की 70 प्रतिशत से अधिक की राशि अनावश्यक रूप में व्यपगत हो गई। विवरण ***परिशिष्ट–XIX*** में दिए गए हैं।

(ग) योजनाओं के अंतर्गत अनावश्यक एवं अधिक पूरक प्रावधान

नमूना जांच किए गए अनुदानों की 11 योजनाओं में 87.96 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा तथा वह अनावश्क सिद्ध हुआ जबकि 2 योजनाओं में पूरक प्रावधान 13.23 करोड़ रुपये अधिक था जिसका विवरण ***परिशिष्ट–XX*** में दिया गया है।

(घ) व्यय की अधिकता

अनुदान संख्या 32 के मुख्यशीर्ष 2220 की 6 योजनाओं के अंतर्गत मार्च में किया गया व्यय कुल व्यय के 25 से 70 प्रतिशत के मध्य रहा। नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि आहरण पर लगाई गई रोक एवं केवल मार्च 2001 माह में शिथिलता दिए जाने के कारण ऐसा हुआ।

अनुदान संख्या 78 के मुख्यशीर्ष 2851 की 3 योजनाओं के अंतर्गत मार्च में किया गया व्यय कुल व्यय के 41 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य रहा।

अनुदान संख्या 67 के 8 मुख्यशीर्षों के अंतर्गत मार्च 2001 में हुआ व्यय कुल व्यय के 73 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य रहा। विवरण ***परिशिष्ट–XXI*** में दिए गए हैं।

(ड.) व्यय के आंकड़ों का मिलान न करना

(i) अनुदान संख्या 8 में नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किए गए 5.90 करोड़ रुपये के व्यय का वर्ष के दौरान मिलान नहीं किया गया।

(ii) अनुदान संख्या 42 एवं 67 तथा अनुदान संख्या 56 और 78 के मुख्यशीर्ष 2851 के अंतर्गत व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) कार्यालय में अंकित आंकड़ों से नहीं किया गया।

2.4.2 अधिक व्यय वाले दो विभागों की समीक्षा

संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं तथा सचिव, 20 सूत्री क्रियान्वयन विभाग क्रमशः अनुदान संख्या 14 एवं 50 के नियंत्रण अधिकारी थे।

वर्ष 1998–99 से 2000–2001 के लिए अनुदान संख्या 14–पशुपालन विभाग से संबधित व्यय तथा अनुदान संख्या 50–20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभागों से संबंधित व्यय में राजस्व (दत्तमत) अनुभाग संबंधी अभिलेखों एवं विनियोग लेखे की नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए :–

(क) निम्नांकित विवरणानुसार अनुदान संख्या 14 एवं 50 में 1998–2000 के दौरान अधिक व्यय तथा 2000–2001 के दौरान बचतें दृष्टिगत हुईं।

अनुदान संख्या एवं नाम	अनुभाग	अधिक व्यय (लाख रुपये में)			कुल आधिक्य
		1998-99	1999-2000	2000-2001	
14– पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व (दत्तमत)	185.12	21.42	बचत (- 2314.33)	206.54
50– 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व (दत्तमत)	43.52	8.52	बचत (– 42.33)	52.04

इन अधिक व्ययों का अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया (दिसम्बर 2001)।

अधिक व्यय मुख्यतः अनुदान संख्या 14 की 6 योजनाओं तथा अनुदान संख्या 50 की एक योजना के अंतर्गत था जिसका विवरण ***परिशिष्ट–XXII*** में दिया गया है। ये अधिक व्यय कतिपय अन्य योजनाओं में बचत कर अंशतः प्रतिसंतुलित किए गए। अनुदान संख्या 14 के नियंत्रण अधिकारियों ने बताया (जून 2001) कि पांचवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप बकाया के भुगतान तथा मंहगाई भत्ते के बकाया भुगतान हेतु पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध न होने आदि के कारण आधिक्य था, जबकि अनुदान संख्या 50 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया (अगस्त 2001) कि आधिक्य आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत देयकों/ प्रमाणकों पर व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण तथा पांचवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार बकाया के भुगतान के कारण भी था।

(ख) अनियमित अभ्यर्पण/ पुनर्विनियोग

2000–2001 के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत 49.16 लाख रुपये (छत्तीसगढ़ हेतु 41.40 लाख रुपये तथा अन्य उद्देश्य हेतु 8.12 लाख रुपये) की राशि उपलब्ध बचत से अधिक अभ्यर्पित की गई। इसके परिणामस्वरूप 6.70 लाख रुपये का अंतिम आधिक्य हुआ।

(ग) व्यय का मिलान न किया जाना

अनुदान संख्या 50 के नियंत्रण अधिकारी ने व्यय के विभागीय आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा लेखांकित आंकड़ों से मिलान नहीं किया। नियंत्रण अधिकारी ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (अगस्त 2001) कि व्यय के मिलान हेतु समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) आवश्यकता के पहले निधियों का आहरण

अनुदान संख्या 14 में मुख्यशीर्ष 2403– पशुपालन की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत 30 एवं 31 मार्च 1999 को 5.97 करोड़ रुपये की राशि आहरित की गई तथा 8443– सिविल जमा–800 अन्य जमाओं में जमा की गई। इसमें से 1999–2000 में 5.22 करोड़ रुपये एवं 2000–2001 में 75 लाख रुपये आहरित किए गए तथा बाद में उनका उपयोग किया गया। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि 5.97 करोड़ रुपये आवश्यकता की प्रत्याशा में बजट अनुदान व्यपगत होने से बचने हेतु आहरित किए गए।

संचालक पशु चिकित्सा सेवा भोपाल ने उत्तर दिया (अगस्त 2001) कि केन्द्र सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना राशि वित्तीय वर्ष के नितांत अंत में जारी की अतः इसे संबंधित वित्त वर्ष में उपयोग में नहीं लाया जा सका तथा बाद में केन्द्र सरकार से पुर्नर्वेधीकरण की संस्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उसी योजना के अंतर्गत उसका उपयोग किए जाने हेतु उसे सिविल जमा में जमा किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 5.97 करोड़ रुपये का व्यय त्रुटिपूर्ण रूप में वर्ष 1998–99 के दौरान किया जाना दर्शाया गया था जबकि वस्तुतः इसे सिविल जमा में जमा किया गया था एवं वर्ष 2000–2001 तक इसे उपयोग में लाया गया।

दूसरे अध्याय का परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य के लिये निधियों के कम अभ्यर्पण के अनुदानवार विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अभ्यर्पण कम (-)/ अधिक (+)	
		राजस्व	पूंजीगत
1	**2**	**3**	**4**
1.	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा*	*(-)8.09*	--
2.	1-सामान्य प्रशासन		
	प्रभारित	*(-)2.67*	--
	दत्तमत	(-)2.10	(-)4.00
3.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय		
	प्रभारित	*(-)0.02*	--
	दत्तमत	(-)177.54	(-)40.00
4.	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय		
	प्रभारित	*(-)2.72*	--
	दत्तमत	(-)3.24	--
5.	13-कृषि		
	दत्तमत	(-)0.73	--
6.	15-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	दत्तमत	(-)2.12	--
7.	18-श्रम		
	दत्तमत	(-)0.65	--
8.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
	दत्तमत	(-)1.00	--
9.	21-आवास एवं पर्यापरण विभाग से संबंधित व्यय		
	दत्तमत	(-)6.71	(-)19.89
10.	23-जल संसाधन विभाग		
	प्रभारित	*(-)0.01*	--
11.	24-लोक निर्माण कार्य – सड़कें एवं पुल		
	प्रभारित	*(-)0.02*	*(-)0.01*
	दत्तमत	--	(-)2.34
12.	26- संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय		
	दत्तमत	(-)0.02	--

1	2	3	4
13.	27- शालेय शिक्षा		
	दत्तमत	(-)410.55	--
14.	28- राज्य विधायिका		
	प्रभारित	*(-)0.04*	--
	दत्तमत	(-)3.62	--
15.	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
	प्रभारित	*(-)1.95*	--
	दत्तमत	(-)6.80	--
16.	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय		
	दत्तमत	(-)0.05	--
17.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय		
	दत्तमत	(+)0.02	--
18.	40- कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय		
	दत्तमत	(+)0.01	(+)0.53
19.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना		
	प्रभारित	--	*(-)0.01*
	दत्तमत	(-)10.28	(-)3.22
20.	42- जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़कें एवं पुल		
	प्रभारित	--	*(-)0.05*
	दत्तमत	--	(-)7.92
21.	45- लघु सिंचाई – निर्माण कार्य		
	दत्तमत	--	(-)0.73
22.	47- तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन		
	दत्तमत	(-)5.16	--
23.	56- ग्रामोद्योग		
	दत्तमत	(-)0.46	--
24.	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखा राहत पर व्यय		
	दत्तमत	(-)1.77	(-)0.04
25.	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना		
	दत्तमत	(-)20.41	(-)5.38
26.	67- लोक निर्माणकार्य – भवन		
	प्रभारित	*(-)0.05*	--
	दत्तमत	(-)7.70	(-)5.00

1	2	3	4
27.	68- जनजाति क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – भवन		
	दत्तमत	--	(-)9.41
28.	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय		
	प्रभारित	*(-)0.02*	--
	दत्तमत	(-)13.67	--
29.	80- त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	दत्तमत	(-)32.15	--
30.	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
	दत्तमत	(-)3.86	--
31.	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	दत्तमत	(-)5.18	--
योग	**दत्तमत**	**(-)715.74**	**(-)97.40**
	प्रभारित	***(-)15.59***	***(-)0.07***
	योग	***(-)731.33***	***(-)97.47***
	महायोग		***828.80***

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

भाग क – समीक्षाएं

भाग ख – कंडिकाएं

तीसरा अध्याय - सिविल विभाग

भाग क - समीक्षाएं

ग्रामोद्योग विभाग

3.1 रेशम उत्पादन उद्योग योजना का कार्यान्वयन

मुख्यांश

राज्य में 1995 तक रेशम उत्पादन के क्रियाकलाप "विकास खण्ड पौधरोपण योजना" के अंतर्गत किए जाते थे जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को दैनिक मजदूरी आधार पर शहतूत/टसर केन्द्रों में काम पर लगाया जाता था।

1995 में भारत सरकार ने चयनित जिलों में "प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम" (स्टेप) के नाम से एक नया कार्य आरंभ किया जिसमें ग्रामीण महिलाओं को रेशम उद्योग क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु सरकारी शहतूत पौधरोपण पर फलोपभोग का अधिकार देते हुए रेशम उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार का प्रावधान करना परिकल्पित था। 1996 में राज्य सरकार ने "स्वावलंबन" के नाम से ऐसी ही अन्य योजना आरंभ की जिसमें हितग्राहियों को उनकी आय में वृद्धि करने हेतु कोकूनों के उत्पादन स्तर तक के क्रियाकलाप सौंपे गए थे। इसके अतिरिक्त उत्तम कोकूनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु 5 केन्द्रीय सहायता प्राप्त (1995-99) तथा जापान की सहायता से एक परियोजना (1998) सहित 8 परियोजनाएं भी संस्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं में मिट्टी से रेशम तक के समस्त क्रियाकलाप समाविष्ट थे।

फलोपभोग के अधिकारों के साथ नई योजनाएं लागू किए जाने से कोकूनों के उत्पादन में एवं हितग्राहियों की आय में वृद्धि नहीं हुई जैसी की परिकल्पना की गई थी। सिंचाई सुविधाओं एवं तकनीकी दिशानिर्देश के अभाव में शहतूत कोकूनों का उत्पादन तथा पौधरोपण प्रभावित क्षेत्र कम रह गया। विकास कार्यों पर 3.23 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने के बावजूद हितग्राहियों की वार्षिक आय घट गई। विकास खण्ड पौधरोपण योजना के अंतर्गत उपलब्ध मजदूरी के भुगतान के अभाव में योजनाएं/परियोजनाएं विफल रहीं।

"प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम योजना" (स्टेप) पर किए गए 6.18 करोड़ रुपए निष्फल रहे क्योंकि कोकून, धागा एवं कपड़े का उत्पादन लक्ष्य (1995–98) की तुलना में क्रमशः 17, 2 एवं 1 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 3.1.4.1)

जिला बस्तर में प्राकृतिक टसर विकास परियोजना हेतु 1998–99 के दौरान उपलब्ध कराए गए 41.34 लाख रुपए, राशि को व्यय के रूप में दर्शाने के उपरांत "8443 सिविल जमा" "800 अन्य जमा" में जमा किये गये।

(कंडिका 3.1.5.2)

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई क्रमशः "प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता" (स्टेप) तथा "स्वावलंबन" की योजनाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि शहतूत कोकूनों के उत्पादन, पौधरोपण के प्रभावित क्षेत्र तथा हितग्राहियों की वार्षिक आय में ह्रास हुआ तथा नमूना जांच किए गए सात जिलों में शहतूत केन्द्रों के विकास कार्य पर किया गया 3.23 करोड़ रुपए का व्यय भी निष्फल सिद्ध हुआ।

(कंडिका 3.1.6.1)

जल की अनुपलब्धता तथा स्थल के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण 120 शहतूत केन्द्र बंद हो गए तथा उनकी स्थापना पर किया गया 7.55 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

(कंडिका 3.1.7.1(i))

राजगढ़ शहतूत रेशम उत्पादन परियोजना में 90.50 लाख रुपए का व्यय कोकूनों के उत्पादन में असामान्य गिरावट के कारण निष्फल सिद्ध हुआ।

(कंडिका 3.1.8.1)

धर्मजयगढ़ में धागा लपेटने एवं बटने के कारखाने कच्चे माल (कोकूनों) की कमी के कारण बंद हो गए जिससे 24.38 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ जबकि मार्च 2001 के अंत में सरकारी भण्डार में 22.71 लाख रुपए मूल्य के टसर कोकून बिना बिके पड़े थे।

(कंडिका 3.1.12.1 एवं 3.1.12.3)

3.1.1 प्रस्तावना

रेशम उद्योग एक वानिकी आधारित ग्रामोद्योग है। श्रम की प्रचुरता के कारण रेशम कीटों का पालन ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 1995 के पूर्व कोकून उत्पादन हेतु दैनिक मजदूरी आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को लगाते हुए सरकारी रेशम उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विकासखण्ड पौधरोपण योजना कार्यान्वित की जा रही थी। उन्हें नाम मात्र की लागत पर चवकी कीट एवं शहतूत के पत्ते उपलब्ध कराए जाते थे जिसका समायोजन इनके द्वारा उत्पादित कोकून की लागत से किया जाता था जिसे वे विभाग को बेचते थे। 1995 में 90:10 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था से "प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम" आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रेशम उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। अप्रैल 1995 से तीन वर्षों की अवधि हेतु मार्गदर्शक परियोजना के रूप में चयनित जिलों/विकास खण्डों में अपनाए गए नए कार्यक्रम में हितग्राहियों को सरकारी शहतूत पौधरोपण पर फलोपभोग अधिकार उपलब्ध कराया गया तथा मिट्टी से रेशम तक के समस्त क्रियाकलाप समाविष्ट किये गये। परियोजना आरंभ में 5 जिलों (बालाघाट, बिलासपुर, रायगढ़, शिवपुरी एवं सरगुजा) के 24 विकासखण्डों में कार्यान्वित की गई। बाद में उक्त जिलों के शेष विकास खण्डों के साथ ही अन्य 13 जिले भी समाविष्ट किए गए। 1991–92 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई "कल्पवृक्ष योजना" के अंतर्गत सामुदायिक उपागमन से संबद्ध रेशम उत्पादन के क्रियाकलाप भी किए गए तथा आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया। 1998 में भारत सरकार ने योजना वापस ले ली। शेष जिलों/विकासखण्डों में राज्य सरकार ने कोकूनों के उत्पादन तक शहतूत रेशम उत्पादन में ग्रामीण हितग्राहियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु **"स्वावलंबन"** के नाम से इसी प्रकार की एक अन्य योजना आरंभ (1996–97) की। सरकार की भूमिका को न्यूनतम करने की दृष्टि से कोकूनोत्तर* गतिविधियां एवं विपणन क्रियाकलाप निष्पादित करने हेतु मध्यप्रदेश रेशम संघ का गठन 1998 में किया गया। इसके अतिरिक्त 1995–99 के दौरान विभिन्न जिलों में पांच केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियेाजनाओं सहित आठ परियोजनाएं** जोहद/नटेरन तथा सिरोंज/लटेरी (विदिशा), मुगावली (गुना), सारंगपुर (राजगढ़), सिलवानी (रायसेन), रापूराम (पन्ना), प्राकृतिक टसर विकास परियोजना (बस्तर) एवं रेशम परियोजना (बिलासपुर) संस्वीकृत की गई। ये इन क्षेत्रों में स्वावलंबन योजना के विकल्प रूप में थीं। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर हेतु 1998

* *कोकूनोत्तर गतिविधियां – तानना, लपेटना, बटना एवं बुनाई*

** *जोहद/नटेरन तथा सिरोंज/लटेरी (विदिशा), मुगावली (गुना), सारंगपुर (राजगढ़), सिलवानी (रायसेन), रापूराम (पन्ना), प्राकृतिक टसर विकास परियोजना (बस्तर) एवं रेशम परियोजना (बिलासपुर)*

में जापान की सहायता से 117.16 करोड़ रुपए लागत की एक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना भी संस्वीकृत की गई।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रेशम उद्योग के माध्यम से महिला हितग्राहियों की भागीदारी पर और उत्तम धागे के उत्पादन पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों हेतु स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना था।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

सचिव, मध्यप्रदेश सरकार ग्रामोद्योग विभाग, भोपाल राज्य स्तर पर योजना के समग्र पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु आयुक्त, रेशम उद्योग मध्यप्रदेश भोपाल, विभाग प्रमुख एवं केन्द्रक अभिकरण है। योजनाओं के निष्पादन हेतु संभागीय एवं जिला स्तर पर उनकी सहायता क्रमशः 3 संयुक्त संचालक, 10 उप संचालक तथा 29 सहायक संचालक रेशम उद्योग करते हैं। विदेशी सहायताप्राप्त बिलासपुर परियोजना के संबंध में परियोजना संचालक नियंत्रक अधिकारी हैं। उनके अधीनस्थ 1 संयुक्त पंजीयक, 1 कार्यपालन यंत्री एवं 2 सहायक यंत्री हैं। नवम्बर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने पर अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के अतिरिक्त 2 संयुक्त संचालक, 6 उप संचालक, 16 सहायक संचालक नए राज्य को स्थानांतरित किए गए तथापि नई विभागीय संरचना का अभी सरकार से अनुमोदन किया जाना है।

3.1.3 लेखापरीक्षा समावेशन

आयुक्त रेशम उद्योग भोपाल, परियोजना संचालक बिलासपुर, 295 में से 88 सरकारी शहतूत केन्द्रों एवं 133 में से 25 सरकारी टसर केन्द्रों को समाहित करने वाले 7* जिलों के सहायक संचालक रेशम उद्योग कार्यालयों के वर्ष 1996–97 से 2000–01 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच अप्रैल और सितम्बर 2001 के मध्य की गई। नमूना जांच के परिणाम आगामी कंडिकाओं में दिये गये हैं।

3.1.4 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

3.1.4.1 "प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम" (स्टेप) योजना

प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप) 1995–98 के दौरान 18 चयनित जिलों में क्रियान्वित किया गया। 7.18 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत की तुलना में भारत सरकार ने "मध्यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम" भोपाल को 5.77 करोड़ रुपए की राशि जारी की। यद्यपि इस पर निगम ने 56.40 लाख रुपए का ब्याज अर्जित किया तथापि इसने

* बैतूलपुर, इंदौर, जशपुरनगर, मण्डला, नरसिंहपुर, रायगढ़ एवं राजगढ़

केवल 5.59 करोड़ रुपए विमोचित किये। योजना पर 6.18 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। राज्य सरकार ने 71.18 लाख रुपए का अपना अंश जारी नहीं किया जिसके कारण विभाग ने अधिक व्यय अन्य स्रोतों से निधियां व्यपवर्तित कर पूरा किया।

अभिलेखों की नमूना जांच एवं परियोजना संचालक रेशम उद्योग बिलासपुर द्वारा दी गई जानकारी (जून 2001) से प्रकट हुआ कि

योजना की विफलता के कारण 6.18 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय।

(i) कोकून, धागा एवं कपड़े का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में केवल 17, 2 एवं 1 प्रतिशत था। इसके विपरीत 1995–98 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कोकून, धागा एवं कपड़े के उत्पादन में संबद्ध हितग्राहियों की प्रतिशतता क्रमशः 99, 51 एवं 83 थी जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

कार्य की मदें	उत्पादन			हितग्राही		
	लक्ष्य (1995-98)	उपलब्धियां (1995-98)	उपलब्धियों का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कोकून का उत्पादन (कि.ग्रा.)	7,98,000	1,32,877	17	4,800	4,760	99
धागा लपेटना (कि.ग्रा.)	66,500	1,342	2	2,400	1,230	51
कपड़े की बुनाई (वर्ग मीटर)	6,65,000	5,371	1	3,160	2,622	83

चूंकि समाविष्ट हितग्राहियों के लक्ष्य के संदर्भ में उत्पादन में कमी अधिक थी अतः हितग्राहियों द्वारा अर्जित प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। उत्पादन में असामान्य कमी यह दर्शाती है कि हितग्राहियों को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराए बिना परियोजना आरंभ की गई। इस प्रकार "प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम" (स्टेप) पर किये गये 6.18 करोड़ रुपए के व्यय के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि योजना की विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए संचालनालय स्तर पर एक समिति गठित कर दी गई है।

(ii) उपकरण किटों के क्रय पर 48.08 लाख रुपए का व्यय किया गया। विभाग इस तथ्य के विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका कि क्या ये उपकरण किटें प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराई गई थीं या अभी भी भण्डार गृहों में पड़ी थीं।

(iii) हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षणदाताओं को मानदेय के रूप में 17.62 लाख रुपए का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि प्रशिक्षण के बावजूद शहतूत/कोकूनों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। सहायक संचालक रेशम उद्योग रायगढ़ ने बताया कि 200 हितग्राहियों को रेशम कीट पालने का एवं धागा लपेटने का प्रशिक्षण दिया गया

परंतु अपर्याप्त आय के कारण उनमें से किसी ने भी रेशम उद्योग कार्य नहीं अपनाया। सहायक संचालक रेशम उद्योग बैकुंठपुर एवं जशपुरनगर ने बताया कि प्रशिक्षित 260 एवं 40 हितग्राहियों में से क्रमशः केवल 63 एवं 3 हितग्राही रेशम उद्योग कार्य में संलग्न थे।

3.1.4.2 परिक्राम्य निधि

जैसी कि परियोजना में व्यवस्था थी कि भूमिहीन महिला हितग्राही संवर्गों को फलोपभोग स्वामित्व अधिकार के आधार पर सरकारी शहतूत केन्द्र आबंटित किए जाने थे तथा उन्हें रेशम कीट पालन की कला का प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रति एकड़ रोपित क्षेत्र के लिए 6200 रुपए की दर से परिक्राम्य निधि (पौधरोपण के आदान एवं रखरखाव हेतु) स्वीकार्य थी तथा इसे हितग्राही संवर्ग सचिव एवं केन्द्रों के सहायक संचालकों के संयुक्त खाते में जमा किया जाना था। परिक्राम्य निधि के स्थापन हेतु 3.93 करोड़ रुपए (पौधरोपणों के आदान एवं संधारण आदि: 2.98 करोड़ रुपए: धागा तैयार करना: 0.48 करोड़ रुपए एवं बुनाई 0.47 करोड़ रुपए) संवितरित किए गए।

सहायक संचालक रेशम उद्योग बैकुण्ठपुर, मण्डला एवं रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 10.89 लाख रुपए अधिक जमा किए गए जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

	जिला	हितग्राहियों के पास रहा शेष प्रभावित क्षेत्र	प्रति एकड़ 6200 रुपए की दर से स्वीकार्य परिक्राम्य निधि	परिक्राम्य निधि की जमा राशि	अधिक जमा
1.	मण्डला	76 एकड़	4.71	9.13	4.42
2.	रायगढ	35 एकड़	2.17	6.22	4.05
3.	बैकुठपुर	30 एकड़	1.86	4.28	2.42
		141 एकड़	**8.74**	**19.63**	**10.89**

इस प्रकार अधिक जमा किए गए 10.89 लाख रुपए सरकार को लौटाए नहीं गए।

3.1.5 राज्य वित्त पोषित योजना

विनियोग लेखे के अनुसार स्वावलम्बन सहित राज्य वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित पांच वर्षों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजट आबंटन	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	(+) अधिक व्यय / (-) बचत
1.	1996-97	17.95	17.56	(-)0.39
2.	1997-98	16.05	15.36	(-)0.69
3.	1998-99	21.50	21.69	(+)0.19
4.	1999-2000	27.38	24.78	(-)2.60
5.	2000-2001	27.15	26.53	(-)0.62
	योग	**110.03**	**105.92**	**(-)4.11**

1999–2000 के दौरान 2.60 करोड़ रुपए की बचत राज्य सरकार द्वारा आयोजना व्यय पर लगाई गई 10 प्रतिशत की कटौती (1.11 करोड़ रुपए) तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम हेतु संस्वीकृत बजट प्रावधान में कमी (1.50 करोड़ रुपए) के कारण हुई बताई गई। तथापि कुल मिलाकर बचतें मुख्यतः इन कारणों से हुईः (i) रिक्त पदों का न भरा जाना (ii) वित्तीय संकट के कारण निधियों के आहरण पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक (iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अंश की संस्वीकृति न दिए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा अनुरूपी अनुदान का उपयोग नहीं हुआ।

3.1.5.1 कल्पवृक्ष योजना

87.23 लाख रुपए की केन्द्रीय निधियां अनियमित रूप से राज्य की प्राप्तियों में जमा की गई।

1991–92 में आरंभ की गई केन्द्र प्रवर्तित "कल्पवृक्ष" योजना भारत सरकार ने नवंबर 1998 में बंद कर दी तथा हितग्राहियों एवं विभागीय अधिकारियों के संयुक्त खाते में अप्रयुक्त पड़ी आर्थिक सहायता राशि को वापस लिए जाने के आदेश प्रसारित कर दिये। केन्द्र सरकार को राशि लौटाने के बजाय जैसा कि ***परिशिष्ट–XXIII*** में वर्णित है, 87.23 लाख रुपए अनियमित रूप से राज्य सरकार के पास जमा कर दिए गए। इस प्रकार उस वर्ष के दौरान उक्त सीमा तक राज्य की प्राप्तियां बढ़ाकर बताई गईं।

3.1.5.2 "8443 सिविल जमा" में रखी गईं 41.34 लाख रुपए की प्राकृतिक टसर विकास परियोजना निधियां

41.34 लाख रुपए की टसर परियोजना निधियां सिविल जमा में जमा करना।

सरकार ने 1998–99 में बस्तर संभाग में प्राकृतिक टसर विकास योजना के लिये 4.58 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए। परियोजना अवधि 2 वर्ष थी तथा लगातार दो वर्षों में क्रमशः 10282 एवं 29134 हितग्राही लाभान्वित होने थे। प्रत्येक हितग्राही को प्रतिवर्ष 8750 रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित करनी थी। परियोजना आरंभ करने हेतु सरकार ने मार्च 1999 के अंत में 41.34 लाख रुपए उपलब्ध कराए। राशि व्यय होना दर्शाकर उसी माह में "8443 सिविल जमा" "800 अन्य जमा" में जमा कर दी गई। चूंकि योजना आरंभ ही नहीं की गई थी अतः निधियां अब भी (मार्च 2001) सिविल जमा में पड़ी हैं।

3.1.6 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

राज्य में रेशम उद्योग के संवर्द्धन की दृष्टि से 1995–96 तक 428 केन्द्र (295 सरकारी शहतूत केन्द्र तथा 133 सरकारी टसर केन्द्र) स्थापित किए गए। ये केन्द्र समस्त योजनाओं को संबंधित क्षेत्रों में क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदाई थे। इन केन्द्रों की कार्य प्रणाली का आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

3.1.6.1 शहतूत केन्द्र

प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप) एवं **स्वावलंबन** योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही संवर्गों को फलोपभोग अधिकार के आधार पर शहतूत केन्द्र आबंटित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि शहतूत कोकूनों का उत्पादन 1996–97 में 1.53 लाख किलोग्राम से घटकर 2000–2001 में 0.22 किलोग्राम रह गया तथा 1998–2001 के दौरान हितग्राहियों की संख्या भी 5614 से घटकर 1856 रह गई। अंशतः सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण और आंशिक रूप से हितग्राहियों को ऐसी मूलभूत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए जाने में सरकार की विफलता के कारण हितग्राही शहतूत पौधरोपण का रखरखाव नहीं कर पाये परिणामतः पौधरोपण का क्षेत्र एवं कोकूनों का उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया।

नमूना जांच किए गए सात जिलों में 88 शहतूत केन्द्रों के शहतूत कोकूनों के उत्पादन हेतु लक्ष्य, उपलब्धियां, पौधरोपण का प्रभावित क्षेत्र, हितग्राहियों की संख्या, रेशम उत्पादन से उनकी वार्षिक आय एवं विकास कार्यों पर किये गये व्यय के विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र (एकड)	कोकूनों का उत्पादन			हितग्राहियों की संख्या	प्रति हितग्राही वार्षिक आय	कार्यों के विकास पर व्यय
		निर्धारित लक्ष्य (किलो ग्राम में)	उपलब्धियां (किलो ग्राम में)	प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7	8
1995-96	570	88150	59870	68	1482	2286	62.30
1996-97	570	77475	33810	44	710	2711	58.10
1997-98	513	69675	30262	43	702	3198	68.40
1998-99	429	71040	18304	26	600	2094	60.99
1999-2000	329	54425	18984	35	524	2103	70.07
2000-2001	251	29767	11128	37	356	1967	65.42
			योग				**322.98**

नमूना जांच किए गए जिलों में शहतूत विकास कार्यों पर 3.23 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय

चूंकि शहतूत पौध रोपण के अंतर्गत आबंटित प्रभावकारी क्षेत्र 570 एकड़ (1996–97) से घटकर 251 एकड़ (2000–01) रह गया। कोकूनों का उत्पादन भी 59870 किलोग्राम से घट कर 11128 किलोग्राम रह गया अतः इसके परिणामस्वरूप 1996–97 से 2000–01 के दौरान विकास कार्यों पर 3.23 करोड़ रुपए का व्यय करने के बावजूद हितग्राहियों की वार्षिक आय भी 1997–98 में 3198 रुपए से घटकर 2000–01 में 1967 रुपए रह गई। सरकार द्वारा आरंभ की गई **"प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम"** एवं **"स्वावलम्बन"** योजना परिकल्पित लाभ उपलब्ध कराने में विफल रहीं क्योंकि उत्पादन वर्ष दर वर्ष कम हो गया और हितग्राहियों की संख्या 1995–96 में 1482 से घटकर 2000–01 में केवल 356 तक रह गई।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर आयुक्त रेशम उद्योग ने बताया (अप्रैल 2001) कि योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक दैनिक मजदूरी की अनुमति नहीं थी। अतः हितग्राहियों ने पौधरोपण का रखरखाव करने एवं कोकूनों के उत्पादन में रुचि नहीं ली। एक संशोधित योजना संस्वीकृति हेतु सरकार के पास विचाराधीन है।

3.1.6.2 टसर केन्द्र

आरंभ से ही विभागीय अधिकारी टसर केन्द्रों की व्यवस्था कर रहे थे। हितग्राहियों को वितरित करने हेतु इन केन्द्रों में टसर कोकूनों के रोग रहित अण्डे तैयार किए जाते थे। जो कोकूनों के उत्पादन हेतु अर्जुन एवं सजा वृक्षों पर इन रोगरहित अण्डों का पालन कर रहे थे।

यह देखा गया कि टसर कोकूनों का उत्पादन 1997–98 में 175.74 लाख (संख्या) से घटकर 2000–01 में 34.12 लाख रह गया। हितग्राहियों की संख्या भी 11370 से घटकर केवल 3278 रह गई। यह ह्रास (i) ग्रामीणों द्वारा अपने घरेलू उपयोग हेतु अर्जुन एवं सजा वृक्षों के, जिन पर टसर कोकून पालन किया जाता है, बेरहमी से काटे जाने तथा (ii) प्रतिकूल मौसमजन्य स्थितियों के कारण हुआ ।

नमूना जांच किए गए सात जिलों में स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)	कोकून उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य (संख्या लाख में)	उपलब्धि (लाख में)	प्रतिशतता	हितग्राहियों की संख्या	प्रति हितग्राही वार्षिक आय	विकास कार्यों पर व्यय
1995-96	2206	49.50	38.60	78	2098	585	29.81
1996-97	2117	48.50	45.23	93	2972	648	39.96
1997-98	1910	58.50	52.23	89	3147	569	48.98
1998-99	2029	61.50	30.10	49	2894	359	36.78
1999-2000	1937	54.00	31.95	59	1726	628	68.19
2000-2001	1848	47.55	27.97	59	1620	445	37.78

हितग्राहियों की अत्यल्प आय

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि कोकूनों के उत्पादन के साथ ही इसका प्रभावित क्षेत्र कम रह गया। आगे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि हितग्राहियों की वार्षिक औसत आय भी 648 रुपए से घटकर 445 रुपए रह गई जिसके कारण हितग्राहियों में रुचि का अभाव हो गया।

आयुक्त के अनुसार टसर कोकूनों के उत्पादन में कमी का कारण ग्रामीणों द्वारा अपने घरेलू कार्यों हेतु अर्जुन एवं सजा वृक्षों की कटाई, प्रतिकूल मौसमजन्य स्थिति आदि था। सहायक संचालक रेशम उद्योग मण्डला ने इसका कारण टसर कोकूनों के लिए रोग रहित अंडों की कम आपूर्ति होना बताया।

3.1.7 सरकारी शहतूत केन्द्र बंद होना

3.1.7.1 बंद/अनुत्पादक सरकारी शहतूत केन्द्रों पर 8.16 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय

स्थल के गलत चयन एवं जल की अनुपलब्धता के कारण शहतूत केन्द्रों को बंद करना पड़ा।

(i) जल की अनुपलब्धि एवं स्थल के गलत चयन इत्यादि के कारण मध्यप्रदेश सरकार ग्रामोद्योग विभाग, भोपाल के आदेशों के अंतर्गत 120 सरकारी शहतूत केन्द्र बंद (1996 में 14, 1997 में 32, जुलाई 1999 में 53 एवं जून 2001 में 21) कर दिए गए। भूमि विकास, बाड़ लगाने, भवन तथा उनके रखरखाव इत्यादि पर इन केन्द्रों पर 7.55 करोड़ रुपए (केवल 112 केन्द्रों की जानकारी प्रस्तुत की गई) का व्यय निष्फल रहा।

(ii) 1995–96 से 2000–01 के दौरान जिला बिलासपुर मण्डला, नरसिंहपुर, कांकेर एवं राजनांदगांव के 11 सरकारी शहतूत केन्द्रों में कोकूनों का औसत उत्पादन 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के निर्धारित मानक से भी कम था। आयुक्त रेशम उत्पादन ने इन केन्द्रों को अनुत्पादक घोषित किया तथा अप्रैल 2000 में उन्हें बंद करने की अनुशंसा की। इन केन्द्रों पर व्यय किये गये 61.05 लाख रुपए (वेतन एवं भत्तेः 15.81 लाख रुपए एवं केन्द्रों की स्थापना, सिंचाई, बाड़ लगाना एवं पौधरोपण इत्यादिः 45.24 लाख रुपए) निष्फल हो गए। अनुपयुक्त स्थल के चयन के संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

शहतूत कोकूनों के कम उत्पादन का कारण सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धि, शहतूत पौधरोपण हेतु अनुपयुक्त मिट्टी तथा पौधरोपणों का क्षतिग्रस्त होना बताया गया।

3.1.8 राजगढ़ परियोजना

3.1.8.1 कोकूनों के उत्पादन में असामान्य कमी

कोकूनों के उत्पादन में असामान्य कमी के कारण राजगढ परियोजना पर 90.50 लाख रुपए का निष्फल व्यय

जिला राजगढ़ में विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तीकरण को ध्यान में रखकर 1995–98 के लिए शहतूत रेशम उद्योग विकास की एकीकृत परियोजना की संस्वीकृति (जून 1995) दी गई। रेशमकीटों का पालन एवं कोकूनों का उत्पादन 1996–97 से ही आरंभ हुआ। योजना के अंतर्गत रेशमकीट पालन एवं शहतूत कोकूनों के उत्पादन हेतु भूमिहीन महिला हितग्राहियों को सरकारी भूमि पर उपलब्ध प्रति हितग्राही एक एकड़ पौधरोपण फलोपभोग अधिकार के आधार पर आबंटित किया गया। हितग्राहियों को 3 वर्षों के लिये पौधरोपण के रखरखाव हेतु 2000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाना था। परियोजना की लागत 1.66 करोड़ रुपए थी जिसका व्यय भारत सरकार (1.19 करोड़ रुपए) एवं राज्य सरकार (0.47 करोड़ रुपए) के मध्य अंशभाजित करना था तथापि राज्य सरकार ने मार्च 1996 में (77.25 लाख रुपए) एवं सितंबर 1997 में (25 लाख रुपए) 1.02 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अंश जारी किया। इसमें से मार्च 2001 तक 90.50 लाख

रुपए का व्यय किया गया तथा अप्रयुक्त 11.75 लाख रुपए वैयक्तिक जमा खाते में जमा रखे गये। मार्च 2001 तक 0.47 करोड़ रुपए का राज्य अंश जारी नहीं किया गया।

सहायक संचालक, रेशम उद्योग राजगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

(i) कोकूनों के उत्पादन एवं धागा लपेटने में उपलब्धि क्रमशः 1.88 से 11 प्रतिशत तथा 1.36 से 2.87 प्रतिशत के मध्य रही। वास्तव में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या क्रमशः 45 और 33 प्रतिशत के मध्य रही। उत्पादन लक्ष्यों की कम उपलब्धि की तुलना में संलग्न हितग्राहियों का प्रतिशत अधिक होने से हितग्राहियों की आय अत्यल्प रह गई।

(ii) परियोजना में पौधरोपण के चौथे वर्ष से शहतूत कोकूनों के उत्पादन से प्रति हितग्राही 11570 रुपए की औसत वार्षिक आय परिकल्पित थी। परंतु वार्षिक आय चौथे वर्ष से वस्तुतः केवल 390 रुपए (3 प्रतिशत) थी तथा पांचवे वर्ष में यह और भी घटकर 219 रुपए रह गई। इस प्रकार महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में परियोजना विफल रही।

(iii) 24 नलकूपों के बजाय पौधरोपण क्षेत्र से बहुत अधिक दूर तीन रोक बांधों के निर्माण पर 23.83 लाख रुपए व्यय किये गये। जल स्तर नीचे होने के कारण इनका उपयोग सिंचाई के लिये नहीं किया जा सका तथा यह व्यय निष्फल हो गया।

(iv) हितग्राहियों को रेशमकीट पालन उपकरण उपलब्ध कराने के लिये बैंक ऋण के रूप में 21 लाख रुपए का प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया गया। रेशमकीट पालन उपकरण के अभाव में कोकून उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार परियोजना पर किया गया 90.50 लाख रुपए का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा। सहायक संचालक रेशम उद्योग राजगढ़ ने कमी के कारण (1) सिंचाई सुविधाओं का अभाव, (2) पौधरोपण क्षेत्र में पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु पशु रोधी खाइयों का अभाव, (3) रेशमकीट पालन गृह का विलम्ब से निर्माण, (4) हितग्राहियों को मार्ग दर्शन देने के लिये कर्मचारियों की कमी, (5) 0.47 करोड़ रुपए का केन्द्रीय/राज्य का अंश जारी न किया जाना तथा (6) हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने एवं रेशम कीट पालन हेतु उपकरणों की आपूर्ति में विफलता बताया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि अनुपयुक्त व्यवस्थापन के कारण परियोजना विफल रही जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.1.9 क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

3.1.9.1 70 लाख रुपए का निष्फल व्यय

सिंचाई सुविधाओं पर व्यय किए गए 70 लाख रुपए से कोकूनों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी।

9 जिलों* में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को 1997 में 1.30 करोड़ रुपए अग्रिम दिए गए तथा जिला बिलासपुर में शहतूत पौधरोपण हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान करने के लिए 60 लाख रुपए दिए गए। 1.26 करोड़ रुपए के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र 1997 और 1998 में प्राप्त हुए। शेष 4.50 लाख रुपए की राशि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल के पास अभी भी बकाया थी।

नमूना जांच (जून 2001) से प्रकट हुआ कि इन जिलों में वर्ष 1997–2001 के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल द्वारा 70 लाख रुपए का व्यय किए जाने के उपरांत भी शहतूत कोकूनों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। इस प्रकार 70 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। आयुक्त ने इसके कोई कारण नहीं बताए। कोकूनों के उत्पादन के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियों के विवरण ***परिशिष्ट – XXIV*** में दिए गए हैं।

3.1.10 प्रशिक्षण

योजना में हितग्राहियों को शहतूत एवं टसर कोकूनों के पालन, धागा लपेटने एवं बुनाई में प्रशिक्षण देने का प्रावधान था।

3.1.10.1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1.60 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर, बालाघाट, भोपाल, गुना, रायगढ़ और राजगढ़ में स्थापित छः लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुना की निर्माण लागत की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई) 1995–96 में रेशम उद्योग विभाग को उपलब्ध कराई गईं। इन लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रतिवर्ष 300 हितग्राहियों को रेशमकीट पालन, धागा लपेटने एवं बुनाई व्यवसाय में प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षुओं को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा **"स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण"** (ट्रायसेम) योजना के अंतर्गत शिष्यवृत्ति का भुगतान किया जाता था। मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए शिक्षाकर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय रेशम उद्योग विभाग को वहन करना था।

लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने अक्टूबर 1996 से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। 750 व्यक्तियों के प्रशिक्षण लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1996–99 के दौरान केवल 436 व्यक्ति (58

* *(बिलासपुर, बालाघाट, गुना, होशंगाबाद, राजनांदगांव, रायपुर, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन)*

प्रतिशत) ही प्रशिक्षित किए जा सके। यद्यपि जिला पंचायत/जनपद पंचायत/बैंकों को 190 हितग्राहियों के ऋण के प्रकरण भेजे गए तथापि केवल 39 प्रकरणों को अंतिम रूप से निपटाया जा सका।

3.1.11 संहितागत प्रावधान का अनुपालन न करना

3.1.11.1 0.66 लाख रुपए के दोहरे आहरण

कोषालय नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि दोहरे भुगतान से बचने हेतु प्रमाणकों पर भुगतान के उपरांत "भुगतान कर निरस्त किया" की सील लगा दी जाए।

सहायक संचालक रेशम उद्योग (बीज) रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 0.66 लाख रुपए कोषालय से विभागीय शीर्ष के अंतर्गत तथा जवाहर रोजगार योजना बैंक खाते से भी आहरित किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट–XXV*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर संबंधित सहायक संचालक रेशम उद्योग ने बताया कि मामला विभागीय जांच के आधीन है तथा आरोप पत्र जारी (अगस्त 2000) कर दिया गया है।

3.1.12 अन्य ध्यानाकर्षक तथ्य

3.1.12.1 सामग्री की कमी के कारण विभागीय धागा लपेटने एवं बटने के कारखाने बंद करने पड़े

लपेटने एवं बटने के कारखाने बंद कर दिए जाने के कारण 24.38 लाख रुपए का निष्फल व्यय

धर्मजयगढ़ में 21.29 लाख रुपए की लागत से सरकार द्वारा 1987–88 एवं 1998–99 में स्थापित क्रमशः लपेटने एवं बटने के कारखानों का कच्चे माल (कोकूनों) की कमी के कारण कम उपयोग हुआ और आखिर में ये जनवरी 1999 में (लपेटने का कारखाना) एवं दिसंबर 1999 में (बटने का कारखाना) बंद कर दिए गए। इस प्रकार इन कारखानों पर कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों सहित किया गया 24.38 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

संबंधित सहायक संचालक रेशम उद्योग ने बताया कि कच्चे माल (कोकूनों) की अनुपलब्धता, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत विच्छेदन कर दिए जाने एवं अमितव्ययी उत्पादन के कारण कारखाने बंद कर दिये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहायक संचालक रायगढ़ के पास कोकूनों का विपुल मात्रा में भंडार (52.25 लाख संख्या में) अप्रयुक्त पड़ा था जैसा कि कंडिका 3.1.12.3 में उल्लेख किया गया है।

प्रशीतनगृह भवन अप्रयुक्त रहने के कारण 9.20 लाख रुपए का निष्फल व्यय

3.1.12.2 9-20 लाख रुपए में निर्मित प्रशीतनगृह अप्रयुक्त

टसर बीज को परिरक्षित करने तथा कोकूनों के उत्पादन हेतु रोग रहित अण्डे प्राप्त करने के लिए 1986 में प्रशीतनगृह भवन का निर्माण किया गया था। यद्यपि विद्युत प्रभार सहित 9.20 लाख रुपए का व्यय किया गया था तथापि प्रशीतन गृह का उपयोग ही नहीं किया गया

(दिसंबर 2000)। सहायक संचालक, रेशम उद्योग ने बताया कि विभाग द्वारा प्रचालक (ऑपरेटर) की पदस्थापना न किए जाने के कारण प्रशीतनगृह का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.1.12.3 22.71 लाख रुपए मूल्य के कोकूनों का निर्वर्तन न होना

22.71 लाख रुपए मूल्य के टसर कोकून अविक्रीत पड़े रहे।

रेशम कीटपालनकर्ताओं से 1996–2001 के दौरान क्रय किए गए टसर कोकून (52.52 लाख संख्या) मार्च 2001 के अंत में सरकारी भंडारगृह में अविक्रीत पड़े थे। इन कोकूनों का अनुमानित विक्रय मूल्य 22.71 लाख रुपए था। कोकूनों के दीर्घ अवधि तक भण्डारण के कारण उनकी गुणवत्ता गिरी होगी तथा उनसे अनुमानित विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हो सकने की संभावना है।

सहायक संचालक रेशम उद्योग रायगढ़ ने बताया कि स्थानीय बुनकरों से कोकूनों की मांग नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोकूनों की अनुपलब्धता के कारण धर्मजयगढ़ के धागा लपेटने के एवं बटने के कारखाने बंद हो गए जैसा कि कंडिका 3.1.12.1 में दर्शाया गया है।

3.1.13 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

योजना/परियोजनाओं का प्रभावकारी रूप में परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करने में विभाग विफल रहा ।

यद्यपि संचालक रेशम उद्योग द्वारा केन्द्रों के लिये निर्धारित मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रवार संकलित किए गए तथा उन्हें प्रत्येक केन्द्र के उत्पादन के आधार पर क, ख, ग एवं घ श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा नगण्य उत्पादन दर्शाने वाले केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करना प्रस्तावित किया गया था। तथापि न तो शिथिल केन्द्रों के कार्य सुधार हेतु किए गए कोई सुधारात्मक उपाय दृष्टिगत हुए और न ही कोकूनों के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में केन्द्रों की विफलता हेतु कोई उत्तरदायित्व ही निर्धारित किया गया।

उचित पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण की कमी के कारण कार्यक्रम विफल हो गया। हितग्राहियों को फलोपभोग का अधिकार हस्तांतरित किए जाने की योजना भी परिकल्पित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही क्योंकि हितग्राहियों को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रारंभ में हितग्राहियों को विभागीय कार्यचालन में उनके द्वारा अर्जित दैनिक मज़दूरी से वंचित भी रखा गया जो उनके जीवन यापन हेतु अत्यंत आवश्यक थी।

उपर्युक्त तथ्य अगस्त 2001 में सरकार की ओर भेजे गये। उत्तर अब तक अप्राप्त है (जनवरी 2002)।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

3.2 पर्यावरण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण एवं अपशेष प्रबन्धन से संबंधित नियम

मुख्यांश

वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा दक्ष अपशेष प्रबन्धन के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (पर्यावरण अधिनियम) का अधिनियमन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (मण्डल) अधिनियमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए अपेक्षित व्यापक कार्यक्रम तैयार करने में मण्डल विफल रहा। औद्योगिक इकाइयां, अधिकांशतः स्टोन क्रशर्स मण्डल के अनुमोदन के बिना चल रहीं थीं। 30 प्रतिशत चिन्हित वाहन मण्डल तथा यातायात पुलिस के मध्य समन्वय के अभाव के कारण अधिक मात्रा में वायु प्रदूषक उत्सर्जित करने पर भी सड़कों पर चल रहे थे। ताप विद्युत संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के उपरान्त भी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया जा सका । चिकित्सालयों में उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सीय अपशेष का यथा अपेक्षित उपचार एवं निपटान नहीं किया जा रहा था।

सड़कों पर चलने वाले 30 प्रतिशत वाहन निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित कर रहे थे ।

(कण्डिका 3.2.6.2)

उद्योगों से वायु के नमूनों का संग्रहण तथा विश्लेषण भोपाल (73 प्रतिशत) तथा दुर्ग (62 प्रतिशत) में अत्यधिक कम हुआ। ताप विद्युत संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के पश्चात् भी निलम्बित पदार्थ कण समूह (एस.पी.एम.) का उत्सर्जन स्तर निर्धारित सीमा से 305 से 466 प्रतिशत तक अधिक था।

(कण्डिका 3.2.6.4 (i) (ii))

प्रदाहकों के न लगाये जाने के कारण सरकारी अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों में जैव चिकित्सीय अपशेष का निपटान उचित रूप से नहीं किया जा सका। इन अस्पतालों में उत्पन्न होने वाले अपशेष का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पृथक्करण, उपचार तथा निपटान नहीं किया गया।

(कण्डिका 3.2.7.1.(क) एवं (ख))

उद्योगों के खतरनाक अपशेष के निपटान के लिये स्थानों को विलम्ब से चिन्हित किया गया और उन्हें विकसित नहीं किया गया इसलिए अपशेष का निपटान सम्यक् रूप से नहीं किया गया और अपशेष से जन स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो गया।

(कण्डिका 3.2.7.2 (क))

स्थानीय निकायों ने शहरी ठोस अपशेष प्रबन्धन तथा निपटान के लिये कोई कार्य योजना तैयार नहीं की।

(कण्डिका 3.2.7.2 (ख))

3.2.1 प्रस्तावना

औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण की प्रक्रिया का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है जिससे वायु प्रदूषण भी हुआ है। वायु प्रदूषण की वृद्धि ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और संसद ने वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 बनाया। इसके अतिरिक्त एक अधिक व्यापक अधिनियम यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (पर्यावरण अधिनियम) बनाया गया। अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार ने निम्नांकित नियमावली बनाई :–

खतरनाक अपशेष (प्रबन्धन तथा निपटान) नियमावली 1989

खतरनाक रसायनों के निर्माण,भण्डारण तथा आयात नियमावली 1989

जैव चिकित्सीय अपशेष (प्रबन्धन तथा निपटान) नियमावली 1998 और

शहरी ठोस अपशेष (प्रबन्धन तथा निपटान) नियमावली 2000

शहरी ठोस अपशेष (प्रबन्धन तथा निपटान) नियमावली 2000 को छोड़कर राज्य में उपरोक्त नियमों के कार्यान्वयन का दायित्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को सौंपा गया था।

शहरी विकास विभाग को जहां शहरी ठोस अपशेष (प्रबन्धन तथा निपटान) नियमावली 2000 के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया था वहीं स्थानीय निकायों को प्रावधानों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

मण्डल अपने भोपाल स्थित मुख्यालय सहित राज्य सरकार के आवास एवं पर्यावरण विभाग के संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में है। अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है और इसमें एक सदस्य सचिव, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व

करने वाले पांच सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग अथवा व्यवसाय अथवा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अशासकीय सदस्य और राज्य सरकार के स्वामित्व, प्रबन्धन/नियंत्रणवाली कम्पनियों/ निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य भी होते हैं। मण्डल के ग्वालियर, जबलपुर एवं रायपुर स्थित तीन प्रक्षेत्रीय कार्यालय तथा 14 क्षेत्रीय कार्यालय* हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा समावेशन

सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भोपाल के कार्यालय तथा छः क्षेत्रीय कार्यालयों** में वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण, खतरनाक अपशेष प्रबन्धन तथा जैव चिकित्सीय अपशेष के प्रबंधन एवं निपटान से सम्बन्धित 1996–97 से 2000–01 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच मार्च 2001 से जून 2001 के दौरान की गई। शहरी विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग को भी लेखापरीक्षा में समाविष्ट किया गया। नमूना जांच के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों का नीचे उल्लेख किया गया है।

3.2.4 वित्तीय स्थिति

मण्डल राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उद्योगों से सहमति शुल्क, वार्षिक अनुज्ञा शुल्क तथा जल उपकर भी संग्रहीत करता है। विवरण निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदान की राशि	अन्य स्रोतों से आय	योग	व्यय	बचत
1996-97	4.82	5.68	10.50	6.07	4.43
1997-98	2.90	6.24	9.14	7.46	1.68
1998-99	5.65	9.21	14.86	7.76	7.10
1999-2000	5.40	9.51	14.91	9.56	5.35
2000-2001	2.46	7.53	9.99	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
योग	**21.23**	**38.17**	**59.40**	**30.85**	**18.56**

यद्यपि अनुदान विशेष परियोजनाओं/ योजनाओं के लिये प्राप्त हुये थे तथापि परियोजना/ योजनावार लेखे तैयार नहीं किये गये। 1999–2000 के लेखे भी अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं (मई 2001)। अधिनियम 1981 के अनुसार मण्डल द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को जुलाई के अन्त से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होते हैं जिससे कि उन्हें प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त तक राज्य विधान सभा पटल पर रखा जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि

* *भोपाल, भिलाई, बिलासपुर, ग्वालियर, इन्दौर (I) इन्दौर (II), जबलपुर, जगदलपुर, रायपुर, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन तथा विजयपुर (जिला गुना)*

** *भोपाल, भिलाई, ग्वालियर, इन्दौर (I) इन्दौर (II) तथा जबलपुर*

मण्डल ने सरकार को वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में 78 दिन से लेकर 137 दिनों का विलम्ब किया और परिणामतः 1996–97 से 1999–2000 के दौरान राज्य विधान सभा में उनकी प्रस्तुति में 35 से 114 दिनों का विलम्ब हुआ।

3.2.5 सर्वेक्षण एवं नियोजन

वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

वायु अधिनियम के अधीन मण्डल को राज्य में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाना होता है जिसके लिये यह आवश्यक है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का सर्वेक्षण किया जाय तथापि यह पाया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वेक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार मण्डल राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की संख्या से अनभिज्ञ था।

3.2.6 वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण

3.2.6.1 मण्डल की सहमति के बिना परिचालित औद्योगिक इकाइयां

अधिकांश औद्योगिक इकाइयां मण्डल की सहमति के बिना कार्य कर रही थीं

वायु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में मण्डल की स्वीकृति के बिना औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकतीं। भोपाल, भिलाई, ग्वालियर, इन्दौर–I एवं इन्दौर–II स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 342 उद्योगों में से 270 उद्योग जिनमें अधिकांशतः स्टोन क्रशर्स थे और जिन्हें क्षेत्रीय अधिकारियों ने वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में चिन्हित किया था, 1996 से 2001 तक मण्डल की बिना सहमति के चल रहे थे। इनमें से केवल 72 इकाइयों को वर्ष 1999–2000 में अर्थात उत्पादन आरंभ करने के बहुत बाद सहमति/ सहमति के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इससे प्रदर्शित होता है कि अधिनियम के प्रावधान उचित रूप से लागू नहीं किये गये।

3.2.6.2 वाहन प्रदूषण का परिवीक्षण

वायु अधिनियम 1981 की धारा 20 के अन्तर्गत मण्डल को यातायात पुलिस और परिवहन प्राधिकारियों की सहायता या बिना सहायता के यह सुनिश्चित करने के लिये वाहनों का निरीक्षण करना आवश्यक है कि वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण उत्सर्जन के मानकों का पालन किया जा रहा है। मण्डल ने मध्यप्रदेश के 13 नगरों* में वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के परिवीक्षण के लिये अत्यधिक यातायात वाले स्थल चिन्हित किये (अक्टूबर 1994)। जांच किये

* भोपाल, भिलाई, बिलासपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, जगदलपुर, रीवा, रायपुर, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन

गये 90609 वाहनों में से 27552 वाहन (30 प्रतिशत) निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण करते पाये गये, इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

30 प्रतिशत वाहन निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित कर रहे थे।

वर्ष	परिवीक्षित वाहनों की कुल संख्या	सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की कुल संख्या	सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों का प्रतिशत
1996-97	18805	5718	30
1997-98	18430	5970	32
1998-99	19709	5948	30
1999-2000	17960	5619	31
2000-2001	15705	4297	27
योग	**90609**	**27552**	**30**

यह भी पाया गया कि ग्वालियर, दुर्ग एवं भोपाल में वाहनों का उत्सर्जन स्तर अन्य नगरों की तुलना में बहुत अधिक था। इस सम्बन्ध में परिवहन अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के ब्यौरे मण्डल के पास उपलब्ध नहीं थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर ने बताया कि 1996–2001 के दौरान ग्वालियर नगर में अत्यधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले 919 वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण पत्र निरस्त किये गये। सड़क पर उन्हें चलाने से रोकने के लिये आगे की कार्यवाही यातायात पुलिस को करनी है। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, परिवहन अधिकारियों तथा यातायात पुलिस के बीच समन्वय की कमी के कारण ऐसे वाहनों से प्रदूषण फैलना जारी रहा (दिसम्बर 2001)।

3.2.6.3 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता परिवीक्षण

वायु के नमूनों के विश्लेषण में 20 से 26 प्रतिशत के मध्य कमी हुई।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने चयनित नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता के परिवीक्षण की परियोजना 1984 में आरंभ की थी। मण्डल 1987 से इस योजना के अधीन परिवेशी वायु गुणवत्ता का परिवीक्षण कर रहा था। 8 नगरों * में स्थित 19 केन्द्रों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का परिवीक्षण 3 मानदण्डों यथा निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह, (एस.पी.एम.) सल्फर डॉय– ऑक्साइड (SO_2) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के आधार पर किया गया। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता केन्द्रों की संख्या	जाँच हेतु नमूनों की संख्या	संग्रहीत नमूनों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
8 नगरों में 19 केन्द्र	निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह 5928	निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह 4752	1176	20
	सल्फर डॉय– ऑक्साइड 11856	सल्फर डॉय– ऑक्साइड 8820	3036	26
	नाइट्रोजन ऑक्साइड 11856	नाइट्रोजन ऑक्साइड 8876	2980	25

* भोपाल, भिलाई, इन्दौर, जबलपुर, कोरबा, नागदा सतना एवं उरला (रायपुर)

लक्ष्यों के विरुद्ध कमी का कारण उपकरणों का खराब होना तथा भारी वर्षा बताया गया।

परिणामों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह (एस.पी.एम.) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक थी। 1996–2001 के दौरान पाया गया कि कुछ राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता परिवीक्षण केन्द्रों में निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह की अधिकतम मात्रा निम्नानुसार थी :–

विश्लेषण से प्रकट हुआ कि भिलाई, इन्दौर तथा भोपाल अत्यधिक प्रदूषित नगर थे।

क्रम संख्या	नगर का नाम	निर्धारित निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह (एस.पी.एम.)	विश्लेषण का माह	पाया गया अधिकतम निलम्बित पदार्थ कण समूह	आधिक्य का प्रतिशत
1.	भोपाल	150	मार्च 2000	773	415
2.	दुर्ग (भिलाई)	150	जनवरी 2000	1556	937
3.	इन्दौर	150	मार्च 2000	848	465
4.	जबलपुर	150	मार्च 2000	588	292
5.	रायपुर	150	मार्च 2000	583	289

इस प्रकार भिलाई, इन्दौर एवं भोपाल अत्यधिक प्रदूषित नगर पाये गये। यद्यपि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता परिवीक्षण योजना के अधीन वायु परिवीक्षण के लिये ग्वालियर का चयन नहीं किया गया था तथापि क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच के समय यह पाया गया कि निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह की मात्रा दिसम्बर 2000 में 1285 एवं मई 2001 में 1306 थी जो निर्धारित सीमा से 757 एवं 771 प्रतिशत अधिक थी।

प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा में लाने के लिये कोई उपचारी कार्यवाही तथा सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये।

3.2.6.4 वायु गुणवत्ता परिवीक्षण और उद्योगों का निरीक्षण

(i) वार्षिक लक्ष्य प्राप्त न करना

5 क्षेत्रों में वायु के नमूनों के विश्लेषण की अत्यधिक कमी के कारण वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के उद्देश्य विफल हो गये।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह अपेक्षित था कि मण्डल वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिये नियत कालिक निरीक्षण करें।

मण्डल ने उद्योगों के निरीक्षण के लिये कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये परन्तु मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों ने उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अपने निष्पादन हेतु केवल वार्षिक परिवीक्षण लक्ष्य प्रस्तावित किए थे। भोपाल, दुर्ग, ग्वालियर, इन्दौर तथा जबलपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच से यह भी प्रकट हुआ कि परिवीक्षित उद्योगों की संख्या मण्डल द्वारा वार्षिक पैकेजों में दिये गये लक्ष्यों के 19 से 73 प्रतिशत के मध्य थी। 1996–97 से 2000–01 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्य, संग्रहीत नमूने तथा विश्लेषण की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	निर्धारित लक्ष्य	वस्तुतः संग्रहीत नमूने और उनका विश्लेषण	कमी तथा कमी का प्रतिशत
1.	भोपाल	548	146	402(73)
2.	दुर्ग	942	361	581(62)
3.	ग्वालियर	886	681	205(23)
4.	इन्दौर	1095	717	378(35)
5.	जबलपुर	482	394	88(18)

अत्यधिक कमी का कारण भारी वर्षा, विद्युत की खराबी और नमूने में प्रयुक्त उपकरणों में गड़बड़ी तथा खराबी होना बताया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वायु के नमूनों के संग्रहण में भारी कमी के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा का विनिर्णय नहीं किया जा सकता था और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपचारी उपाय नहीं किये जा सकते थे। इस प्रकार वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का उद्देश्य विफल हो गया।

(ii) ताप विद्युत संयंत्रों में अधिक उत्सर्जन

प्रदूषकों के अधिक उत्सर्जन के कारण अधिक वायु प्रदूषण हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि ताप विद्युत संयंत्रों में निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह का उत्सर्जन स्तर सीमा से बहुत अधिक था यद्यपि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण यथा इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर तथा बैग फिल्टर लगाये गये थे। 1996–2000 तक की अवधि के दौरान कुछ ताप विद्युत संयंत्रों का उत्सर्जन स्तर निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	ताप विद्युत संयंत्र का नाम	निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह का निर्धारित सीमा	नमूने का दिनांक	निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह का अधिकतम उत्सर्जन स्तर	आधिक्य का प्रतिशत
1.	सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र सारणी	150	फरवरी 2000	849	466
2.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल (पूर्व) ताप विद्युत संयंत्र,कोरबा	150	फरवरी 2000	643	329
3.	– तदेव – (पश्चिम)	150	जनवरी 1999	608	305

यद्यपि मण्डल ने इन विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण एवं वायु परिवीक्षण किया था फिर भी उत्सर्जन स्तर निर्धारित स्तर के भीतर नहीं लाया जा सका । इसका उल्लेख करने पर सदस्य सचिव ने सूचित किया कि ताप विद्युत संयंत्र और उड़ने वाली राख के नियंत्रण हेतु स्थापित इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर पुराने डिजाइन के थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर वायु प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बदले/सुधारे जाने चाहिए थे।

(iii) सीमेन्ट संयंत्रों में वायु प्रदूषकों का अधिक उत्सर्जन

सीमेन्ट की धूल के अधिक उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि सीमेन्ट संयंत्रों के आसपास का पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित था। वायु में निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह स्वीकार्य सीमा से अधिक था। 1996–97 से 2000–01 तक की अवधि के दौरान कुछ सीमेन्ट उद्योगों में निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है :–

क्रम संख्या	सीमेन्ट उद्योग का नाम	निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह की निर्धारित सीमा	नमूना लेने का दिनांक	अभिलेखित निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह का अधिकतम स्तर	अधिकतम स्तर का प्रतिशत
1.	मोदी सीमेन्ट, रायपुर	150	मार्च 1998	2344	1463
2.	ग्रेसिम सीमेन्ट, रायपुर	150	अप्रैल 1998	272	81
3.	मेहर सीमेन्ट	150	सितम्बर 2000	1045	597
4.	प्रिज्म सीमेन्ट, सतना	150	नवम्बर 1999	556	271
5.	बिरला कारपोरेशन लिमिटेड (सीमेन्ट डिवीजन), सतना	150	सितम्बर 1999	1269	746

इस प्रकार सीमेन्ट की धूल का उत्सर्जन, निर्धारित निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह की सीमा से बहुत अधिक था और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की नियमित जांच भी यह सुनिश्चित करने के लिये नहीं की गई थी कि वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यद्यपि ये इकाइयां/ संयंत्र सहमति के अधीन परिचालित थे तथापि मण्डल ने इन उद्योगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई। इस ओर इंगित किए जाने पर मण्डल ने सूचित किया कि औद्योगिक इकाईयों को नोटिस दिये गये हैं।

(iv) अन्य उद्योगों में अधिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन

नमूना जांच से यह भी प्रकट हुआ कि कुछ उद्योगों के आसपास वायु प्रदूषण का उत्सर्जन स्तर बहुत अधिक था। कुछ प्रमुख उद्योग जिनमें 1996–97 से 2000–01 के दौरान वायु प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पाया गया था, के वायु नमूनों के विश्लेषण परिणाम निम्नानुसार हैं :–

उद्योगों में वायु प्रदूषकों की मात्रा अत्यधिक थी। उसे नियंत्रित करने के लिये प्रभावी पग नहीं उठाये गये।

क्रम सं.	उद्योग का नाम	निर्धारित सीमा	माह	पाये गये अधिकतम निलम्बित विविध पदार्थ कण समूह	अधिक उत्सर्जन का प्रतिशत
1.	एचईजी लिमिटेड बोरल, दुर्ग	150	फरवरी 2000	1414	843
2.	डीएमसी कुम्हारी, दुर्ग	150	जून 2000	836	457
3.	भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई,दुर्ग	150	दिसम्बर 2000	2342	1461
4.	टाटा इन्टरनेशनल लिमिटेड, देवास	150	सितम्बर 2000	1677	1018
5.	मराल आवरसीज लिमिटेड, देवास	150	जनवरी 1998	520	247
6.	एस.कुमार देवास	150	अगस्त 1998	1841	1127
7.	रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज, देवास	150	सितम्बर 1998	2480	1553
8.	एचआर जॉनसन लिमिटेड, देवास	150	नवम्बर 2000	2896	1831
9.	लीलासन ब्रवरीज लिमिटेड, भोपाल	150	फरवरी 1998	955	537

सदस्य सचिव ने सूचित किया (जून 2001) कि उद्योगों को आवश्यक पग उठाने हेतु नोटिस जारी किये गये थे। यह स्पष्ट है कि चूककर्ता उद्योगों के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही भी आरंभ नहीं की गई थी।

3.2.6.5 वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित न करना

वायु अधिनियम की धारा 21(5) के अधीन औद्योगिक संयंत्र के लिये ऐसी विशिष्टियों वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना या चलाना अनिवार्य है जो मण्डल ने निर्धारित किये हों।

32 वृहद् उद्योगों तथा 760 लघु उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए।

यह पाया गया कि यद्यपि 583 वृहद्/ मध्यम तथा 2192 लघु उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना अपेक्षित था तथापि केवल 551 वृहद्/ मध्यम तथा 1432 लघु उद्योगों ने ही मार्च 2001 तक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये थे। सदस्य सचिव ने सूचित किया कि लघु उद्योग वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे तथा 32 वृहद् उद्योगों से वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिये कहा जा रहा है।

3.2.7 अपशेष प्रबन्धन

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 6, 8 एवं 25 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने निम्नांकित नियम बनाए :

खतरनाक अपशेष (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली 1989 ।
खतरनाक रसायनों के निर्माण, भण्डारण तथा आयात नियमावली 1989,
जैव चिकित्सीय अपशेष, (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली 1998 और
ठोस अपशेष (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली 2000

ठोस अपशेष को छोड़कर इन नियमों को लागू करने का दायित्व मण्डल को सौंपा गया है।

3.2.7.1 जैव चिकित्सीय अपशेष का प्रबंधन

चिकित्सालयों तथा उपचार गृहों आदि में उत्पन्न अपशेष में मानव शरीर सम्बन्धी अपशेष, सूक्ष्म जैविकी अपशेष, नोकदार अपशेष, फैंकी हुई औषधियां, ठोस एवं तरल अपशेष, रासायनिक अपशेष आदि सम्मिलित हैं। प्रदूषण से बचने के लिए अपशेष का भण्डारण, उपचार तथा निपटान के पूर्व उसे अन्य अपशेषों के साथ मिलाना नहीं चाहिए। जैव चिकित्सीय अपशेष का उपचार तथा निपटान 48 घण्टे की अवधि के अंदर किया जाना चाहिये। अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुये :–

(क) चिकित्सालयों में निर्दाहकों का स्थापन न करना/ कार्य न करना

चिकित्सालयों में निर्दाहकों के न लगाने/ कार्य न करने के कारण जैव चिकित्सीय अपशेष उचित रूप से निपटाये नहीं जा सके।

जैव चिकित्सीय अपशेष प्रबंधन नियमावली 1998 के नियम 5 के अनुसार 500 तथा इससे अधिक बिस्तर वाले चिकित्सालयों तथा उपचार गृहों द्वारा जैव चिकित्सीय अपशेष के उपचार के लिये निर्दाहकों, भाप सह पात्र (ऑटो क्लेव) तथा माइक्रोवेव ओवन आदि 30 जून 2000 तक लगाना अपेक्षित था। 200 तथा इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों/उपचार गृहों में 31 दिसम्बर 2000 तक इन उपकरणों को लगाना था। राज्य में स्थित छह अस्पतालों में से यद्यपि 4 ने इन्सीनेरेटर लगाये थे तथापि केवल 3 इन्सीनेरेटर हमीदिया अस्पताल भोपाल, एम.वाई.अस्पताल इन्दौर, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जबलपुर में कार्य कर रहे थे।

(ii) संचालक चिकित्सा शिक्षा 1999–2000 के पूरक बजट में 30 लाख रुपये के बजट प्रावधान के बाबजूद ग्वालियर एवं रायपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये निर्दाहकों का क्रय नहीं कर सके क्योंकि सरकार ने निधियां प्रदान नहीं की थीं तथापि ग्वालियर के लिये निर्दाहक क्रय करने हेतु 2000–01 में 18.78 लाख रुपये का पुनः प्रावधान किया गया था। राशि

आहरित की गई और 31 मार्च 2001 को लघु उद्योग निगम के वैयक्तिक खाते में जमा कर दी गई। लघु उद्योग निगम ने नवम्बर 2001 तक निर्दाहक प्रदाय नहीं किया है। रायपुर के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में स्थापित निर्दाहक ने अभी कार्य करना आरंभ नहीं किया ।

(iii) यद्यपि मण्डल ने मध्यप्रदेश में निर्दाहक लगाने के लिये 200 से 500 बिस्तर की क्षमता वाले 27 अस्पताल चिन्हित किये थे तथापि इनमें से किसी भी अस्पताल में ऐसी कोई सुविधा जुटाई नहीं गई थी। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने सूचित किया कि जैव चिकित्सीय अपशेष प्रबंधन और निपटान के नियमों का पालन करने के लिए ऐसी समस्त इकाइयों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एम.वाई.अस्पताल, इन्दौर को छोड़कर किसी भी चूककर्ता इकाई के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, (1986) के प्रावधानों और 1998 में उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप 31 दिसम्बर 2000 के पश्चात् दाण्डिक कार्यवाही करने में विफल रहा।

(ख) जैव चिकित्सीय अपशेष प्रबंधन तथा निपटान नियमों के प्रावधानों का पालन न करना

सरकारी अस्पतालों तथा उपचार गृहों ने चिकित्सीय अपशेष का निपटान करते समय निर्धारित नियमों की अवज्ञा की।

(i) जैव चिकित्सीय अपशेष नियमावली 1998 के नियम 6 के अनुसार अपशेष पृथक डिब्बों/ थैलों में अलग किया जाना चाहिये और अपशेष के उत्पन्न होने के स्थान पर ही उन पर लेबल लगाया जाना चाहिये तथा किसी भी अपशेष का भण्डारण 48 घण्टों से अधिक समय तक नहीं किया जाना चाहिए।

8 सरकारी अस्पतालों * 10 बड़े नर्सिंग होम** ने जैव चिकित्सीय अपशेष अन्य अपशेषों में मिला दिया और परिसर में एकत्रित कर दिया अथवा खुले में जला दिया या उसे नगर पालिका के कूड़े के डिब्बे में फैंक दिया। नगर पालिका निकाय अपशेष के निपटान के लिए कूड़े के ढेर को अपशेष एकत्रीकरण स्थल तक ले जाने के लिए इसे रोजाना एकत्रित नहीं करते और न ही ढोते हैं। इस कारण जैव चिकित्सीय अपशेष अस्पताल परिसर/नगर पालिका के कूड़ेदान में कई दिनों तक पड़ा रहता है और प्रदूषण फैलाता रहता है।

(ii) अस्पताल के अपशिष्ट जल में रसायन तथा तरल अपशेष मिले रहते हैं और उसे बिना उपचार के अथवा संक्रमण रहित किये बिना सीवर लाइनों से पास के नाले/ नदियों में सीधे बहा दिया जाता है। इसके कारण नदी के जल में प्रदूषण और संक्रमण फैलता है।

* *हमीदिया अस्पताल, भोपाल, जे.पी. अस्पताल, भोपाल, सुलतानिया जनाना अस्पताल, भोपाल, इन्दिरा गांधी अस्पताल, भोपाल, टी.बी. अस्पताल, भोपाल, जे.ए.ग्रुप ऑफ हास्पीटल, ग्वालियर, एम. वाई.अस्पताल, इन्दौर, ई.एस.आई.अस्पताल, इन्दौर।*

** *निवेदिता मैटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम, भोपाल, भिलाई, अस्पताल, भिलाई, ठाकुर अस्पताल ग्वालियर, चौइथराम अस्पताल, इन्दौर, गोकुलदास अस्पताल, इन्दौर, सुयश अस्पातल इन्दौर, गीता भवन अस्पताल इन्दौर, जबलपुर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र जबलपुर, रॉयल अस्पताल ग्वालियर, पुष्पा कुंज अस्पताल इन्दौर*

(ग) अस्पतालों को अनुचित रूप से प्राधिकृत किया जाना

जैव चिकित्सीय अपशेष के भंडारण, प्रबंधन एवं निपटान हेतु अस्पतालों को उस अवधि के लिये प्राधिकृत किया जाना जो पहले ही वीत चुकी थी।

जैव चिकित्सीय अपशेष उत्पन्न करने वाले, एकत्रित करने वाले, प्राप्त करने वाले, भण्डारण करने वाले, उपचार करने वाले, तथा/ अथवा निपटान करने वाले संस्थान के प्रत्येक अधिकारी को मण्डल से निर्धारित प्राधिकार प्राप्त करना चाहिये।

अभिज्ञापित 1098 संस्थानों में से केवल 289 संस्थानों ने ही मण्डल से आवेदन किया और मण्डल ने केवल 14 संस्थानों को प्राधिकार दिया। शेष संस्थान बिना किसी प्राधिकार के कार्य कर रहे थे।

14 संस्थानों में से छह संस्थानों को एक वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई प्राधिकार दिया गया था जो पहले ही समाप्त हो चुका था।

प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया क्योंकि ये संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उन्होंने जैव चिकित्सीय अपशेष के प्रबंधन तथा निपटान के लिये आवश्यक व्यवस्था नहीं की थी। इन सभी प्रकरणों में प्राधिकार देने के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये प्राधिकार दिया गया था। पूर्ववर्ती वर्ष (अवधि) हेतु प्राधिकार देने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इन अस्पतालों में से किसी के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई।

(घ) एम.वाई. हास्पिटल, इन्दौर में निर्दाहक के चलाने में अनियमितताएं

निर्दाहक नियमित रूप से न चलाने के कारण जैव चिकित्सीय अपशेष का निपटान नहीं किया जा सका। निर्दाहकों के चालन संबंधी मानकों का पालन नहीं किया गया।

(i) नियमानुसार कोई भी जैव चिकित्सीय अपशेष 48 घण्टों से अधिक अनुपचारित रूप में नहीं रखा जाना चाहिये। एम.वाई. हास्पिटल, इन्दौर के प्रकरण में यह पाया गया कि निर्दाहक 3 मई 1999 से 11 जनवरी 2001 के बीच 317 दिन निष्क्रिय रहा। अन्य शब्दों में अस्पताल जैव चिकित्सीय अपशेष का यथा निर्धारित निपटान करने में विफल रहा। अधीक्षक एम.वाई. हास्पिटल ने इसे स्वीकार किया (दिसम्बर 2000)।

(ii) निर्दाहकों के लिये निर्धारित मानक मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक प्रकोष्ठ का तापमान 800° सेन्टीग्रेड ± 50° सेन्टीग्रेड तथा अनुषंगी प्रकोष्ठ का तापमान 1050° सेन्टीग्रेड ± 50° सेन्टीग्रेड होना चाहिये परन्तु इन्दौर स्थित निर्दाहक के प्राथमिक एवं अनुषंगी प्रकोष्ठों की लॉग बुक के अनुसार तापमान क्रमशः 500° सेन्टीग्रेड एवं 1000° सेन्टीग्रेड था। इस प्रकार निर्दाहकों के चालन सम्बन्धी मानकों का पालन नहीं किया गया।

3.2.7.2 ठोस अपशेष का प्रबन्धन

(क) निपटान स्थलों की पहचान एवं विकास

स्थलों का विकास न करने के कारण खतरनाक अपशेष का निपटान नहीं किया जा सका ।

मण्डल को खतरनाक अपशेष के निपटान के लिये स्थल का विकास करना होता है परंतु कोई समय सूची निर्धारित नहीं की गई। मार्च 2000 तक 10 स्थल चिन्हित किये गये थे तथापि केवल तीन स्थलों अर्थात् इन्दौर, राजगढ़ एवं जबलपुर का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अध्ययन किया गया था। यद्यपि ये स्थल अधिसूचित किये जा चुके थे फिर भी मण्डल को विकास के लिये कोई भी स्थल हस्तांतरित नहीं किया गया ।

(ख) शहरी अपशेष प्रबंधन

ठोस अपशेष अथवा नगरपालिका अपशेष में नगर पालिका के क्षेत्र में उत्पन्न वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशेष सम्मिलित हैं। नगर पालिकाओं के अधिकारियों और शहरी विकास विभाग पर ठोस अपशेष के निपटान का उत्तरदायित्व है।

(i) प्राधिकार प्राप्त न करना

न तो अपशेष के प्रवंधन/ निपटान के लिये कोई कार्य योजना तैयार की गई और न अपशेष संसाधन तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिये प्राधिकार ही प्राप्त किया गया।

ठोस अपशेष (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली 2000 के नियम 4 के अनुसार नगर पालिका के प्रत्येक अधिकारी को शहरी ठोस अपशेष के उपचार एवं निपटान की सुविधाएं स्थापित करने के लिये मण्डल से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिये। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर स्थित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान प्रकट हुआ कि इन नगर पालिकाओं के अधिकारियों ने प्राधिकार के लिये आवेदन नहीं किया था और शहरी ठोस अपशेष के प्रबंधन एवं निपटान के लिये कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

सदस्य सचिव ने उत्तर दिया कि नगर पालिका अधिकारियों का ध्यान नियमों की ओर आकृष्ट किया गया था तथापि स्थानीय निकायों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ii) निधियों का प्रावधान न करना

ठोस अपशेष के प्रबंधन तथा निपटान के लिये निधियां प्रदान नहीं की गई।

शहरी विकास विभाग, भोपाल में अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि ठोस अपशेष प्रबंधन के लिये 1995–96 एवं 2000–01 के मध्य कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। सोलह नगर पालिका निगमों/ समितियों के शहरी क्षेत्र के ठोस अपशेष की खाद प्रक्रिया के लिये प्रस्ताव बनाये थे। निधियों तथा उचित योजना के अभाव में अपशेष रोग फैलाने के लिये पड़ा रहा ।

3.2.8 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

मण्डल ने निरीक्षण के कोई वार्षिक लक्ष्य तथा नियतकालिकता निर्धारित नहीं की और न अपने अधिकारियों द्वारा संचालित परिवीक्षण एवं निरीक्षण भ्रमण के कोई अभिलेख/ ब्यौरे ही रखे।

मण्डल ने आरंभ से ही न तो अपने कार्य का स्वयं ही मूल्यांकन किया और न किसी अन्य एजेन्सी से ही मूल्यांकन कराया।

उपर्युक्त तथ्यों की सूचना सरकार को जुलाई 2001 में दी गई, उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2002)।

जन शक्ति नियोजन विभाग

3.3 मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्य प्रणाली

मुख्यांश

शिक्षित युवाओं को राज्य की औद्योगिक इकाइयों में लाभप्रद रोजगार के लिये औद्योगिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देने के मुख्य उद्देश्य से शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1950 में आरंभ किया गया था।

योजना की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों तथा आधार संरचना के अभाव और कतिपय व्यवसायों आदि के लिये प्रशिक्षुओं की अनुपलब्धता के कारण 3 से 6 संस्वीकृत व्यवसायों के स्थान पर केवल एक व्यवसाय का चलना पाया गया। यद्यपि 1996-2001 के दौरान 47 से 66 प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था तथापि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में लाभदायक रोजगार प्राप्त करने की दर अत्यल्प थी। प्राचार्य तथा उप प्राचार्य के 55 से 70 प्रतिशत और अनुदेशक कर्मचारियों के 32 से 52 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए थे। विभाग ने योजना का कार्यान्वयन उत्साह रहित ढंग से किया और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार के कोई प्रयास नहीं किये गये ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के 5 अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने के लिये निधियों का विमोचन न करने के कारण 5.48 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

(कण्डिका 3.3.5.1)

भारत सरकार से प्राप्त 6.16 करोड़ रुपए की निधियां अनियमित रूप से राज्य प्राप्तियों (1.01 करोड़ रुपए) तथा सिविल निक्षेप (5.15 करोड़ रुपए) में जमा की गईं।

(कण्डिका 3.3.5.2)

सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत 47 से 66 था,जिसमें से 1996–2001 के दौरान केवल 7.23 प्रतिशत अभ्यर्थियों को ही लाभदायक रोजगार प्राप्त हो सका।

(कण्डिका 3.3.6)

कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बन्द हो जाने के कारण मशीनरी पर किया गया 79.67 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

(कण्डिका 3.3.8)

लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों के निर्माण हेतु प्रदत्त 3.43 करोड़ का अव्ययित शेष जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से वसूल नहीं हो पाया।

(कण्डिका 3.3.9.2)

प्राचार्य/उप प्राचार्य और अनुदेशक कर्मचारी संवर्ग में अत्यधिक रिक्त पदों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निष्पादन प्रभावित किया।

(कण्डिका 3.3.10)

3.3.1 प्रस्तावना

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना भारत सरकार ने 1950 में विभिन्न व्यवसायों में कुशल कार्मिकों का अनवरत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये आरंभ की थी। प्रारंभ में प्रशिक्षण की लागत केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य बांटी गई थी। अप्रैल 1969 से संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया (अगस्त 1956) और उसे मानक तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा। राष्ट्रीय परिषद की सहायता के लिये राज्य परिषद तथा व्यवसाय समितियों की स्थापना की गई।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये विभिन्न व्यवसायों* में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा शिक्षित युवाओं के मध्य बेरोजगारी कम करना था। इस उद्देश्य के लिये मानव संसाधन विकास विभाग के अधीन जनशक्ति नियोजन विभाग बनाया गया। इसके अतिरिक्त "स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण" (ट्रायसेम) योजना के अधीन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें चलाई जा रही थीं, उन्हें भी 1999–2000 के दौरान जनशक्ति नियोजन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया (अगस्त 1999)।

* ***औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये स्वीकृत व्यवसाय***

इलेक्ट्रीशियन, पेन्टर, इलेक्ट्रोनिक्स, मशीनिस्ट, आर.टी.वी., फिटर, सर्वेयर, टर्नर, वायरमेन, मोटर मैकेनिक, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, ट्रेक्टर मैकेनिक, मोल्डर, मैसन, सीटमेटल, कटिंग एण्ड टेलरिंग, हेण्ड कम्पोजीशन, वेल्डर, हैण्डवीविंग, नीडल एम्ब्रायडरी, फुटवीयर, वाच एण्ड क्लॉक मेकर, टूल एण्ड डाइ मेकर, मशीन ग्राइण्डर, प्लम्बर, इक्युपमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टसमेन मैकेनिकल, हिन्दी स्टेनो, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कम्प्यूटर, सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस आदि।

लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए स्वीकृत व्यवसाय

इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रोनिक्स, फिटर, ड्रेस मेकिंग, वेल्डर, रेडियो एण्ड टी.वी. ,मैसन, कटिंग एण्ड टेलरिंग, डाटा प्रिपरेशन एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर, कारपेन्टर, ड्राफ्टसमेन, हिन्दी स्टेनोग्राफी, रेफ्रिजिरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग, कम्प्यूटर आपरेटिंग एण्ड प्रोग्राम असिस्टेण्ट।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

सचिव, शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के संपूर्ण पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा परिवीक्षण के लिये उत्तरदायी हैं। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, जबलपुर कार्यक्रम कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी हैं। संयुक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण संभागीय स्तर पर विभिन्न अधिकारियों और कार्यान्वयन अभिकरणों के मध्य समन्वय के लिये तथा कार्यक्रम के उचित परिवीक्षण के लिये उत्तरदायी हैं। प्राचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने स्तर पर कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं।

3.3.3 लेखापरीक्षा समावेशन

संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य में अक्टूबर 2000 तक 111 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा 63 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें थीं तथापि 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं तथा 23 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं नव सृजित छत्तीसगढ़ राज्य को निम्न विवरण के अनुसार हस्तांतरित कर दी गई।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाओं की संख्या	लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या	लघु औद्योगिक संस्थाओं की संख्या जो चल नहीं रही हैं
1.	मध्यप्रदेश	89*	37	3
2.	छत्तीसगढ़	22	13	10
	योग	**111**	**50**	**13**

मध्यप्रदेश (उत्तराधिकारी राज्य) में स्थित संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, जबलपुर, 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा 14 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच फरवरी से अगस्त 2001 के दौरान की गई।

3.3.4 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

219.30 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध विभाग ने 156.24 करोड़ रुपये व्यय किये और 63.06 करोड़ रुपए का अप्रयुक्त शेष छोड़ा जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(राशि : करोड़ रुपयों में)

उपलब्ध निधियों की 29 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त रहने से योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

क्रम संख्या	वर्ष	कुल बजट आवंटन	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	कुल व्यय (विभागीय आंकड़े)	विनियोग लेखे तथा विभागीय आंकड़ों में अन्तर	विनियोग लेखे के अनुसार बचत
1	1996-97	40.15	22.51	23.11	(+) 0.60	17.64
2	1997-98	41.59	29.52	25.71	(-) 3.81	12.07
3	1998-99	44.89	30.75	30.37	(-) 0.38	14.14
4	1999-2000	56.05	38.33	32.65	(-) 5.68	17.72
5	2000-2001	36.62	35.13	23.55	(-) 11.58	1.49
योग		**219.30**	**156.24**	**135.39**	**(-) 20.85**	**63.06**

* जनजाति कल्याण विभाग की 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें 2000–01 में जनशक्ति नियोजन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई।

63.06 करोड़ रुपयों की निधियों (29 प्रतिशत) का उपयोग करने में विभाग की विफलता से कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। बचत का कारण (i) संस्वीकृत व्यवसायों का न चलाना (ii) रिक्त पद न भरना और (iii) औजार एवं संयन्त्रों के क्रय पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे में दर्शाये तथा विभाग द्वारा सूचित आंकड़ों के मध्य 20.85 करोड़ रुपये का ऐसा अन्तर था जिसका मिलान नहीं किया गया।

3.3.5 वित्तीय अनियमितताएं

3.3.5.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अपूर्ण भवनों पर 5.48 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय

5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवनों के लिये निधियां प्रदान न करने के कारण 5.48 करोड रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

राज्य सरकार ने 1992–93 से 1996–97 के दौरान सिवनी, खरगौन, रायपुर, झाबुआ तथा मनगवाँ (रीवा) में 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवनों के निर्माण के लिये 8.61 करोड़ रुपए की प्रशासनिक संस्वीकृति जारी की तथापि मात्र 3.75 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराये। अगस्त 2001 तक 5.48 करोड़ रुपए का व्यय किया गया और 14.26 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किये गये। राज्य सरकार ने 1996–97 से कोई और राशि विमोचित नहीं की और 5.48 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल हो गया। निधियों के अभाव में अपूर्ण भवनों के खराब होने की सम्भावना है।

3.3.5.2 भारत सरकार की निधियों को अनियमित रूप से राज्य प्राप्तियों में जमा करना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिये भारत सरकार से प्राप्त निधियां अनियमितरूप से राज्य प्राप्तियों (1.01 करोड़ रुपये) तथा सिविल निक्षेप (5.15 करोड़ रुपये) में जमा की गई।

भारत सरकार ने विश्व बैंक योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिये 6.16 करोड़ रुपए की निधियां प्रदान कीं परन्तु विभाग ने 1.01 करोड़ रुपए अनियमित रूप से राज्य सरकार की प्राप्तियों में और 5.15 करोड़ रुपए सिविल निक्षेप में जमा कर दिए जो बाद में 1990–2000 के दौरान राज्य सरकार को व्यपगत हो गये। इससे न केवल राज्य प्राप्तियां बढ़ गईं अपितु इससे यह भी प्रकट हुआ कि सिविल निक्षेप के अधीन जमा केन्द्रीय निधियां भी राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति में सुधार के लिये व्यपगत हो जाने दी गईं।

क्रम संख्या	वर्ष	योजना का नाम जिसके लिये राशि प्राप्त हुई	राशि (करोड़ रुपयों में)	सिविल निक्षेप में रखी गई/राज्य प्राप्तियों में जमा की गई	जमा का दिनांक/माह
1.	1990-91 से 1997-98	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण (विश्व बैंक योजना)	5.15	सिविल निक्षेप	
2.	1997-98	आठ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण (विश्व बैंक योजना)	0.78	*प्राप्ति शीर्ष में जमा*	3.8.1998
3.	1997-98	– तदैव –	0.02 0.04 0.07	–तदैव–	12.10.1999 12.10.1999 27.12.1999
4.	1996-97	*–तदैव – अनुदान संख्या 41/64 विशेषाश योजना – अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति*	0.08	–तदैव–	30.11.1998
5.	1999-2000	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण (विश्व बैंक योजना)	0.02	–तदैव–	2.7.1999
	योग		**6.16**		

संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने सूचित किया कि उपर्युक्त कार्यवाही सरकार के निर्देशानुसार की गई थी।

3.3.5.3 वेतन एवं भत्तों पर 29.30 लाख रुपए का अनियमित व्यय

असंस्वीकृत व्यवसायों के शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (29.30 लाख रुपए) अनियमित था।

राज्य सरकार ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इन्दौर के लिये तीन व्यवसायों यथा स्टेनो हिन्दी, सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस तथा कम्प्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेण्ट की संस्वीकृति दी। अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1992–93 से कम्प्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेण्ट के स्वीकृत व्यवसाय के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय यथा टेलीविजन, रेडियो मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन, एअर कण्डिशनिंग आदि में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय के अनुदेशक कर्मचारियों को असंस्वीकृत व्यवसाय पर 11.08 लाख रूपये (लगभग) के वेतन एवं भत्तों का अनियमित भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त तीन औद्योगिक प्रशिक्षण* संस्थाओं में अगस्त 1997 से अगस्त 1999 के दौरान पूर्व में ही बन्द हो चुके 5 व्यवसायों (हथ करघा, मोल्डर, आरटीवी, सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस तथा निटिंग) के कर्मचारियों को 18.22 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के बन्द व्यवसायों के कर्मचारियों को अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/व्यवसायों को स्थानान्तरित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3.3.6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निष्पादन

1996-2001 के दौरान मात्र 4.2 प्रतिशत प्रशिक्षित/उत्तीर्ण कार्मिक उक्त अवधि में लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सके।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निष्पादन कार्य निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	प्रशिक्षण सत्र (वर्ष) (अगस्त-जुलाई)	प्रवेश हेतु अपेक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या (स्वीकृत सीटों के अनुसार)	वस्तुतः प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षुओं की संख्या और उनका प्रतिशत	संस्था छोड़कर जाने वालों की संख्या और प्रतिशत की (परीक्षार्थी)	परीक्षा में बैठने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या (परीक्षार्थी) (पिछले वर्षों की परीक्षा में पुनः बैठने वाले प्रशिक्षुओं सहित	उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की संख्या और परीक्षा में बैठे प्रशिक्षुओं की तुलना में प्रतिशत	लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या	उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1996-97	23198	17,210 (74.2)	1630 (9.5)	16462	10877 (66%)	1779	16.4
2	1997-98	23294	17,272 (74.1)	1434 (8.3)	19962	11980 (60%)	1078	8.99
3	1998-99	23342	18,004 (77.1)	2331 (12.9)	20006	11730 (59%)	175	1.5
4	1999-2000	23342	15,273 (65.4)	1052 (6.9)	18244	8552 (47%)	447	5.2
5	2000-2001	18326	12496 (68.2)	983 (7.9)	11513	6793 (59%)	133	2.00
	योग	**111502**	**80255**	**7430**	**86187**	**49932**	**3612 (4.2 %)**	

* *औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खण्डवा, महिला खण्डवा तथा महिला भोपाल*

शाला छोड़ कर जाने वाले प्रशिक्षुओं के बावजूद परिक्षार्थियों की संख्या विद्यार्थियों से अधिक थी जिससे प्रकट हुआ कि पुनः परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बहुत अधिक थी (13362) जो नवीन विद्यार्थियों की तुलना में 16.6 प्रतिशत और परीक्षा में बैठने वालों की तुलना में 15.5 प्रतिशत थे। सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की संख्या परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की तुलना में मात्र 4.2 प्रतिशत थीं।

मध्य प्रदेश स्थित 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 13 में केवल एक व्यवसाय ही चल रहा था।

3.3.7 व्यवसायों के चलाने में कमी

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में संस्वीकृत 3 से 6 व्यवसायों के विरुद्ध उत्तराधिकारी राज्य की 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मात्र 1 से 2 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

3.3.8 79.67 लाख रुपये मूल्य की निष्क्रिय मशीनरी

17 व्यवसाय बन्द हो जाने के कारण 79.67 लाख रुपए मूल्य की मशीनें एवं औज़ार निष्क्रिय रहे।

79.67 लाख रुपये की मशीनें/औजार, उपकरण अगस्त 1996 से अगस्त 1999 के दौरान लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं सहित 25* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 17 औद्योगिक व्यवसाय न पढ़ाये जाने/बन्द होने जाने के कारण निष्क्रिय पड़े थे।

व्यवसायों को बन्द करने का कारण व्यवसाय का अलोकप्रिय होना, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्(एनसीवीटी) से सम्बद्धता न होना तथा इन व्यवसायों में अभ्यर्थियों की रुचि का अभाव होना बताया गया।

3.3.9 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

3.3.9.1 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना

स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण योजना (ट्रायसेम) के अधीन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विशेषज्ञ समिति ने प्रत्येक विकास खण्ड में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की अनुशंसा (अक्टूबर 1995) की थी और प्रत्येक लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में क्षेत्र के अनुरूप 3–4 चयनित व्यवसायों/ उद्यमों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी थी। व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य बांटा जाना था। राज्य सरकार द्वारा योजना इस प्रकार बनाई जानी थी कि प्रत्येक लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विकास खण्ड के 3–4 निरन्तर समूहों को अधिकतम व्यवसायों में प्रशिक्षण दे सके। इस प्रकार एक प्रशिक्षु उसके विकास खण्ड में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

* *(महिला जबलपुर, मॉडल भोपाल, महिला भोपाल, लघु औ.प्र.सं.बरगी, बैरसिया, खण्डवा, महिला खण्डवा, गंज बासौदा, गाडरवाडा, तेन्दूखेड़ा, नोहटा, बलदेवगढ़, बड़ामालेहरा, बीना, चाचोड़ा, कुम्भराज, सुसनेर, महीदपुर, बड़नगर, शामगढ़, उज्जैन, महिला उज्जैन, धामनोद, अलोट, करही)।*

में वांछित व्यवसाय में प्रशिक्षण सुविधा विद्यमान न होने पर निकटस्थ विकास खण्ड को भेजा जा सकता था। यह सुनिश्चित करने के लिये अधिकतम सावधानी बरती जानी थी कि कोई भी लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निष्क्रिय न रहे और उसकी क्षमता का समुचित उपयोग किया जाय। लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाने थे तथा प्रशिक्षण उपरान्त उचित अनुसरण के लिये पंजियां भी संधारित करनी थीं।

3.3.9.2 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवनों के निर्माण हेतु निधियों का प्रावधान

भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग ने 1995–96 (प्रथम चरण में) में 60 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा 1997–98 (द्वितीय चरण) में 30 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने की संस्वीकृति प्रदान की थी परन्तु केवल 63 संस्थाएं स्थापित की गई तथापि राज्य के पुनर्गठन पर मध्यप्रदेश (उत्तराधिकारी राज्य) ने अपने पास केवल 40 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ही रखीं थीं।

केन्द्र/राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश में 28 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (प्रथम चरण में संस्वीकृत 60 में से) के लिये 28 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को भवनों के निर्माण तथा मशीनरी/औजारों के क्रय के लिये 1995–96 के दौरान 23 करोड़ रुपये प्रदान किये थे। इसमें से केवल 15.17 करोड़ रुपये ही अगस्त 1999 तक व्यय किये गये।

3.43 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से वसूल न करना।

जून–अक्टूबर 2000 के दौरान विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण जबलपुर को 7.83 करोड़ रुपये के अव्ययित शेष में से केवल 4.40 करोड़ रुपये वापस किये। संचालक प्रशिक्षण एवं रोजगार जबलपुर ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से शेष बचे 3.43 करोड़ रुपये की वापसी के लिये कोई मांग नहीं की। 4.40 करोड़ रुपए में से 1.89 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाते में रखे गये थे।

निष्क्रिय कर्मचारियों तथा आधार संरचना पर 96 लाख रुपए का निष्क्रिय व्यय।

1999–2000 से समस्त 40 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से हस्तांतरित कर जन शक्ति नियोजन विभाग के अंतर्गत संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण जबलपुर को सौंप दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 3 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ने यद्यपि उनके भवन 1997–98 में पूर्ण हो गये थे, अभी भी अपर्याप्त आधार संरचना के कारण कार्य आरंभ नहीं किया है। यह भी कि इन लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये संस्वीकृत कर्मचारी अन्य लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को व्यपवर्तित कर दिये गये। कार्य कर रही 37 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 15 एवं 22 संस्थाएं क्रमशः दो एवं एक व्यवसाय में ही प्रशिक्षण दे रहीं थी। इस प्रकार अक्टूबर 2000 तक भवनों, कार्यशाला सायबानों के निर्माण और मशीनरी, औजार, उपकरणों के क्रय, वेतन एवं भत्तों तथा आकस्मिक व्यय आदि पर 96 लाख रुपए (लगभग) का व्यय, इन 40 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये स्वीकृत व्यवसायों के अनुसार अनुदेशक कर्मचारी नियुक्त/पदस्थ

न किये जाने तथा प्रवेश के लिये आवेदन न मांगे जाने के कारण आंशिक रूप से निष्फल हो गया।

3.3.10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में जनशक्ति प्रबंधन

50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त रहने से कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन से पूर्व राज्य में 111 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं तथा 63 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं थीं। इनमें से 89 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं तथा 3 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (अलोट, न्यू रामनगर तथा महिला निबाली) जो कार्य नहीं कर रहीं थीं, सहित 40 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं उत्तराधिकारी राज्य मध्यप्रदेश ने अपने पास रखीं। राज्य में विभाजन के समय (31 अक्टूबर 2000 को) संस्वीकृत पदों, भरे हुए पदों तथा रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		रिक्त पद	टिप्पणी तथा प्रतिशतता
		संस्वीकृत	पदस्थ		
1.	प्राचार्य श्रेणी–I	20	9	11	55
	प्राचार्य श्रेणी–II	38	20	18	47
2.	उप प्राचार्य	33	10	23	70
3.	उप संचालक	02	--	02	
4.	सहायक संचालक	01	--	01	
5.	प्रशिक्षण अधीक्षक टी/ई	312	176	136	44
6.	प्रशिक्षण अधिकारी टी/ई				
	श्रेणी–I	111	75	36	32
	श्रेणी–II	889	493	396	45
	श्रेणी–III	1362	656	706	52
	प्रशिक्षण सामाजिक अध्ययन श्रेणी–III	42	42	--	
7.	प्रशिक्षण अधिकारी पीपीओ टी/ई	5	--	5	
	कम्प्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेण्ट	27	--	27	100
	एवीटीएस टी/ई	12	--	12	
8.	लेखा अधिकारी/ पंजीयक	2	--	2	
9.	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	965	726	239	
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चालक, कार्यशाला सहायक तथा भृत्य)	1994	1474	520	मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लिये
	योग (1 से 7)	**2854**	**1481**	**1373**	

लगभग 50 प्रतिशत संस्वीकृत पद (मुख्य रूप से प्रशिक्षण कर्मचारी) रिक्त थे। 29 प्राचार्य, 23 उप प्राचार्य तथा 1301 अनुदेशक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। कम्प्यूटर

ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेण्ट, एवीटीएस तथा पीपीओ/टीई व्यवसायों के अधीन शतप्रतिशत पद रिक्त थे। कर्मचारियों की कमी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के खराब निष्पादन के लिये प्रत्यक्षतः उत्तरदायी है।

विभाग द्वारा पद रिक्त रहने के यथा सूचित (दिसंबर 2001) कारणों में राज्य सरकार द्वारा भरती तथा पदोन्नति पर लगाया गया प्रतिबन्ध, चयनित प्रशिक्षण अनुदेशकों /अधिकारियों की प्रस्तावित संविदा नियुक्ति पर राज्य प्रशासनिक पंचाट, जबलपुर, भोपाल तथा ग्वालियर द्वारा जारी स्थगन आदेश थे।

3.3.11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सफल प्रशिक्षुओं के अभिलेख पत्रों का संधारण न करना

अभिलेख पत्र संधारित न करना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण नियमावली के प्रावधानों की अवज्ञा का सूचक है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों की प्रशिक्षण नियम पुस्तक के प्रावधानों के अनुसार यह देखने के लिये अभिलेख पत्र संधारित किये जाने चाहिये कि क्या उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हो गया है। यदि रोजगार प्राप्त हुआ है तो नियोजक आदि का नाम दिया जाना चाहिए, ऐसा न हो सकने पर बेरोजगार प्रशिक्षुओं की जानकारी अभिलेख पत्रों में दी जाय। बेरोजगार प्रशिक्षुओं को रोजगार मिलने तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को जब तक वे रोजगार प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं तब तक नियत समय, यथा प्रत्येक तीन माह में सूचना देनी थी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को पत्र व्यवहार के लिये प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से डाक व्यय का भुगतान किये बिना उन्हें अनुदेशक कर्मचारियों को पत्र लिखने की अनुमति भी दी गई थी। उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को उन संस्थाओं द्वारा निःशुल्क डाक पत्र जारी करना था जिनसे कि उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। तथापि कोई ऐसे अभिलेख पत्र संधारित करना नहीं पाया गया और इसलिये कोई अनुपालन कार्यवाही भी नहीं की गई थी।

3.3.12 पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं/ लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं सफलतापूर्वक चलाने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नियम पुस्तक में संचालनालय स्तर पर त्रैमासिक/वार्षिक निरीक्षणों का परिवीक्षण निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य (पुराने मध्यप्रदेश) की कुल 161 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से केवल 87 त्रैमासिक एवं 34 के वार्षिक निरीक्षण किये गये।

उपरोक्त तथ्यों की सूचना सरकार को अगस्त 2001 में दी गई। उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2002)।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

मुख्यांश

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से क्रियान्वित किया जा रहा है। समीक्षित अवधि के दौरान अवधारित रोगमुक्ति दर की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी। नए रोगियों का पता लगाने तथा कफ जांच के मामलों में कमी देखी गई। अनुवर्ती उपचार अति अल्प था तथा अनेक प्रकरणों में उपचार अधूरा छोड़ दिया गया था। चिकित्सा कर्मियों की कमी तथा कर्मचारियों के अप्रशिक्षित होने के कारण भी निष्पादन अल्प रहा।

अन्धत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1976 से तथा विश्व बैंक पोषित मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना वर्ष 1994 से क्रियान्वित किए जा रहे थे। अन्धत्व की विद्यमानता मार्च 2001 को 0.3 प्रतिशत की अवधारित दर की तुलना में 0.63 प्रतिशत थी। मोतियाबिन्द के कारण होने वाली दृष्टिहीनता का आकलन नहीं किया गया था, मोतियाबिन्द आपरेशनों के लक्ष्य तदर्थ आधार पर निर्धारित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2001 को मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु लम्बित रोगियों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। अंधत्व रोग की अत्यधिक विद्यमानता दर के मुख्य कारण नेत्र रोगियों का शल्यक्रिया हेतु अल्प उत्प्रेरण, निधियों का कम मात्रा में उपयोग, सूचना शिक्षा एवं संचार की गतिविधियों का अभाव तथा अनुवर्ती प्रयासों में शिथिलता थे।

(क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोधी औषधियां क्रय करने हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता की 1.74 करोड़ रुपये की राशि का 3 वर्ष से भी अधिक समय तक उपयोग नहीं किया गया और इसे "शीर्ष 8443–सिविल जमा" के अंतर्गत रखा गया। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 86 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि जिला क्षय केन्द्रों के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

(कंडिका 3.4.5.1)

नए रोगियों के कफ परीक्षण की उपलब्धि के आंकड़े बढ़ाकर बताए गए। 76 प्रतिशत रोगियों ने उपचार की पूर्ण खुराक नहीं ली और 1996–2001 के दौरान क्षय रोग के प्रकरणों में वृद्धि हुई। 7 से 20 प्रतिशत नए क्षय रोगियों को उपचाराधीन नहीं लाया जा सका।

(कंडिका 3.4.5.2 (ख))

4 से 19 प्रतिशत संस्वीकृत पद रिक्त पड़े हुए थे तथा अप्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती 28 और 57 प्रतिशत के मध्य थी।

(कंडिका 3.4.5.2 (घ))

संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोगमुक्ति दर 90 प्रतिशत से अधिक तथा चूककर्ता रोगी दर 5 प्रतिशत से कम के मानदण्ड की तुलना में रोगमुक्ति दर तथा चूककर्ता दर क्रमशः 55 से 86 प्रतिशत के बीच तथा 4 से 22 प्रतिशत के मध्य रही।

(कंडिका 3.4.5.2(ङ.))

क्षयरोधी औषधियों के कालातीत होने से पहले उपयोग न कर पाने के कारण 13.48 लाख रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 3.4.5.2(च))

(ख) **अन्धत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम**

व्यय की गई निधियों की तुलना में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अत्यल्प थी।

(कंडिका 3.4.5.3 (क) (ii))

सरकारी क्षेत्र ने मोतियाबिन्द आपरेशनों के लक्ष्य में केवल 10 से 43 प्रतिशत का योगदान दिया। 2000–2001 के दौरान 20 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में नेत्र शिविरों में 50 प्रतिशत मोतियाबिन्द आपरेशन किए गए। 1500 मोतियाबिन्द आपरेशन,प्रतिवर्ष प्रति चलित नेत्र इकाई की तुलना में वस्तुतः किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन 505 एवं 897 के मध्य रहे।

(कंडिका 3.4.5.4 (क) (i) एवं (ii))

नमूना जांच किए गए जिलों के 3120 प्रकरणों (जबलपुर : 2036, सतना : 1084) में रोशनी वापस नहीं आ सकी। दृष्टिवर्तन दोष पाए गए केवल 5 प्रतिशत बच्चों को ही चश्में उपलब्ध कराए गए।

(कंडिका 3.4.5.4 (ख))

नमूना जांच किए गए जिलों में नेत्र चिकित्सा कर्मियों के 11 से 80 प्रतिशत पद रिक्त थे (मार्च 2001)।

(कंडिका 3.4.5.4 (घ)(i))

मार्च 2001 को 32 निर्माण कार्य अधूरे थे, परिणामतः 1.77 करोड़ रुपये की निधियां लोक निर्माण विभाग के पास अवरुद्ध रहीं।

(कंडिका 3.4.5.4(घ)(ii))

1996–2001 के दौरान भोपाल नेत्र बैंक में 25 नेत्र बेकार हो गए क्योंकि अयथोचित रखरखाव आदि के कारण उपयुक्त नहीं पाए गए।

(कंडिका 3.4.5.4(च))

दोनों ही योजनाओं का परिवीक्षण अपर्याप्त था। राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2000–2001 के दौरान किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि मोतियाबिन्द के कारण होने वाले अन्धत्व की विद्यमानता 0.63 प्रतिशत है ,जिससे कार्यक्रम का उद्देश्य ही विफल हो गया।

(कंडिका 3.4.6)

3.4.1 प्रस्तावना

क्षयरोग की भयानक बीमारी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से क्रियान्तित किया गया। योजना 1993 में संशोधित की गई तथा अल्प अवधि केमोथेरेपी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षित उपचार द्वारा कम से कम 85 प्रतिशत रोगमुक्ति दर की उद्देश्य प्राप्ति के साथ एक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

अन्धत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में आरंभ किया गया। विश्व बैंक पोषित मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण की एक और परियोजना 1994 में क्रियान्वित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1986–89 की अवधि में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में अन्धत्व की विद्यमानता 1.49 प्रतिशत थी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य में अन्धत्व की विद्यमानता को वर्ष 2000 के अंत तक 1.49 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत तक कम करना था।

उक्त दोनों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रकट हुई कमियों का विवेचन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

3.4.2 क्रियान्वित कार्यक्रम

राज्य में क्षयरोग तथा अन्धत्व की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, वित्तीय स्रोत एवं अवधारित लक्ष्यों के ब्यौरे निम्नानुसार थे :–

	क्रियान्वित कार्यक्रम	वित्तीय स्रोत एवं वित्त व्यवस्था	उद्देश्य एवं अवधारित लक्ष्य
(i) क्षय रोग	(क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम रोग के नियंत्रण हेतु राज्य में 1962 से क्रियान्वित किया जा रहा है। 1993 में समिति के निष्कर्षों के आधार पर संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से एक पुनरीक्षित कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसमें अल्प अवधि केमोथेरेपी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षित उपचार द्वारा संक्रामित रोगियों को रोगमुक्त करने पर जोर दिया गया था। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1994 के दौरान भोपाल जिले के दो केन्द्रों में एक परीक्षणात्मक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया जिसका विस्तार (1998–99) में भोपाल और विदिशा दो जिलों में तथा 1999–2000 में राजगढ़ जिले में विस्तार किया गया।	केन्द्रीय सहायता नकद एवं साधनों के रूप में दी जाती है जो क्षयरोधी औषधियों तथा उप– करणों की आवश्यकता की 50 प्रतिशत पूर्ति करती है। राज्य सरकार क्षयरोग संस्थानों के चलाने पर होने वाला पूरा व्यय (कर्मचारी वर्ग, भवनों, वाहनों आदि के रखरखाव पर) वहन करती है। जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है।	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यक्ष पर्यवेक्षित अल्पावधि केमोथेरेपी उपचार का उद्देश्य 85 प्रतिशत से अधिक रोगमुक्ति दर की लक्ष्य प्राप्ति करना था। इस बात पर बल देना था कि रोग खोजी क्रियाकलाप अनुमानित नए प्रकरणों के 75 प्रतिशत तक बढ जाएं। इसके अतिरिक्त गैर संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम वाले जिलों में मानक भी मजबूत किया जाना था।
(ii) अन्धत्व	अन्धत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम राज्य में 1976 से कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक पोषित मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना भी अप्रैल 1994 से राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि 2000–2001 तक के लिए सात वर्ष की थी जो 2001–2002 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ाई गई है।	राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम एक शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार भारत सरकार प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता जारी कर रही है।	राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम तथा विश्व बैंक परियोजना का अवधारित लक्ष्य वर्ष 2000 तक राज्य में अन्धत्व विद्यमानता को 1.49 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत तक कम करना था। यह लक्ष्य व्यापक प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च तकनीकी स्तरों पर नेत्रों की देखभाल उपलब्ध कराकर पूरा किया जाना था।

3.4.3 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सभी योजनाओं के समग्र प्रभारी हैं। अन्य अधिकारी जो इन योजनाओं के प्रभारी थे, निम्नानुसार हैं :–

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	अन्धत्व नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम
राज्य स्तर पर संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के नियंत्रणाधीन संयुक्त संचालक के पदनाम से एक पूर्ण कालिक राज्य क्षयरोग अधिकारी कार्यक्रम क्रियाकलापों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करता है।	राज्य स्तर पर संचालक स्वास्थ्य सेवा के अधीन संयुक्त संचालक के नेतृत्व में राज्य नेत्र रोग चिकित्सा इकाई द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है जो कार्यक्रम का परिवीक्षण एवं समन्वय करता है।
जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है जो इसका क्रियान्वयन जिला क्षयरोग केन्द्र एवं उप जिला स्तर पर क्षय रोग इकाई तथा जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल आदि की सहायता से करते हैं। इसके अतिरिक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय में एक राज्य क्षयरोग समिति तथा प्रत्येक जिले में जिला क्षय नियंत्रण समिति का गठन किया गया है जो योजना का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।	जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला अंधत्व नियंत्रण समितियों द्वारा किया जाता है जो सभी जिलो में गठित की गई हैं। जिसमें जिलाध्यक्ष इसके अध्यक्ष, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सचिव के रूप में होते हैं तथा जिलाध्यक्ष द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिले में राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम के समस्त क्रियाकलापों का समन्वय करता है।

3.4.4 लेखापरीक्षा समावेशन

कार्यक्रमों के 1996–2001 की अवधि में क्रियान्वयन की समीक्षा संचालक स्वास्थ्य सेवा, मध्यप्रदेश भोपाल एवं छत्तीसगढ़, रायपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला क्षयरोग अधिकारियों तथा संयुक्त मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 61 जिलों में से 8* जिला कार्यक्रम प्रबंधकों के अभिलेखों की दिसम्बर 2000 से जुलाई 2001 के दौरान नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। प्रकाश में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

* *मध्यप्रदेश के 45 जिलों में से भोपाल, गुना, इन्दौर, जबलपुर, मन्दसौर एवं सतना तथा छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में से 2 जिले बिलासपुर एवं जगदलपुर*

3.4.5 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.4.5.1 वित्तीय निष्पादन

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार हैं :–

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1996-1997	10.70	9.64	(-)1.06
1997-1998	10.98	9.46	(-)1.52
1998-1999	12.24	12.81	(+)0.57
1999-2000	11.02	12.38	(+)1.36
2000-2001	12.11	12.24	(+)0.13
योग	**57.05**	**56.53**	**(-) 0.52**

व्यय बताई गई 1.74 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि सिविल जमा के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़ी रही

वर्ष 1998–99 से 2000–2001 के दौरान अधिक व्यय का कारण संचालक ने कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय में वृद्धि होना बताया (जनवरी 2002)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 1997–98 के दौरान दर्शाया गया व्यय 1.74 करोड़ रुपये तक बढ़ा कर बताया गया क्योंकि यह राशि "8443 सिविल जमा" के अंतर्गत रखी गई थी। संचालक ने बताया कि "सिविल जमा" के अंतर्गत रखी गई धनराशि भारत सरकार ने क्षयरोग के कफ नकारात्मक रोगियों के लिए औषधियों के क्रय हेतु उपलब्ध कराई थी तथा बाद में भारत सरकार द्वारा औषधियां प्रदाय किए जाने से उक्त धनराशि का उपयोग उस हेतु नहीं किया गया।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त निधियों की, किए गए व्यय की तथा समितियों के पास बचे शेष की समेकित स्थिति इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आरंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि	योग	व्यय	अंत शेष
1997-98	निरंक	0.47	0.47	0.05	0.42
1998-99	0.42	0.15	0.57	0.21	0.36
1999-2000	0.36	0.73	1.09	0.67	0.42
2000-01	0.42	1.04	1.46	0.60	0.86
योग		**2.39**		**1.53**	

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त निधियों की छत्तीस प्रतिशत (0.86 करोड़ रुपये) राशियां मार्च 2001 के अंत तक बिना उपयोग के पड़ी हुई थीं। नमूना जांच किए गए भोपाल जिले में 0.13 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हुए थे। संचालक ने बताया (जनवरी 2002) कि निधियों के उपयोग न किए जाने के कारणों की जानकारी तीनों जिलों की सभी समितियों से मांगी गई है। निधियों का उपयोग न होने से कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुआ।

3.4.5.2 भौतिक निष्पादन

(क) लक्ष्य एवं उपलब्धियां

विभाग ने राष्ट्रीय क्षयरोग रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की थी। भारत सरकार ने नए रोगियों का पता लगाने तथा कफ सकारात्मक प्रकरणों के प्रतिवर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य जिलों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित किए गए थे। लक्ष्यों और उपलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं :–

कफ जांच के अधीन रोगियों हेतु लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां 66 प्रतिशत बढ़ाकर बताई गईं

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धियां			उपलब्धि का प्रतिशत		
	नए रोगियों का पता लगाना	रोगियों की संख्या जिनकी कफ जांच की गई	कफ सकारात्मक रोगी	पता लगाए गए नए रोगी	रोगियों की संख्या जिनकी कफ जांच की गई	कफ सकारात्मक रोगी	पता लगाए गए नए रोगी (स्तम्भ 2 व 5)	रोगियों की संख्या जिनकी कफ जांच की गई (स्तम्भ 3 व 6)	कम सकारात्मक रोगी (स्तम्भ 4 व 7)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9	10
1996-97	87220	निरंक	26110	83429	निरंक	10868	96	--	42
1997-98	87220	निरंक	26110	81128	निरंक	12150	93	--	47
1998-99	103864	निरंक	38468	78813	निरंक	18387	76	--	48
1999-2000	--	391730	39170	--	364475	23683	--	93	60
2000-01	--	293744	29370	--	291484	22666	--	99	77

टिप्पणी :– *भारत सरकार द्वारा 1998–99 तक नए रोगियों का पता लगाने हेतु दिए गए लक्ष्य थे जबकि 1999–2000 से लक्ष्य कफ जांच के लिए भेजे गए रोगियों से संबंधित थे।*

1998–99 के दौरान नए रोगियों का पता लगाने में तथा 1996–2001 के दौरान कफ सकारात्मक रोगियों की संख्या में हुई कमी के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 1998–99 के दौरान आई कमी केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नए रोगियों की ही जानकारी देने तथा जिला अस्पतालों में पंजीबद्ध किए गए प्रकरणों की जानकारी सूचित नहीं करने के कारण थी। आगे यह भी पाया गया कि 1999–2000 एवं 2000–01 के दौरान कफ जांच करवा रहे रोगियों की संख्या के लक्ष्यों में विभाग ने रोगियों की संख्या दर्शाने के स्थान पर परीक्षित कफ स्लाइडों की संख्या दर्शाई। इस प्रकार कफ जांच के अंतर्गत रोगियों की उपलब्धि के आंकड़े बढ़ गए थे क्योंकि प्रत्येक रोगी की कफ जांच तीन बार करनी होती है।

1996–97 से 2000–01 की अवधि के दौरान नए रोगियों का पता लगाने के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां 62 से 147 प्रतिशत के बीच रहीं। जहां बिलासपुर, गुना, जबलपुर, जगदलपुर व मन्दसौर में उपलब्धियां 62 से 98 प्रतिशत के बीच रहीं वहीं भोपाल, इन्दौर एवं सतना में ये 113 से 147 प्रतिशत के बीच रहीं। संचालक ने बताया (जनवरी 2002) कि अत्यधिक

उपलब्धियां जिला अधिकारियों द्वारा क्षयरोग निदान शिविरों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(ख) न्यून रोगमुक्ति दर

उपचार की पूर्ण खुराक लेने में चूक करने वाले रोगियों की दर राज्य में 76 प्रतिशत थी।

नियमित और पूरा कोर्स लिए जाने पर अल्पावधि केमोथेरेपी में 6 से 8 माह के भीतर क्षयरोग से पूरी तरह मुक्ति अवधारित है। 1996–2001 की अवधि में राज्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि उपचार का पूरा कोर्स लेने वाले रोगियों का प्रतिशत केवल 24 था। पुनरोपचारित रोगियों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पलायन किए रोगी, उपचार में चूककर्ता रोगी तथा मृत्यु प्रकरणों को छोड़कर पूर्ण उपचार लेने वाले रोगी 27 प्रतिशत थे। पुनरोपचारित रोगी गुना, इन्दौर, जगदलपुर, मन्दसौर व सतना में 3 से 30 प्रतिशत के बीच थे जबकि भोपाल, बिलासपुर व जबलपुर में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। संचालक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कम रोगमुक्ति दर तथा चूककर्ता रोगियों की उच्च प्रतिशतता के कोई कारण नहीं दिए। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियमित एवं निरंतर उपचार कराने का परामर्श रोगियों को न देने से चूककर्ता रोगियों का प्रतिशत ऊंचा रहा।

इसके अतिरिक्त क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि की प्रवृति देखी गई तथा राज्य में 7 से 20 प्रतिशत नए क्षय रोगी उपचार के अधीन नहीं लाए जा सके। संचालक ने बताया (जून 2001) कि रोगग्रस्तता का पता लगने के बाद रोगियों ने अपना निवास स्थान बदल दिया इसलिए सभी रोगियों को उपचाराधीन नहीं लाया जा सका। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों ने क्षेत्रीय दौरों जैसी कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की थी।

(ग) संक्रमित क्षय रोगियों का पता लगाना

संक्रमित क्षय रोगियों की पहचान करने और उनका असंक्रमित रोगियों में परिवर्तन का प्रतिशत कम था।

क्षय रोगियों के विवरण तथा किए गए कफ जांच के ब्यौरे ***परिशिष्ट–XXVI*** में दिए गए हैं। राज्य में कफ सकारात्मक रोगियों का प्रतिशत संचालक द्वारा सामान्य अवधारित 10 प्रतिशत की तुलना में 1996–97 से 1999–2000 के दौरान 5 से 6 प्रतिशत के बीच तथा 2000–2001 में 8 प्रतिशत रहा। कफ सकारात्मक रोगियों की पहचान 10 प्रतिशत से कम होने से पता चलता है कि या तो संभावित क्षय रोगियों की यथोचित पहचान नहीं की गई अथवा कफ जांच की गुणवत्ता खराब थी। नमूना जांच किए गए जिलों में कफ सकारात्मक मामले, भोपाल को छोड़कर जहां कि यह 22 प्रतिशत थे, 3 से 9 प्रतिशत के बीच रहे।

यह पाया गया कि नमूना जांच किए गए जिलों में केवल 59 प्रतिशत कफ सकारात्मक मामले क्षय नकारात्मक मामलों में परिवर्तित किये गये। कफ सकारात्मक मामलों को नकारात्मक मामलों में कम परिवर्तित करने के कारण संचालक/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने नहीं दिये।

मानदण्डों के अनुसार 3 बार कफ परीक्षण के विपरीत जबलपुर और सतना में रोगियों का कफ परीक्षण केवल एक ही बार किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर ने बताया कि प्रयोगशाला तकनीशियन की कमी तथा वित्तीय कठिनाई के कारण तीन बार परीक्षण नहीं किए जा सके वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि चूंकि एक्स–रे परीक्षण के माध्यम से रोग सकारात्मक प्रकरण पूर्व में ही पता लगाए गए थे, अतः तीन बार कफ जांच की आवश्यकता नहीं थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सकारात्मक मामलों के लिए एक्स–रे जांच पुष्टिकारी जांच नहीं मानी जाती है।

(घ) जिला क्षयरोग केन्द्र की स्थापना

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती 28 से 57 प्रतिशत के मध्य थी तथा 4 से 19 प्रतिशत पद रिक्त थे

जिला क्षयरोग केन्द्र जिले में क्षय नियंत्रण के लिए रेफरल तथा केन्द्रक बिन्दु के रूप में कार्य करता है जबकि राज्य में सभी परिबद्ध स्वास्थ्य संस्थान रेफरल केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 441 माइक्रोस्कोपिक, 267 एक्स–रे तथा 1197 रेफरल केन्द्रों का गठन किया गया है। कर्मचारी संख्या के ब्यौरे ***परिशिष्ट–XXVII*** में दिये गये हैं। यह देखा गया कि राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2000 को 24 पद (जिला क्षयरोग अधिकारी : 5, सहायक सांख्यिकी अधिकारी : 9, चिकित्सा व्यवस्थापक : 8 तथा एक्स–रे तकनीशियन : 2) रिक्त पड़े थे जो संस्वीकृत पदों का 4 से 19 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त तैनात अप्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत 28 से 57 प्रतिशत के बीच था। आगे यह भी देखा गया (जून 2001) कि नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों में कार्य मूल जिलों के विद्यमान कर्मचारी सम्पन्न कर रहे थे। संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्यप्रदेश ने जहां पद रिक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए, वहीं संचालक स्वास्थ्य सेवा, छत्तीसगढ़ ने बताया कि जिला क्षयरोग अधिकारियों के 9 पदों का सृजन न होने से क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नमूना जांच किए गए जिलों में 31 मार्च 2001 को 22 प्रतिशत संस्वीकृत पद रिक्त थे तथा पदस्थापित कर्मचारियों में 41 प्रतिशत अप्रशिक्षित थे।

(ड.) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा निर्धारित निष्पादन संदर्शकों की तुलना में कम लक्ष्य प्राप्ति।

कार्यक्रम में अल्प अवधि केमोथेरापी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षित उपचार देकर कम से कम 85 प्रतिशत रोगमुक्ति दर की तथा 90 प्रतिशत से अधिक कफ सकारात्मक मामलों को नकारात्मक में परिवर्तित करने की उपलब्धि अवधारित थी। उपचार के विवरण ***परिशिष्ट-XXVIII एवं XXIX*** में दिए गए हैं। वर्ष 1999 एवं 2000 के दौरान राज्य में कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि ***परिशिष्ट–XXX*** में दर्शाई गई है।

आंकड़ों से पता चलता है कि कफ सकारात्मक मामलों को नकारात्मक में परिवर्तित करने की अपेक्षित दर (90 प्रतिशत से अधिक) वर्ष 1999 व 2000 के दौरान प्राप्त नहीं की गई। यह 80

से 88 प्रतिशत के बीच रही। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के सघन अनुवर्ती प्रयास के बाद भी निर्धारित 85 प्रतिशत की रोगमुक्ति दर तथा 5 प्रतिशत चूककर्ता दर की तुलना में वास्तविक रोगमुक्ति दर 55 से 86 प्रतिशत के बीच रही तथा चूककर्ता रोगी दर 4 से 22 प्रतिशत के बीच रही। संचालक स्वास्थ्य सेवा, मध्यप्रदेश ने बताया कि कम रोगमुक्ति दर तथा अत्यधिक चूककर्ता दर का कारण रोगियों के रोजगार प्राप्ति हेतु पलायन करने से उपचार का अधूरा छोड़ देना था।

कम उपलब्धि के कारण राज्य में क्षयरोग की विद्यमानता बनी रही। कार्यक्रम का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(च) कालातीत औषधियों पर 13.48 लाख रुपये की हानि

कालातीत अवधि के पूर्व औषधियों का उपयोग न करने के कारण 13.48 लाख रुपए की परिहार्य हानि

कफ सकारात्मक मामलों के लिए क्षयरोधी औषधियां भारत सरकार ने प्रदाय की थीं। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2001 में निम्नलिखित कालातीत औषधियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं।

औषधियां	उपलब्ध मात्रा	कालातीत तिथि	मूल्य (लाख रुपयों में)	जिले का नाम जहां औषधियां अप्रयुक्त थीं।
1.	2.	3.	4.	5.
आई.एन.एच. 100 मिग्रा गोली	21.89लाख	9/99 से 11/99	1.75	भोपाल, रतलाम, मुरैना, शिवपुरी
आई.एन.एच. 300 मिग्रा गोली	16.68 लाख	11/99 से 12/99	3.08	सीहोर, मुरैना, शिवपुरी, मण्डला, राजनांदगांव व सीधी
आई.एन.एच. 150 मिग्रा. + टी.जेड. एन. 50 मिग्रा गोली	46.49 लाख	10/99 एवं 11/99	8.65	सीहोर, बिलासपुर, राजगढ़, शिवपुरी, राजनांदगांव, सीधी, रतलाम व भोपाल
योग			**13.48**	

इस प्रकार 13.48 लाख रुपये मूल्य की औषधियां प्रभावहीन हो गईं और विभाग औषधियों को अन्य स्थानों पर भेजने के लिए समयानुकूल कार्रवाई करने में विफल रहा। संचालक, स्वास्थ्य सेवा ने बताया (अक्टूबर 2001) कि औषधियां आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुई थीं। यह तर्क मान्य नहीं है और अधिशेष औषधियां आवश्यकता वाले स्थानों को अंतरित भी की जा सकती थीं।

3.4.5.3 अन्धत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.4.5.3. क वित्तीय निष्पादन

3.4.5.3. क (i) आबंटन एवं व्यय

राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता

नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं :–

(करोड़ रुपयों में)

राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम				विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम					
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)	आवंटन	आरंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	योग	व्यय	अंतःशेष
1996-97	3.65	3.71	0.06	3.22	1.61	4.00*	5.61	3.08	2.53
1997-98	3.65	3.98	0.33	2.15	2.53	1.60	4.13	4.04	0.09
1998-99	6.64	7.57	0.93	1.13	0.09	5.46	5.55	1.27	4.28**
1999-2000	5.81	7.05	1.24	3.66	4.28	2.23	6.51	5.62	0.89
2000-01•	5.81	6.01	0.20	1.92	0.89	1.54	2.43	1.44	0.99
योग	**25.56**	**28.32**	**2.76*** **	**12.08**	**1.61**	**14.83**	**16.44**	**15.45**	**0.99**

* *अधिकता में विमोचित निधि वर्ष 1994–95 की केन्द्रीय सहायता राशि का शेष थी।*
** *भारत सरकार से निधियों की विलंबित प्राप्ति के कारण।*
*** कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के कारण।

3.4.5.3. क (ii) जिला समितियों को अनुदान

व्यय की गई धनराशि की तुलना में उपलब्धियां भौतिक लक्ष्यों से बहुत कम थीं।

नमूना जांच किए गए जिलों में जिला समितियों को जारी अनुदान और किए गए व्यय के ब्यौरे (***परिशिष्ट–XXXI***) से पता चलता है कि भोपाल, जबलपुर व जगदलपुर जिलों में जारी निधियों के उपयोग का प्रतिशत जहां 64 से 90 प्रतिशत था वहीं भौतिक लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि केवल 3 और 27 के बीच रही।

3.4.5.4. क भौतिक निष्पादन

3.4.5.4. क(i) लक्ष्य एवं उपलब्धि

मानदण्डों के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या पर 400 मोतियाबिन्द आपरेशनों का निष्पादन अपेक्षित था। नमूना जांच किए गए जिलों की वार्षिक कार्ययोजना में इन्दौर, जबलपुर एवं सतना में प्रस्तावित मोतियाबिन्द आपरेशन 400 से अधिक थे तथा गुना, मन्दसौर और जगदलपुर में 400 से कम थे। भोपाल और बिलासपुर में वार्षिक कार्ययोजना तैयार ही नहीं की गई थी। संचालक स्वास्थ्य सेवा ने बताया (अक्टूबर 2001) कि भारत सरकार ने विभिन्न जिलों में मोतियाबिन्द आपरेशन के तदर्थ लक्ष्य निर्धारित किए थे।

• *उपरोक्त के अतिरिक्त नवगठित छत्तीसगढ राज्य (नवम्बर 2000) को उपलब्ध कराई गई राशि और उसकी तुलना में व्यय के विवरण निम्नानुसार है:–*
बजट प्रावधान 78.74 लाख रुपये, व्यय 72.22 लाख रुपये, बचतें (–) 6.42 लाख रुपये (वेतन एवं भत्तों के अंतर्गत)

2000–2001 के दौरान किए गए सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि कार्यक्रम में परिकल्पित 0.3 प्रतिशत दर की तुलना में अन्धत्व रोग की विद्यमानता दर 0.63 प्रतिशत थी। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य वास्तविकता से परे थे।

लक्ष्यों, की तुलना में मोतियाबिन्द आपरेशनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

मोतियाबिन्द आपरेशनों में कमी।

वर्ष	मोतियाबिन्द आपरेशन की संख्या			शिविरों में किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन		
	लक्ष्य (लाख में)	उपलब्धियां (लाख में)	प्रतिशत	आयोजित शिविर (संख्या)	किए गए आपरेशन (संख्या)	शिविरों में किए गए आपरेशनों का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1996-97	2.50	2.13	85	1890	26122	12
1997-98	2.80	2.53	90	1459	30201	12
1998-99	3.08	2.86	93	2512	40354	14
1999-2000	3.00	2.75	92	2604	22718	08
2000-01	2.40	2.33	97	2175	117445	50

शिविरों में किए जाने वाले मोतियाबिन्द आपरेशन के 20 प्रतिशत के मानदण्ड की तुलना में किए गए आपरेशनों की औसत संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2000–2001 के दौरान शिविरों में हुए आपरेशनों के उच्च प्रतिशत का कारण संचालक ने गैर सरकारी संगठन द्वारा सतना में आपरेशन शिविर आयोजित किया जाना बताया जो उन्नत तकनीक से पूर्णतः सुसज्जित था तथा अन्य राज्यों/ जिलों से मोतियाबिन्द नेत्र रोगी आए हुए थे। नमूना जांच किए गए जिलों में उपलब्धियां 45 से 110 के बीच रहीं। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए जिले में 1996–2001 की अवधि के दौरान उपलब्धियों में निजी चिकित्सकों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन भी सम्मिलित थे जो 2 से 96 प्रतिशत के बीच रहे।

इसके अतिरिक्त 7 चलित केन्द्रीय इकाइयों तथा 5 चिकित्सा महाविद्यालय चलित इकाइयों सहित 45 चलित नेत्र चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई थीं। प्रति चलित नेत्र इकाई 1500 मोतियाबिन्द आपरेशन प्रतिवर्ष की तुलना में 1996–2000 के दौरान चलित नेत्र इकाइयों की उपलब्धि 505 (34 प्रतिशत) से 897 (60 प्रतिशत) के बीच रही। कम उपलब्धि के कारणों का अभिलेख में उल्लेख नहीं किया गया।

बकाया शेष रहे आपरेशन निपटाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रति नेत्र शल्य चिकित्सक 700 आपरेशन प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया था तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक नेत्र शल्य चिकित्सक के लिए 569 मोतियाबिन्द आपरेशनों का लक्ष्य निर्धारित किया था। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता के बाद भी कम लक्ष्य निर्धारित करने के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.4.5.4. क (ii) सरकारी क्षेत्र में कम निष्पादन

सरकारी क्षेत्र द्वारा मोतियाबिन्द आपरेशन का योगदान 10 से 43 प्रतिशत रहा।

मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा तीन क्षेत्रों अर्थात सरकारी, गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र को सौंपी गयी है। राज्य स्तर पर विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं थे। तथापि आगामी कंडिकाओं

में दी गई तालिका के विस्तृत विवरणों की जांच से परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों में 1997–2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र ने मोतियाबिन्द आपरेशनों में केवल 10 से 43 प्रतिशत योगदान दिया जबकि 1994–2001 अवधि के दौरान शल्य चिकित्सा कक्ष (आपरेशन थियेटर) सहित 20/10 बिस्तर वाले नेत्र वार्ड के निर्माण पर 1.67 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, चलित नेत्र इकाइयों, अस्पतालों आदि में चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय नेत्र रोग सहायकों के 160 पद सृजित किए गए थे। नमूना जांच किए गए जिलों में सरकारी क्षेत्र ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए।

3.4.5.4.ख मोतियाबिन्द शल्यक्रिया में विफलता, आपरेशन के बाद की जटिलता, दृष्टिवर्तन दोष परीक्षण

(क) राज्य में मोतियाबिन्द आपरेशन के उपरान्त भी दृष्टिवर्तन दोष, आपरेशन उपरान्त की जटिलता तथा लाइलाज दृष्टिहीनों के पुनर्वास के विवरण संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्यप्रदेश ने संघारित नहीं किए तथापि नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जबलपुर (2036) व सतना (1084) में 3120 मामलों में ऑपरेशन उपरान्त जटिलताओं के कारण नेत्र रोशनी वापस न आना पाया गया जो किए गए कुल मोतियाबिन्द आपरेशनों का 9 और 1 प्रतिशत था।

(ख) नमूना जांच किए गए जिलों में दृष्टिवर्तन दोष का पता लगाने के लिए 16.14 लाख स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण किया गया और 71610 बच्चों में दृष्टिवर्तन दोष होना पाया गया किन्तु केवल 3505 बच्चों (5 प्रतिशत) को चश्में उपलब्ध कराए गए। कम संख्या का कारण लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

3.4.5.4.ग सूचना, शिक्षा एवं संचार

सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया।

राज्य स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी। संचालक स्वास्थ्य सेवा, मध्यप्रदेश ने बताया (जून 2001) कि इस घटक पर आवंटन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था तथा भारत सरकार से प्राप्त विज्ञापन सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 47 लाख रुपये के आवंटन की तुलना में केवल 10.57 लाख रुपये व्यय किए गए (विज्ञापन पटलों हेतु जिलों को 5.32 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए तथा 5.25 लाख रुपये के ब्यौरे संचालक के पास उपलब्ध नहीं थे)। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 6 जिलों (भोपाल, बिलासपुर, गुना, इन्दौर, जबलपुर व जगदलपुर) में सूचना, शिक्षा एवं संचार का कोई कार्य नहीं किया गया था।

3.4.5.4. घ आधारभूत संरचना

3.4.5.4.घ(i) जनशक्ति प्रबंधन

पद रिक्त रहने से नेत्र चिकित्सा सेवाएं अपर्याप्त रहीं

नेत्र स्वास्थ्य देखभाल का स्थायी अन्तवर्ती ढांचा बनाने के लिए राज्य सरकार ने 665 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (1986–87 तक 346, 1987 से 1996 : 319), 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (1995–96), 55 जिला अस्पताल (1986–87 तक 45, 1995–96 : 10), सहित 4 सिविल अस्पताल अभिज्ञापित किए। 45 चलित नेत्र चिकित्सा इकाइयां (1986–87 तक 18, 1988–96 : 27) भी स्थापित की गई थीं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि कार्यक्रम क्रियान्वयन के परिवीक्षण हेतु राज्य परियोजना प्रकोष्ठ 1994–95 में संस्वीकृत एवं गठित किया गया था, तथापि वास्तविक जनशक्ति का विवरण उपलब्ध नहीं था। नमूना जांच किए गए जिलों में जनशक्ति के विवरण ***परिशिष्ट–XXXII*** में दिए गए हैं। नेत्र शल्य चिकित्सक (3), सहायक (11), नर्स (1), शल्य क्रिया कक्ष सहायक (1) तथा शिविर संगठक (4) के पद 5 वर्ष से भी अधिक समय (1996–97) से रिक्त पड़े हुए थे। पदों के रिक्त रहने के कारणों की जानकारी नहीं दी गई। नेत्र विशेषज्ञ की कमी से भी सरकारी क्षेत्र में किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन कम संख्या में हुए।

3.4.5.4. घ(ii) निर्माण कार्य

नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विकसित आधारभूत संरचना का उपयोग नहीं हुआ।

भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर शल्य क्रिया कक्ष एवं डार्करूम सहित 10/20 बिस्तरों युक्त नेत्र वार्डों के निर्माण हेतु 11.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी। मार्च 2001 को निर्माण कार्यों के विवरण निम्नानुसार हैं :–

निर्माण कार्या का विवरण	संस्वीकृत निर्माण कार्य	निर्माण कार्यों की स्थिति				भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियां	किया गया व्यय	लोक निर्माण विभाग तथा राज्य सरकार के पास रहीं शेष राशि
		पूर्ण किए गए व सौंपे गए	पूर्ण किए गए किन्तु सुपुर्द न किए गए	अपूर्ण निर्माण कार्य	योग			
						(लाख रुपयों में)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
शल्य क्रिया कक्ष के साथ 20 बिस्तर वाला नेत्र वार्ड	24	19	--	05	24	342.48	299.85	42.63
शल्य क्रिया कक्ष सहित 10 बिस्तर वाला नेत्र वार्ड	54	37	04	13	54	546.72	465.46	81.26
डार्क रूम	483	456	13	14	483	260.80	207.93	52.87
योग	**561**	**512**	**17**	**32**	**561**	**1150.00**	**973.24**	**176.76**

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सभी निर्माणकार्य मार्च 2001 तक पूर्ण किए जाने थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 32 निर्माणकार्य (मध्यप्रदेश : 24, छत्तीसगढ : 08) अपूर्ण थे (अक्टूबर 2001)। विश्व बैंक राष्ट्रीय परामर्शी (आधारभूत विकास) दल ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि निर्माण की गुणवत्ता सामान्यतः असंतोषप्रद थी। दल ने यह भी पाया कि कर्मचारी अमले

एवं अन्य सुविधाओं की कमी के कारण पूर्ण किये गए एवं सुपुर्द किये गए भवन भी उपयोग में नहीं लाए गए थे। संचालक ने सूचित किया (अक्टूबर 2001) कि प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति ने निर्माण कार्य की समीक्षा की थी और पाये गये दोषों/कमियों का लोक निर्माण विभाग द्वारा सुधार कर लिया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि भोपाल में शल्य क्रिया कक्षयुक्त 20 बिस्तरों के नव निर्मित वार्ड का उपयोग समीप ही सुलभ कॉम्पलेक्स स्थित होने तथा पृथक जलस्रोत का अभाव होने के कारण नहीं किया गया था। इस प्रकार निर्माण हेतु दोषपूर्ण स्थलों के चयन के कारण निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब तथा पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों का उपयोग न किये जाने से न केवल 1.77 करोड़ रुपये की धनराशि अवरुद्ध रही बल्कि नेत्र रोगी जिन्हें नेत्र ऑपरेशन एवं सुविधाओं की आवश्यकता थी, भी इन से वंचित रहे।

3.4.5.4.ड प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा निर्धारित ३० प्रतिशत लेन्स प्रत्यारोपण के लक्ष्य की तुलना में आपरेशनों का निष्पादन अत्यधिक कम रहा।

विभाग ने इन्ट्रा आकुलर लैन्स शल्य क्रिया के प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। 107 नेत्र चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया था। 1997–98 से 2000–2001 अवधि के दौरान 34427 इन्ट्रा आकुलर लैंस आपरेशन, भोपाल (7279), बिलासपुर (1581), इन्दौर (23968) तथा जबलपुर (1599) में किए गए थे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 30 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में संबंधित जिलों में किए गए कुल इन्ट्रा ऑकुलर लैंस आपरेशन केवल 10 (भोपाल), 6 (बिलासपुर), 27 (इन्दौर) तथा 3 (जबलपुर) प्रतिशत थे।

3.4.5.4. च नेत्र बैंक

यद्यपि नेत्र बैंकों के स्थापना की राज्य स्तरीय स्थिति संचालनालय के पास उपलब्ध नहीं थी, सभी 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में नेत्र बैंकों की स्थापना की गई थी। चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में परिलक्षित हुआ कि 1996–2001 की अवधि के दौरान संग्रहीत 106 नेत्रों में से 25 नेत्र उपयोग नहीं किये जा सके, क्योंकि इन्हें अपर्याप्त रखरखाव आदि के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया और उनका उपयोग शोधकार्य प्रयोजनों के लिए किया गया था।

3.4.6 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

अपर्याप्त परिवीक्षण तथा मूल्यांकन।

लोक स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति गठित नहीं की गई थी। जिलों की जिला अंधत्व नियंत्रण समितियों का प्रमुख सचिव/ आयुक्त, संचालक तथा संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा ने नियमानुसार निरीक्षण दौरा किया था किन्तु ऐसे दौरों का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। राज्य स्तर पर कार्यक्रम का परिवीक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि नेत्र चिकित्सा कर्मियों की कार्यरत संख्या के आंकड़े, आपरेशन के उपरान्त की जटिलताओं, मोतियाबिन्द के आपरेशन के बाद नेत्रों की रोशनी वापस न आने इत्यादि संबंधी

आंकड़े संचालनालय में उपलब्ध नहीं थे। 2000–2001 के दौरान किए गए सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि राज्य में अन्धत्व की विद्यमानता 0.63 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2000 के अंत तक अन्धत्व में कमी कर 0.3 प्रतिशत तक करने की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी।

उपरोक्त तथ्य सरकार की ओर सितम्बर 2001 में भेजे गए, उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2002)।

शालेय शिक्षा विभाग

3.5 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

मुख्यांश

"शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन" की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 1987-90 के दौरान प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों, प्रौढ़ शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों के लिये सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षणोन्मुखी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य से राज्य के समस्त 45 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। समस्त 45 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु भवनों के निर्माण के लिये 26.22 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अप्रैल 2001 तक विभाग को केवल 24 भवन हस्तांतरित किए गए। शैक्षणिक कर्मचारियों का कम उपयोग दृष्टिगत हुआ और सेवा के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध मानव दिवसों का केवल 12 से 68 प्रतिशत उपयोग किया गया, प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को तथा 2000-01 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया। क्षेत्रीय क्रियाकलाप, क्षेत्रीय अध्ययन, कार्य संबंधी अनुसंधान, परीक्षण इत्यादि जैसे अन्य क्रियाकलापों की प्रायः उपेक्षा की गई। इस प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य पूर्ण नहीं किये जा सके।

सेवा अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु यात्रा भत्ता (1.87 करोड़ रुपए), व्यय में वृद्धि बताए जाने (1.11 करोड़ रुपए) तथा राज्य की देयता न घटाए जाने (0.13 करोड़ रुपए) के कारण अनियमित रूप से 3.11 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का दावा किया गया।

(कंडिका 3.5.5.1, 3.5.5.2 एवं 3.5.5.3)

45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवनों के निर्माण हेतु 26.22 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने के बावजूद पूर्ण किए गए 35 में से केवल 24 भवन सौंपे जा सके।

(कंडिका 3.5.7.1)

शिक्षकों के विशेषोन्मुखी कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.51 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया।

(कंडिका 3.5.8.2(iii))

नमूना जांच किए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाए गए कर्मचारियों के मानव दिवसों की प्रतिशतता 12 से 68 प्रतिशत रही।

(कंडिका 3.5.8.3)

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 1.47 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अव्ययित रही तथा निष्क्रिय प्रशिक्षण कर्मचारियों के वेतनों पर 1.48 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

(कंडिका 3.5.8.4.1 एवं 3.5.8.4.2)

3.5.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा मई 1986 में अंगीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा पर बल दिया गया और अक्टूबर 1987 में भारत सरकार द्वारा "शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन" की केन्द्र प्रायोजित योजना अनुमोदित की गई। प्रत्येक जिले में विद्यमान बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन करते हुए "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना योजना का एक घटक था। बुनियादी प्रशिक्षण संस्था रहित जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जानी थी। मुख्य उद्देश्य (i) प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों, स्रोत व्यक्तियों इत्यादि के दिशानिर्देश हेतु प्रशिक्षण (ii) पूर्व प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली को शैक्षणिक एवं संसाधन सहायता तथा (iii) विशिष्ट समस्याओं से निपटने हेतु अनुसंधान एवं परीक्षण उपलब्ध कराना था। तदनुसार सरकार ने 1988–90 के दौरान विद्यमान 46 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य निष्पादन के आधार पर उनमें से 40 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में उन्नयन की संस्वीकृति दी साथ ही 5 नई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भी संस्वीकृति दी।

3.5.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं पर प्रमुख सचिव, शालेय शिक्षा विभाग एवं संचालक, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का नियंत्रण है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के उचित कार्य चालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था स्तर पर उप प्राचार्य सहित प्राचार्य उत्तरदायी रहते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग का होता है।

3.5.3 लेखापरीक्षा समावेशन

संचालक, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल एवं रायपुर, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा 45 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में से 15* (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत) कार्यालयों के 1996–2001 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच फरवरी से मई तथा अगस्त 2001 के दौरान की गई। परिणामों का उल्लेख आगामी कंडिकाओ में किया गया है।

3.5.4 वित्तीय व्यवस्था

भारत सरकार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन, चलाये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रशिक्षण के दौरान यात्रा भत्तों के अतिरिक्त) एवं आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु आवर्ती व्यय के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त सिविल निर्माण कार्यों एवं उपकरण प्राप्त करने हेतु भी भारत सरकार ने अनावर्ती आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतरण पर व्यय तक सीमित था। प्रशिक्षण के दौरान यात्रा भत्ते पर व्यय भी राज्य सरकार को वहन करना था।

3.5.4.1 बजट परिव्यय एवं व्यय

वित्त व्यवस्था एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राज्य के बजट में किया गया प्रावधान	वर्ष के दौरान व्यय	बचतें	राज्य सरकार की देयताएं	बकाया केन्द्रीय सहायता	वर्ष के दौरान प्राप्त केन्द्रीय सहायता	वर्ष के अंत में केन्द्रीय सहायता का अव्ययित शेष
1.	2	3	(2-3)4	5	(3-5)6	7	(7-6)8
1996-97	12.95	9.63	3.32	1.88	7.75	8.95	(+)1.20
1997-98	12.20	11.21	0.99	1.88	9.33	10.16	(+)0.83
1998-99	20.78	15.69	5.09	1.88	13.81	13.77	(-)0.04
1999-2000	21.24	17.40	3.84	1.88	15.52	19.17	(+)3.65
2000-01**	25.83	15.81	10.02	1.88	13.93	15.45	(+)1.52
योग	**93.00**	**69.74**	**23.26**	**9.40**	**60.34**	**67.50**	**(+)7.16**

* *अम्बिकापुर, बेमेतरा, भोपाल, दतिया, धार, ग्वालियर, इंदौर, खण्डवा, खरगौन, पेण्ड्रा, रायपुर, रायसेन, सीहोर, शहडोल एवं शिवपुरी*

* *1.4.96 को 1.63 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष समाहित ।*

** *1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन पर नवम्बर 2000 से मार्च 2001 के दौरान व्यय पूरा करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को 2.54 करोड़ रुपए राशि (25.83 करोड़ रुपए में समाविष्ट) की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। जिसमें से 31 मार्च 2001 के अनुसार राज्य की वचनबद्ध एक मात्र 0.24 करोड़ रुपए की देयता में से 1.01 करोड़ रुपए का व्यय किया गया तथा 1.53 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता छत्तीसगढ़ राज्य के पास अव्ययित शेष रही।*

99 लाख रुपए से 10.02 करोड़ रुपए के मध्य सतत बचतें हुईं। 2000–01 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 1.53 करोड़ रुपए की बचत दृष्टिगत हुई। बचत के मुख्य कारण क्षेत्रीय परस्पर संबंधी कार्य, क्षेत्रीय अध्ययन, कार्य संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जैसे क्रियाकलाप न करना थे।

3.5.5 वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण

3.5.5.1 आवर्ती व्यय हेतु अधिक आर्थिक सहायता का दावा

प्रतिपूर्ति का दावा विगत वर्ष के व्यय से 48 प्रतिशत अधिक का किया गया।

(i) भारत सरकार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवश्यकता के आधार पर शालेय शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर आवर्ती व्यय हेतु आर्थिक सहायता दी। अव्ययित शेष समायोजित किये जाने थे। यह देखा गया कि 1999–2000 के लिये 23.28 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तावित किया गया जो 1998–99 में किए गए व्यय से 48 प्रतिशत अधिक था।

वास्तविक व्यय से 1.11 करोड़ रुपए की अधिक प्रतिपूर्ति

(ii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त मासिक व्यय विवरणियों तथा अनुदान के समायोजन हेतु राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा भारत सरकार को सूचित व्यय की संवीक्षा से 1998–2001 के दौरान 86.58 लाख रुपए अधिक का दावा प्रगट हुआ। नमूना जांच किए गए 9 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में 1996–98 के दौरान 24.69 लाख रुपए का अधिक दावा किया गया।

3.5.5.2 यात्रा भत्ते के लिए केन्द्रीय सहायता का अनियमित दावा

"सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम" हेतु यात्रा भत्ते पर 1.87 करोड़ रुपए की अनियमित प्रतिपूर्ति

सेवा के दौरान प्रशिक्षण हेतु शामिल होने वाले अध्यापकों का यात्रा भत्ता राज्य सरकार को वहन करना था परंतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा किये गये आवर्ती व्यय में 1.87 करोड़ रुपए सम्मिलित थे और राज्य सरकार ने 1998–2001 के दौरान उसकी प्रतिपूर्ति का दावा किया था।

3.5.5.3 बस्तर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधी राज्य सरकार की देयता को घटाया न जाना।

राज्य सरकार की 0.13 करोड़ रुपए की बचनबद्ध देयता राशि दावे में समाविष्ट की गई ।

केन्द्रीय सहायता में से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में उन्नयित पूर्ववर्ती बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय को घटाया जाना था परंतु 1996–2001 की अवधि हेतु बुनियादी प्रशिक्षण संस्था बस्तर के लिये राज्य की 13.25 लाख रुपए राशि की देयता इस आधार पर कम नहीं की गई कि यह जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत था। कारण मानने योग्य नहीं था क्योंकि पूर्ववर्ती बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं पर किया गया व्यय राज्य सरकार को विभाग पर ध्यान न देते हुए वहन करना था।

3.5.6 जनशक्ति प्रबंधन

3.5.6.1 बड़ी संख्या में रिक्त पद

बड़ी संख्या में पद रिक्त थे।

प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को अभिवांछित सहायक कार्मिकों के साथ ही एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता, व्याख्याता एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध कराए जाने थे। भारत सरकार ने राज्य में प्रत्येक जिला शिक्षा एवं एवं प्रशिक्षण संस्था को 38 से 48 पदों (शैक्षणिक एवं शैक्षणिकेतर) की स्वीकृति दी। अप्रैल 2001 को 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु संस्वीकृत 1202 शैक्षणिक तथा 946 अन्य सहायक पदों में से केवल 696 शैक्षणिक एवं 631 सहायक पद भरे गए तथा 506 शैक्षणिक (42 प्रतिशत) और 315 सहायक पद (33 प्रतिशत) रिक्त थे।

3.5.6.2 संवर्ग का गठन न करना

दस वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था संवर्गों का गठन न किया जाना

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था संकाय के लिए उपयुक्त संवर्गों का गठन, इसकी भर्ती व्यवस्थापन प्रक्रिया , पात्रता का मानदण्ड तथा विभिन्न पदों के लिए स्तरों एवं वेतनमानों का निर्धारण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था परंतु दस वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी समग्र रूप में पृथक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था संवर्ग गठित नहीं किए गए। यद्यपि फरवरी 1994 में सरकार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के राजपत्रित संवर्ग हेतु भर्ती नियमावली तैयार कर ली थी जिसमें वरिष्ठ व्याख्याताओं की 25 प्रतिशत भर्ती व व्याख्याताओं की शत प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था थी। वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता की कोई सीधी भर्ती दिसंबर 2001 तक नहीं की गई।

अनुभवी अध्यापक, ग्रंथपाल, सांख्यिकीविद तथा अन्य कार्यालय कर्मचारी जैसे अराजपत्रित पदों की भर्ती के संबंध में अब तक कोई भर्ती नियमावली नहीं बनाई गई है तथा समस्त पद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भरे जा रहे हैं। वह आधार जिन पर इस संवर्ग हेतु कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं, सूचित नहीं किए गए।

3.5.6.3 संस्वीकृत न किए गए पदों पर व्यय की अनियमित प्रतिपूर्ति

भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत नहीं किए गए पदों पर 1.28 करोड़ रुपए के व्यय की अनियमित प्रतिपूर्ति

(i) 16 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में संस्वीकृत नहीं) में 16 अंशकालिक कम्प्यूटर शिक्षक भारत सरकार की संस्वीकृति के बिना नियुक्त किए गए तथा 1996–2001 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर किये गये 8 लाख रुपए राशि के व्यय की अनियमित रूप में प्रतिपूर्ति ली गई। इसी प्रकार संगीत शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षकों के पद संस्वीकृत न होने के बावजूद पूर्ववर्ती बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के 7 संगीत शिक्षक एवं 2 व्यायाम शिक्षकों (अंबिकापुर–2, बेमेतरा 1, भोपाल 2, इंदौर 1, खरगौन 1, रायपुर 1 एवं शहडोल 1) से कार्य लिया जाना जारी रखा गया । उनके वेतन एवं भत्तों के 0.47

करोड़ रुपए व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध भुगतान किये गये तथा भारत सरकार से उसकी प्रतिपूर्ति करवाई गई।

(ii) कम योग्यता वाले चार शिक्षक (बेमेतरा 1, खरगोन 2 एवं इंदौर 1) अनियमित रूप में शिक्षा विभाग से नियुक्त किए गए तथा 1996–97 से मार्च 2001 तक 0.15 करोड़ रुपए के उनके वेतन एवं भत्ते की राशि की भारत सरकार से प्रतिपूर्ति करवाई गई।

(iii) 1996–2001 में भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत न किये गये पदों के लिये 20 दैनिक वेतन भोगी भृत्यों (अंबिकापुर 3, पेण्ड्रा 5 तथा रायपुर 12) से संबंधित मजदूरी पर 45 लाख रुपए की राशि का अनियमित रूप से दावा किया गया यद्यपि यह व्यय राज्य सरकार को वहन करना था।

(iv) जुलाई 1997 और सितंबर 2000 के दौरान 5 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के 6 व्याख्याताओं सहित 16 कर्मचारी (भोपाल 2, ग्वालियर 5, रायसेन 6, सीहोर 2 तथा शिवपुरी 1) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य कार्यालयों में संस्वीकृत पदों से अधिक संख्या में सम्बद्ध थे उनके वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर व्यय किये गये 13 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति अनियमित रूप से भारत सरकार से कराई गई।

3.5.7 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवनों की प्रगतिः

3.5.7.1 विशिष्टियों में कमी किए जाने के बावजूद निर्माण लागत में वृद्धि

विशिष्टताओं में अनियमित कमी करने के बावजूद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवनों का निर्माण व्यय निर्धारित लागत परिसीमा में नहीं रखा गया।

भारत सरकार ने समस्त 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु 20.61 करोड़ रुपए की कुल लागत पर संस्था भवन, छात्रावास भवनों (100–150 आवासीय क्षमता) की आधारभूत सुविधाओं एवं विशेषकर मरम्मतों सहित कर्मचारी आवास के निर्माण हेतु संस्वीकृति दी (1987–90) तथा 1987–95 के दौरान 20.61 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। साथ ही भारत सरकार ने अनुदेश दिए कि समस्त नए भवन अत्यधिक मितव्ययी पद्धति से रूपांकित किए जावें व उनका निर्माण किया जावे तथा छात्रावास भवन संस्वीकृत क्षमता युक्त होने के प्रयास होने चाहिए और भवन निर्माण इस पद्धति से किया जाना चाहिये जिससे कि वे संस्वीकृतियों में दर्शाई गई अधिकतम लागत सीमा में निर्मित हो सकें।

राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग को भवन की विशिष्टताओं में कमी करने (13 व 11 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में संस्था भवनों का एक तल कम किया गया तथा छात्रावासों में छात्र क्षमता क्रमशः 100 से कमकर 58 छात्रों की और 120–150 से कम कर 90 छात्र की गई) के अनुदेश दिए (जनवरी 1993)। राज्य सरकार ने विशिष्टियों में कमी करने के बावजूद समस्त 45 भवनों की पूर्णता हेतु 10.19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियों की मांग की (नवंबर 1996) जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने 5.61 करोड़ रुपए विमोचित किये (मार्च 1997)। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवनों के निर्माण की सूचित प्रगति (अप्रैल 2001) से प्रगट हुआ कि यद्यपि मार्च 2001

तक 27.24 करोड़ रुपए का व्यय करने के उपरांत (45 में से) 35 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ उसमें से केवल 24 भवन ही विभाग को हस्तांतरित किए गए। कमी किए जाने के बावजूद व्यय संस्वीकृत लागत के भीतर नहीं था।

नमूना जांच की गई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में निर्माण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम	निष्पादन हेतु निर्माण कार्य	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि व दिनांक	वस्तुतः निष्पादित कार्यों के विवरण	किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	धार	1. प्रथमतल युक्त संस्था भवन 2. 150 छात्रों हेतु छात्रावास 3. कर्मचारियों के 6 आवास	0.64 करोड़ रुपए/मार्च 1991	1. साजसज्जा कार्य को छोड़कर केवल भूतल तक संस्था भवन 2. साजसज्जा कार्य को छोड़कर 58 छात्रों हेतु छात्रावास, 32 छात्राओं हेतु कन्या छात्रावास आरंभ नहीं 3. कर्मचारी आवास निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया	1.18 करोड़ रुपए	1.52 करोड़ रुपए के लिए संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में फरवरी 2001 से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। यह वांछित स्वीकृति राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास प्रस्तुत है (अप्रैल 2000)
2.	खण्डवा	1. प्रथम तल युक्त संस्थान भवन 2. 120 छात्रों हेतु छात्रावास भवन 3. कर्मचारियों के 6 आवास	0.50 करोड़ रुपए/ मार्च 1991	1. साजसज्जा कार्य को छोड़कर संस्थान भवन 2. छात्रावास भवन 60 प्रतिशत छत पूर्ण 3. कर्मचारी आवास निर्माण कार्य आरंभ नहीं	0.39 करोड़ रुपए	1.24 करोड़ रुपए के लिए संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में फरवरी 2000 से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। स्वीकृति दिए जाने हेतु यह प्रस्तुत है (1996–97)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, धार में उपयुक्त भूमि के आबंटन, निधियों का समयबद्ध आबंटन तथा संशोधित अनुमानों एवं प्रशासकीय स्वीकृति की संस्वीकृति में असामान्य विलम्ब के कारण निर्माण लागत 54 लाख रुपए अधिक हो गई तथापि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, खण्डवा ने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा लागत बढ़ जाने के कोई कारण सूचित नहीं किए।

3.5.7.2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवनों का अनधिकृत उपयोग

(i) यद्यपि भोपाल में 79.16 लाख रुपए की लागत पर निर्मित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवन विभाग को 1993–96 के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया था तथापि संस्था अभी भी पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण संस्था भवन में संचालित है क्योंकि नव निर्मित भवन अनियमित रूप में शिक्षा महाविद्यालय को दिया गया। इस प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को सौंपे गए विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापों के लिये अपने भवन एवं पर्याप्त क्षेत्र से वंचित रखा गया।

3 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के लिए बनाए गए भवन अन्य क्रियाकलापों में उपयोग में लाए गए।

(ii) इंदौर में सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान रहने हेतु बनाए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के छात्रावास भवन को राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुदेशानुसार मार्च 1998 में भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर को अनियमित रूप से हस्तांतरित किया गया। संस्थान से न तो कोई भाड़ा प्रभारित किया गया और न कोई अनुबंध ही किया गया।

(iii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था भवन शहडोल के दो कक्ष जिलाध्यक्ष के मौखिक आदेश से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन शहडोल के अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र को आबंटित कर दिए गए। इसी प्रकार संस्था के प्राचार्य एवं भृत्य के आवास हेतु नियत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, शिवपुरी के क्रमशः एक "एफ" टाइप आवास एवं एक "आई" टाइप आवास जिलाध्यक्ष ने राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को आबंटित कर दिये। इसके लिए राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/राज्य सरकार/भारत सरकार से कोई स्वीकृति नहीं ली गई।

3.5.8 कार्यक्रम एवं क्रियाकलापों का क्रियान्वयन

3.5.8.1 सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (पत्रोपाधि शिक्षा पाठ्यक्रम)

सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाने वालों की दर 12 से 17 प्रतिशत थी।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि प्रत्येक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा द्विवर्षीय सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जावें।

नमूना जांच किए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं तथा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से प्रकट हुआ कि संस्वीकृत अभ्यर्थियों की केवल 75 से 85 प्रतिशत वस्तुतः भर्ती की गई जिसमें से 12 से 17 प्रतिशत अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना संस्था छोड़ गए।

3.5.8.2 प्राथमिक शिक्षकों का सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान न की जाना तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण का वार्षिक केलेण्डर तैयार न किया जाना।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों में शिक्षकों को उनके व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप बनाए रखने हेतु तथा उनके ज्ञान, दक्षता एवं अभिक्षमता को विकसित करने की दृष्टि से भी सेवा के दौरान सतत शिक्षा का प्रावधान था। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को प्राथमिक शाला शिक्षकों की सेवा के दौरान प्रशिक्षण आवश्यकताओं (अल्प, मध्य एवं दीर्घ कालीन) की पहचान करने की आवश्यकता थी और प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को इसके लिये प्रशिक्षण के आधार पर एक वार्षिक केलेण्डर तैयार करना था जिससे कि प्रत्येक पांच वर्षों के चक्र में प्रत्येक कार्यरत शिक्षक को न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि (वरीयता 3 से 5 सप्ताह को दी जाए) का प्रशिक्षण दिया जावे।

किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था ने ऐसा वार्षिक केलेण्डर तैयार नहीं किया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं ने बताया कि

केवल अल्प कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यत: 7 दिवस के विशेषोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 12 दिवस के सीखना–सिखाना कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सब के अतिरिक्त विषयवस्तु पर अत्यन्त कम समय का प्रशिक्षण (2–3 दिन) भी नमूना जांच किये गये जिलों में परिचालित किया जाना पाया गया। विशेषोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सीखना–सिखाना की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	विशेषोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम			सीखना-सिखाना एक मुश्त कार्यक्रम		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता सहित कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता सहित कमी
1993-97	1,48,000	20,581	1,27,419 (86 प्रतिशत)	70,268 (1996-97)	46,500	23,768 (34 प्रतिशत)
1997-98	निरंक	निरंक	--	1,48,000	1,12,000	36,000 (24 प्रतिशत)
1998-99	निरंक	निरंक	--	2,00,000	1,27,609	72,391 (36 प्रतिशत)
1999-2000	निरंक	निरंक	--	83,000	68,816	14,184 (17 प्रतिशत)
2000-01	27,000	4188	22,812 (84 प्रतिशत)	निरंक	निरंक	--

(i) यह देखा जा सकता है कि प्रशिक्षित किये जाने वाले 1,75,000 शिक्षकों के विरुद्ध 8 वर्षों में विशेषोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन केवल 24,669 शिक्षक ही प्रशिक्षित किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम सन्तुलित नहीं था और प्रत्येक वर्ष परिचालित नहीं किया गया। सीखना–सिखाना कार्यक्रम की उपलब्धियों में 17 से 36 प्रतिशत के मध्य कमी रही और 2000–01 में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

(ii) विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु लक्ष्यों के निर्धारण एवं शिक्षकों के चयन के लिए कोई मापदण्ड सूचित नहीं किए। सीखना–सिखाना के अंतर्गत प्रशिक्षण की सूचित उपलब्धियों से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सेवा के दौरान अध्यापकों के लिए नियत कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से प्राप्त विशेषोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम की 0.51 करोड़ रुपए की निधियों का दुरुपयोग

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने 1993–96 के दौरान 148000 शिक्षकों को विशेषोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिए जाने हेतु राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को 1.28 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1993–96 के दौरान कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया। 1.28 करोड़ रुपए में से 0.51 करोड़ रुपए 1994–95 के दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उपकरण के क्रय पर अनियमित रूप से व्यय किए गए जिसके लिए भारत सरकार ने पहले ही पृथक से निधियां उपलब्ध कराई थीं, 1996–97 के दौरान प्रशिक्षण पर 0.67 करोड़ रुपए व्यय किए गए तथा 0.10 करोड़ रुपए राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बैंक खाते में पड़े हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा

प्रशिक्षण हेतु प्रदत्त 0.51 करोड़ रुपए की निधियों का राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/भारत सरकार की स्वीकृति के बिना उपकरण के क्रय हेतु दुरुपयोग किया गया।

(iv) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विशेषोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 1996–97 के दौरान मुद्रित कराई गई 8.20 लाख रुपए मूल्य की 50,000 "निर्देशिका" पुस्तिकाओं में से 25795 प्रतियां राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास अप्रयुक्त पड़ी थीं, क्योंकि 1997–2000 में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। 2000–01 के दौरान 7.13 लाख रुपए लागत मूल्य से नई "निर्देशिका" की 29000 प्रतियों का मुद्रण कराया गया जबकि प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इन नई पुस्तिकाओं में से 6.10 लाख रुपए मूल्य की 24812 पुस्तिकाएं राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में अप्रयुक्त पड़ी हैं। इसके परिणामस्वरूप 14.30 लाख रुपए (8.20 लाख रुपए + 6.10 लाख रुपए) का व्यय निष्फल हुआ।

3.5.8,3 प्रशिक्षण कर्मचारियों का कम उपयोग

नमूना जांच किए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कर्मचारियों का कम उपयोग दृष्टिगत हुआ।

15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि सेवा के दौरान शिक्षकों को 40 के समूह में प्रशिक्षण दिया गया था। नमूना जांच किए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में उपयोग में लाए गए शैक्षणिक कर्मचारियों के मानव दिवस ***परिशिष्ट XXXIII*** में दिए गए हैं जिससे प्रकट हुआ कि नमूना जांच किये गये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवा के दौरान शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाए गए कर्मचारियों के मानव दिवसों की प्रतिशतता 12 से 68 के मध्य रही तथा 15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में से 11 में यह 50 प्रतिशत से भी कम रही।

(i) 1996–2001 के दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाए गए शैक्षणिक कर्मचारियों के मानव दिवसों की औसत संख्या उपलब्ध 490 मानव दिवसों की तुलना में 59 (शहडोल) और 248 (अंबिकापुर) के मध्य रही तथा प्रतिवर्ष प्रति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में उपयोग में लाए गए मानव दिवसों की समग्र स्थिति केवल 129 संगणित की गई।

(ii) 1999–2000 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था धार ने तथा 2000–01 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था शहडोल ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया और प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाए गए मानव दिवस 1997–98 के दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था सीहोर में (9) तथा दतिया में (12) 2000–01 के दौरान धार में (3), अंबिकापुर में (14) बेमेतरा में (14) तथा रायसेन में (16) नगण्य थे।

(iii) इस प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त व्याख्याताओं का उचित रूप से पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सका।

3.5.8.4 प्रशिक्षण

उप प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता का एक पद तथा व्याख्याताओं के चार पदों (प्रौढ़ शिक्षा के लिए 2 तथा औपचारिकेतर शिक्षा के लिए 2) को मिलाकर बनाई गई जिला संसाधन इकाई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की महत्वपूर्ण शाखा होने के नाते इसे प्रौढ़ शिक्षा एवं औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों को भर्ती करना और क्रमशः 31 एवं 50 दिनों का वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था।

3.5.8.4.1 प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण

प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण न दिए जाने के कारण 1.48 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय

(i) यद्यपि प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में जिला संसाधन इकाई की स्थापना की गई थी तथापि किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों (अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक) को प्रशिक्षण नहीं दिया गया क्योंकि राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने न तो कोई अनुदेश जारी किए न कोई बजट ही आबंटित किया। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बताया कि प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जाने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों में समाविष्ट प्रावधानों तथा प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट कर्मचारी संस्वीकृति एवं नियुक्ति की दृष्टि से उत्तर मान्य नहीं है।

(ii) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा नमूना जांच किए गए 15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि यद्यपि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं ने प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया तथापि जिला संसाधन इकाई में 14 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत 26 व्याख्याता संस्वीकृत पदों से अधिक थे। 1996–2001 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर परिलब्धियों की औसत दर पर संगणित 1.48 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

3.5.8.4.2 औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण

उपयुक्त योजना न होने के कारण राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास 1.47 करोड रुपए की केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही।

(i) 1996–2001 के दौरान भारत सरकार ने औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु 3.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल व्यय केवल 2.65 करोड़ रुपए था जिसमें से केन्द्रीय अंश 1.69 करोड़ रुपए का होना चाहिए था। इस प्रकार राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास भारत सरकार की 1.47 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि अप्रयुक्त रही।

(ii) वर्ष 2000–01 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने अप्रैल 2000 में योजना को बंद कर दिया। 54 व्याख्याता निष्क्रिय रहे क्योंकि राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अन्य कार्यों में उनकी सेवाओं के उपयोग के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए थे। उनके वेतन एवं भत्तों पर 2000–01 के दौरान औसत परिलब्धियों की दर पर संगणित कुल 76.78 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

3.5.8.5 अन्य क्रियाकलाप

क्षेत्रीय अन्य क्रियाकलाप जैसे क्षेत्रीय परस्पर संबंधी कार्य, शिक्षण कार्यकर्ताओं में विभिन्न शैक्षणिक जानकारी के प्रसार हेतु विस्तार संबंधी क्रियाकलाप और क्षेत्रीय अध्ययन, कार्य संबंधी अनुसंधान और परीक्षण इत्यादि जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का प्राथमिक उत्तरदायित्व था, अधिकांश सभी 15 नमूना जांच किए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाना नहीं पाया गया तथा विस्तार संबंधी क्रियाकलापों के लिए 1999–2000 में भारत सरकार द्वारा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को उपलब्ध कराई गई 45 लाख रुपए की निधियां उक्त उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं की गईं क्योंकि ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को आबंटित नहीं की गई थीं।

3.5.9 संस्थाओं के पुस्तकालय

योजना में प्रावधान के अनुसार पुस्तकालय कार्यशील न होना

पुस्तकालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई होता है अतः इसे विभिन्न विषयों की लगभग 10000 पुस्तकों से सुसज्जित किया जाना अपेक्षित था तथा इसे अबाध प्रवेश के आधार पर चलाया जाना था। पुस्तकालय को सामान्य कार्य घंटों से अधिक अवधि तक खुला रखा जाना था। ग्रंथपाल के एक पद तथा लिपिक के एक पद की संस्वीकृति दी गई थी। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक पुस्तकालय परामर्शदाता समिति भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी।

भारत सरकार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को पुस्तकों से सज्जित करने हेतु अनावर्ती सहायता के रूप में 74.65 लाख रुपए संस्वीकृत किये परंतु पुस्तकों के क्रय पर केवल 4.65 लाख रुपए व्यय किया जाना सूचित किया गया (फरवरी 2001)। 70 लाख रुपए सिविल जमा में रखे गए जो सरकारी लेखे में व्यपगत हो गये। अप्रयुक्त राशि भारत सरकार को वापस की जानी चाहिये थी और राज्य सरकार की सहायता के लिये उसे व्यपगत नहीं होने देना चाहिये था। पुस्तकालय की स्थापना न होने के कारण कुछ शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हो सके और उनकी जानकारी के स्तर में वृद्धि का अवसर भी चला गया।

3.5.10 कम्प्यूटरों का अनुचित उपयोग

वर्ष 1990–91 के दौरान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 29.60 लाख रुपए मूल्य के कम्प्यूटरों का प्रदाय 20 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं (प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को 1.48 लाख रुपए की दर पर प्रिंटर सहित 4 कम्प्यूटर) तथा वर्ष 1992–93 में भारत सरकार ने 25 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को (प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को 2.16 लाख रुपए की दर पर प्रिंटर सहित 2 कम्प्यूटर) 54 लाख रुपए मूल्य के कम्प्यूटरों की आपूर्ति की। जहां तक कम्प्यूटरों के उपयोग का प्रश्न है, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने निर्दिष्ट किया (अक्टूबर 1995) कि कम्प्यूटरों का उपयोग मुख्यतः डाटाबेस शैक्षणिक सांख्यिकी तैयार करने हेतु किया जाना चाहिये।

तथापि नमूना जांच किए गए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जिलों के डाटाबेस शैक्षणिक सांख्यिकी की तैयारी हेतु कम्प्यूटरों का उपयोग नहीं किया जा रहा था जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के विशेषकर प्रभावकारी सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण आवश्यकताएं सुनिश्चित करने संबंधी कार्यविधियों हेतु उपयोगी हो सकता था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था रायसेन को आपूरित कम्प्यूटर 1992–93 से संस्थापित ही नहीं किये गये तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था धार के कम्प्यूटर 1995–96 के दौरान अन्य कार्यालयों को भी अंतरित किए गए। इस प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को जिस मुख्य उद्देश्य हेतु कम्प्यूटरों का प्रदाय किया गया था वह पूरा नहीं हो सका।

3.5.11 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

(क) परिवीक्षण

परिवीक्षण/मूल्यांकन का पूर्ण अभाव

राज्य स्तरीय परिचालन सह परिवीक्षण समिति गठित की जानी थी तथा समिति को निरंतर त्रैमासिक रूप में अथवा यदि आवश्यक हो तो अधिक बार बैठक करना अपेक्षित था। यद्यपि समिति गठित की हुई बताई गई तथापि समिति के गठन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 1996–01 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं की गई। इस प्रकार राज्य स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के परिवीक्षण का नितांत अभाव था।

इसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं पर विचार हेतु जिला स्तर पर एक समिति गठित की जानी थी परंतु नमूना जांच किए गए 15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में से 14 में ऐसी कोई समिति कार्यरत नहीं पाई गई। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को एक कार्यक्रम परामर्शदाता समिति गठित करने की भी आवश्यकता थी जो योजना एवं अपने कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को पूरा करने में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का मार्गदर्शन कर सके परंतु 11 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में ऐसी कार्यक्रम परामर्शदाता समिति गठित नहीं की गई।

(ख) मूल्यांकन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं गुणात्मक एवं मात्रापरक रूप में अपने विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहीं, इसका निर्धारण करने की दृष्टि से प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में स्व मूल्यांकन करना था तथा प्रतिवेदन राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को प्रस्तुत करना था।इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपनी क्षमता एवं कमजोरी के निर्धारण के लिये तथा उन्हें और प्रभावी बनाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु निश्चित संख्या में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण

संस्थाओं के निष्पादन का एक सक्षम बाह्य अभिकरण से निष्पादन मूल्यांकन कराना था परन्तु न तो किसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने कोई स्व मूल्यांकन किया, न बाह्य संस्था से करवाया गया।प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयोगिता की कोई प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बताया (अप्रैल 2001) कि 1996–2001 के दौरान ऐसा मूल्यांकन नहीं किया जा सका तथा इस वर्ष से यह आरंभ किया जावेगा।

उपर्युक्त तथ्य जुलाई 2001 में सरकार की ओर भेजे गए, उत्तर अब तक अप्राप्त हैं (जनवरी 2002)।

3.6 औपचारिकेतर शिक्षा

मुख्यांश

"औपचारिकेतर शिक्षा" योजना मध्यप्रदेश में एक राज्य योजना के रूप में फरवरी 1975 में आरंभ की गई थी और भारत सरकार ने इसे अंगीकृत कर 1979-80 में लागू किया जो 1993 में पुनर्गठित की गई। शाला छोड़ने वाले बच्चों की समस्या का समाधान करने तथा नामांकन बढ़ाने के अपने अनुपूरक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी योजना विफल रही। 1995-2001 अवधि के दौरान राज्य क्षेत्राधीन औपचारिकेतर शिक्षा पर 157.98 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद भी बच्चों के शाला छोड़ने की दर प्राथमिक शाला स्तर पर 96 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 84 प्रतिशत थी। राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने की अपेक्षा "शिक्षा गारंटी योजना" के नाम से एक नई योजना जनवरी 1997 से आरंभ की जो 1996-97 से 1999-2000 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा के समानान्तर चलाई गई। यद्यपि औपचारिकेतर शिक्षा योजना 1 अप्रैल 2000 से समाप्त कर दी गई थी फिर भी राज्य सरकार ने इस योजना के अधीन भारत सरकार से अनुदान प्राप्ति का दावा जारी रखा।

औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र कम संख्या में होने तथा पाठ्य पुस्तकों का क्रय न करने के परिणामस्वरूप 1995–99 के दौरान 1.12 करोड़ रुपए से 9.07 करोड़ रुपए के मध्य सतत बचतें हुईं।

(कंडिका 3.6.6.1(i))

बोनस, जनसंचार माध्यम/अभिप्रेरण, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण आदि के भुगतान हेतु 2.42 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता राशि कार्यालय व्ययों पर उपयोग की गई।

(कंडिका 3.6.6.2(ii)

वर्ष 2000–2001 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत जारी की गई 10.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की राशि शिक्षा गारंटी योजना पर उपयोग की गई क्योंकि सभी औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिए गए थे।

(कंडिका 3.6.6.3)

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा औपचारिकेतर शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष रूप से आदर्श पठन–पाठन सामग्री विकसित नहीं की गई।

(कंडिका 3.6.7.3 एवं 3.6.7.4)

94.92 लाख रुपए मूल्य की पाठ्य पुस्तकें 4 माह से 12 माह के विलम्ब से प्रदाय की गईं तथा 3.83 करोड़ रुपए मूल्य की पठन–पाठन सामग्री 8 से 30 माह के विलम्ब से क्रय की गई जिसमें से 23.40 लाख रुपए मूल्य की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी रही।

(कंडिका 3.6.7.5(i),(ii) एवं 3.6.7.6)

योजना में फर्नीचर, खेल सामग्री एवं लेखन सामग्री जैसी असंदर्शित वस्तुओं का 50.76 लाख रुपए का अनियमित क्रय किया गया तथा शिक्षा गारंटी योजना पर 12.09 लाख रुपए मूल्य की पठन–पाठन सामग्री का अनियमित उपयोग करना पाया गया।

(कंडिका 3.6.7.5 (ii) (ग) एवं (घ)

दिन के समय में चल रहे औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों द्वारा प्रकाश व्यवस्था/ईंधन प्रभारों हेतु किया गया 44.46 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता का दावा अनियमित था।

(कंडिका 3.6.7.6)

1995–96 से 1999–2000 के दौरान कक्षा V और VIII की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की प्रतिशतता नामांकन के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः 2 से 5 प्रतिशत तथा 6 से 9 प्रतिशत के मध्य रही, जिससे औपचारिकेतर शिक्षा योजना का अत्यल्प निष्पादन दृष्टिगत हुआ।

(कंडिका 3.6.7.7)

8 जिलों में 1875 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र चलाने हेतु 26 स्वैच्छिक संस्थाओं को जारी की गई 3.79 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का उपयोग संदिग्ध था।

(कंडिका 3.6.9(ii))

3 6.1 प्रस्तावना

"औपचारिकेतर शिक्षा" योजना मध्यप्रदेश में राज्य योजना के रूप में फरवरी 1975 में आरंभ की गई थी और इसे भारत सरकार ने अंगीकृत कर 1979–80 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया था। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति मई 1986 में अंगीकृत की गई तथा औपचारिकेतर शिक्षा को नीति का आंतरिक घटक बनाया गया।

3.6.2 उद्देश्य

योजना के विनिर्दिष्ट उद्देश्य थे (i) शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, पर्यावरण तथा जीवन शैली से संबद्ध पाठ्यक्रम, पठन–पाठन सामग्री, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन तकनीकों आदि का समावेशन करते हुए शाला छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षापरक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, (ii) प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक ओर सरकार तथा दूसरी ओर गैर सरकारी संगठनों के मध्य भागीदारी स्थापित करना, (iii) औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु स्थानीय समुदाय से नवयुवकों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना, (iv) महिलाओं के विकास संबंधी उद्देश्यों को बल प्रदान करने के लिए औपचारिकेतर शिक्षा महिला संगठकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष ध्यान देना।

3.6.3 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग आयुक्त, लोक शिक्षण तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तरदायी हैं। संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक और जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक औपचारिकेतर शिक्षा तथा परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी उनकी सहायता करते हैं।

अगस्त 1994 में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का आरंभ किये जाने पर तथा इसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1996 में उन्हें शक्तिओं का प्रत्यायोजन करने पर जिले में समग्र प्रशासन, परिवीक्षण और पर्यवेक्षण के कार्य जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को सौंपे गये ।

औपचारिकेतर शिक्षा योजना और राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन दिसंबर 1999 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन को हस्तांतरित कर दिया गया और अप्रैल 2000 से इस योजना को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया।

3.6.4 लेखापरीक्षा समावेशन

औपचारिकेतर शिक्षा क्रियान्वयन से संबंधित 1995–96 से 1999–2000 अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच सचिवालय में शिक्षण संचालनालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन (राज्य शिक्षा केन्द्र), 11 जिला शिक्षा अधिकारियों* और उनके अधीनस्थ परियोजना अधिकारियों, जिला जनपद पंचायतों तथा नगर निगमों/नगर पालिकाओं में जनवरी से अगस्त 2001 के दौरान की गई थी।

* *भोपाल, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, मंडला, सिवनी, शिवपुरी व टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश राज्य), रायपुर व राजनांदगांव (छत्तीसगढ़ राज्य)*

3.6.5 योजना की वित्त व्यवस्था

योजना पर होने वाले व्यय को सह शिक्षा केन्द्रों हेतु 60:40 के अनुपात में तथा केवल कन्या छात्राओं हेतु केन्द्रों पर 90:10 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य अंश विभाजित किया जाना था। औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र चलाने हेतु तथा प्रायोगिक एवं नवीन पद्धति परियोजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

3.6.6 वित्तीय परिव्यय/बजट प्रावधान

3.6.6.1 विनियोग लेखे के अनुसार वित्त व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) / बचतें (-) तथा बचतों का प्रतिशत	व्यय में राज्य का अंश	व्यय में भारत सरकार का अंश	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अधिक अनुदान
1995-96	27.37	26.25	(-) 1.12 (4)	8.87	17.38	24.15	6.77
1996-97	30.27	25.30	(-) 4.97 (16)	7.53	17.77	26.46	8.69
1997-98	34.76	25.69	(-) 9.07 (26)	7.93	17.76	23.26	5.50
1998-99	34.11	30.44	(-) 3.67 (11)	9.17	21.27	28.70	7.43
1999-2000	36.07	37.86	(+) 1.79	11.36	26.50	25.78	(-)0.72
2000-2001	37.02	12.44	(-)24.58 (66)	4.63	7.81	10.50	2.69
योग	**199.60**	**157.98**	**(-)41.62 (21)**	**49.49**	**108.49**	**138.85**	**30.36**

पुस्तकों का क्रय न करने तथा संस्वीकृत संख्या से कम औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र चलाये जाने के कारण सतत बचतें हुई

(i) औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृत संख्या की अपेक्षा 6 से 13 प्रतिशत तक कम केन्द्र चलाए जाने तथा पाठ्य पुस्तकों का क्रय न किए जाने के कारण उक्त वर्षों में 1.12 करोड़ रुपए से 9.07 करोड़ रुपए के बीच सतत बचतें हुईं। इससे दृष्टिगत हुआ कि बजट अनुमान यथार्थपरक नहीं थे और बजट नियंत्रण का अभाव था।

(क) यद्यपि राज्य में औपचारिकेतर शिक्षा योजना अप्रैल 2000 से समाप्त हो गई थी तथापि 2000–01 के दौरान प्राप्त हुई 10.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता राशि शिक्षा गारंटी योजना (राज्य सरकार योजना) पर अनियमित रूप से उपयोग की गई। केवल 10.50 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त करने के बाद भी 2000–2001 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु 12.44 करोड़ रुपए का व्यय अनियमित रूप से पुस्तांकित किया गया। विवरण कंडिका 6.3 में दिए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता की अव्ययित राशि (मार्च 2000 के अन्त में) 3.27 करोड़ रुपए बताई गई थी जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के व्यय आंकड़ों के

अनुसार यह 27.67 करोड़ रुपए संगणित की गई। इस तथ्य की ओर इंगित किए जाने पर आयुक्त, लोक शिक्षण ने बताया कि 24.40 करोड़ रुपए की विसंगति व्यय आंकड़ों का मिलान न किए जाने के कारण थी।

3.6.6.2 अधिक वित्तीय सहायता का दावा

संस्वीकृत केन्द्रों के साथ ही अक्रियाशील/बंद किये गये औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्रीय सहायता का दावा किया गया।

(i) उक्त योजना के अंतर्गत 34080 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को मिलाकर 340 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 1995–96 के दौरान 30654 केन्द्र (90 प्रतिशत) कार्यरत थे जो 1999–2000 तक क्रमिक रूप से कम होकर 29536 (87 प्रतिशत) रह गए। कम संख्या में केन्द्र चलाए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने सभी संस्वीकृत केन्द्रों हेतु केन्द्रीय सहायता का दावा किया।

संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन ने बताया (जनवरी 2001) कि औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को बन्द करना/आरंभ करना वर्ष भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिये निधियों की मांग संस्वीकृत केन्द्रों (34080) की संख्या के आधार पर की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यरत केन्द्रों की संख्या कभी भी 32000 से अधिक नहीं बढ़ी थी और 5 वर्षों में लगभग 27.67 करोड़ रुपए का अधिक दावा किया गया।

आगे यह भी देखा गया कि मार्च 2000 में योजना बंद हो जाने के बाद भी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के पास धनराशियाँ (31 मार्च 2001 को 3.15 करोड़ रुपए) अप्रयुक्त पड़ी थीं। विभाग इन निकायों से अव्ययित राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(ii) 11 जिलों में 75 परियोजनाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 4.60 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई थी, जबकि बताया गया व्यय केवल 3.40 करोड़ रुपए था। ऐसा मुख्यतः अनुदेशकों को बोनस के भुगतान न करने, जनसंचार माध्यम/अभिप्रेरण तथा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यय के कारण था, जिसके लिए केन्द्रीय सहायता मान्य थी और दावा प्राप्त किया गया।

केन्द्रीय सहायता के 2.42 करोड़ रुपए कार्यालय व्ययों पर उपयोग किए गए

इसी प्रकार यद्यपि शेष 265 परियोजनाओं के लिए बोनस, जनसंचार माध्यम/अभिप्रेरण तथा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 1.22 करोड़ रुपए की सहायता का दावा किया गया, तथापि इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया कि अधिक प्राप्त की गई 2.42 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता कार्यालय व्ययों पर उपयोग की गई।

3.6.6.3 औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत दावाकृत केन्द्रीय सहायता राशि का शिक्षा गारंटी योजना के लिये उपयोग किया गया।

नवीन संस्थागत संरचना की व्यवस्था करते हुए शिक्षा गारंटी योजना (1997 से चल रही एक राज्य योजना) को अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से तथा औपचारिकेतर शिक्षा निधियों का

शिक्षा गारंटी योजना हेतु उपयोग करने की महती अवधारणा के साथ सरकार ने अप्रैल 2000 से औपचारिकेतर शिक्षा योजना को बंद करने का निर्णय लिया (सितंबर 1999)। उक्त प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकार को निर्देशित किया (सितंबर 2000) कि 2000–2001 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा योजना को भंग न किया जाए और शिक्षा गारंटी योजना को अप्रैल 2001 से यथानुरूप आरंभ किया जाए। तदैव प्रस्ताव मांगे गए। भारत सरकार के परामर्श की उपेक्षा करते हुए राज्य सरकार ने औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को बंद कर दिया किन्तु 25.51 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव प्रस्तुत किये (दिसंबर 2000) जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ (i) प्रशासनिक संसाधन सहायता पर व्यय (6.53 करोड़ रुपए) (ii) अनुदेशकों के मानदेय पर 5 माह (अप्रैल–अगस्त 2000) का व्यय और सभी 34080 स्वीकृत औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों हेतु 12 माह का आवर्ती व्यय (17.49 करोड़ रुपए) तथा (iii) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आरंभ की गई शिक्षा गारंटी योजना की 9052 प्राथमिक शालाओं और 2000 उच्च प्राथमिक शालाओं हेतु व्यय (1.49 करोड़ रुपए) सम्मिलित था। इसकी तुलना में भारत सरकार ने 5 माह (अप्रैल–अगस्त 2000) के लिये औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र चलाने के बदले में केवल 10.50 करोड़ रुपए जारी किए।

2000-2001 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त 10.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता को राज्य सरकार ने शिक्षा गारंटी योजना पर उपयोग किया।

औपचारिकेतर शिक्षा योजना को मार्च 2001 तक जारी रखने के भारत सरकार के अनुदेशों के विपरीत, मध्यप्रदेश सरकार ने औपचारिकेतर शिक्षा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं शिक्षा गारंटी योजना/राज्य शिक्षा केन्द्र एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला शिक्षा केन्द्रों को स्थानांतरित कर दी (अप्रैल 2000) तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारी अमले को विकास खण्ड शिक्षा कार्यालयों में भेजा गया। इस प्रकार औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के दौरान प्राप्त 10.50 करोड़ रुपए की समूची केन्द्रीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा गारंटी योजना पर उपयोग में लाई गई।

3.6.7 आयोजना एवं क्रियान्वयन

3.6.7.1 आधारभूत सर्वेक्षण

औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र खोलने के पूर्व पहाड़ी अंचलों, जनजाति क्षेत्रों, शिक्षा में पिछड़े इलाकों एवं शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित रहे 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों का सर्वेक्षण किया जाना था। कन्या छात्राओं, स्कूल छोड़े हुए बच्चों, बिना स्कूल सुविधाओं वाले निवासी बच्चों सहित प्रवेश न पाए, कामकाजी बच्चों, शाला में न आ रहे बच्चों को मिलाकर संख्यात्मक जानकारी आदि जैसे आधारपरक आंकड़ों के अभाव में केन्द्र उन अनुदेशकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर खोले गये थे जो या तो स्थानीय बेरोजगार युवक, सेवा निवृत्त व्यक्ति अथवा गांव के अंशकालिक सेवाकर्मी थे।

3.6.7.2 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

नमूना जांच किए गए जिलों में औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की संख्या 91 प्रतिशत से कम होकर 76 प्रतिशत रह गई

प्रत्येक केन्द्र में 20 से 25 शिक्षार्थियों के साथ 340 परियोजनाओं के अंतर्गत 34080 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति दी गई थी। संचालित होना बताये गये और नमूना जांच किये गये 11 जिलों में चल रहे औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	राज्य में कार्यरत औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की स्थिति			11 नमूना जांच किये गये जिलों में कार्यरत औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की स्थिति		
	संस्वीकृत	वस्तुतः कार्यरत	प्रतिशत	संस्वीकृत	वस्तुतः कार्यरत	प्रतिशत
1995-96	34080	30654	90	7500	6822	91
1996-97	34080	32000	94	7500	6563	87
1997-98	34080	29792	87	7500	6277	84
1998-99	34080	29790	87	7500	6194	83
1999-2000	34080	29536	87	7500	5688	76

नमूना जांच में प्रकट हुआ कि कार्यरत औपचारिकेतर केन्द्रों की संख्या संस्वीकृत संख्या से कम थी।

3.6.7.3 संक्षिप्त पाठ्यक्रम विकसित न करना

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अपेक्षित संक्षिप्त पाठ्यक्रम अभिकल्पित एवं विकसित करने में विफल रहा ।

दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्तर का 5 वर्ष का समूचा पाठ्यक्रम संक्षिप्त कर 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना निर्धारित था। उच्च प्राथमिक स्तर का पाठयक्रम 3 वर्ष में पूर्ण करना था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने ऐसा संक्षिप्त पाठ्यक्रम निरूपित एवं विकसित नहीं किया था। परिणामस्वरूप राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को पंगु कर दिया गया। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बताया (जनवरी 2001) कि कक्षा I से V तक से संबंधित पारंपरिक प्रणाली की पठन–पाठन सामग्री को 18 इकाइयों में बांटा गया था जो औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में 9 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को दो वर्षों में पढ़ाई जानी थी तथा 6 वर्ष की आयु में भर्ती हुए बच्चों को यह पाठ्यक्रम पांच वर्ष की अवधि में पढ़ाया जाना था। किन्तु प्रयोजनमूलक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया तथापि जिला शिक्षा अधिकारियों ने सूचित किया कि संक्षिप्त पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित नहीं किया गया था, अस्तु औपचारिकेतर शिक्षार्थियों को केवल औपचारिक पाठ्यक्रम पुस्तकों से ही पढ़ाया जा रहा था।

शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से आकल्पित पठन-पाठन सामग्री विकसित करने में परियोजना अधिकारी विफल रहे

3.6.7.4 विशेष रूप से आकल्पित पठन-पाठन सामग्री विकसित न करना।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम क्रमशः दो एवं तीन वर्ष की निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु परियोजना स्तर पर विशेष रूप से आकल्पित पठन सामग्री यथा नक्षे, चित्रपटल,

पुस्तकें, खेल सामग्री इत्यादि विकसित किए जाने थे। नमूना जांच किए गए जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों तथा परियोजना अधिकारियों ने सूचित किया कि विशेष रूप से आकल्पित पठन–पाठन सामग्री विकसित नहीं की जा सकी क्योंकि उक्त सामग्री से संबंधित सभी क्रय जिला पंचायतों द्वारा किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विशेष रूप से आकल्पित पठन–पाठन सामग्री का क्रय से कोई संबंध नहीं था। परियोजना अधिकारियों की भंडार पंजियों के सत्यापन से प्रकट हुआ कि केवल स्लेट, पेन्सिल आदि जैसी दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुएं ही प्रति वर्ष क्रय कर वितरित की गई थीं।

3.6.7.5 पुस्तकों एवं पठन-पाठन सामग्री के प्रदाय में विलम्ब।

प्रति वर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व अर्थात जुलाई में पाठ्य पुस्तकें, उपकरण एवं पठन–पाठन सामग्री प्रदाय की जानी थीं।

(i) पाठ्य पुस्तकों का क्रय

94.92 लाख रुपए मूल्य की पुस्तकों का विलंब से प्रदाय

नमूना जांच किए गए 11 में से 6 जिलों में 94.92 लाख रुपए मूल्य की 10 लाख पाठ्य पुस्तकें 4 से 12 माह तक के विलंब से वितरित की गई जैसा कि ***परिशिष्ट–XXXII*** में विवरण दर्शाए गए हैं। झाबुआ जिले में 1995–96 और 1998–99 के दौरान तथा गुना और सिवनी जिलों में 1998–99 में पुस्तकों का कोई क्रय नहीं किया गया था। जहां जिला शिक्षा अधिकारी, झाबुआ ने बताया कि पुस्तकों का क्रय आवश्यकतानुसार किया गया था, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी ने सूचित किया कि 1998–99 हेतु पुस्तकों का क्रय अक्टूबर 1998 में किया गया था किन्तु वे क्रय का कोई प्रामाणिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।

(ii) पठन-पाठन सामग्री का क्रय

1996-2000 के दौरान जिला पंचायतों द्वारा 3.83 करोड़ रुपए की पठन-पाठन सामग्री का विलंबित क्रय

(क) वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान आठ जिला पंचायतों ने 3.83 करोड़ रुपए मूल्य की पठन–पाठन सामग्री क्रय की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि क्रय समय पर एवं नियमित रूप से नहीं किए गए थे। पठन–पाठन सामग्री के क्रय में 8 से 30 माह का विलम्ब होना पाया गया जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रों को वितरण में आगे और भी देरी हुई जिससे शिक्षा अध्ययन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

23.40 लाख रुपए मूल्य की पठन-पाठन सामग्री भंडार में अप्रयुक्त पड़ी रही

(ख) 1999–2000 के दौरान क्रय की गई 23.40 लाख रुपए मूल्य की पठन–पाठन सामग्री अप्रैल 2000 से औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र बन्द होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी, झाबुआ (3.98 लाख रुपए), राजनांदगांव व शिवपुरी (8.21 लाख रुपए), नगर निगम,भोपाल (3.33 लाख रुपए), गुना जिले के 7 परियोजना अधिकारियों (5.97 लाख रुपए) और रायपुर जिले के 4 परियोजना अधिकारियों (1.91 लाख रुपए) की स्टॉक पंजियों के अनुसार अगस्त 2001 को भण्डार में अवितरित पड़ी हुई थी।

असंदर्शित वस्तुओं पर 50.76 लाख रुपए का अनियमित व्यय किया गया

(ग) यह देखा गया कि 1998–99 के दौरान जिला पंचायत, रायपुर ने 24.20 लाख रुपए का फर्नीचर (टेबल, कुर्सी, स्टूल) क्रय किया था। इसी प्रकार 1997–98 से 1999–2000 के दौरान जिला पंचायत मंडला, रायपुर, सिवनी और शिवपुरी ने 21.77 लाख रुपए की खेल सामग्री तथा जिला पंचायत, इंदौर और राजनांदगांव ने 4.79 लाख रुपए की लेखन सामग्री का क्रय किया। यद्यपि क्रय की गई वस्तुएं योजना में संदर्शित नहीं थीं, अस्तु उक्त क्रय पर किया गया 50.76 लाख रुपए का व्यय अनियमित था। जिला पंचायत इन्दौर, मंडला, राजनांदगांव, सिवनी और शिवपुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा चयनित एवं अनुशंसित वस्तुएं ही क्रय की गई थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना में प्रावधान न की गई वस्तुओं की अनुशंसा करने के लिए जिला स्तरीय क्रय समिति सक्षम नहीं थी।

औपचारिकेतर शिक्षा योजना की 12.09 लाख रुपए की धनराशि अनियमित रूप से शिक्षा गारंटी योजना पर व्यय की गई

(घ) जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा 1998–99 और 1999–2000 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा हेतु क्रय की गई 9.69 लाख रुपए की पठन–पाठन सामग्री आयुक्त लोक शिक्षण के अनुदेशों (मार्च 2000) के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों को वितरित की गई थी। 2.40 लाख रुपए की धनराशि 2000–2001 के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों से शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों में परिवर्तित 60 केन्द्रों के लिये मार्च 2001 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन झाबुआ को हस्तांतरित की गई थी। इस प्रकार 12.09 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता अनियमित रूप से शिक्षा गारंटी योजना को व्यपवर्तित की गई।

3.6.7.6 प्रकाश व्यवस्था/ईंधन प्रभारों का अनधिकृत अनुदान

दिन के समय चल रहे 741 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को प्रकाश व्यवस्था/ ईंधन प्रभारों का 44.46 लाख रुपए का भुगतान

यदि औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र संध्या काल के दौरान चलाए जा रहे हों तो योजना में प्रतिमाह प्रति केन्द्र 100 प्रतिशत की दर से सहायता अनुदान प्रकाश व्यवस्था/ईंधन प्रभार हेतु देने का प्रावधान था।

नमूना जांच किए गए 6 जिलों में 741 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को 1996–2000 के दौरान 44.46 लाख रुपए इस तथ्य के बाद भी भुगतान किए गए थे कि उक्त केन्द्र केवल दिन के समय में चलाए जा रहे थे।

इस तथ्य की ओर इंगित किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल और ग्वालियर ने बताया कि प्रकाश व्यवस्था/ईंधन अनुदान नैमित्तिक व्यय के अंश रूप में भुगतान किए जा रहे थे जिसमें प्रकाश व्यवस्था के साथ ही लेखन सामग्री व्यय आदि सम्मिलित थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नैमित्तिक व्यय के रूप में प्रति वर्ष प्रति केन्द्र 250 रुपए का भुगतान पृथक से किया जा रहा था और ईंधन प्रभारों हेतु 44.46 लाख रुपए का ऐसा अनुदान अनधिकृत था।

3.6.7.7 औपचारिकेतर शिक्षार्थियों की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण

शाला छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की उच्च प्रतिशतता तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की अल्प प्रतिशतता से औपचारिकेतर शिक्षार्थियों का अल्प मात्रा में निष्पादन प्रदर्शित हुआ

औपचारिकेतर शिक्षार्थियों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उनके प्रवेश पाने हेतु औपचारिकेतर शिक्षा योजना में परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था थी। तदनुसार यह सुनिश्चित किया जाना था कि नामांकित किए गए वे सभी शिक्षार्थी जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की निर्धारित परीक्षा में बैठे थे और परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में प्रविष्ट हो गये थे। अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि औपचारिकेतर शिक्षार्थियों को राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही कक्षा V और VIII की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी। विवरण ***परिशिष्ट–XXXV*** में दिए गए हैं।

औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों से शाला छोड़ देने वाले बच्चों की प्रतिशतता में वृद्धि देखी गई तथा 1995–2000 अवधि के दौरान शाला छोड़ने वाले बच्चे प्राथमिक स्तर में औसतन 96 प्रतिशत तक और उच्च प्राथमिक स्तर में 84 प्रतिशत तक थे। इसके अतिरिक्त औपचारिकेतर शिक्षा के कुछ ही बच्चों ने वस्तुतः पाठ्यक्रम पूर्ण किया और परीक्षा में सम्मिलित हुए।

बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों की प्रतिशतता, नामांकन के क्रमशः 2 से 5 प्रतिशत तथा 6 से 9 प्रतिशत के मध्य रही। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन ने सूचित किया (जनवरी 2001) कि औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशकों को कम मानदेय राशि, प्रोत्साहनों का अभाव तथा भवनों की अनुपलब्धता अल्प निष्पादन के कारणों में मुख्य घटक थे। वर्ष प्रतिवर्ष शाला छोड़ने वाले बच्चों की अत्यधिक प्रतिशतता प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की विफलता का द्योतक है।

3.6.8 प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों (अगस्त 1993) के अनुसार औपचारिकेतर शिक्षा कर्मियों को उनकी प्रभावपूर्णता बढ़ाने की दृष्टि से वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के साथ ही उन्हें गहन प्रशिक्षण प्रदान किए जाने थे। तदनुसार राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 6, 12 और 6 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में करना विकसित किए गए थे। प्रतिवर्ष 15000 शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्यों की तुलना में 1995–96 से 1999–2000 के दौरान लक्ष्य प्राप्ति 72 से 85 प्रतिशत के मध्य रही। तथापि प्रशिक्षित किए गए अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों की संख्यात्मक जानकारी अभिलेख में अलग से अंकित नहीं थी।

3.6.9 गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

स्वैच्छिक संस्थाओं को दी गई निधियों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया गया

(i) स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता पर राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने वाले नियंत्रण तंत्र के विषय में औपचारिकेतर शिक्षा योजना के दिशानिर्देशों में कोई खुलासा नहीं किया गया है। तथापि स्कूल शिक्षा विभाग को पृष्ठांकित भारत सरकार की प्रत्येक संस्वीकृति में परियोजना संतोषजनक रूप से क्रियान्वित की जा रही है, यह सुनिश्चित करने के निर्देशों का उल्लेख था, तथापि इस प्रकार के पृष्ठांकन के प्रति अधिकारियों ने अनभिज्ञता दिखाई तथा भारत सरकार के परामर्श पर जिलाध्यक्ष की देखरेख में दो सदस्यों यथा (i) जिला शिक्षा अधिकारी और (ii) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दिसंबर 1996 में एक संयुक्त मूल्यांकन दल गठित करने के सिवाय राज्य सरकार ने भी गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों के पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण हेतु कोई नियंत्रण तंत्र विकसित/सृजित नहीं किया था। 3260 औपचारिकेतर केन्द्रों के चालन के लिए भारत सरकार ने राज्य में 51 स्वैच्छिक संख्याओं को 8.97 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। तथापि राज्य सरकार/आयुक्त लोक शिक्षण/शिक्षा मिशन/जिलाध्यक्षों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों ने ऐसी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की संख्या और भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई आर्थिक सहायता के संबंध में, संस्वीकृति की प्रतिलिपि नियमित रूप से पृष्ठांकित करने के बाद भी कोई जानकारी /अभिलेख उनके पास नहीं था।

स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए गए 3.79 करोड़ रुपए के अनुदान का उपयोग संदिग्ध था।

(ii) 8 जिलों* जिनमें 1875 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 26 स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 3.79 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 6 जिलों (गुना, ग्वालियर, रायपुर, राजनांदगांव, शिवपुरी व टीकमगढ़) में अपेक्षित संयुक्त मूल्यांकन दल गठित नहीं किए गए थे। तथापि जिलाध्यक्षों, जिला शिक्षा अधिकारियों और 6 जिलों के परियोजना अधिकारियों ने सूचित किया कि उनके जिलों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कोई औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र नहीं चलाए जा रहे हैं तथा ऐसे अस्तित्वहीन केन्द्रों का कोई भी शिक्षार्थी जिला बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। इस प्रकार उन्हें जारी की गई 3.79 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का इन संस्थाओं द्वारा दुर्विनियोग किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जांच के उपरांत जिलाध्यक्ष मुरैना ने ऐसे औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के अस्तित्व में न होने की पुष्टि की। लेखापरीक्षा में उल्लेख किये जाने पर जांच के उपरांत जिलाध्यक्ष गुना ने अध्यक्ष, आजाद निर्धन बाल कल्याण समिति, अशोक नगर गुना के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, गुना को निर्देशित किया (जनवरी 2002) जिन्हें वस्तुतः कोई औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र चलाए बिना अक्टूबर 1997 से मार्च 1999 के दौरान 72.85 लाख रुपए के अनुदान का भुगतान किया गया था।

* *भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजनांदगांव, रायपुर, शिवपुरी व टीकमगढ़*

3 स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया गया 50.58 लाख रुपए का अनुदान निष्फल सिद्ध हुआ

सनदी लेखाकार से विधिवत अनुमोदित किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाली 7** स्वैच्छिक संस्थाओं (भोपाल 5 व इन्दौर 2) में से केवल 4*** संस्थाओं के ही शिक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार 3 स्वैच्छिक संस्थाओं को भुगतान किया गया 50.58 लाख रुपए का अनुदान निष्फल सिद्ध हुआ।

(iii) औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों का कार्य निष्पादन

4 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नामांकित किए गए शिक्षार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन नितान्त असंतोषजनक था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

स्वैच्छिक संस्थाओं के औपचारिकेतर शिक्षार्थियों के निराशाजनक निष्पादन से 62.62 लाख रुपए का अनुदान निष्फल हो गया

वर्ष	स्वीकृत औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की संख्या	मानदण्ड के अनुसार नामांकित किए गए शिक्षार्थियों की कुल संख्या	प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों की संख्या					
			नामांकित किए गए कुल शिक्षार्थियों की संख्या	पांचवी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	शाला छोड़ने वाले शिक्षार्थियों की कुल संख्या	शाला छोड़ने वालों का प्रतिशत	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या	नामांकन की तुलना में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत
1995-96	100	2500	1904	37	1867	98	31	1.6
1996-97	50	1250	1488	149	1339	90	138	9.3
1997-98	175	4375	4481	145	4336	97	95	2.1
1998-99	100	2500	2701	190	2511	93	115	4.2
1999-2000	150	3750	3726	293	3433	92	105	2.8

शाला छोड़ने वाले बच्चों की उच्च प्रतिशतता दर तथा परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की अत्यल्प संख्या से प्रकट हुआ कि 62.62 लाख रुपए प्राप्त करने के बाद भी औपचारिकेतर शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका असंतोषजनक थी।

3.6.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

(i) परिवीक्षण

औपचारिकेतर शिक्षा योजना का जिला एवं राज्य स्तर पर त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से परिवीक्षण किया जाना था। प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने के लिये सांख्यिकी संग्रहण पर विशेष बल दिया गया था। योजना के परिप्रेक्ष्य में आयोजना, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी थे।

** *भोपाल की मां शारदा जन कल्याण शिक्षा समिति, ओरिएन्टल कला एवं सेवा केन्द्र, रफी अहमद किदवई शिक्षा समिति, सतलज आदिवासी महिला मंडल तथा वरुण मानव विकास समिति। इन्दौर की कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मृति न्यास तथा श्री पार्श्वनाथ बाल मंदिर*

*** *भोपाल की रफी अहमद किदवई शिक्षासमिति, तथा आदिवासी शिक्षा मंडल और इंदौर का कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मृति न्यास एवं पार्श्वनाथ बाल मंदिर*

राज्य/जिला स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव

तथापि यह देखा गया कि राज्य/जिला स्तर पर कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। आयुक्त, लोक शिक्षण ने त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए और यह बताया गया कि योजना का परिवीक्षण जिला/जनपद /ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि केन्द्रों का निरीक्षण परियोजना अधिकारियों/पर्यवेक्षकों द्वारा किया गया था और कमियों की स्थिति से उबरने के लिए कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आरंभ होने के उपरांत प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समितियां गठित की गई थीं जो औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के प्रशासनिक पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी थीं। इस प्रकार योजना का परिवीक्षण केवल पर्यवेक्षक स्तर के कर्मचारी द्वारा किया गया था जो निश्चित वेतन पर संविदाकृत कार्यकर्ता था। योजना का परिवीक्षण करने के लिये किसी भी सरकारी अधिकारी को संलग्न नहीं किया गया।

(ii) मूल्यांकन

औपचारिकेतर शिक्षा योजना में योजना का समयबद्ध मूल्यांकन अध्ययन करना अवधारित था। शाला छोड़ने वाले बच्चों के समस्याधीन समाधान तथा नामांकन में वृद्धि करने में औपचारिकेतर शिक्षा योजना के सफल होने की सीमा का निर्धारण करने हेतु राज्य सरकार को मूल्यांकन अध्ययन करना अपेक्षित था तथापि 1995–1999 के दौरान कोई मूल्यांकन करने में राज्य सरकार विफल रही।

तथापि स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत एक पंजीकृत स्वशासी समिति – राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन ने जून 1996 में लोक संपर्क अभियान के दौरान औपचारिकेतर शिक्षा योजना का मूल्यांकन किया और तदुपरांत योजना आयोग के शिक्षा प्रभाग ने मई 1998 में इसका मूल्यांकन करते हुए सुस्पष्ट रूप से अभिमत व्यक्त किया था कि औपचारिकेतर शिक्षा प्रणाली ने प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की लक्ष्य प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। राज्य सरकार ने औपचारिकेतर शिक्षा में परिलक्षित कमजोरियों को दूर करने हेतु उपाय करने की अपेक्षा योजना को जारी रखने हेतु भारत सरकार के निर्देशों के बाद भी इसे 1 अप्रैल 2000 से बंद कर दिया।

उपरोक्त तथ्य सरकार को जुलाई 2001 में भेजे गए थे, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (जनवरी 2002)।

भाग - ख कंडिकाएं

कृषि विभाग

3.7 छिड़काव सेटों (स्प्रिंकलर) पर हितग्राहियों को आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान

छिड़काव सेटों पर 1999-2001 में 91.08 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, तिलहन एवं दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन ने एक केन्द्र प्रवर्तित योजना तिलहन एवं दलहन कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिये निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित (मई 1999) किये थे :

(i) लघु/सीमांत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपए, जो भी कम हो।

(ii) अन्य वर्गों के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपए, जो भी कम हो।

कृषि संचालक, भोपाल ने भी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को तदनुसार निर्देश जारी किए थे (मई 1999)। कृषि संचालक भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2000) और 11 जिलों* में उप संचालक कृषि से संग्रहीत जानकारी में प्रकट हुआ कि लघु/सीमांत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला कृषकों को जल छिड़काव यंत्रों पर मूल्य के 75 प्रतिशत की दर से अथवा 15,000 रुपए जो भी कम हो तथा अन्य वर्गों के कृषकों को मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से अथवा 10,000 रुपए जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था। इस प्रकार भारत सरकार के अनुदेशों के अंतर्गत अनुमत्य 159.42 लाख रुपए (1999–2000: 124.06 लाख रुपए, 2000–2001: 35.36 लाख रुपए) के भुगतान की तुलना में 250.50 लाख रुपए (1999–2000: 198.08 लाख रुपए, 2000–2001: 52.42 लाख रुपए) की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था। इसके कारण 91.08 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा में उल्लेख किए जाने पर संचालक कृषि ने उत्तर दिया (जून 2000 एवं जनवरी 2002) कि वर्ष के मध्य में अर्थात मई 1999 में आदेश जारी होने से मध्यप्रदेश सरकार कृषि विभाग द्वारा अप्रैल 1999 में जारी आदेश के अनुसार छिड़काव यंत्रों पर लागू दर से आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अप्रैल 1999 में राज्य सरकार के आदेशों का स्थान संचालक कृषि द्वारा मई 1999 में प्रसारित भारत सरकार के संशोधित आदेशों ने ले लिया था।

प्रकरण की सूचना सरकार को जून 2001 में दी गई थी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2001)।

* रायसेन एवं विदिशा (अगस्त 2000), बालाघाट, ग्वालियर, इन्दौर, सिवनी व सीधी (अप्रैल–मई 2001), बैतूल, बड़वानी, उमरिया व होशंगाबाद (सितम्बर–नवम्बर 2001)

संस्कृति विभाग

3.8 ऋण राशि का अवरोध

नियोजन की कमी के परिणामस्वरूप 4.20 करोड़ रुपए की ऋण राशि का अवरुद्धीकरण एवं 91.88 लाख रुपए ब्याज की हानि

राज्य सरकार, संस्कृति विभाग (विभाग) ने ओरछा स्थित पुरातत्वीय महत्व के 15 संरक्षित स्मारकों तथा भवनों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिये भारत सरकार को 13.25 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, तथापि योजना आयोग ने 6 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की, जिसमें 1.80 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में तथा 4.20 करोड़ रुपये 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वाले ऋण के रूप में समाविष्ट थे (मार्च 2000)। केन्द्रीय सहायता का उपयोग उसी वित्त वर्ष में किया जाना था। परियोजना के लिये 4.20 करोड़ रुपये का ऋण राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋण के रूप में माना जाना था और 1 अक्टूबर 1999 को भुगतान किया गया समझा जाना था। ऋण वाले हिस्से की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष थी और उसे ब्याज सहित समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना था।

आयुक्त पुरातत्व पुरालेख एवं संग्रहालय (आयुक्त) भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2000) से प्रकट हुआ कि भारत सरकार से मार्च 2000 में स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिये 6 करोड़ रुपए प्राप्त किये गये थे। चूंकि विभाग के लिये इतने कम समय में व्यय करना संभव नहीं था इसलिये राशि वित्त विभाग के अनुमोदन से आयुक्त के वैयक्तिक जमा खाते में रखी गई (मार्च 2000)। राज्य सरकार ने निधियों के उपयोग के लिये भारत सरकार से समय मांगा जो मार्च 2002 तक स्वीकृत किया गया। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने 4 स्मारकों (फरवरी 2001) एवं 3 स्मारकों (अगस्त 2001) के अध्ययन प्रतिवेदन के लिये कला एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय न्यास (इन्टैच) को नियुक्त किया था। 4 स्मारकों का अध्ययन प्रतिवेदन जुलाई 2001 में प्राप्त हुआ जबकि 3 अन्य स्मारकों का प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित था (दिसंबर 2001)। 6 स्मारकों के अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के लिये और निर्देश नहीं दिये गये तथा स्मारकों पर दो कार्य विभागीय रूप से ले लिये गये। इसके उपरान्त भी राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 5 स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिये 1.79 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये (दिसंबर 2000)।

इस प्रकार मार्च 2002 तक केन्द्रीय सहायता की बढ़ाई हुई अवधि के 21 माह समाप्त हो जाने के पश्चात भी राज्य सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिये उचित योजना तक तैयार नहीं की थी और 1.8 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान सहित 4.2 करोड़ रुपये का संपूर्ण ऋण वैयक्तिक जमा खाते में जमा किये रखा था। 6 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि वैयक्तिक जमा खाते से निकाल कर "मध्यप्रदेश विरासत विकास न्यास" के बैंक खाते में अन्तरित कर दी गई (अगस्त 2001) और दिसंबर 2001 तक 33.47 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात 566.53 लाख रुपये का शेष न्यास के

पास अभी भी था। इसके परिणामस्वरूप निधियों का कोई लाभदायक उपयोग किये बिना दिसम्बर 2001 तक 91.88 लाख रुपये का परिहार्य ब्याज दायित्व वहन करना पड़ा जो भारत सरकार से अनुदान/ऋण लेने के पूर्व संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिये उचित योजना की तैयारी की कमी के कारण हुआ।

यह इंगित किये जाने पर (जुलाई 2000) आयुक्त ने सूचित किया (जुलाई 2000, जनवरी 2001 एवं जून 2001) कि यह एक बड़ी योजना है जिसके 2002 में पूरी होने की संभावना है। उन्होने यह भी सूचित किया कि यद्यपि ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा फिर भी इससे राज्य सरकार को बहुत अधिक लाभ होगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु 13.25 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्ताव वास्तविकता से परे थे और यहां तक कि विभाग ने संरक्षित किये जाने वाले प्रस्तावित स्मारकों का प्रारम्भिक अध्ययन भी नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ब्याज के 91.88 लाख रुपये का परिहार्य दायित्व निर्मित हो गया। इस प्रकार राज्य सरकार के इस कार्य में वित्तीय दूरदर्शिता की कमी रही।

सरकार ने अपने उत्तर (जुलाई 2001) में आयुक्त के उत्तर से भिन्न कुछ भी नया नहीं जोड़ा।

3.9 केन्द्रीय अनुदान का दुरुपयोग

भारत की स्वतन्त्रता की 50 वीं वर्षगांठ का समापन उत्सव मनाने के लिये 40 लाख रुपये के केन्द्रीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया।

भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों में भारत की स्वतन्त्रता की 50 वीं वर्षगांठ को स्मरणोत्सव समापन समारोह के रूप में 15 अगस्त के दिन औपचारिक समापन समारोह सहित 1 से 14 अगस्त 1998 तक की अवधि में मनाने का निर्णय (मई 1998) लिया और राज्य सरकार को राज्य स्तरीय समितियां (राज्यपाल/मुख्यमंत्री के अधीन) तथा जिला स्तरीय समितियां जिलाध्यक्ष के अधीन गठित करने के निर्देश जारी किये। भारत सरकार ने इन समितियों पर आयोजन को इस प्रकार सूत्रबद्ध करने/आयोजित करने पर जोर दिया जिससे कि इसमें नागरिकों, व्यक्तियों समूहों, संगठनों, पाठशालाओं, महाविद्यालयों आदि की बड़ी संख्या में भागीदारी निहित हो और इससे संपूर्ण राज्य में वातावरण उत्सवमय हो जाये। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने दिशानिर्देश जारी किये (मई 1998) और राज्य सरकार को 40 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया (15 जुलाई 1998)।

संचालक राजभाषा तथा संस्कृति विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2000) से प्रकट हुआ कि वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति ने 3 अगस्त 1998 को आयोजित अपनी बैठक में उन मदों पर अनुदान राशि व्यय करने का निर्णय लिया जो भारत सरकार के आदेश में सम्मिलित नहीं थीं। संपूर्ण अनुदान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की तारीखों 1 अगस्त से 15

अगस्त 1998 के काफी पश्चात 9 सितंबर 1998 को संचालक स्वराज भवन के अधिकार में दे दिया गया था। संचालक स्वराज भवन ने इस राशि को निम्नांकित मदों पर व्यय किया:

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	मद	निम्न वर्षों में व्यय की गई राशि		
		1998-99	1999-2000	योग
(i)	स्वराज भवन के क्रियाकलापों का विस्तार	15.17	5.84	21.01
(ii)	अध्येता वृत्ति	0.30	--	0.30
(iii)	पुस्तकों का प्रकाशन	--	0.10	0.10
(iv)	व्याख्यानमाला	2.96	0.16	3.12
(v)(क)	शहीद भवन भोपाल का रखरखाव	2.49	--	2.49
(v)(ख)	फिल्म निर्माण	3.73	0.02	3.75
(vi)	आकाशवाणी पर धारावाहिक	2.00	--	2.00
(vii)	स्वराज भवन के लिये वाहन का क्रय	2.90	--	2.90
	योग	**29.55**	**6.12**	**35.67**

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि स्वराज भवन के विस्तार के अन्तर्गत लेखागत राशि 21.01 लाख रुपये के व्यय में डिजिटल कैमरा, एयर कण्डीशनर तथा कम्प्यूटर पर किया गया 11.79 लाख रुपए का व्यय भी समाविष्ट है जबकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों में अनुदान से कोई परिसंपत्ति सृजित करने का प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त 35.67 लाख रुपये का संपूर्ण व्यय 15 अगस्त 1998 के पश्चात किया गया था जबकि संपूर्ण राशि 1 अगस्त 1998 से 15 अगस्त 1998 के दौरान व्यय की जानी थी। इस प्रकार संपूर्ण व्यय अनियमित था। वित्त वर्ष 1999–2000 के अन्त में संचालक स्वराज भवन के पास 4.33 लाख रुपये की नकद बचत थी वह भी अभी तक वापस जमा नहीं की गई (मार्च 2001)।

यह इंगित किए जाने पर संचालक स्वराज भवन ने सूचित किया कि व्यय अनुदान प्राप्त (9 सितम्बर 1998) होने के पश्चात किया गया और यह अनुभव किया गया कि स्वतन्त्रता के लिये देश के संघर्ष के संबंध में जनसमूह की भावनाओं का स्मरणोत्सव एक विशेष वर्ष तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिये और जनसमूह की प्रेरणा का स्थाई स्रोत होना चाहिये। इस मूल उद्देश्य के लिये स्वराज भवनों की स्थापना की गई थी और तदनुसार ही व्यय किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान समय पर विमोचित किया था (जुलाई 1998) जिसका उपयोग दिनांक 1 अगस्त से 15 अगस्त 1998 तक की अवधि में जनसमूह को सम्मिलित करते हुये उत्सव तथा आनन्द का वातावरण सृजित करने के विशिष्ट उद्देश्य से किया जाना था जो कि विफल हो गया।

प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (अप्रैल 2001)। सरकार ने अपने उत्तर में संचालक स्वराज भवन के दृष्टिकोण को ही दोहराया (जुलाई 2001)।

डेयरी विकास विभाग

3.10 दुग्ध प्रशीतन संयन्त्रों पर निष्फल व्यय

दुग्ध की उपलब्धता का निर्धारण किये बिना दुग्ध प्रशीतन संयन्त्रों की स्थापना के परिणामस्वरूप 26.30 लाख रुपये का निष्फल व्यय

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा शहरी उपभोक्ताओं को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक दुग्ध का वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जगदलपुर से प्राप्त आर्थिक सहायता (12.28 लाख रुपये) से 9.93 लाख रुपये (भवनः 5.70 लाख रुपये एवं संयन्त्र तथा मशीनरीः 4.23 लाख रुपये) की लागत पर 60000 लीटर प्रति माह क्षमता का एक दुग्ध प्रशीतन संयन्त्र गीदम जिला जगदलपुर में स्थापित किया गया (नवम्बर 1995)।

एक अन्य दुग्ध प्रशीतन संयन्त्र कांकेर से कोण्डागांव स्थानान्तरित किया गया (1995)। संयंत्र तथा भवन की लागत उपलब्ध नहीं थी।

उप दुग्ध आयुक्त (आयुक्त) जगदलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2000) से प्रकट हुआ कि गीदम स्थित दुग्ध प्रशीतन संयन्त्र ने अगस्त 1997 से कार्य करना बन्द कर दिया और कोंडागांव को स्थानान्तरित दूसरे प्रशीतन संयन्त्र ने भी दोनों स्थानों (गीदम तथा कोंडागांव) पर दुग्ध की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरंभ नहीं किया। गीदम स्थित दुग्ध प्रशीतन संयन्त्र ने अपने 21 माह के कार्य के दौरान (नवम्बर 1995 से जुलाई 1997) केवल 31619 लीटर दुग्ध संसाधित किया अर्थात 2000 लीटर प्रतिदिन स्थापित क्षमता के विरुद्ध मात्र 30 लीटर दुग्ध प्रतिदिन संसाधित किया और वेतन एवं भत्तों तथा विद्युत बिलों पर 16.37 लाख रुपये (12.02 लाख रुपये गीदम तथा 4.35 लाख रुपये कोंडागांव) का व्यय किया। इस प्रकार गीदम तथा कोंडागांव में दुग्ध प्रशीतन संयन्त्र की स्थापना से कोई अर्थपूर्ण उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

इसका उल्लेख करने पर (मार्च 2000) उप दुग्ध आयुक्त ने सूचित किया कि जिला दुग्ध परामर्श समिति ने दुग्ध प्रशीतन संयंत्र शीघ्र पुनः चलाने का सुझाव दिया था (अप्रैल 1999) और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने क्षेत्र में दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि कर दुग्ध आपूर्ति का आश्वासन दिया था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि होने वाली और अधिक हानि के परिहार की दृष्टि से सरकारी संयन्त्र का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था और राज्य मन्त्री मण्डल ने डेयरी विकास निगम की कार्य प्रणाली की समीक्षा के उपरान्त डेयरी विकास विभाग की वाणिज्यिक गतिविधियां भी बंद कर दी थीं (दिसंबर 1999)।

चूंकि प्रशीतन संयन्त्रों की स्थापना 1995 में क्षेत्र में दुग्ध की उपलब्धता के संबंध में कोई उचित सर्वेक्षण किये बिना की गई थी इसलिये योजना अविवेकपूर्ण ढ़ंग से बनाई गई सिद्ध हुई और 26.30 लाख रुपये (भवन, संयन्त्र तथा उपकरणः 9.93 लाख रुपये + वेतन एवं भत्तेः16.37 लाख रुपये) का व्यय निष्फल हो गया।

प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (नवम्बर 2000), उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2001)।

आबकारी विभाग

3.11 निष्क्रिय कर्मचारियों पर निष्फल व्यय

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न चलाने के कारण 34.98 लाख रुपये का निष्क्रिय परिव्यय हुआ।

आबकारी प्रशिक्षण संस्थान (संस्थान) बिरलानगर, ग्वालियर की स्थापना (अक्टूबर 1986) में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे चयनित जिला आबकारी अधिकारियों, आबकारी उप निरीक्षकों, वाणिज्यिक उप निरीक्षकों को 4 माह का प्रशिक्षण देने के लिये की गई थी। वर्ष के शेष समय में जिला आबकारी अधिकारियों तथा आबकारी उप निरीक्षकों के पदोन्नति पूर्व पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये जाने थे।

संस्थान के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (जुलाई 2000) कि जुलाई 1996 से मार्च 2000 तक किसी प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। व्याख्याताओं तथा प्रशिक्षकों के पद रिक्त थे (जुलाई 2000) और केवल समूह ग एवं घ के 13 पद ही भरे गये थे तथा जुलाई 1996 से मार्च 2001 तक की अवधि में उनके वेतन एवं भत्तों पर 34.98 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

इसका उल्लेख करने पर (जुलाई 2000) संस्थान के प्राचार्य ने सहमति जताई कि संस्थान कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहा था परन्तु उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया।

इस प्रकार संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न चलाये जाने के कारण कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 34.98 लाख रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

प्रकरण की सूचना सरकार को जनवरी 2000 में दी गई, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2001)।

सामान्य प्रशासन विभाग

3.12 मन्त्रियों/विधानसभा सदस्यों एवं अधिकारियों की अप्राधिकृत विदेश यात्राएं

राज्य सरकार द्वारा विदेश यात्राओं पर लगाए गए प्रतिबन्ध के बावजूद मन्त्रियों, विधानसभा सदस्यों और अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं पर 77.87 लाख रुपए का अनाधिकृत व्यय।

3.12.1 सामान्य

शासकीय कर्मचारियों, केन्द्र/राज्य सरकार के मन्त्रियों, सांसदों, सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में गैर सरकारी व्यक्तियों तथा राज्य विधानसभा एवं संघ शासित क्षेत्रों के सदस्यों की विदेश यात्राओं का नियमन भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों (मार्च 1995) के अधीन किया जाता है। इन अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि विदेश यात्रा आरम्भ करने से पूर्व भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के मन्त्रियों को संबोधित मुख्य मन्त्री के अर्द्ध शासकीय पत्र (19 जुलाई 1999 एवं 31 जनवरी 2000) में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी विदेश यात्रा न की जाये।

मध्यप्रदेश सरकार ने मन्त्रियों, विधानसभा सदस्यों, राज्य सरकार तथा उपक्रमों के कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर, केवल उन प्रकरणों को छोड़ कर जिनमें विदेश यात्राओं का वित्त पोषण केन्द्र सरकार अथवा अन्य संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक आदि द्वारा किया गया हो, प्रतिबन्ध (28 मई 1997) लगाया था जिससे कि राज्य सरकार पर अथवा इसके उपक्रमों पर कोई वित्तीय भार न पड़े। राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों (मई 1999) के अनुसार विदेश यात्रा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में इस शर्त के साथ की जा सकती थी कि इस हेतु मुख्य मंत्री ने स्वीकृति दे दी हो और राज्य सरकार के हित में हो तथापि पुनः जनवरी 2000 में राज्य सरकार ने राज्य सरकार और इसके उपक्रमों के व्यय पर विदेश के दौरों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया।

1998–99 से 2000–01 के दौरान मन्त्रियों, विधानसभा सदस्यों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं के प्रकरणों की नमूना जांच सामान्य प्रशासन विभाग तथा मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय में मार्च 2000 से जून 2000 तथा जून 2001 में की गई। इसी प्रकार राजनीतिज्ञों तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के अधिकारियों द्वारा 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के दौरान की गई विदेश यात्राओं के प्रकरणों की जनवरी 2000 में नमूना जांच की गई। जून 2001 में और जानकारी एकत्रित की गई। नमूना जांच के परिणामों की चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

3.12.2 भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना विदेश यात्राएं

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि मन्त्रियों, विधानसभा सदस्यों तथा राज्य सरकार एवं विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा 1998–2001 के दौरान विभिन्न देशों की 7 यात्राएं भारत सरकार के अनुमोदन के बिना की गईं जिसमें लगभग 48.39 लाख रुपये का व्यय किया गया। ब्यौरे ***परिशिष्ट XXXVI*** में दिये गये हैं।

3.12.3 पूर्णतः प्रतिबन्ध के उपरान्त भी विदेश यात्रायें

राज्य सरकार द्वारा मई 1997 एवं जनवरी 2000 में राज्य सरकार/राज्य उपक्रमों के व्यय पर की जाने वाली विदेश यात्राओं पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबन्ध के बाद भी 1998–2001 के दौरान राज्य के मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा ***परिशिष्ट XXXVII*** में यथानिर्दिष्ट 8 विदेश यात्राएं की गईं जिसमें 29.48 लाख रुपये का व्यय हुआ। राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) ने सूचित किया (अगस्त 2000 एवं जून 2001) कि सरकार को प्रतिबन्ध शिथिल करने का अधिकार है परन्तु इन प्रकरणों में प्रतिबंध की शिथिलता के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

3.12.4 दैनिक भत्ते का अधिक भुगतान

संघ के संचालकों (गैर सरकारी) को प्रयोज्य मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार विदेश यात्रा पर 200 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते की पात्रता है परन्तु इसके स्थान पर राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू होने वाली दरों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया (रुपये में परिवर्तित मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया), परिणामस्वरूप 1.74 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संचालकों (गैर सरकारी) से अभी की जानी है–

(लाख रुपयों में)

यात्रा की अवधि	संचालकों की संख्या तथा दिन जिनके लिये भुगतान किया गया	200 रुपये प्रतिदिन की दर से स्वीकार्य राशि	प्रदत्त राशि		वसूली योग्य अधिक भुगतान
			दर (रुपये)	राशि	
17/12/95 से 28/12/95	02 (12 दिन)	0.05	1583	0.38	0.33
25/01/96 से 05/02/96	03 (12 दिन)	0.07	1527	0.55	0.48
04/06/97 से 18/06/97	02 (15 दिन)	0.06	3300	0.99	0.93
योग		**0.18**		**1.92**	**1.74**

इसी प्रकार 25 संचालकों को जो कि 23 मई 1998 से 2 जून 1998 के दौरान (11 दिन) विदेशी दौरे पर रहे, 200 रुपये प्रतिदिन की दर से 0.55 लाख रुपये (200 X 11 X 25) की पात्रता के स्थान पर मई 1998 में 4.50 लाख रुपये के अग्रिम का भुगतान किया गया। इसके भुगतान के 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उनसे अभी शेष 3.95 लाख रुपये वसूल नहीं किये गये हैं। संघ ने सूचित किया

(जून 2001) कि सभी 25 संचालकों को अग्रिम की शेष राशि जमा करने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं (जून 2001)। वसूली अभी की जानी है (जून 2001)।

3.13 सरकारी धन अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखना

जिलाध्यक्ष गुना एवं श्योपुरकलां द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिये 1.69 करोड़ रुपये की सरकारी निधियां वैयक्तिक जमा खातों में रखने के स्थान पर बैंक खातों में रखी गई।

वित्त नियमों के अनुसार सरकारी धन सरकारी लेखे के बाहर उस समय तक बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिये जब तक कि अन्य प्रकार से इसके लिये प्राधिकृत न किया गया हो। वित्त विभाग ने जनवरी 1998 में निर्देश जारी किये थे कि भूमि अधिग्रहण हेतु निधियां बैंक खातों से आहरित कर ली जायें और वैयक्तिक जमा खातों में जमा कर दी जायें।

जिलाध्यक्ष गुना (अगस्त 2000) एवं श्योपुरकलां (जनवरी 2001) के अभिलेखों की नमूना जांच तथा एकत्र और जानकारी (सितम्बर 2001) में प्रकट हुआ कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद जिलाध्यक्ष गुना के नाम से मार्च 2001 के अन्त में सात भिन्न भिन्न बैंक खातों में 1.34 करोड़ रुपये जमा थे। भूमि अधिग्रहण हेतु उपसंभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग वीरपुर (श्यापुरकलां) से प्राप्त 34.65 लाख रुपए का दिनांक 18 सितम्बर 2000 का एक बैंक ड्राफ्ट जिलाध्यक्ष श्योपुरकलां ने 1 नवम्बर 2000 को सहकारी बैंक के सावधि जमा खाते में जमा कर दिया।

जिलाध्यक्ष, गुना ने बताया (अगस्त 2000) कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जबकि जिलाध्यक्ष श्योपुरकलां ने उत्तर दिया (जनवरी 2001) कि इस संबंध में कोषालय अधिकारी से परामर्श करने के पश्चात कार्यवाही की जाएगी। तथापि तथ्य यह है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है (सितंबर 2001) तथा निधियां बैंक खातों में जमा हैं।

जिलाध्यक्षों का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण के लिये प्राप्त राशियों को बैंक खातों में जमा करना वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था।

प्रकरण की सूचना सरकार को मार्च 2001 में दी गई, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2001)।

उच्च शिक्षा विभाग

3.14 छात्रावास भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

छात्रावास भवन के अनाधिपत्य के कारण 45.37 लाख रुपये का निष्फल व्यय

मध्यप्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग ने सिवनी जिले के बिजवाड़ा ग्राम में कन्या महाविद्यालय तथा 50 छात्राओं के छात्रावास के निर्माण के लिये क्रमशः 21.93 लाख रुपये एवं 19.07 लाख रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जनवरी 1988)। अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 1988) प्रदान की गई। कार्यपालन यन्त्री लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया निर्माण कार्य क्रमशः जनवरी 1989 एवं दिसंबर 1988 में आरंभ हुआ।

प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी (प्राचार्य) के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2000) से प्रकट हुआ कि दोनों निर्माण कार्य 29.35 लाख रुपये और 45.37 लाख रुपये की लागत पर 6 से 9 वर्षों के विलंब के साथ दिसंबर 1995 एवं जून 1998 में पूर्ण हुये और निर्माण कार्य लागत में क्रमशः 7.42 लाख रुपये तथा 26.30 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

निर्माण पूर्ण होने की तिथि से 65 माह पश्चात् जून 2001 को महाविद्यालय भवन का आधिपत्य लिया गया तथा महाविद्यालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया, छात्रावास भवन का आधिपत्य अभी तक नहीं लिया गया था (दिसंबर 2001)। प्राचार्य ने भवनों का आधिपत्य लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि इनमें इस बीच दरारें उभर आईं थीं साथ ही भवनों में बिजली की व्यवस्था नहीं की गई थी एवं चार दीवारी का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त छात्रावास नगर से 8 किलोमीटर दूर स्थित था।

इस प्रकार 26.30 लाख रुपये की लागत वृद्धि के साथ 45.37 लाख रुपये की लागत पर छात्रावास निर्मित हो जाने के 42 माह बाद भी अंशतः अपूर्ण निर्माण कार्य के कारण तथा अंशतः स्थान के गलत चयन से छात्रावास का आधिपत्य नहीं लिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप 45.37 लाख रुपये का व्यय निष्फल हुआ।

मामला सरकार की ओर भेजा गया (अप्रैल 2000) उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2001)।

3.15 संस्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों की तैनाती

तीन महाविद्यालयों में संस्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की तैनाती के परिणामस्वरूप 56.84 लाख रुपए का अनियमित व्यय हुआ

सरकारी कार्यालयों/स्थापना में बेहतर जनशक्ति व्यवस्थापन की दृष्टि से मध्यप्रदेश मंत्रि परिषद ने अनुशंसा की (अक्टूबर 1995) कि कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल के बजाय अन्यत्र

उपयोजित किए जाने की प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार ने इस हेतु तदनुसार आदेश जारी किए (जनवरी 1996 एवं जुलाई 1996)।

प्राचार्य, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, शासकीय दोधरी बजरंग कन्या महाविद्यालय रायपुर एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी (जबलपुर) के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2000) से यह प्रकट हुआ कि सरकार के आदेशों (1996) की अवहेलना करते हुए कर्मचारियों का अनधिकृत उपायोजन लगातार चलता रहा जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर में अक्टूबर 1997 से जून 2000 की अवधि के दौरान 8 सहायक प्राध्यापकों का उपायोजन किया गया (1997–98 के दौरान 1, 1998–99 के दौरान 3, 1999–2000 के दौरान 3 एवं 2000–2001 के दौरान 1) जो कि सहायक प्राध्यापकों की संस्वीकृत पदों की संख्या से अधिक था तथा अक्टूबर 1997 से अक्टूबर 2000 की अवधि के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 25.68 लाख रुपए का व्यय किया गया।

(ii) शासकीय दोधरी बजरंग कन्या महाविद्यालय, रायपुर में स्वीकृत पदों से अधिक 3 सहायक प्राध्यापकों (सितंबर 1993 में 1, सितम्बर 1998 में 1 एवं अक्टूबर 1998 में 1) एक मैट्रन (सितम्बर 1998) तथा एक लेखापाल (अप्रैल 1998) की पदस्थापना की गई तथा उनके वेतन एवं भत्तों पर सितम्बर 1993 से अक्टूबर 2000 के दौरान 24.69 लाख रुपए का व्यय किया गया। 3 सहायक प्राध्यापकों में से 1 सहायक प्राध्यापक का समायोजन अगस्त 2000 में रिक्त पद के विरुद्ध किया गया।

(iii) शासकीय कन्या महाविद्यालय, कटनी में 16 सहायक प्राध्यापकों के संस्वीकृत पदों से अधिक 3 सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना की गई (अगस्त 1997 में 1, जून 1998 में 1 एवं मई 2000 में 1) तथा अगस्त 1997 से अक्टूबर 2000 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 6.47 लाख रुपए का व्यय किया गया।

इस प्रकार सरकारी आदेशों के विरुद्ध संस्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की तैनाती के कारण उनके वेतन एवं भत्तों पर 56.84 लाख रुपए का व्यय किया गया।

इसका उल्लेख किए जाने पर तीनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने सूचित किया कि संस्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की पदस्थापनाएं सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से की गई थीं तथा महाविद्यालय में उनके द्वारा पद का कार्यग्रहण करने के समय पर ही अधिक कर्मचारियों की स्थिति से सरकार को भी अवगत करा दिया गया था।

प्रकरण सरकार के ध्यान में दिसंबर 2000 एवं मार्च 2001 में लाया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2001)

गृह (पुलिस) विभाग

3.16 संरक्षण बल के प्रभारों की कम वसूली।

सशस्त्र पुलिस वाहिनियों की तैनाती हेतु त्रैमासिक भुगतान की मांग करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 58.49 करोड़ रुपए की कम वसूली।

कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में सशस्त्र पुलिस वाहिनियों की तैनाती की जाती है। इस प्रकार की तैनाती के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति के संबंध में एकरूपता लाने की दृष्टि से भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किये (सितम्बर 1995) कि पुलिस सशस्त्र बलगृहीता राज्य/संघ शासित क्षेत्र इकाई व्यय की प्रतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर, दिसंबर एवं मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही पर त्रैमासिक आधार पर प्रति वाहिनी प्रति तिमाही 50 लाख रुपए की दर से प्रतिपूर्ति करेंगे। ये अनन्तिम भुगतान, लेखापरीक्षा आंकड़ों के प्राप्ति के समय समायोजन की शर्त पर पुलिस सशस्त्र बल देने वाले राज्य को किए जाने थे। यदि सशस्त्र पुलिस वाहिनियों की तैनाती गृह मंत्रालय के आदेशों के अंतर्गत की जाती है तो दावों का प्रस्तुतिकरण गृह मंत्रालय को किया जाना था। समय पर भुगतान न किए जाने पर चूककर्ता राज्यों से सशस्त्र बलों को वापिस बुलाया जा सकता था।

पुलिस महानिदेशक, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 1999) तथा प्राप्त अतिरिक्त जानकारी (जनवरी 2002) में यह प्रकट हुआ कि 58.49 करोड़ रुपए की राशि मार्च 2001 के अन्त में बकाया थी, जिसमें आसाम में तैनाती की गई विशेष सशस्त्र बल वाहिनियों के कारण मई 1982 से अक्टूबर 1992 तक की अवधि से संबंधित 12.68 करोड़ रुपए की वसूली सम्मिलित है चूंकि भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार वाहिनियों की तैनाती पर अथवा उसके पूर्व यथापरिकल्पित तिमाही अनन्तिम भुगतान तुरन्त जमा नहीं किए गए, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पहल न किए जाने के अभाव में राज्य सरकार के दायित्व दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं।

मामला सरकार की ओर भेजा गया (जनवरी 2001) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2001)।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.17 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर विश्व बैंक सहायता अवरुद्ध होना

1994-99 के दौरान संस्वीकृत 215 आंगनबाड़ी केन्द्रों के पूर्ण न होने एवं 17 केन्द्रों का निर्माण शुरू न किए जाने से विश्व बैंक सहायता के 2.55 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहे।

1994–99 के दौरान आयुक्त महिला एवं बाल विकास (आयुक्त) ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त 244 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के लिये 8670 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों के माध्यम से विभिन्न कार्यनिष्पादन एजेन्सियों * को 86.03 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए।

जिलाध्यक्षों को निधियां उपलब्ध कराते समय आयुक्त ने यह निर्बन्धन किया था कि इन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण उन्हीं वित्त वर्षों में 3–4 माहों की अवधि में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार प्रत्येक केन्द्र की अधिकतम अनुमानित लागत 1.10 लाख रुपए थी एवं निर्माण एजेन्सियों को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संगठन द्वारा तैयार किए गए रूपांकनों में से स्थल की विद्यमान दशाओं के अनुसार सर्वोत्तम रूपांकन का चुनाव करना अपेक्षित था।

आयुक्त के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी–फरवरी 2001) से निम्न तथ्य प्रकट हुए:

वर्ष	संस्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	विमोचित राशि (करोड़ रुपयों में)	अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या/लागत दिसंबर 2000 के अनुसार करोड़ रुपए में		प्रतिवर्ष भुगतान किया गया किराया रुपए	निर्माण में हुआ विलम्ब वर्षों में (कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमत्य एक वर्ष को छोड़कर) मार्च 2001 की स्थिति	किराए पर व्यय की गई राशि रुपए
1994-95	2814	22.74	77		600	5	2,31,000
1995-96	590	5.30	24		600	4	57,600
1996-97	1995	21.95	79		600	3	1,42,200
1997-98	2647	29.12	184		600	2	2,20,800
1998-99	629	6.92	123		600	1	73,800
योग	**8675**	**86.03**	**487**	**5.36**			**7,25,400**

प्रकरणों की जांच से यह प्रकट हुआ कि (i) 8675 संस्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल 8211 केन्द्र दिसंबर 2000 तक पूर्ण हुए थे जिसमें जिला राजगढ़ में संस्वीकृत केन्द्रों की संख्या से अधिक निर्मित 23 केन्द्र भी समाविष्ट थे। इस प्रकार 487 केन्द्र पूर्ण नहीं थे।

* *पंचायत: 4187; ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा: 3189; लोक निर्माण विभाग: 381; वन विभाग:328; मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल:278; सिंचाई विभाग:49; जिला संयोजक जनजाति कल्याण:35; राम कृष्ण मिशन:10 एवं अन्य:213 = 8670+5 आदर्श केन्द्र+रायगढ़ जिले में संस्वीकृत केन्द्रों से 23 केन्द्रों का अधिक निर्माण।*

(ii) 487 अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 155 कुर्सी स्तर तक पूर्ण हुए थे, 135 छत स्तर तक, 138 लगभग पूर्णता की स्थिति में थे तथा 59 केन्द्रों का निर्माण कार्य फरवरी 2001 तक प्रारंभ नहीं हुआ था। आयुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर निर्माण ऐजेन्सी के परिवर्तन के कारण तथा पंचायत चुनावों के कारण इन 59 केन्द्रों पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।

इस प्रकार 215 आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण न होने से विभिन्न निर्माण एजेन्सियों पर 2.55 करोड़ रुपए एक से पांच वर्षों तक अवरुद्ध रहे।

यह उल्लेख किए जाने पर आयुक्त ने बताया (फरवरी 2001) कि अपूर्ण आंगनबाडी केन्द्रों को पूरा करने की अवधि जून 2001 तक बढ़ा दी गई थी। दिसंबर 2001 तक 18.70 लाख रुपए के 17 निर्माण कार्य प्रारंभ होने थे तथा 2.36 करोड़ रुपए के 215 निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

इस प्रकार 1 से 6 वर्ष पूर्व संस्वीकृत किए गए निर्माण कार्यों में असाधारण विलंब यह तथ्य दर्शाता है कि विभाग निर्माण कार्यों की प्रगति पर प्रभावी परिवीक्षण रखने में असमर्थ था।

प्रकरण मार्च 2001 में सरकार की जानकारी में लाया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2001)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.18 चिकित्सालय प्राप्तियों का कोषालय में प्रेषण न करना।

6 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवाओं का नियमन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 13.91 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का कोषालय में प्रेषण नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश सरकार ने असाधारण अधिसूचना से (मार्च 1997) समस्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालयों को राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत समितियों द्वारा शासित स्वशासी निकाय के रूप में घोषित किया। तदनुसार समितियों को (i) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण करना तथा रोगियों को दी गई सेवाओं के लिए प्रभार एकत्रित करना (ii) सरकार से पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विद्यमान कर्मचारियों के विलय के लिये सेवा शर्तें एवं निबन्धन तैयार करना था। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को वर्तमान में इन संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए शासकीय सेवाओं में लगातार बनाए रखने अथवा समितियों में विलय की योजनाएं तैयार करना था। सरकारी अधिसूचना में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों की प्राप्तियों के उपयोग के बारे में प्रक्रिया निर्धारित करने में असफल रहा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से संबद्ध चिकित्सालय के संयुक्त संचालक सह अधीक्षक के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च–अप्रैल 2001) एवं अन्य 5 चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध चिकित्सालयों* से एकत्रित जानकारी (जुलाई–अगस्त 2001) से यह प्रकट हुआ कि यद्यपि इन संस्थानों को मार्च 1997 से स्वशासी घोषित कर दिया गया था परंतु सरकार ने अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार विद्यमान कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए अभी (दिसम्बर 2001) कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया तथा चिकित्सालयों/महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय, महाविद्यालयों / चिकित्सालयों की देखभाल एवं संधारण से संबंधित आकस्मिक एवं आवर्ती व्यय वहन करना जारी रखा। रायपुर चिकित्सालय में (छत्तीसगढ़ राज्य बनने के दिनांक तक) अप्रैल 1997 से अक्टूबर 2000 की अवधि के दौरान एवं अन्य संस्थानों में अप्रैल 1997 से मार्च 2001 के दौरान कोषालय से निधियों का आहरण करके 241.70 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। (वेतन एवं भत्ते 146.06 करोड़ रुपए; आकस्मिक एवं अन्य व्यय: 95.64 करोड़ रुपए)।

* *गांधी मेमोरियल चिकित्सालय, रीवा, महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय।*

यह भी देखा गया कि 1997–98 से 2000–01 की अवधि के लिए सरकारी भवनों/संपत्तियों से प्राप्त किराए सहित 13.91 करोड़ रुपए की समस्त प्राप्तियाँ समितियों के लेखे में जमा की गई थीं तथा इसमें से 5.94 करोड़ रुपए कार्यालय व्यय एवं औषधियों तथा उपकरणों इत्यादि के क्रय पर व्यय किया गया था जबकि महाविद्यालयों/चिकित्सालयों का प्रबन्धन तथा चल/अचल संपत्तियों का प्रबन्धन समितियों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल ने बताया (जुलाई 2001) कि नियम बनाने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि इन संस्थाओं के अध्यक्षों ने उत्तर दिया कि समितियों की उपविधि के अनुसार समस्त प्राप्तियाँ समितियों के लेखे में ही जमा की जानी थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब तक महाविद्यालयों/चिकित्सालयों की संपत्तियाँ तथा प्रबंधन अधिग्रहीत नहीं किया जाता एवं समितियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से उनका संधारण नहीं किया जाता तब तक सरकारी निधियों से अर्जित आय को समिति की आय नहीं माना जा सकता तथा इसे या तो सरकारी खाते में जमा कर देना चाहिए था अथवा वेतन एवं भत्तों सहित इन चिकित्सालयों/संस्थानों के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिये निधियाँ विमोचित करते समय समितियों के आबंटन में से घटा देना चाहिए था।

इस प्रकार चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी इन चिकित्सालयों के कर्मचारियों एवं संपत्तियों के नवनिर्मित निकायों के लिए हस्तांतरण हेतु नियम न बनाने में हुई सरकार की चूक के कारण तथा लगातार 227.97 करोड़ रुपए की निधियों का विमोचन अप्रैल 1998 से 31 अक्टूबर 2000 तक अनुवर्ती वर्षों के दौरान रायपुर चिकित्सालय के संबन्ध में अप्रैल 1998 से मार्च 2001 तक अन्य चिकित्सालयों के संबंध में बजट आवंटन में से 13.91 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को घटाए बिना किया गया, परिणामस्वरूप समितियों को 13.91 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ हुआ।

मामले की सूचना अगस्त 2001 में सरकार को भेजी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2001)।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.19 निधियां अवरुद्ध होना

इंदिरा सागर बांध के ढांचे में भूकम्पमापी उपकरण न लगाए जाने से 1.13 करोड़ रुपए की निधियाँ अवरुद्ध हुईं।

इंदिरा सागर परियोजना पर (इंदिरा सागर परियोजना की परिधि के भीतर ओंकारेश्वर तथा महेश्वर) दस भूकम्पमापी वेधशालाएं स्थापित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सरकार एवं मैसर्स स्प्रैन्गनेथर इन्स्ट्रूमेन्ट्स इनकॉरपोरेशन लिमिटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका (दिसंबर 1996) के मध्य एक संविदा निष्पादित हुई जिसके अनुसार 3.78 करोड़ रुपए (10,31,997 अमेरिकन डालर) के भूकम्पमापी उपकरणों का क्रय किया जाना था। संविदा के प्रावधानों के अनुसार भूकम्पमापी उपकरणों की आपूर्ति संविदा दिनांक से 12 माह की अवधि में करनी थी तथा उनका प्रतिस्थापन 24 माह की अवधि में किया जाना था। आपूर्ति आदेश 12 फरवरी 1997 को दिया गया था। गारंटी की अवधि, अंतिम उपकरण एवं उसके अनुषंगी पुर्जों के प्रतिष्ठापन के 36 माह के पश्चात अथवा संविदा के 60 माह बाद, जो भी पहले हो, तक थी। संविदा के अन्तर्गत सभी दायित्व पूरे होने पर प्रदायकर्ता को बिक्री उपरान्त सेवा तथा अतिरिक्त पुर्जे पांच वर्षों की अवधि तक उपलब्ध कराने थे। मार्च एवं अप्रैल 1997 में 3.70 करोड़ रुपए की राशि साख–पत्र हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जमा की गई थी।

अधीक्षण यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा नगर खंडवा के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 1998) तथा एकत्रित अन्य जानकारी (अक्टूबर 2000) से यह प्रकट हुआ कि फर्म ने 27 अक्टूबर 1997 से 17 अप्रैल 1998 के मध्य 10 उपकरणों की आपूर्ति की। एक वेधशाला को छोड़कर जो बागली में बनाई जानी थी, इन उपकरणों को नौ वेधशालाओं में प्रतिष्ठापित कर दिया गया था। तथापि, बलशाली गति के प्रदोलक (12) (औसिलोग्राम्स) तथा अन्य उपकरणों का, जिनकी कि लागत 1.13 करोड़ रुपए थी, प्रतिष्ठापन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2001) कि उपकरणों को बांध के ढांचे में प्रतिष्ठापित किया जाना था जो कि अभी तक अपेक्षित ऊँचाई तक नहीं उठाया गया था। उत्तर से इस बात का संकेत मिलता है कि निर्माण संभाग एवं गुणवत्ता प्रभाग के बीच उचित समन्वय का अभाव था, तथा उपकरण की सुपुर्दगी आरथगित नहीं की गई थी तथा इसकी आवश्यकता और बांध के निर्माण के बीच समसामयिकता नहीं थी। प्रतिष्ठापित नहीं किया गया उपकरण जब भी चालू किया जायेगा तबसे इसकी संविदा के दिनांक से 5 वर्षों की वारन्टी पूरी हो जावेगी। उस समय तक उसका बिना किसी गड़बड़ी के कार्य करना सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।

मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (मई 2001) उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (दिसंबर 2001)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.20 पानी के साथ कुटी गिट्टी (डब्ल्यू.वी.एम.) की सड़कों का अवमानक निर्माण

1.17 करोड़ रुपए मूल्य की पानी के साथ कुटी गिट्टी (डब्ल्यू.वी.एम.) की 47 सड़कों का अवमानक निर्माण कार्य

भूतल परिवहन मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार, जिन्हें कि मध्यप्रदेश सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने (मार्च 1998) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये लागू किया था, सड़कों के निर्माण पर निचले आधार एवं आधार–मार्ग के उपयोगार्थ श्रेणीकृत गिट्टी और मुरम की मात्रा सैद्धान्तिक/खण्ड माप से 20 प्रतिशत अधिक एकत्रित की जानी थी जिसमें खाली पड़े स्थानों का विशेष ध्यान रखना था ताकि दृढ़ीकरण के पश्चात सड़क की अपेक्षित मोटाई प्राप्त की जा सके।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने तकनीकी परिपत्र (जून 1997) एवं पुनरीक्षित निर्देशों (मार्च 1998) में यह उल्लेख किया था कि मिट्टी का कार्य 15 सेन्टीमीटर की परतों में किया जाना था एवं प्रत्येक परत को 8 से 10 टन वजनी रोड–रोलर से ठोस बनाना था। इसी प्रकार मुरम एवं गिट्टी बिछाने एवं ठोस बनाने के लिये रोड रोलर का उपयोग करना था।

क. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल के अभिलेखों की दिसंबर 2000 में की गई नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि न तो प्रारंभिक समतलत्व का लेखा–जोखा रखा गया और न ही 20 प्रतिशत गिट्टी का अतिरिक्त संग्रह किया गया ताकि अपेक्षित ठोस मोटाई प्राप्त की जा सके। मिट्टी कार्य का संघनीकरण कराया जाना भी नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त संघनीकरण के उपरांत निर्धारित मोटाई सुनिश्चित करने हेतु उप आधार के लिए मिट्टी–कार्य में उपयोग के लिए अपेक्षित 28753 घन मीटर मिट्टी की एवं 5904 घन मीटर मुरम अनुमानित मात्रा के विरुद्ध 22449 घन मीटर मिट्टी एवं 3943 घन मीटर मुरम का उपयोग किया गया। 8 सड़कों का निर्माण कार्य जिसमें 40.88 लाख रुपए का व्यय निहित था, विशिष्टियों से अवस्तरीय पाया गया।

इसका उल्लेख किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल ने बताया (दिसंबर 2000) कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में उपकरण एवं संयत्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं है अतः प्रारंभिक समतलत्व का लेखा–जोखा रखने के लिये अपेक्षित उपकरण उपलब्ध नहीं थे और इस लिये निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व लेखा जोखा संधारित नहीं किया जा सका तथा मिट्टी और मुरम की मात्रा का उपयोग स्थल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया था। आगे यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में संपूर्ण कार्य समतलत्व का लेखा–जोखा रखे बिना ही किया जा रहा था। तथापि, सड़क–सामग्री के कम उपयोग एवं मिट्टी –कार्य का संघनीकरण न किये जाने के बारे में कोई टीप प्रस्तुत नहीं की।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, बैतूल ने लोक निर्माण विभाग की नियम पुस्तक में दिए गए अनुदेशों एवं भूतल परिवहन मंत्रालय की तकनीकी विशिष्टियों का पालन नहीं किया जिसके कारण निर्मित की जा रहीं 8 सड़कों के निर्माण कार्य में मिट्टी एवं मुरम के कम उपयोग के कारण निर्धारित मोटाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

ख. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर 2000) से यह प्रकट हुआ कि 1.84 करोड़ रुपए के प्रशासनिक अनुमोदन तथा 2.25 करोड़ रुपए की तकनीकी संस्वीकृति के विरुद्ध रीवा जिले में अक्टूबर 2000 तक पानी के साथ कुटी गिट्टी (डब्ल्यू.वी.एम.) की 39 सड़कों के निर्माण पर 76.10 लाख रुपए का व्यय किया गया था। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार सड़कों की संघनित मोटाई लाने के लिये अपेक्षित मात्रा के अतिरिक्त गिट्टी की 20 प्रतिशत मात्रा का अतिरिक्त संग्रह किया जाना था। अभिलेखों से प्रकट हुआ कि अतिरिक्त सामग्री का कोई संग्रहण नहीं किया गया था। परिणामतः विशिष्टियों से हीनतर तथा अवमानक सड़कों का निर्माण हुआ।

यह इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रीवा ने नवंबर 2000 में बताया कि 20 प्रतिशत अतिरिक्त सड़क सामग्री का संग्रह न किए जाने का कारण उनके कार्यालय में तकनीकी आदेश की अनुपलब्धता थी तथा इस विषय में कार्यवाही विकास आयुक्त के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

कार्यपालन यंत्री का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिनांक 24 मार्च 1998 के आदेशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि सड़कों के लिये सामग्री की आवश्यकता भूतल परिवहन मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। यह आदेश सभी कार्यालयों को परिचालित किए गए थे।

प्रकरण की सूचना सरकार को मार्च 2001 में दी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2001)।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.21 बहुउद्देश्यीय कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय

बहुउद्देश्यीय कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए जल एवं अन्य सुविधाओं रहित त्रुटिपूर्ण स्थल चयन के फलस्वरूप 29.70 लाख रुपए का निष्फल व्यय।

मध्यप्रदेश सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भारत की जनसंख्या परियोजना–6 के अंतर्गत टीलाखेड़ी जिला विदिशा में बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन (सितम्बर 1993) प्रदान किया। तकनीकी संस्वीकृति, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण वृत्त भोपाल ने दी (सितम्बर 1994) तथा सेतु निर्माण संभाग ने जनवरी 1995 में कार्य आदेश जारी किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2000) में प्रकट हुआ कि यद्यपि भवन 29.70 लाख रुपए की लागत (निर्माण लागत 26 लाख रुपए + पृथक से संस्वीकृत 4.76 लाख रुपए में से विद्युतीकरण हेतु 3.70 लाख रुपए) से अक्टूबर 1996 में पूर्ण हो गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मार्च 1997 में उसका आधिपत्य सौंपा गया फिर भी नवीन परिसर में प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ नहीं हुआ तथा 5000 रुपए मासिक किराये के भवन में प्रशिक्षण देना जारी रहा।

इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2000) कि भवन का उपयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यह जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर निर्जन स्थल पर अवस्थित था तथा बिजली, जल, पहुंचमार्ग जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं एवं भवन की स्थिति क्रमशः जीर्णशीर्ण होती जा रही थी।

इस प्रकार स्थल के त्रुटिपूर्ण चयन तथा स्थल पर जल की उपलब्धता की जांच के पूर्व निर्माण कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण पर 29.70 लाख रुपए के व्यय के साथ ही भाड़े के परिसर में प्रशिक्षण देने से 0.60 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आवर्ती निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण सरकार की ओर भेजा गया (जनवरी 2001), उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2002)।

3.22 आई.वी.फ्लूड्स के बिना आई.वी. सेटों के क्रय पर निष्फल व्यय तथा औषधियों एवं सूती पट्टियों के क्रय पर अनियमित व्यय

बिना मांग के औषधियों का क्रय किए जाने एवं उच्चतर विशिष्टियों वाली पट्टियों के क्रय के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवा के अभिलेखों की नमूनाजांच (अगस्त–सितम्बर 2000) से प्रकट हुआ कि :

(क) मध्यप्रदेश सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 1998–99 के दौरान औषधियों के क्रय के लिए आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा भोपाल को 75 लाख रुपए आबंटित किये। चूंकि मार्च–अप्रैल माह के दौरान महामारी फैलने की आशंका थी अतः आयुक्त ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1998–99 के लिए प्रस्तावित दरों पर निम्न औषधियां क्रय करने का निश्चय किया:

क्र. सं.	औषधि का नाम	प्रस्तावित मात्रा (लाख में)	राशि (लाख रुपयों में)	वास्तविक क्रय (मात्रा)	राशि (लाख रुपयों में)
1.	आई.वी.डेक्स्ट्रॉस 5 प्रतिशत	2.04	16.83	--	--
2.	आई.वी.डेक्स्ट्रॉस नार्मलसेलाइन सहित	2.04	16.83	--	--
3.	आई.वी.डेक्स्ट्रॉस रिंगर लेक्टेट	1.18	9.73	--	--
4.	आई. वी. सेट्स	2.68	13.27	2.68	12.06
5.	चिपकाने वाला प्लास्टर	0.12	6.86	0.12	6.86
6.	इंजेक्शन बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाक	2.28	11.47	2.28	11.47
7.	इंजेक्शन बेंजिन पेनिसिलिन 10 लाक	--	--	2.70	18.74
8.	प्रोकेन पेनिसिलिन 4 लाक	--	--	2.40	10.75
9.	इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.75 ग्राम	--	--	2.28	13.91

संचालक स्वास्थ्य सेवा ने इंजेक्शन आई.वी.फ्लूड्स के क्रय के बजाय आवश्यकता से अधिक 43.40 लाख रुपए के इंजेक्शन बेन्जाइन पेनिसिलिन 10 लाक, इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन 4 लाक एवं इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्रय करने के लिये आदेश इस तर्क पर दिए (मार्च 1999) कि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पास इंजेक्शन आई.वी.फ्लूड्स की दरें उपलब्ध नहीं थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आई.वी.फ्लूड्स के लिए मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पास दरें उपलब्ध थीं फिर भी इंजेक्शन बेंजाइन पेनिसिलिन 10 लाक, इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन 4 लाक एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शनों के लिए क्रय आदेश दिए गए जिनकी कोई मांग नहीं थी। चूंकि आई. वी.फ्लूड्स का क्रय नहीं किया गया अतः 12.06 लाख रुपए के आई.वी.सेट्स के क्रय का औचित्य नहीं था।

इंगित किए जाने पर (अगस्त सितम्बर 2000) आयुक्त कार्यालय ने बताया कि आई.वी.फ्लूड्स का क्रय इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पास आई.वी.फ्लूड्स की दरें उपलब्ध नहीं थीं तथा आई.वी. सेट्स का उपयोग सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कर रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आई.वी.फ्लूड्स की दरें मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की 1998–99 की दर सूची में पहिले ही उपलब्ध थीं तथा आई.वी.फ्लूड्स के बिना आई.वी.सेट्स का क्रय किया जाना औचित्यहीन था।

इस प्रकार आई.वी.फ्लूड्स के बिना आई.वी.सेट्स का क्रय करने के परिणामस्वरूप 12.06 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ तथा जिन औषधियों की कोई मांग नहीं थी उनका क्रय करने से 43.40 लाख रुपए का अनियमित व्यय भी हुआ।

(ख) भारत सरकार, परिवार कल्याण विभाग ने प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम के अंतर्गत 4 सें.मी. x 4 मीटर माप की सूती पट्टियों का क्रय करने के लिए 47.69 लाख रुपए का आबंटन किया (अप्रैल 1998)।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा भोपाल ने 10 सें.मी. x 4 मीटर माप की सूती पट्टियों के लिये मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम द्वारा 53.60 रुपए प्रति दर्जन की दर प्रस्तुत किये जाने (अक्टूबर 1998) के बावजूद मध्यप्रदेश वस्त्रोद्योग निगम से पुनः दरें आमंत्रित कीं जिसने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर प्रस्तुत की (जनवरी 1999) तत्पश्चात 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 सें.मी. x 4 मीटर माप की 71610 दर्जन सूती पट्टियों की आपूर्ति के लिए आदेश दिए (फरवरी 1999) एवं 42.97 लाख रुपए का भुगतान किया गया (अप्रैल 1999)। इस प्रकार उसी माप की पट्टियों की दरों के लिए पुनः दर आमंत्रित किए जाने के परिणामस्वरूप 4.58 लाख रुपए का अतिरिक्त दायित्व वहन करना पड़ा।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम की दर सूची का अवलोकन किए जाने पर प्रकट हुआ कि उन्होने 5 सें.मी. x 5 मीटर माप की सूती पट्टियों के लिए 37 रुपए प्रति दर्जन की दर भी प्रस्तुत की थी जिसकी, विभाग ने उपेक्षा की। यदि विभाग ने 5 सें.मी. x 5 मीटर माप की 71610 दर्जन सूती पट्टियों का क्रय किया होता तो इसने 11.89 लाख रुपए (71610 x 16.60 रुपए अर्थात 53.60 रुपए एवं 37 रुपए का अंतर) बचा लिए होते।

सरकार ने सूचित किया (मार्च 2001) कि यद्यपि बांधने की पट्टी उच्चतर दर पर क्रय की गई फिर भी यह मितव्ययी सिद्ध हुई क्योंकि पट्टियों की अधिप्राप्त मात्रा अधिक थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिक चौड़ाई की पट्टी की अधिप्राप्ति न केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के विपरीत थी अपितु इसके परिणामस्वरूप लंबाई में वृद्धि भी नहीं हुई अतः यह अपव्यय था।

इस प्रकार उच्चतर विशिष्टियों वाली पट्टियों के क्रय के परिणामस्वरूप 16.47 लाख रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ग) राज्य सरकार के भण्डार क्रय नियमों के अनुसार औषधियां मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पास औषधियां उपलब्ध न होने की स्थिति में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना था और निविदाएं आमंत्रित कर क्रय किया जाना चाहिये था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2000) से प्रकट हुआ कि दोनों कार्यालयों ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से औषधियां क्रय करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया तथा उसके स्थान पर मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत 3 से 4 स्थानीय व्यवसायियों से दर सूचियां एकत्रित कीं और सीधे 41.12 लाख रुपए (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी: 28.71 लाख रुपए तथा सिविल सर्जन: 12.41 लाख रुपए) मूल्य की औषधियों के लिए क्रय आदेश दिए। इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश लघु

उद्योग निगम की दरों से उच्च दरों पर औषधियां क्रय करने के कारण 9.41 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

इसका उल्लेख करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सूचित किया (सितंबर 2000) कि औषधियां जिला योजना समिति के निर्णय (अक्टूबर 1999) के अनुसार क्रय की गई थीं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिला योजना समिति भी सरकार के भण्डार क्रय नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन तथा जिला योजना समिति का व्यवहार सरकार के भण्डार क्रय नियमों के प्रतिकूल था।

मामले की सूचना सरकार को दी गई (फरवरी 2001) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2001)।

3.23 एक्सरे मशीनों पर निष्क्रिय परिव्यय

68 लाख रुपए मूल्य की एक्सरे मशीनें कार्य योग्य बनाने के लिए आधारभूत संरचना निश्चित किए बिना क्रय की गईं।

मार्च 1997 को समाप्य वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका 3.34.9 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक्सरे मशीनों के क्रय तथा संबंधित स्थानों पर उन्हें प्रतिष्ठापित नहीं किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने कण्डिका पर चर्चा नहीं की है।

तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेतूल, धार, गुना, झाबुआ, राजगढ़, खण्डवा, डिण्डोरी, होशंगाबाद एवं देवास के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 1998 से सितंबर 2000) में प्रकट हुआ कि जनवरी 1997 से मई 2000 के दौरान क्रय की गई 48 एक्सरे मशीनों में से 68 लाख रुपए की 40 मशीनों का उपयोग रेडियोग्राफर नियुक्त न करने (16) डार्करूम निर्मित न करने (6) विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता (1), स्थान की कमी (5), सहायक उपकरणों की अनुपलब्धता (5) प्रतिष्ठापना न करने (5) तथा इसके अतिरिक्त दो मशीनें दोषपूर्ण पाई जाने के कारण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त धार जिले में डार्करूम निर्माण पर किया गया 9.45 लाख रुपए का व्यय भी निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि मशीनों को प्रतिष्ठापित करने के लिये दिया गया स्थान अपर्याप्त था। इस प्रकार अपर्याप्त स्थानयुक्त डार्करूम के निर्माण पर 9.45 लाख रुपए के व्यय के साथ ही एक्सरे मशीनों के क्रय पर किया गया 68 लाख रुपए का व्यय, कुल मिलाकर 77.45 लाख रुपए का संपूर्ण व्यय निष्फल तथा निष्क्रिय सिद्ध हुआ।

इसका उल्लेख करने पर संचालक स्वास्थ्य सेवा ने बताया (सितंबर 2001) कि मशीनें जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर क्रय की गईं थीं। उन्होने आगे यह भी बताया कि जहां रेडियोग्राफर का पद स्वीकृत नहीं था वहां एक्सरे मशीनें चलाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मशीनों का कार्यचालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। दो जिलों (देवास तथा झाबुआ) में उत्तर के आगामी सत्यापन (जनवरी 2002) में

यह भी प्रकट हुआ कि एक्सरे तकनीशियनों की पदस्थापना न होने के कारण मशीनें अभी भी निष्क्रिय पड़ी हैं।

इस प्रकार मशीनों को कार्य करने योग्य बनाने के लिए उचित आधारभूत संरचना निश्चित किए बिना 68 लाख रुपए मूल्य की 40 एक्सरे मशीनें क्रय करने के कारण निष्क्रिय परिव्यय हुआ और जनसामान्य को एक्सरे सुविधाओं से अधिकांशतः वंचित रहना पड़ा।

प्रकरण सरकार की ओर भेजा गया (अप्रैल 2000), उत्तर अप्राप्त है (दिसंबर 2001)।

3.24 अक्रियाशील स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निष्क्रिय कर्मचारियों पर निष्फल व्यय

1998-2001 के दौरान 5 अक्रियाशील स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निष्क्रिय कर्मचारियों पर 37.13 लाख रुपए (होशंगाबादः 2 तथा जबलपुरः 3) का निष्फल व्यय

मध्यप्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नयन की स्वीकृति दी (फरवरी/मार्च 1998)। इसके लिये भिन्न भिन्न संवर्गों में अतिरिक्त कर्मचारी भी स्वीकृत किये गये। सरकार ने यह भी निर्देश दिया (मार्च 1998) कि अतिरिक्त बिस्तरों वाले वार्ड बनने तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन की व्यवस्था स्थानीय रूप से अथवा किराये के आधार पर की जाए।

मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर तथा होशंगाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2000 एवं मई 2001) तथा जनवरी 2002 में संग्रहीत अतिरिक्त जानकारी से प्रकट हुआ कि स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जबलपुरः मझोली, नटवारा तथा पनागर, होशंगाबादः बानखेड़ी तथा शुकतावा) पर स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने कार्य आरंभ नहीं किया था यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्तमान कर्मचारी संख्या के आलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द चलाने हेतु संस्वीकृत अतिरिक्त कर्मचारियों* की पदस्थापना भी की गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाने के लिये नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर अप्रैल 1998 से मार्च 2001 के दौरान 37.13 लाख रुपए (होशंगाबादः 21.11 लाख रुपए तथा जबलपुरः 16.02 लाख रुपए) व्यय किये गये थे।

इसका उल्लेख करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर ने उत्तर दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में भवन न होने के कारण आरंभ नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त भवन किराये पर लेने के सरकार के आदेश

* *होशंगाबादः 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रः 9 स्टाफ नर्स, 1 रेडियोग्राफर तथा 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की पदस्थापना अप्रैल 1998 से नवंबर 1999 के दौरान की गई थी। जबलपुरः 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रः 12 स्टाफ नर्स तथा 2 रेडियोग्राफरों की पदस्थापना अप्रैल 1998 में की गई।*

प्राप्त भी नहीं हुये थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद ने बताया कि पदों का सृजन तथा कर्मचारियों की पदस्थापना सरकार ने की थी पर उपयुक्त भवन किराये पर उपलब्ध नहीं हुये। उन्होने यह भी सूचित किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बानखेड़ी स्थित 20 बिस्तर वाला भवन बन गया है और अगस्त 2000 में अधिग्रहीत कर लिया गया है तथा 10 बिस्तरों के लिये भवन निर्माणाधीन है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार ने पूर्व में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन किराये पर लेने के निर्देश दिये थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की चूक के कारण कर्मचारी निष्क्रिय रहे।

इस प्रकार अनौचित्यपूर्ण नियोजन तथा समन्वय के अभाव में निष्क्रिय कर्मचारियों पर 37.13 लाख रुपए का व्यय किया गया।

प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (जनवरी 2001)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2001)।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

3.25 सरकारी धनराशि का संदिग्ध व्यपहरण

संहितागत प्रावधानों का पालन न होने के परिणामस्वरूप 2.73 लाख रुपए का व्यपहरण हुआ।

राज्य सरकार के वित्त नियमों में, आहरण अधिकारी द्वारा कोषालय से किए गए आहरणों का कोषालय प्रमाणक पर्चियों के संदर्भ में पाक्षिक सत्यापन करना तथा रोकड़–पुस्तक में उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित करना निर्दिष्ट है। नियमों में आहरण अधिकारी द्वारा देयक पंजी की मासिक समीक्षा तथा देयक पारगमन पंजी की पाक्षिक समीक्षा करने की भी व्यवस्था है और उक्त समीक्षा का परिणाम संबंधित पंजियों में अंकित करना अपेक्षित होता है। मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 32 में उप कोषालय द्वारा प्रतिदिन की प्राप्ति एवं भुगतानों की सूची तथा समस्त चालानों के साथ शेष राशि का विवरण पत्र और भुगतान प्रमाणक भी कोषालय अधिकारी को भेजना आदिष्ट है।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनजाति विकास अनूपपुर जिला शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 1999) में प्रकट हुआ कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ने तीन देयक, यथा 15960 रुपए का देयक क्रमांक 544 दिनांक 27 नवम्बर 1997 (मध्यान्ह भोजन), 42825 रुपए का देयक क्रमांक 606 दिनांक 29 दिसंबर 1997 (छात्रवृत्ति) तथा 258132 रुपए का देयक क्रमांक 717 दिनांक 28 जनवरी 1998 (जनवरी 1998 हेतु वेतन) उप–कोषालय अधिकारी, अनूपपुर को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त कोषालय पर्चियां जो 16 जनवरी 1998 से 31 जनवरी 1998 के दौरान प्राप्त हुई थीं, के अवलोकन से परिलक्षित हुआ कि यद्यपि 316917 रुपए का भुगतान 16 जनवरी 1998 (58785 रुपए) और 31 जनवरी 1998 (258132 रुपए) को करना दर्शाया गया था तथापि रोकड़ पुस्तक में बिना कोई संदर्भ दिए कि किस देयक के विरुद्ध भुगतान आहरण किया गया, केवल 44175 रुपए का भुगतान 4 किस्तों में 24 जनवरी 1998 से 7 फरवरी 1998 के मध्य (24 जनवरी 1998 को 188 रुपए, 28 जनवरी 1998 को 38 रुपए, 2 फरवरी 1998 को 37162 रुपए तथा 7 फरवरी 1998 को 6787 रुपए) प्राप्त होना अंकित किया गया था। कम भुगतान स्वीकार करने के कारणों के विषय में पूछे जाने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोषालय लेखापाल ने निधियों की कमी अथवा दोहरे ताले की खराबी के कारण कम भुगतान करने का उल्लेख किया। उक्त कारण संतोषजनक नहीं है क्योंकि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को देयकों के कम भुगतान का तथ्य तत्काल कोषालय अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए था तथा शिकायत, पुलिस में दर्ज कराई जानी चाहिए थी।

इस प्रकार क्रमशः मध्यप्रदेश वित्त संहिता तथा मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के अनुसार निर्धारित जांच विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा न किए जाने के कारण 2.73 लाख रुपए का दुर्विनियोजन हुआ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अक्टूबर 2000), उत्तर अप्राप्त है (दिसंबर 2001)।

3.26 1.61 करोड़ रुपए राशि के बकाया अस्थाई अग्रिम

1.61 करोड़ रुपए के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-I के नियम 53 (iv) के अनुसार अस्थाई अग्रिमों का यथासंभव शीघ्र समायोजन करना होता है और किसी भी दशा में अस्थाई अग्रिम तीन माह से अधिक समय तक असमायोजित नहीं रहने चाहिए।

सहायक आयुक्त जनजाति विकास सीधी के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 1998 एवं नवंबर 2000) तथा जनजाति कल्याण विभाग के अन्य 21 कार्यालयों से संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ कि अप्रैल 1984 से नवंबर 2000 तक की अवधि के दौरान निर्माण कार्यों, वेतन एवं भत्तों, मध्यान्ह भोजन आदि के लिए कर्मचारियों को दिए गए 1.61 करोड़ रुपए के अस्थाई अग्रिम बकाया थे और उनके समायोजन हेतु प्रभारी अधिकारियों ने कोई प्रयास नहीं किए। सहायक आयुक्त जनजाति विकास, सीधी के कार्यालय में एक विशिष्ट प्रकरण में एक कर्मचारी के विरुद्ध छात्रवृत्ति से संबंधित 5 लाख रुपए का अस्थाई अग्रिम 1984–85 से लंबित था और इस राशि के समायोजन अथवा अग्रिम की वसूली के लिए सहायक आयुक्त जनजाति विकास ने कोई प्रयास नहीं किए।

तथ्य का उल्लेख किए जाने पर (अप्रैल 1998 और नवंबर 2000) सहायक आयुक्त जनजाति विकास ने बताया कि तत्कालीन सहायक आयुक्तों ने इस हेतु कोई प्रयास नहीं किए थे। तथापि आयुक्त जनजाति विकास ने बताया (दिसंबर 2001) कि लंबे समय से बकाया अग्रिमों के समायोजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी निर्धारित समयावधि में अग्रिमों की वसूली/समायोजन हेतु उत्तरदायी थे तथा अग्रिमों की वसूली दाण्डिक ब्याज सहित एक मुश्त वेतन से वसूल करने की दंडात्मक कार्यवाही की जानी थी।

प्रकरण सरकार को जनवरी 2001 में भेजा गया था, उत्तर अप्राप्त है (दिसंबर 2001)।

3.27 अनुसूचित जाति कन्याओं के दो अपूर्ण छात्रावासों के निर्माण पर निष्फल व्यय।

न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप 37.22 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत ग्वालियर में 2 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य समान अंशभाजित व्यय के आधार पर 60.66 लाख रुपए की अनुमानित लागत (क्रमशः 40.44 लाख रुपए 100 छात्रा क्षमता के आदर्श कन्या आश्रम तथा 20.22 लाख रुपए 50 छात्रा क्षमता के मैट्रिक पूर्व कन्या छात्रावास) हेतु राज्य सरकार ने मार्च 1996 में प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। आयुक्त अनुसूचित जाति विकास ने आदर्श आश्रम हेतु 43.20 लाख रुपए तथा मैट्रिक पूर्व छात्रावास हेतु 22.74 लाख की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी 1999 में दी। निविदा आमंत्रण के पूर्व वर्तमान नियमों के अनुसार भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किया जाना था।

जिला संयोजक, जनजाति कल्याण ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2001) से परिलक्षित हुआ कि आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा उक्त निर्माण कार्य मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को सौंपे गये थे (सितंबर 1996)। तदनुसार उक्त छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु जिला संयोजक जनजाति कल्याण ने जुलाई 1997 से मार्च 1999 के दौरान मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को 60.66 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई। भूमि का अग्रिम कब्जा जिला संयोजक जनजाति कल्याण को 18 मार्च 1998 को इस शर्त पर सौंपा गया कि भूमि के अंतरण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त औपचारिक आदेश जारी करने हेतु प्रकरण लैण्डपूल कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाएं। आयुक्त ग्वालियर ने भूमि के आवंटन का अनुमोदन जून 1998 में कर दिया। दोनों छात्रावास भवनों का निर्माण क्रमशः मार्च 1999 तथा अप्रैल 1999 में पूर्ण करना निश्चित किया गया था।

निर्माण कार्य क्रमशः जून 1998 तथा जुलाई 1998 में आरंभ किए गए। इसी बीच भू स्वामी ने 30 जुलाई 1998 को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था किन्तु जिला संयोजक जनजाति कल्याण ने जून 1999 में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को न्यायालय स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष में आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करने हेतु सूचित किया। अभी तक 37.22 लाख रुपए (आदर्श आश्रमः 24.69 लाख रुपए तथा मैट्रिक पूर्व छात्रावासः 12.53 लाख रुपए) का व्यय किया गया था और निर्माण कार्य क्रमशः छत और सरदल (लिन्टल) स्तर तक अपूर्ण छोड़ दिए गए थे। यह भी पाया गया कि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पास 23.44 लाख रुपए की अव्ययित शेष राशि पड़ी हुई थी जिसके लिए जिला संयोजक जनजाति कल्याण ने उक्त राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभार के साथ कुल 6.09 लाख रुपए वापस लौटाने हेतु फरवरी 2001 में लिखा।

इस प्रकार 2 कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य बन्द करने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप 37.22 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ। जिला संयोजक जनजाति कल्याण ने बताया (जनवरी 2002) कि उनके कार्यालय को न्यायालय प्रकरण की जानकारी नहीं थी तथा स्थगन आदेश से संबंधित सूचना उन्हें अपर जिलाध्यक्ष द्वारा 29 जून 1999 को मौखिक रूप से दी गई थी जिसके आधार पर निर्माणकार्य रोका गया था और जून 1999 के पश्चात कोई व्यय नहीं किया गया था। उत्तर में न्यायालय के स्थगनादेश की सूचना देने में हुए विलम्ब की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप 37.22 लाख रुपए का व्यय निष्फल हुआ।

प्रकरण सरकार को जून 2001 में भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2001)।

पशु चिकित्सा विभाग

3.28 सांड परिचारकों के वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय

10 जिलों में निष्क्रिय सांड़ परिचारकों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 5.51 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

गहन पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने उप केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान तथा वीर्य संग्रहण करने हेतु सांड़ परिचारकों के पद सृजित/संस्वीकृत किए थे (1981–82)। संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं (संचालक) ने सांड़ ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (दिसंबर 1994) और यह परामर्श दिया कि सांड़–परिचारकों को भी स्थानांतरित किया जाए और रिक्त पदों के विरुद्ध उनका समायोजन किया जाए तथा 1995–96 से इस मद के अधीन कोई व्यय न किया जाए। तदनुसार पशुपालन विभाग ने सांड़ परिचारकों के 1482 पदों (नियमित 274 एवं नैमित्तिक भुगतान वाले 1208 पदों) को निष्कार्य संवर्ग (समाप्त) घोषित कर दिया (दिसंबर 1998) और इन पदों का हस्तान्तरण तत्काल प्रभाव से जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौंप दिया।

नमूना जांच (जुलाई 1999 से अक्टूबर 2000) के दौरान तथा चिकित्सा सेवाएं के 10* उप संचालकों द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी से प्रकट हुआ कि 370 सांड़ परिचारकों के नाम उनकी नामावली पंजी में अंकित थे तथा 1995–96 से अगस्त 2000 की अवधि के लिए 5.51 करोड़ रुपए की वेतन राशि का आहरण करना जारी रहा जो अनियमित था तथा संचालंक और सरकार दोनों द्वारा जारी अनुदेशों के विपरीत भी था।

तथ्य का उल्लेख किए जाने पर उप संचालकों ने बताया (जुलाई 1999 से मार्च 2001) कि सांड़ परिचारकों की सेवाएं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियें के रूप में उपयोग की जा रही थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सांड परिचारकों के 370 पद जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की निराकरण व्यवस्था पर छोड़ दिए जाने चाहिए थे तथा विभाग में सांड न होने पर भी सांड परिचारकों के 370 पदों को जारी रखना सरकार के आदेशों के विपरीत था। अस्तु 5.51 करोड़ रुपए राशि के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निष्फल सिद्ध हुआ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया था (नवंबर 2000), उत्तर अप्राप्त है (दिसंबर 2001)।

* *बेतूल 15 परिचारक 41.40 लाख रुपए, बिलासपुर 86 परिचारक 133.13 लाख रुपए, छतरपुर 24 परिचारक 32.28 लाख रुपए, छिन्दवाड़ा 19 परिचारक 23.94 लाख रुपए, रायगढ़ 82 परिचारक 120.54 लाख रुपए, रीवा 50 परिचारक 63.75 लाख रुपए, रायपुर 34 परिचारक 51.98 लाख रुपए, सतना 36 परिचारक 35.36 लाख रुपए, शाजापुर 14 परिचारक 33.21 लाख रुपए तथा बालाघाट 10 परिचारक 15.18 लाख रुपए।*

सामान्य

3.29 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

कार्यवाही हेतु बकाया टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार के भिन्न–भिन्न कार्यालयों तथा विभागों में संधारित लेखाओं तथा अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ संवीक्षा आरंभ करने की प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष प्रदर्शित करते हैं अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालन अधिकारियों से उचित तथा समय पर उत्तर प्राप्त करें। मध्यप्रदेश विधानसभा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट कण्डिकाओं तथा समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां उन पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को उचित रूप से दर्शाते हुये लोक लेखा समिति से कोई सूचना या मांग की प्रतीक्षा न करते हुए विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन माह की समयावधि में प्रस्तुत करने के अनुदेश समस्त प्रशासनिक विभागों को जारी किये थे (नवम्बर 1998)।

तथापि यह पाया गया कि यद्यपि 1989–90 से 1998–99 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य की विधान सभा में क्रमशः फरवरी 1992, दिसंबर 1993, मई 1994, मार्च 1995, अगस्त 1995, अगस्त 1996, जुलाई 1997, जुलाई 1998, जुलाई 1999, नवम्बर 2000 में प्रस्तुत किये गये थे तथापि 29 विभागों, जिन पर टिप्पणियां दी गई थीं, ने अगस्त 2001 तक निम्नानुसार 473 कण्डिकाओं/समीक्षाओं में से 150 पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कीं:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कुल कण्डिकाएं/समीक्षायें	कण्डिकाओं/समीक्षाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं
1989-90	52	04
1990-91	46	07
1991-92	43	03
1992-93	45	15
1993-94	41	03
1994-95	40	08
1995-96	40	04
1996-97	63	15
1997-98	53	43
1998-99	50	48
योग	**473**	**150**

विभागवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-XXXVIII*** में दिया गया है। विवरण से प्रकट हुआ कि व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत न करने वाले बड़ी मात्रा में उत्तरदायी विभाग कृषि, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, पूर्ण साक्षरता अभियान आदि जैसे विषयों पर लगभग 32 प्रतिशत लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अनुत्तरित रहीं।

3.30 वैयक्तिक जमा खातों में निधियों का अन्तरण

31 मार्च 2001 को सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के 320 वैयक्तिक जमा खाते थे जिनमें 240.13 करोड रुपए जमा थे। 22 वैयक्तिक जमा खातों (180.54 करोड़ रुपए) की नमूना जांच (अक्टूबर 2001) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रेषित जानकारी से निम्नांकित अनियमितताएं प्रकट हुई।

(क) वैयक्तिक जमा खाते बन्द न करना

240.13 करोड़ रुपए के शेष वाले सभी 320 वैयक्तिक जमा खाते मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 543 के प्रावधानों के अनुसार संबद्ध सेवा शीर्ष में ऋणात्मक नामे डाल कर वित्त वर्ष के अन्त में बन्द नहीं किये गये। इन खातों के अन्त शेष से प्रकट हुआ कि वित्त वर्ष के अन्त में वैयक्तिक जमा खातों को बन्द करने संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया। इनमें से 72.85 करोड़ रुपए के शेष वाले 70 वैयक्तिक जमा खाते 2000–01 के दौरान सक्रिय नहीं रहे।

(ख) वैयक्तिक जमा खातों में अप्रयुक्त निधियां

(i) भारत सरकार ने हम्मालों हेतु आवास योजना के अधीन प्रति हितग्राही 10,000 रुपए की दर से 1300 आवासों के निर्माण के लिये केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में 1.30 करोड़ रूपये विमोचित किए। भारत सरकार के निर्देशानुसार आवास दो वर्ष की अवधि (छः माह की वृद्धि सहित) के भीतर निर्मित किये जाने थे। श्रम आयुक्त म.प्र. इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2001) से प्रकट हुआ कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल को 0.08 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में देने के पश्चात वैयक्तिक जमा खाते में 1.22 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई (मार्च 1998)। 1300 आवासों में से मात्र 58 आवासों का ही निर्माण हो सका (अक्टूबर 2001)। 1.22 करोड़ रुपयों की राशि नियमों के विरुद्ध अभी तक वैयक्तिक जमा खातों में पड़ी हुई है।

इस ओर इंगित करने पर विभाग ने सूचित किया कि निधियों का उपयोग इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि हम्मालों ने आवास योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई।

(ii) आयुक्त, पंचायत तथा समाज कल्याण विभाग ने निर्माण कार्यों हेतु 10 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर उपलब्ध कराए गए 144.34 करोड़ रुपए वैयक्तिक जमा खाते में जमा कराये (मार्च 2000)। 2000–01 के दौरान जिला पंचायतों को 77.29 करोड़ रुपए विमोचित किए गए जिनसे 21.33 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण पत्र अभी भी प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2001)। 19.89 करोड़ रुपए की एक राशि नव निर्मित राज्य छत्तीसगढ़ को अन्तरित की गई (नवंबर 2000)। शेष 47.16 करोड़ रुपए की राशि अभी भी वैयक्तिक जमा खाते में जमा है (अक्टूबर 2001)।

इस ओर इंगित करने पर आयुक्त ने सूचित किया (अक्टूबर 2001) कि शेष राशि जिला पंचायतों को विमोचित नहीं की जा सकी क्योंकि पूर्ववर्ती राशियों के उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने हैं।

(iii) संचालक शहरी प्रशासन भोपाल ने माह फरवरी तथा मार्च 2000 हेतु चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु 55.76 करोड़ रुपए आहरित किए जो शहरी स्थानीय निकायों को दिए जाने थे परंतु उसे वैयक्तिक जमा खाते में जमा किया गया (मार्च 2000)। इसमें से 9.27 करोड़ रुपए की राशि नवनिर्मित छत्तीसगढ राज्य को अन्तरित की गई (नवम्बर 2000)। शेष 46.49 करोड़ रुपए 2000--01 में अप्रयुक्त रहे।

इस ओर इंगित करने पर संचालक ने सूचित किया (अक्टूबर 2001) कि शेष राशि 2001--2002 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों हेतु विमोचित कर दी जाएगी।

(iv) गैस पीड़ित व्यक्तियों हेतु आई.सी.एम.आर. परियोजना (केन्द्रीय अंशदान) से संबंधित 3.75 करोड रुपए की राशि अगस्त 1995 में संचालक पुनर्वास अध्ययन केन्द्र, भोपाल के वैयक्तिक जमा खाते में जमा की गई थी। 1.25 करोड़ रुपए (राज्य अंशदान) की दूसरी राशि उक्त उद्देश्य के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने स्वीकृत की, वह भी वैयक्तिक जमा खाते में जमा कर दी गई (फरवरी 1996)। वैयक्तिक जमा खाता (5 करोड़ रुपए) पांच वर्षों तक निष्क्रिय रहा। विभाग/कोषालय ने नियमों के प्रावधानों के अनुसार वैयक्तिक जमा खाता बन्द करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।

इस ओर इंगित करने पर संचालक, पुनर्वास अध्ययन केन्द्र ने सूचित किया (अक्टूबर 2001) कि वैयक्तिक जमा खाते में रखी गई राशि पर ब्याज के स्थान पर सरकार ने केन्द्र को अनुदान विमोचित किया जिससे अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

सरकार की कार्यवाही सुव्यवस्थित नहीं थी क्योंकि वैयक्तिक जमा खाते बिना ब्याज वाले खाते थे इसलिये ऐसे खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाना था।

(v) वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (जनवरी 1998) के अनुसार बैंक खातों में जमा सभी राशियां आहरित की जानी थीं और वैयक्तिक जमा खातों में रखी जानी थीं।

भूअर्जन तथा पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन तथा बड़वानी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वित्त विभाग के उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत भूअर्जन तथा पुनर्वास अधिकारी, खरगौन ने वैयक्तिक जमा खाते (1.51 करोड़ रुपए) से 0.10 करोड़ रुपए का आहरण किया और उसे बैंक खाते में जमा कर दिया।

इस ओर इंगित करने पर भू–अर्जन तथा पुनर्वास अधिकारी ने सूचित किया (अक्टूबर 2001) कि राशि परियोजना के उन बेदखल व्यक्तियों के मध्य वितरण के लिये आहरित की गई थी जो कि राहत भुगतान के संग्रहण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धन का आहरण प्रत्याशा में नहीं करना चाहिये।

(ग) बजट अनुदान व्यपगत होने से रोकने/निधियों का अभ्यर्पण रोकने के लिये खोले गये वैयक्तिक जमा खाते

वित्त नियमों में निहित है कि कोषालय से तब तक कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके तुरन्त वितरण की आवश्यकता न हो। 31 मार्च 2001 को वैयक्तिक जमा खाते के अधीन शेष यह प्रदर्शित करता है कि धन का आहरण बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिये किया गया था। 2000–01 के दौरान निधियों को व्यपगत होने से बचाने हेतु 60.73 करोड़ रुपए की राशि 17 वैयक्तिक जमा खातों में जमा की गई थी उसमें केन्द्र प्रवर्तित आर्थिक सहायता प्राप्त योजनाओं से संबंधित 1.20 करोड़ रुपए (सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण खरगौनः 1.16 करोड़ रुपए तथा मण्डला 0.04 करोड़ रुपए) सम्मिलित हैं।

चूंकि वैयक्तिक जमा खातों के अधीन दर्शाई गई राशि पूर्व में ही संबंधित शीर्षों में व्यय के रूप में दर्शाई जा चुकी थी इसलिये इस सीमा तक व्यय बढ़ा कर बताया गया और इससे राज्य के लेखाओं की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त निधियों के उपयोग नहीं किए जाने से, जिसके लिये कि राशियां जारी की गई थीं, न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हुआ अपितु संबंधित वित्त वर्षों में बजट प्रावधान का उद्देश्य भी विफल हो गया।

(ध) महालेखाकार की विशिष्ट सहमति के बिना वैयक्तिक जमा खाते खोलना

केन्द्रीय कोषालय नियम के नियम 623 में यह प्रावधान है कि वैयक्तिक जमा खाते महालेखाकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना न खोले जाएं। इसी प्रकार के आदेश वित्त विभाग ने भी फरवरी 1962 में जारी किये थे। परन्तु इन आदेशों को सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 22 नवंबर 1994 द्वारा अधिक्रमित कर दिया जिसके अनुसार समस्त प्रशासनिक विभाग महालेखाकार की विशिष्ट अनुमति के बिना वैयक्तिक जमा खाता खोलने के लिये अधिकृत थे।

अपेक्षाकृत अच्छा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त विज्ञप्ति की समीक्षा का प्रकरण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ उठाया गया (अक्टूबर 1997), तथापि राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

2000–01 के दौरान 8.22 करोड़ रुपए (मार्च 2001) के शेष वाले 49 वैयक्तिक जमा खाते प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश के विशिष्ट प्राधिकार के बिना खोले गये। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2000 तक की अवधि के दौरान 0.27 करोड़ रुपए के शेष वाले 4 वैयक्तिक जमा खाते उन कोषालयों में खोले गए (अक्टूबर 2000) जो अब छत्तीसगढ़ राज्य में हैं।

चौथा अध्याय

प्राधिकरणों एवं निकायों को आर्थिक सहायता

चौथा अध्याय

प्राधिकरणों एवं निकायों को आर्थिक सहायता

4.1 सामान्य

4.1.1 स्थानीय निकायों सहित स्वायत्तशासी निकाय एवं प्राधिकरण सामान्यतः जन उपयोगी सेवाओं के गैर व्यावसायिक कार्यों को निपटाने के लिए गठित किए जाते हैं। ये निकाय प्राधिकरण सरकार से सारभूत वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार अन्य संस्थाओं जैसे संबंधित राज्य सहकारी समिति तथा कम्पनी अधिनियम 1956 इत्यादि के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, को भी उनको सौंपे गए राज्य सरकार के विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये सारभूत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुदान मुख्यतः नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, धर्मादा संस्थाओं के रखरखाव, विद्यालयों और अस्पताल भवनों के निर्माण एवं रखरखाव, सड़कों के सुधार तथा अन्य संचार सुविधाओं के लिए दिए जाते हैं।

वर्ष 2000–2001 के दौरान 764.15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मोटे तौर पर निम्नानुसार समूहबद्ध विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों तथा अन्य अभिकरणों को संस्वीकृत की गई थी :–

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	संस्थाओं का नाम	भुगतान की गई सहायता की राशि
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान	156.20
2.	नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	190.72
3.	जिला परिषद् एवं पंचायतीराज संस्थाएं	218.89
4.	विकास अभिकरण	9.08
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मादा संस्थायें	18.90
6.	अन्य संस्थाएं	170.36
	योग	**764.15**

4.1.2 लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब

नियंत्रक--महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14/15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा की सीमा में आने वाली संस्थाओं की पहचान करने की दृष्टि से सरकार/ विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता संस्वीकृत करने का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय से संबंधित विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रेषित करना वांछनीय होता है।

यद्यपि प्रत्येक वर्ष यह जानकारी भेजने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाता है परन्तु निम्नांकित 5 संगठनों से संबंधित जानकारी अक्टूबर 2001 की स्थिति में नीचे दर्शाए अनुसार कई वर्षों से प्रतीक्षित है :–

क्रम संख्या	संगठन का नाम	वर्ष जिसके लिए जानकारी नहीं भेजी गई
1.	मध्यप्रदेश बीज निगम, भोपाल	1992-93 से 1998-99
2.	राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन , भोपाल	1994-95 से 2000-2001
3.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1997-98 से 2000-2001
4.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	1995-96 से 2000-2001
5.	मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, भोपाल	1992-93 से 2000-2001

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को निम्नांकित निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का कार्य निम्नानुसार अवधि के लिये सौंपा गया है:–

क्रम संख्या	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	सौंपे जाने का दिनांक
1.	मध्यप्रदेश राज्य विपणन महासंघ, भोपाल	1992–93 और आगे	16.5.1997
2.	मध्यप्रदेश राज्य तेल महासंघ, भोपाल	1992–93 और आगे	16.5.1997
3.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1992–93 और आगे	16.5.1997
4.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल	1997–98 से 2001–02	22.1.1999
5.	मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल,भोपाल	1998–99 और आगे	24.2.1999

4.1.3 लेखापरीक्षा व्यवस्था

स्थानीय निकायो (जिला परिषदों, नगरपालिकाओं, नगरीय क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र समिति और पंचायती राज संस्थाओं), शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा सम्पादित की जाती है। सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा पंजीयक, सहकारी समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा की जाती है।

मध्यप्रदेश के 34 निकायों की 783 इकाइयों में से केवल 560 इकाइयों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अंतर्गत आती है। इनमें से 2000–2001 के दौरान 405 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई।

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग

4.2 असफल कुओं पर निष्फल व्यय

भूमिगत पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना 249 कुओं की खुदाई के लिये निधि विमोचन के परिणामस्वरूप 195 कुओं के पूर्ण न होने के कारण 41.15 लाख रुपये अवरुद्ध हुए और 52.54 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ ।

2.5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि के स्वामी सीमान्त कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार ने "जीवन धारा योजना" के नाम से एक योजना आरंभ की (दिसम्बर 1987) जिसके अधीन हितग्राहियों की भूमि का स्वामित्व तथा भूमिगत जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात् उन हितग्राहियों को 21,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी थी जो कुए खुदवाना चाहते थे। मध्यप्रदेश सरकार, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग भोपाल ने निर्देश दिये (मार्च 1996) कि उस समय तक कोई नया कुआं स्वीकृत न किया जाय जब तक कि पुराने अपूर्ण कुए पूरे न कर लिये जाएं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2000) तथा संग्रहीत अन्य जानकारी (सितम्बर 2001) से प्रकट हुआ कि यद्यपि मार्च 1998 के अन्त में 461 कुए अपूर्ण थे और 1998–99 के दौरान सरकार के अनुदेशों की अवहेलना करके हितग्राहियों को 282 नवीन कुओं की स्वीकृति दी गई जिससे मार्च 2000 के अन्त में अपूर्ण कुओं की कुल संख्या 743 हो गई। विभाग 2000–2001 के दौरान केवल 299 कुएं ही पूर्ण कर सका तथा 444 कुएं अपूर्ण रहे। यह भी प्रकट हुआ कि 444 अपूर्ण पुराने कुओं में से 249 कुओं को असफल घोषित किया गया परिणामस्वरूप प्रत्येक कुए के लिये 21,100 रुपये की दर से 52.54 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

इस प्रकार 1998–99 के दौरान 461 अपूर्ण कुए पूर्ण करने की अपेक्षा 282 अतिरिक्त कुओं की स्वीकृति सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध थी। भूमिगत जल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कुए खोदने के लिये 52.54 लाख रुपये की निधियों का विमोचन भी निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि इन्हे असफल घोषित किया गया था। 10 प्रतिशत विफलता की अनुमति के

उपरान्त भी निवल निष्फल व्यय 47.29 लाख रुपये आंका गया। इसके अतिरिक्त 1997–99 के दौरान विमोचित किये गये 41.15 लाख रुपये शेष 195 कुओं की खुदाई पूर्ण न होने के कारण अवरुद्ध रहे।

मामले की सूचना सरकार को दी गई (जनवरी 2001), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2001)।

ग्वालियर

(सुरेन्द्र पाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दर्शाने वाला विवरण पत्र

(संदर्भ कंडिका 1.1 पृष्ठ 1)

भाग क : सरकारी लेखे

I. संरचना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि एवं (iii) लोक लेखे

भाग I समेकित निधि

राज्य सरकार के राजस्व, कर्जों एवं कर्जों की वसूलियों से प्राप्त समस्त प्राप्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत निर्मित राज्य की समेकित निधि में रखी जाती हैं। सरकार के समस्त व्यय इस निधि से किये जाते हैं जिसमें से कोई भी राशि राज्य विधायिका के अनुमोदन के बिना आहरित नहीं की जा सकती। इस भाग के दो मुख्य प्रभाग होते हैं जिनके नाम राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, लोक ऋण एवं कर्जे आदि) हैं।

भाग II आकस्मिक व्यय निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत सृजित आकस्मिक व्यय निधि, तत्काल अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिये राज्यपाल के अधिकार में रखी गई अग्रदाय प्रकृति की निधि है जिसे राज्य विधायिका से अधिकृत किया जाना लंबित होता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से उतनी ही राशि आकस्मिक व्यय निधि को अन्तरित करने हेतु विधान सभा से बाद में अनुमोदन कराया जाता है। वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्राधिकृत इस निधि की राशि 40 करोड़ रुपए है।

भाग III लोक लेखा

अल्प बचतों, भविष्य निधियों, जमाओं, आरक्षित निधियों, उचन्त, प्रेषणों आदि की वे प्राप्तियां तथा संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं, का लेखाकरण लोक लेखा के अन्तर्गत किया जाता है और इन्हें विधानसभा से पारित कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

II. वार्षिक लेखे का स्वरूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में तैयार किए जाते हैं। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में उचित वर्गीकरण के अंतर्गत, प्राप्तियों तथा व्यय, दोनों से संबंधित समस्त लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनियोग लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए किसी भी व्यय का विधानसभा से नियमन कराया जाना आवश्यक होता है।

परिशिष्ट - I (जारी)

भाग-ख देशनाओं/अनुपातों की सूची व उनकी संगणना के आधार

देशनाएं / अनुपात		संगणना के आधार
पोषणीयता		
चालू राजस्व से अधिशेष		राजस्व प्राप्तियां (–) समस्त आयोजनागत अनुदान (मुख्य शीर्ष 1601–02, 03,04 के अंतर्गत) तथा योजनेतर राजस्व व्यय
प्रारंभिक घाटा		राजकोषीय घाटा (–) ब्याज भुगतान
ब्याज अनुपात		ब्याज भुगतान (–) ब्याज प्राप्तियां
पूंजीगत परिव्यय के विरुद्ध पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत परिव्यय	कुल राजस्व प्राप्तियां (–) ब्याज प्राप्तियां वित्त लेखे के विवरण पत्र क्रमांक 2 के अनुसार पूंजीगत व्यय
	पूंजीगत प्राप्तियां	आंतरिक कर्जे (निवल अर्थोपाय पेशगियां) (+) अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि से निवल प्राप्तियां (+) राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों से प्राप्त प्रतिभुगतान (–) राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे
कुल कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रदर्श V
राज्य कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रदर्श V
लचीलापन		
– चालू राजस्व से अधिशेष		उपरोक्तानुसार
– पूंजीगत प्रतिभुगतान विरुद्ध पूंजीगत उधारियां	पूंजीगत प्रतिभुगतान	मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 के अंतर्गत संवितरण (–) दोनों मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष के कारण प्रतिभुगतान
	पूंजीगत उधारियां	मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 के अंतर्गत वृद्धि (–) दोनों ही मुख्यशीर्षों के अंतर्गत अर्थोपाय पेशगियां/अधिविकर्ष की वृद्धि
कुल कर प्राप्तियां विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राज्य कर प्राप्तियां	प्रदर्श V
	कुल कर प्राप्तियां	वित्त लेखे का विवरण पत्र – 1
ऋण विरुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद	ऋण	वर्ष के अन्त में उधारियां एवं अन्य दायित्व (वित्त लेखे का विवरण पत्र – 4) प्रदर्श V

मेद्यता – राजस्व घाटा – राजकोषीय घाटा		राजस्व व्यय (–) राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय (–) राजस्व प्राप्तियं एवं ऋणेतर सार्वजनिक प्राप्तियां लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.9.6
-- प्रारंभिक घाटा विरुद्ध राजकोषीय घाटा	प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा (–) ब्याज भुगतान
-- समाश्वासन पत्र सहित कुल बकाया गारंटियां विरुद्ध सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां	बकाया गारंटियां	प्रादर्श – IV
	राजस्व प्राप्तियां	प्रादर्श – II
-- परिसंपत्तियां विरुद्ध देयताएं	परिसंपत्तियां एवं देयताएं	प्रादर्श – I

परिशिष्ट-II

(संदर्भ कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

पूर्ववर्ती संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की 31 अक्टूबर 2000 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शानेवाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपए में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		मध्यप्रदेश के लेखाओं में लंबित विभाजन में रोककर रखा गया शेष	वित्त लेखा विवरण पत्र संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश के लिये	छत्तीसगढ के लिये		
I- देयताएं-					
1.आंतरिक ऋण	7628.95	5766.01 (क)	1862.94(क)	--	4 एवं 17
2. केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	10606.50	7783.25(क)	2823.25(क)	--	4 एवं 17
3. आकस्मिकता व्यय निधि	26.61	26.61	--	--	16
4. लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	7371.51	4840.27(ख)	974.52(ख)	1556.72(ख)	4, 16 एवं 17
5. जमाएं	1872.19	1325.09	288.60	258.50(ख)	4 एवं 16
6. आरक्षित निधियां	657.94(ग)	45.49	11.55	102.46(घ)	4 एवं 16
7. उचंत एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19(ड.)	16
II- परिसंपत्तियां-					
1. सकल पंजीगत परिव्यय	15760.57	4941.77	1484.59	9334.21(ड.)	2 एवं 13
2. कर्जे एवं पेशगियां	2883.18	555.95	135.91	2191.32(च)	5 एवं 18
3. अग्रिम	13.88	12.25	1.63	--	16
4. प्रेषण शेष	665.60	512.72	152.88	--	16
5. रोकड़ शेष	-29.75	22.29	-52.04	--	7
III- आकस्मिक देयताएं-					
गारंटियां	9709.60	--	--	9709.60(ड.)	6

टिप्पणी: और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें।

(क) भारत सरकार वित्त मत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग (बजट अनुभाग) के आदेश एफ. क्र. 9 (2) बी (एस) दिनांक 25 जून 2002 से विभाजित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभाजित अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष हैं।

(ख) दो उत्तराधिकारी राज्यों को कर्मचारियों के अंतिम आबंटन के विवरणों की प्राप्ति के उपरांत समीक्षा व

(ग) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42 (i) के दूसरे परंतुक के रूप में कुल 657.94 करोड़ 498.44 करोड़ रुपए कम किए गए।

(घ) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(ड.) विवरणों के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(च) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों/विवरणों की प्राप्ति न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

परिशिष्ट-III

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.4 पृष्ठ 36)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	*अनुदान/विनियोग का विवरण एवं संख्या*	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5	6
	क- राजस्व दत्तमत				
1.	01– सामान्य प्रशासन	87.08	15.10	81.94	20.24
2.	03– पुलिस	1015.25	150.35	950.47	215.13
3.	05– जेल	70.35	4.24	62.70	11.89
4.	06– वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2344.85	0.13	1000.73	1344.25
5.	07– वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	186.55	19.82	174.79	31.58
6.	08– भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	357.79	37.07	320.64	74.22
7.	09– राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	25.88	0.49	22.10	4.27
8.	10– वन	574.63	23.93	457.83	140.73
9.	11– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	36.06	8.16	35.98	8.24
10.	12– ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	455.70	2.62	401.94	56.38
11.	13– कृषि	311.88	5.95	250.11	67.72
12.	15– अनुसूचित जाति हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	91.07	30.34	65.58	55.83
13.	16– मत्स्य पालन	15.52	1.57	12.24	4.85
14.	17– सहकारिता	43.57	7.39	40.77	10.19
15.	18– श्रम	42.15	4.23	37.71	8.67
16.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	630.43	43.73	557.47	116.69
17.	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	23.77	4.35	20.93	7.19
18.	23– जल संसाधन विभाग	314.28	0.10	288.01	26.37
19.	28– राज्य विधान मण्डल	19.97	2.23	16.59	5.61
20.	29– न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	124.28	6.47	94.72	36.03
21.	31– योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	25.51	2.17	17.44	10.24
22.	32– जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	37.48	3.94	31.21	10.21
23.	33– जनजाति कल्याण	634.92	45.01	553.80	126.13
24.	34– समाज कल्याण	27.20	1.82	23.79	5.23
25.	36– परिवहन	23.57	0.75	16.35	7.97
26.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना	525.54	66.07	418.21	173.40
27.	43– खेल एवं युवा कल्याण	7.30	1.17	6.79	1.68
28.	45– लघु सिंचाई निर्माण कार्य	40.33	3.00	38.48	4.85
29.	46– विज्ञान एवं तकनीकी	2.55	0.49	2.26	0.78
30.	47– जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा	171.26	14.33	142.94	42.65

(करोड़ रुपये में)

1.	2.	3.	4.	5	6
31.	55– महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	238.32	31.54	166.02	103.84
32.	56– ग्रामोद्योग	30.08	1.50	23.50	8.08
33.	61– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	12.70	0.32	1.23	11.79
34.	63– अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय	2.09	0.25	1.60	0.74
35.	64– अनुसूचित जातियों हेतु विशेषाश योजना	327.08	4.74	232.58	99.24
36.	66– पिछड़ी जातियों का कल्याण	49.04	0.07	42.60	6.51
37.	67– लोक निर्माण कार्य–भवन	287.12	11.27	255.37	43.02
38.	72– गैस त्रासदी राहत कार्य से संबंधित व्यय	26.04	0.01	19.06	6.99
39.	73– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	50.00	2.00	33.76	18.24
40.	79– चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	173.52	21.95	171.57	23.90
41.	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	684.88	175.31	633.23	226.96
42.	81– नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	789.22	7.62	652.71	144.13
43.	82– जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	155.69	60.39	120.17	95.91
44.	86– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन – जेल	निरंक	2.36	निरंक	2.36
45.	94– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशिष्ट समस्याएं – खेल एवं युवा कल्याण	निरंक	2.00	निरंक	2.00
	योग (क)	**11092.50**	**828.35**	**8497.92**	**3422.93**
	ख- राजस्व प्रभारित				
1.	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा*	*2634.03*	*108.60*	*2410.78*	*331.85*
2.	*01– सामान्य प्रशासन*	*5.98*	*2.36*	*5.76*	*2.58*
3.	*10– वन*	*15.58*	*0.50*	*6.36*	*9.72*
4.	*29– न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन*	*13.40*	*1.53*	*13.23*	*1.70*
	योग (ख)	***2668.99***	***112.99***	***2436.13***	***345.85***
	ग- पूंजीगत दत्तमत				
1.	08– भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	10.25	0.74	3.33	7.66
2.	11– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	12.30	1.13	4.80	8.63
3.	23– जल संसाधन विभाग	203.61	55.37	186.52	72.46
4.	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क	104.87	49.76	77.99	76.64
5.	39– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	21.00	2.00	5.17	17.83

(करोड़ रुपये में)

1.	2.	3.	4.	5	6
6.	40– कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	5.25	0.50	2.99	2.76
7.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना	188.30	44.75	123.28	109.77
8.	45– लघु सिंचाई निर्माण कार्य	60.12	2.74	22.18	40.68
9.	48– नर्मदा घाटी विकास	406.85	91.12	360.61	137.36
10.	56– ग्रामोद्योग	2.13	0.24	0.39	1.98
11.	58– प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत पर व्यय	2.80	3.50	0.63	5.67
12.	64– अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	92.31	6.02	56.81	41.52
13.	67– लोक निर्माण कार्य–भवन	29.19	60.88	28.46	61.61
14.	68– जनजाति क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण–भवन	3.87	27.04	2.71	28.20
	योग (ग)	**1142.85**	**345.79**	**875.87**	**612.77**
	घ- पूंजीगत प्रभारित				
1.	*48– नर्मदा घाटी विकास*	*0.35*	*3.51*	*0.01*	*3.85*
	योग (घ)	***0.35***	***3.51***	***0.01***	***3.85***
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**14904.69**	**1290.64**	**11809.93**	**4385.40**

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.5. पृष्ठ 36)

प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपयों में

क्रम संख्या	*अनुदान/ विनियोग की संख्या एवं विवरण*	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	**2.**	**3**	**4**	**5**	**6**
	क- राजस्व दत्तमत				
1.	04– गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	6.04	10.39	9.68	6.75
2.	14– पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय	154.45	23.92	155.23	23.14
3.	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	314.24	214.14	421.31	107.07
4.	26– संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	15.36	7.38	20.57	2.17
5.	27– शालेय शिक्षा	1789.35	269.04	2016.58	41.81
6.	30– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	248.44	215.92	426.08	38.28
7.	39– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	112.47	51.66	132.87	31.26
8.	44– उच्च शिक्षा	302.80	89.95	352.55	40.20
9.	52– कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	3.34	2.10	4.07	1.37
10.	53– अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2.86	7.64	9.08	1.42
11.	54– कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	40.00	8.28	46.97	1.31
12.	58– प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत पर व्यय	121.07	216.19	129.57	207.69
13.	65– विमानन विभाग	4.95	4.25	8.33	0.87
14.	83– जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3.71	10.19	9.40	4.50
15.	84– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– राजस्व	निरंक	16.45	4.13	12.32
16.	85– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– पुलिस	निरंक	6.11	2.98	3.13
17.	87– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– शहरी प्रशासन एवं विकास	निरंक	8.26	4.15	4.11

(करोड़ रुपयों में)

1.	2.	3	4	5	6
18.	89– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– वित्त विभाग	निरंक	3.54	0.89	2.65
19.	90– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	निरंक	13.20	6.64	6.56
20.	91– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन – शालेय शिक्षा	निरंक	28.06	14.11	13.95
21.	92– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन – संस्कृति	निरंक	6.95	1.48	5.47
22.	93– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशिष्ट समस्याएं– पर्यटन	निरंक	18.00	10.56	7.44
	योग (क)	**3119.08**	**1231.62**	**3787.23**	**563.47**
	ख- पूंजीगत दत्तमत				
1.	01– सामान्य प्रशासन	0.21	4.17	4.12	0.26
2.	17– सहकारिता	26.77	64.74	62.80	28.71
3.	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	14.59	12.39	26.00	0.98
4.	37– पर्यटन	2.31	2.50	2.46	2.35
5.	42– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	25.82	46.85	26.98	45.69
6.	57– जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	98.02	25.00	108.14	14.88
7.	60– जिला आयोजनागत योजना से संबंधित व्यय	40.40	10.00	46.97	3.43
8.	62– चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	5.00	5.56	9.25	1.31
9.	75– जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना	51.40	33.05	63.04	21.41
10.	80– त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4.03	8.67	11.67	1.03
11.	85– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन – पुलिस	निरंक	3.55	2.51	1.04
	योग (ख)	**268.55**	**216.48**	**363.94**	**121.09**
	महायोग (क+ख)	**3387.63**	**1448.10**	**4151.17**	**684.56**

4151.17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग - 3387.63 करोड़ रुपये = 763.54 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-V

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.6 पृष्ठ 36)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुपूरक प्रावधान	अंतिम आधिक्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**
	क- राजस्व दत्तमत		
1.	02– सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1.81	0.90
	योग (क)	**1.81**	**0.90**
	ख- पूंजीगत दत्तमत		
1.	88– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– न्याय प्रशासन	2.49	0.13
	योग (ख)	**2.49**	**0.13**
	ग- पूंजीगत प्रभारित		
1.	*लोक ऋण*	*199.61*	*263.80*
	योग (ग)	**199.61**	**263.80**
	महायोग (क+ख+ग)	**203.91**	**264.83**

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.7(क) पृष्ठ 37)

वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक कम तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक कम रहा।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं अनुदान/विनियोग का विवरण		बचत राशि (प्रावधान का प्रतिशत)
1.	2.		3.
क.	**राजस्व दत्तमत**		
1	01	सामान्य प्रशासन	20.24 (19.8)
2	03	पुलिस	215.13 (18.5)
3	04	गृह विभाग से संबंधित व्यय	6.75 (41.1)
4	05	जेल	11.89 (15.9)
5	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1344.25 (57.3)
6	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	31.59 (15.3)
7.	08	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	74.22 (18.8)
8	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4.27 (16.2)
9	10	वन	140.73 (23.5)
10	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	8.24 (18.6)
11	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	56.38 (12.3)
12	13	कृषि	67.72 (21.3)
13	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	23.14 (13.)
14	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज हेतु वित्तीय सहायता	55.83 (46)
15	16	मत्स्योद्योग	4.85 (28.4)
16	17	सहकारिता	10.19 (20)
17	18	श्रम	8.67 (18.7)
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	116.69 (17.3)
19	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	107.07 (20.3)
20	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	7.19 (25.6)

(करोड़ रुपयों

1.	2.		3.
21	24	लोक निर्माण–सड़क एवं पुल	52.26 (15.2)
22	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	7.34 (41.8)
23	28	राज्य विधानमण्डल	5.61 (25.3)
24	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	36.03 (27.6)
25	31	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	10.24 (37)
26	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	10.21 (24.6)
27	33	जनजाति कल्याण	126.13 (18.6)
28	34	समाज कल्याण	5.23 (18)
29	35	पुनर्वास	1.01 (50)
30	36	परिवहन	7.97 (32.8)
31	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	31.26 (19)
32	40	कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	2.90 (51.3)
33	41	जनजाति क्षेत्र उपयोजना	173.40 (29.3)
34	43	खेल एवं युवा कल्याण	1.68 (19.8)
35	44	उच्च शिक्षा	40.20 (10.2)
36	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4.85 (11.2)
37	47	जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा	42.65 (22.9)
38	48	नर्मदा घाटी विकास	5.71 (63.4)
39	49	अनुसूचित जाति कल्याण	10.99 (21.5)
40	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	1.90 ((33.9)
41	52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.37 (25.2)
42	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अंतर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1.42 (13.5)
43	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	103.84 (38.5)
44	56	ग्रामोद्योग	8.08 (25.6)

(करोड़ रुपयों में)

1.	2.		3.
45	58	प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत पर व्यय	207.69 (62)
46	61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	11.79 (90.6)
47	64	अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	99.24 (29.9)
48.	66	पिछड़ें वर्गों का कल्याण	6.51 (13.3)
49.	67	लोक निर्माण कार्य–भवन	43.02 (14.4)
50.	69	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित व्यय–शहरी कल्याण	4.33 (18.9)
51.	71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.41 (77.4)
52.	72	गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	6.99 (26.8)
53.	73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	18.24 (35.1)
54.	74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	129.91 (86.6)
55.	77	बिलासपुर संभाग में जनजाति क्षेत्र के विकास से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	8.00 (100)
56.	78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	9.31 (44.2)
57.	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	23.90 (12.2)
58.	80	त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्था हेतु वित्तीय सहायता	226.96 (26.5)
59.	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	144.13 (18.1)
60.	82	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	95.91 (44.4)
61.	83.	जनजाति उप योजना के अंतर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	4.50 (32.4)
62.	84	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन– राजस्व	12.32 (74.9)
63.	85	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन –पुलिस	3.13 (51.2)
64.	86	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन– जेल	2.36 (100)
65.	87	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन – शहरी प्रशासन एवं विकास	4.11 (49.8)
66.	89	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन – वित्त विभाग	2.65 (74.9)
67.	90	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.56 (49.7)
68.	91	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन – शालेय शिक्षा	13.95 (49.7)

(करोड़ रुपयों

1.	2.		3.
69.	92	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन – संस्कृति	5.47 (78.7)
70.	93	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत विशिष्ट समस्या – पर्यटन	7.44 (41.3)
71.	94	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत विशिष्ट समस्या – खेल एवं युवा कल्याण	2.00 (100)
ख.	***राजस्व प्रभारित***		
72		ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	331.85 (12.1)
73.	01	सामान्य प्रशासन	2.58 (30.9)
74.	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	3.84 (12.8)
75.	10	वन	9.72 (60.4)
76.	12	ऊर्जा विभाग से सबंधित व्यय	4.44 (17.8)
77.	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	1.70 (11.4)
78.	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	16.54 (55.1)
ग.	**पूंजीगत दत्तमत**		
79.	03	पुलिस	1.39 (11.6)
80.	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	10.34 (37.4)
81.	08	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	7.67 (69.8)
82.	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	8.63 (64.3)
83.	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	23.11 (11.1)
84.	13	कृषि	2.28 (80)
85	17	सहकारिता	28.71 (31.4)
86	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	3.53 (31.2)
87	23	जल संसाधन विभाग	72.46 (28)
88	24	लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	76.64 (49.6)
89	37	पर्यटन	2.36 (49.1)
90	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	17.83 (77.5)
91	40	कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	2.76 (48)

(करोड़ रुपयों में)

1.		2.	3.
92	41	जनजाति क्षेत्र उपयोजना	109.77 (47.1)
93	42	जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	45.69 (62.9)
94	45	लघु सिंचाई कार्य	40.68 (64.7)
95	48	नर्मदा घाटी विकास	137.36 (27.6)
96	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	1.29 (95.6)
97	56	ग्रामोद्योग	1..98 (83.5)
98	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना	14.88 (12.1)
99	58	प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत पर व्यय	5.67 (90.0)
100	62	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाए	1.31 (12.4)
101	64	अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	41.52 (42.2)
102	67	लोक निर्माण कार्य – भवन	61.61 (68.4)
103	68	जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – भवन	28.20 (91.2)
104	69	शहरी प्रशासन एवं विकास से संबंधित व्यय– शहरी कल्याण	1.66 (11.3)
105	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	21.41 (25.3)
106	76	लोक निर्माण कार्य विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6.44 (74.8)
107	78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2.93 (100)
108	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	3.12 (75.4)
109	85	ग्यारहवें वित आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तर का उन्नयन–पुलिस	1.04 (29.3)
घ. पूंजीगत प्रभारित			
110	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	1.10 (100)
111	48	नर्मदा घाटी विकास	3.85 (99.7)

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.7(ख) पृष्ठ 37)

प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रुपये मे

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
1.	2.	3.	4.
(क)	**केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**		
1.	11– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852–80–800–0701–7604 पीथमपुर जिला धार में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना	4.49
2.	18– श्रम	2230–01–103–0701–8352 राज्य में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवासों का निर्माण	2.53
3.	45– लघु सिंचाई–निर्माण कार्य	4402–800–0701–7614 – भू जल स्तर के संवर्धन हेतु योजना	2.44
4.	64– अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना –02 गृह विभाग	4059-60-789-800-0703-5172-नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना	1.80
5.	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	4059-01-051-0701-7634-जिला न्यायालय भोपाल के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होना	2.00
	योग-क		**13.26**
(ख)	**केन्द्रीय क्षेत्र योजना**		
1.	08– भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-8717-सोलहवीं पशु गणना	1.00
2.	18– श्रम	2230-01-101-0801-5019-मंडियों में कार्यरत हम्मालों के लिए आवास योजना	1.50
3.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498-पारंपरिक गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	15.00
4.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-अंत : गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	14.50
5.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	12.00
6.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282- शिशु जीवन एवं सुरक्षित प्रसूति कार्यक्रम	27.50

(करोड़ रुपये में)

1.	2.	3.	4.
7.	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2215-02-106-0801-8872– राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3.50
8.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 17– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-796-103-0802-2779- प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना का क्रियान्वयन	3.93
9.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 29– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	2408-01-796-190-0802-4994-गोदाम समूह का निर्माण	3.63
10.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 29– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	6408-01-796-190-0802-4994-गोदाम समूह का निर्माण	3.63
11.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 31– जल संसाधन विभाग	4702-796-800-0802-3828-लघु सिंचाई योजना	5.00
12.	64– अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना 17– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-789-103-0803-2779- प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना का क्रियान्वयन	2.39
13.	66– पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-03-277-0801-9026-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1.00
14.	80– त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-101-0801-447-ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना	15.00
15.	82– जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 25– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-02-796-277-0802-7587- ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना	12.15
	योग - ख		**121.73**
	महायोग (क+ख)		**134.99**

परिशिष्ट -VIII

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.8 (क) पृष्ठ 37)

सतत बचतों के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत राशि (बचत की प्रतिशतता कोष्ठक में)		
		1998-99	*1999-2000*	*2000-01*
1	2	3	4	5
क– राजस्व : दत्तमत				
1.	06– वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2896.54 (71)	864.64 (41.2)	1344.25 (57.3)
2	51– धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	1.43 (26.8)	1.62 (28.6)	1.90 (33.9)
3.	55– महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंधित व्यय	43.99 (22.5)	50.99 (23.1)	103.84 (38.5)
4.	61– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	10.73 (80.9)	10.18 (64.3)	11.79 (90.6)
5.	73– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	29.76 (58.3)	31.62 (62)	18.24 (35.1)
6.	74– वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	150.50 (100)	650.00 (100)	129.91 (86.6)
7	78– ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	17.42 (87.1)	12.60 (69.2)	9.31 (44.2)
8	87– ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन– शहरी प्रशासन एवं विकास	1.19 (95.2)	1.13 (66.5)	4.11 (49.8)
ख. पूंजीगत : दत्तमत				
9	08– भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	5.02 (40)	6.43 (52.5)	7.67 (69.8)
10	11– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	7.30 (59)	8.56 (62.5)	8.63 (64.3)
11	13– कृषि	2.53 (79.8)	1.97 (23.8)	2.28 (80)
12	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	15.97 (34.1)	17.88 (32.0)	76.64 (49.6)
13	42– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	17.17 (33.1)	16.51 (33.8)	45.69 (62.9)
14	45– लघु सिंचाई निर्माण कार्य	29.18 (27.5)	29.89 (49.7)	40.68 (64.7)
15	48– नर्मदा घाटी विकास	122.79 (30.2)	108.50 (26.7)	137.36 (27.6)
16	55– महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	14.18 (40)	31.60 (89.1)	1.29 (95.6)
17	58– प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2.16 (72)	2.17 (77.5)	5.67 (90.0)
18	64– अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	13.59 (20.9)	26.37 (39.6)	41.52 (42.2)
19	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	18.60 (29.2)	17.91 (45.8)	61.61 (68.4)
20	68– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	2.44 (68.9)	2.25 (63.7)	28.20 (91.2)
21	81– शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	13.11 (92.7)	1.70 (41)	3.12 (75.4)

परिशिष्ट -IX

(संदर्भ : कण्डिका 2-3-9 (क) पृष्ठ 37)

योजनाओं के अंतर्गत प्रचुर आधिक्यों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
क.	**राजस्व दत्तमत**			
1.	03– पुलिस	2055-001-1011-क्षेत्रीय महानिरीक्षक एवं संभागीय स्थापना	5.01	154
2.	10– वन	2406-01-001-0101-2965- उजड़े हुए वनों का पुनर्जीवन	5.28	219
3.	13– कृषि	2401-800-0701-7625-कार्ययोजना (मेक्रो मेनेजमेंट) के माध्यम से राज्य प्रयासों की पूर्ति/ सहक्रियान्वयन	8.75	391
4.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-4244-मलेरिया	10.69	451
5.	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	3054-04-337 134- संधारण एवं सुधार– सामान्य	57.76	158.3
6.	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	3054-80-001-2301-निदेशन एवं प्रशासन अनुदान संख्या– 67 मुख्यशीर्ष 2059 से स्थापना के आनुपातिक अंश का अंतरण	44.65	119
7.	27– शालेय शिक्षा	2202-01-104-0101-4442- सहायक संचालक शाला निरीक्षक (आधारभूत न्यूनतम सेवा के लिए)	5.64	470366
8.	58– प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2245-05-800-8030- पुनर्स्थापना एवं अन्य कार्यों के लिए अनुदान	18.16	276
	योग (क)		**155.94**	
ख.	***राजस्व प्रभारित***			
9.	*ब्याज का भुगतान एवं ऋण सेवा*	*2049-01-101-5-11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण–2009*	*21.46*	*130*
	योग (ख)		***21.46***	
ग.	**पूंजीगत दत्तमत**			
10.	23– जल संसाधन विभाग	4701-01-211-0101-9193-बेतवा नदी मण्डल को अनुदान	16.63	831
11.	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	5054-03-337-0101-4336- राज्य में राज्य राजमार्ग का निर्माण	5.32	419
	योग (ग)		**21.95**	
	महायोग (क+ख+ग)		**199.35**	

परिशिष्ट -X

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.9 (ख) पृष्ठ 37)

योजनाओं के अंतर्गत बड़ी बचतों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपयों

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	बचत की राशि	बचत प्रतिश
1.	2.	3.	4.	5
क	राजस्व दत्तमत			
1.	03– पुलिस	2055-109-194 अन्य पुलिस	14.40	82.7
2	03– पुलिस	2055-800-8333 सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	5.00	100
3.	06– वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224-अन्य व्यय	675.00	100
4	10– वन	2406-01-102-0101-6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय	15.18	99
5	10– वन	2406-01-797-216 क्षतिपूरक वानिकी /पौधरोपण निधि के लिए वनीकरण हेतु अन्य विभागों से प्राप्त राशि का अंतरण	20.00	100
6.	10– वन	2406-01-0801-6538 आर्थिक विकास	10.87	87.7
7	15– आदिम जाति हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता 20– शालेय शिक्षा	2202-01-789-101-0103-4398-सरकारी प्राथमिक शालाएं	6.50	85
8	15– आदिम जाति हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता 15– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2515-789-101-1303-5185 प्राथमिक सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान	30.33	100
9	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-800-0801-1801-टी.सी.ए.कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता एवं सामग्री	12.08	99.99
10	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498-परिवार नियोजन के पारपरिक साधनों की आपूर्ति	15.00	100
11	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-विश्व व्यापी टीकाकरण	34.99	99.97
12	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-परिवार नियोजन के पारंपरिक साधनों की आपूर्ति	14.50	100
13	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	12.00	100
14	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282-शिशु जीवन एवं सुरक्षित प्रसूति कार्यक्रम	27.50	100
15	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-0101-8717-झाबुआ जिले के फ्लोराइड संक्रमित गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति	5.25	100
16	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	3054-04-337-4557- सुदृढ़ीकरण	11.59	87.5
17	24– लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	3054-04-337-1366-विस्तृतीकरण	8.34	83.2
18	29– न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	2015-105-4311-संसद के चुनाव प्रक्रिया पर व्यय	8.96	82.7
19	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना –10–वन	2406-01-796-800-0802-5231-लघु वनोपज कार्य के लिये लघु वनोपज संघ को अनुदान	14.66	97.7

(करोड़ रुपयों में)

1.	2.	3.	4.	5
20	44– उच्च शिक्षा	2202-03-102-0101-5205-रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	6.04	85.1
21	47– जन शक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा	2203-104-0101-8885-स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	12.99	87.5
22	58– प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार हेतु अतिरिक्त प्रावधान	85.27	100
23	58– प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2245-02-101-747-ओलावृष्टि से पीड़ितों को राहत	14.14	94.3
24	58– प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2245-05-101-7566-राष्ट्रीय आपदा निधि हेतु बाढ़ एवं सूखा राहत के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निधि का अंतरण	38.86	100
25	61– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2210-05-105-0801-8132-एड्स बीमारी की रोकथाम	6.99	99.8
26	64– अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना 25– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-01-793-102-603-4675 स्वरोजगार योजना	6.99	99.9
27	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	2059-01-053-7722-कार्यालयों के भवन– लघु निर्माण कार्य	6.90	100
28	74– वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2052-091-0101-8451-राज्य पुनर्प्रवर्तन निधि की स्थापना	129.91	86.6
29	77– बिलासपुर संभाग में जनजाति क्षेत्र के विकास से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2225-02-102-1202-8762-अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के लिए सहायता के अंतर्गत जनजाति विकास समिति हेतु अनुदान	8.00	100
30	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को वित्तीय सहायता	2202-01-101-0801-447-ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	14.99	100
31	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को वित्तीय सहायता	2202-02-103-0701-1131-औपचारिकेतर शिक्षा (90:10)	5.25	87.5
32	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को वित्तीय सहायता	2202-02-191-8403-शिक्षा कर्मियों के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवा हेतु वेतन अनुदान	11.39	90.4
33	81– शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2202-02-191-2669-ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को संधारण सहायता	6.34	80.2
34	82– जनजाति क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 22– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2515-796-101-0102-1302-5185-आधारभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान	40.40	100

(करोड़ रुपयों में)

1.	2.	3.	4.	5
35	82–जनजाति क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 25– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-02-796-277-0802-7587 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	12.15	100
		योग (क)	**1348.76**	
ख.	***पूंजीगत दत्तमत***			
36	23– जल संसाधन विभाग	4701-202-101-541-उचंत	31.95	97.0
37	23– जल संसाधन विभाग	4701-03-800-0101-2339-निदेशन एवं प्रशासन	15.41	99.3
38	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	5054-03-337-0101-7549-भोपाल/सीहोर बाह्य मार्ग का निर्माण एवं उन्नयन	29.34	99.6
39	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25– अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4225-02-796-277-0702-1400-आश्रम एवं छात्रावास भवन	5.39	98
40	41– जनजाति क्षेत्र उप योजना 27– नर्मदा घाटी विकास विभाग	4701-03-796-202-0102-4647-स्थापना (जोवट परियोजना)	19.61	86
41	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 31– जल संसाधन विभाग	4702-796-800-0802-3828-लघु सिंचाई योजना	5.00	100
42	42– जनजाति क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल	5054-04-796-800-0102-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें)	29.96	91.2
43	45– लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-102-0101-2339-निदेशन एवं प्रशासन	34.35	96.3
44	48– नर्मदा घाटी विकास	4701-01-241-0101-7624-रानी अवंती बाई सागर परियोजना के लिए नहर का निर्माण कार्य	29.90	100
45	57– जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	4701-01-211-1201-2367-निर्माण कार्य	20.00	100
46	60– जिला आयोजनागत योजना से संबंधित व्यय	4515-800-0101-7608-जनभागीदारी के साथ विकास योजना में सरकार का योगदान	8.00	100
47	64– अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना 19– लोक निर्माण कार्य विभाग	5054-04-789-800-0103-9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	13.17	87.8
48	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	4059-01-051-0101-7611-जिला प्रशासन 16 नवीन संगठित जिलों के लिए 16 जिला कार्यालय भवनों का निर्माण –26– मुख्य निर्माण कार्य	10.00	100
49	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	4210-01-110-0101-7650-चिकित्सालय भवन का निर्माण 26– मुख्य निर्माण कार्य	6.00	100
50	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	4210-02-103-0101-4143-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण 26– मुख्य निर्माण कार्य	31.00	100
51	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	4211-101-0101-7651-सामाजिक सुरक्षा तंत्र योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विश्राम भवनों की पूर्णता 26– मुख्य निर्माण कार्य	8.00	100

(करोड़ रुपयों में)

1.	2.	3.	4.	5
52	68– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– भवन	4210-02-796-104-0102-7638 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	16.00	100
53	68– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– भवन	4210-02-796-110-0102-7636-जनजाति क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण	8.00	100
54	75– जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4702-101-0101-7584-नाबार्ड की II,III,IV श्रेणी योजना	30.00	100
		योग (ख)	**351.08**	
		महायोग (क + ख)	**1699.84**	

परिशिष्ट - XI

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.10 पृष्ठ 38)

अविवेकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

(क) ऐसे कुछ प्रकरण जिनमें पूर्व से ही लेखे में प्रावधान में अधिक दर्शाया गया था फिर भी पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा निधियों का अविवेकपूर्ण आहरण किया गया।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्ष	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा -2049-01-101-5-11 50% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण –2009 (प्रभारित)*	16.49	37.95	21.46	(-)2.19	23.65
2.	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा – 2409-01-101-8090 11.50% मध्यप्रदेश विकास ऋण 2010 (प्रभारित)*	17.32	26.43	9.11	(-)2.30	11.41
3.	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा – 2409-01-200-3089 अर्थोपाय पेशगियों पर ब्याज एवं रिजर्व बैंक से प्राप्त रोकड शेष में कमी (प्रभारित)*	10.00	11.01	1.01	(-)1.06	2.07
4.	*ब्याज भुगतान एव ऋण सेवा – 2409-03-104-4487 सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज (प्रभारित)*	467.78	493.10	25.32	(-)53.18	78.50
5.	*लोक ऋण - 6003-110-637-अर्थोपाय पेशगियां (प्रभारित)*	1554.30	2348.86	794.56	(-)82.10	876.66
6.	07– वाणिज्यिक कर विभाग से संबधित व्यय -2040-101-1509-जिला स्थापना	39.69	42.85	3.16	(-)2.54	5.70
7.	10–वन - 2406-01-001-3555 मुख्यालय स्थापना	9.72	11.45	1.73	(-)1.21	2.94
8.	17– सहकारिता 2425-101-0101-359-लेखापरीक्षा मण्डल	8.10	9.54	1.44	(-)1.27	2.71
9.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण -2210-01-110-1473-जिला चिकित्सालय	40.64	51.57	10.93	(-)4.33	15.26
10.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-01-001-0101-2283-निदेशन एवं प्रशासन (राजीव गांधी मिशन)	8.78	9.71	0.93	(-)1.12	2.05
11	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-01-110-2606-पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए औषधालय	13.99	15.47	1.48	(-)1.12	2.60
12	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-01-110-0101-993-क्षय रोग चिकित्सालय	11.78	16.16	4.38	(-)1.00	5.38
13	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-01-110-0101-1491-जिला चिकित्सालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ब्लड बैंक का सुदृढ़िकरण एवं सुधार	25.91	28.82	2.91	(-)3.40	6.31
14	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-03-103-0101-2777—प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (आधारभूत सेवाएं)	111.78	127.08	15.30	(-)7.62	22.92
15	19– लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण 2210-03-110-748-औषधालय	11.41	12.11	0.70	(-)1.38	2.08
16.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-06-101-0101-8150-बहुउद्देशीय कर्मचारी योजना	15 23	20.14	4.91	(-)2.00	6.91
17	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-06-101-0701-4244-मलेरिया	28.09	31.32	3.23	(-)1.71	4.94
18	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-2215-01-001-2715-प्रशासन	39.75	49.14	9.39	(-)5.21	14.60
19	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -2215-01-102-1202-ग्रामीण जल आपूर्ति (पाइप) योजना का संधारण	8.00	9.35	1.35	(-)1.15	2.50

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
20	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -2215-01-102-2219-नल कूपों का संधारण	32.23	38.35	6.12	(-)9.03	15.15
21	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -2215-01-799-4058--विविध लोक निर्माण कार्य– अग्रिम	22.00	25.22	3.22	(-)2.00	5.22
22	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -2215-01-800-5300-स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति योजना का संधारण	14.03	14.46	0.43	(-)2.34	2.77
23	23– जल संसाधन विभाग 2701-80-001-0101-814-कार्यकारिणी –स्थापना (ई एण्ड एम)	7.14	8.56	1.42	(-)1.39	2.81
24	23– जल संसाधन विभाग 2701-80-001-0101-3264-वृत्त– स्थापना	5.78	6.70	0.92	(-)1.23	2.15
25	24– लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल -3054-04-337-134-मरम्मत एवं संधारण–साधारण	36.49	94.25	57.76	(-)8.09	65.85
26	24– लोक निर्माण कार्य –सड़क एवं पुल -3054-80-001-2301 अनुदान संख्या 67 मुख्यशीर्ष 2059 से अंतरित स्थापना के निदेशन एवं प्रशासन समतुल्य अंश	37.50	82.15	44.65	(-)4.92	49.57
27	30– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय 2501-01-001-0701-8774-राज्य स्तर के कर्मचारी वर्ग	3.39	4.17	0.78	(-)2.15	2.93
28.	30– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय 2515-101-0101-2474-पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में प्रभार	48.67	56.40	7.73	(-)9.00	16.73
29	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 17– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग -2210-03-796-103-0102-2779-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	11.94	14.85	2.91	(-)1.52	4.43
30	44– उच्च शिक्षा 2202-03-104-0101-3444-महाविद्यालयों को संधारण अनुदान	43.41	60.18	16.77	(-)2.81	19.58
31	57– जल संसाधान से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं -4701-01-211-1201-2339-निदेशन एवं प्रशासन (आनुपातिक)	71.00	88.85	17.85	(-)56.40	74.25
32	60– जिला आयोजनागत योजना -4515-800-0101-8284-मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	40.40	46.97	6.57	(-)3.83	10.40
33	67– लोक निर्माण कार्य– भवन –2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	20.00	20.99	0.99	(-)3.00	3.99
34	67– लोक निर्माण कार्य–भवन –2059-01-053-6519-सामान्य मरम्मतें	18.04	26.36	8.32	(-)1.10	9.42
35	67– लोक निर्माण कार्य भवन –2059-80-001-0101-2418 निर्देशन	98.51	99.09	0.58	(-)13.30	13.88
36	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता -2515-101-4610-मुद्रांक शुल्क संग्रहण के विरुद्ध	30.00	42.36	12.36	(-)3.64	16.00
37	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता -2515-101-0101-6698-वाणिज्य कर विभाग द्वारा आरोपित वाणिज्यिक कर पर अधिभार से आय के 30% अंशदान से पंचायत को अनुदान	9.90	10.92	1.02	(-)1.23	2.25
38	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता -2515—101-0101-8209-पंचायत अधिकारियों को मानदेय तथा अन्य सुख सुविधाएं	12.00	20.52	8.52	(-)2.42	10.94

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
39	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2515-101-0101-8214-सचिवालय व्यवस्था	12.00	14.44	2.44	(-)3.09	5.53
40	82– जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अधीन पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता–22– पचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग -2515-796-101-0102-5185-बुनियादी सेवाओं के लिये एकमुश्त अनुदान	22.32	25.85		(-)3.48	7.01

(ख) कुछ प्रकरण जिनमें निधियां पुनर्विनियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं/ उपलब्ध बचत से अधिक अभ्यर्पण के परिणामस्वरूप अन्तिम आधिक्य

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अन्तिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	*ब्याज भुगतान तथा ऋण शेष - 2049-04-101-3707- राज्य /संघ शासित क्षेत्र आयोजनागत योजना (प्रभारित)*	*681.09*	*601.69*	*79.40*	*(-)92.38*	*12.98*
2.	01– सामान्य प्रशासन 2013-800-3283- मंत्रियों के लिये उनके दौरों के दौरान पेट्रोल तेल चिकनाई	3.31	2.51	0.80	(-)1.32	0.52
3.	01– सामान्य प्रशासन -2052-090-4327-सचिवालय	37.10	29.29	7.81	(-)11.14	3.33
4.	01– सामान्य प्रशासन 2070-104-3844- लोक आयुक्त	7.42	5.88	1.54	(-)1.67	0.13
5.	03– पुलिस -2070-107-2710-महासेनानी का कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालय	19.47	17.22	2.25	(-)5.41	3.16
6.	07– वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय -2039-001-1470- जिला कार्यपालन स्थापना	33.92	27.45	6.47	(-)7.71	1.24
7.	10– वन -2406-01-101-3836 इमारती लकड़ी वन वृत्त राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर तथा बांस	109.72	94.22	15.50	(-)15.99	0.49
8.	10– वन 2406-01-101-3877- वन मण्डल अधिकारी	220.29	195.83	24.46	(-)28.25	3.79
9.	10– वन -2406-01-102-0101-646- परित्यक्त वन में पौधरोपण (वन क्षतिपूर्ति से व्यय)	20.00	6.43	13.57	(-)13.75	0.18
10.	18– श्रम -2230-01-010[illegible]01-4271-श्रम कानून के कार्यान्वयन के लिये कर्मचारी	6.79	5.72	1.07	(-)1.42	0.35
11.	19– लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 2211-001-0801-1508- जिला स्तरीय कर्मचारी	16.40	13.96	2.44	(-)4.15	1.71
12.	19– लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण -2211-101-0801-1200 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं– प्रत्यक्ष व्यय	64.71	47.57	17.14	(-)25.49	8.35
13.	19– लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 2211-101-0801-4051- ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक	3.22	1.33	1.89	(-)2.10	0.21
14.	19– लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण -2211-102-0801-2703-प्रत्यक्ष व्यय	9.00	6.56	2.44	(-)3.16	0.72
15.	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -2215-01-102-0101-4378- समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की आपूर्ति	68.83	43.00	25.83	(-)25.95	0.12
16.	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -2215-01-191-0701-8305-71-शहरी जल प्रदाय योजना	10.00	4.59	5.41	(-)7.41	2.00

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
17.	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -2215-01-800-0101-9938-भूमिगत जल स्रोतों का पुनरावेशन	5.95	4.51	1.44	(-)5.50	4.06
18.	21– आवास तथा पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय -4217-01-051-0101-284 23– गैर आवासीय भवन	3.00	1.73	1.27	(-)1.86	0.59
19.	23– जल ससाधन विभाग -2701-01-204-2894-बांध तथा नहरें	5.00	3.47	1.53	(-)2.69	1.16
20	23– जल ससाधन विभाग -2701-80-799-0101-9191-स्टॉक	20.10	9.04	11.06	(-)12.19	1.13
21.	23– जल ससाधन विभाग -4701-01-203-0101-2884-नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	29.50	7.83	21.67	(-)23.70	2.03
22.	23– जल ससाधन विभाग -4701-01-210-0101-541-उचंत	3.00	1.19	1.81	(-)2.30	0.49
23.	23– जल संसाधन विभाग -4701-01-212-0101-2884-नहर तथा सम्बद्ध निर्माण कार्य	5.22	1.43	3.79	(-)3.91	0.12
24.	29– न्याय प्रशासन तथा चुनाव -2052-090-9057-विधि तथा विधायी कार्य	3.69	3.22	0.47	(-)1.92	1.45
25.	30– पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सबंधित व्यय -2501-01-001-0701-8775-प्रशासन योजना जिला स्तरीय	30.06	8.11	21.95	(-)24.56	2.61
26.	30– पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय 2501-01-101-0701-8376 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण	3.86	2.00	1.86	(-)3.86	2.00
27.	30– पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय -2501-01-101-0701-8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	6.22	4.55	1.67	(-)2.23	0.56
28.	30– पचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सबंधित व्यय -2501-01-702-0701-6503-रोजगार आश्वासन योजना	33.35	22.28	11.07	(-)14.53	3.46
29.	32– जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय -2220-01-001-0101-2320-निदेशन तथा प्रशासन	18.18	15.20	2.98	(-)4.20	1.22
30.	32– जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय -2220-01-105-0101-2822-स्थापना तथा फिल्म इकाई	2.28	0.85	1.43	(-)1.55	0.12
31.	33– जनजाति कल्याण -2225-02-001-1483-जिला प्रशासन	20.42	12.40	8.02	(-)8.13	0.11
32.	33– जनजाति कल्याण -2515-102-2506-परियोजना मुख्यालय	8.95	7.32	1.63	(-)2.33	0.70
33.	40– कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय -4705-205-0701-2823-खेत नालियों का निर्माण	1.10	0.35	0.75	(-)1.02	0.27
34.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 22– पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग -2501-01-796-101-0702-8776-जिला पंचायत (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) प्रशासन	2.00	0.60	1.40	(-)1.62	0.22
35.	44– उच्च शिक्षा -2202-03-103-0101-798-कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	256.11	219.60	36.51	(-)37.29	0.78
36.	55– महिला तथा बाल कल्याण से संबंधित व्यय -2235-02-001-0101-8682- 62 परियोजनाओं के लिये कर्मचारी	8.81	4.66	4.15	(-)5.24	1.09

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
37.	55– महिला तथा बाल कल्याण से संबंधित व्यय - 2235-02-001-0101-9041-महिला तथा बाल कल्याण संचालनालय	5.87	5.22	0.65	(-)2.50	1.85
38.	55– महिला तथा बाल कल्याण से संबंधित व्यय - 2235-02-102-0801-5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता प्राप्त योजना के अधीन)	77.26	48.51	28.75	(-)37.29	8.54
39.	55– महिला तथा बाल कल्याण से संबंधित व्यय - 2235-02-102-0801-5356-एकीकृत विकास योजना का पर्यवेक्षण (विदेशी सहायता प्राप्त योजना के अधीन)	4.25	3.58	0.67	(-)1.65	0.98
40.	56– ग्रामीण उद्योग -2851-107-3778-रेशम उद्योग योजना का कार्यान्वयन	9.41	8.06	1.35	(-)2.05	0 70
41.	58– प्राकृतिक आपदाओं तथा अकाल राहत पर व्यय - 2245-02-101-2018-नकद दान	10.00	8.78	1.22	(-)2.13	0 91
42.	64– अनुसूचित जातियों के लिये विशेषाश योजना 22– पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग -2216-03-789-102-0703-5198-इन्दिरा आवास योजना	10.94	9.53	1.41	(-)2.07	0 66
43.	64– अनुसूचित जातियों के लिये विशेषाश योजना 22– पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग -2501-01-789-101-0703-8376-लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण	2.71	0.45	2.26	(-)2.71	0 45
44.	66– पिछड़ा वर्ग कल्याण - 2225-03-277-0101-3673-राज्य छात्रवृत्ति	30.07	26.76	3.31	(-)4.30	0 99
45.	67– लोक निर्माण कार्य –भवन 2059-01-053-3387-मरम्मत– विश्राम गृह	4.81	3.77	1.04	(-)1.54	0 50
46.	67– लोक निर्माण कार्य –भवन -2059-80-001-0101-3300-वृत –स्थापना	7.93	6.20	1.73	(-)1.94	0 21
47.	73– आवास तथा पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं -2217-01-191-1201-8294-भोज आर्द्र भूमि संरक्षण के लिये आर्थिक सहायता	50.00	31.76	18.24	(-)18.58	0.34
48.	78– ग्रामीण उद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं -2851-107-1203-8300-टसर विस्तार तथा विकास	7.47	4.34	3.13	(-)3.51	0.38
49.	80– त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता -2515-101-0101-5848-बुनियादी निर्माण कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों को अनुदान	210.00	188.22	21.78	(-)25.74	3.96

(ग) बचत के उपरान्त भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के कुछ प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अन्तिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	03– पुलिस -2055-111-9259-पर्यवेक्षक कर्मचारी (रेल, पुलिस–पश्चिमी क्षेत्र)	12.45	8.31	4.14	(+)4.17	8.31
2.	23– जल संसाधन विभाग -2701-01-201-6135-नहरें	13.50	8.40	5.10	(+)4.43	9.53

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7
3.	48– नर्मदा घाटी विकास -4701-01-241-0101-2428-कार्यपालन स्थापना इकाई I एवं II	11.52	10.40	1.12	(+)1.16	2.28
4.	48– नर्मदा घाटी विकास -4701-01-241-0101-8191-कार्यपालन स्थापना इकाई-II	4.84	3.96	0.88	(+)1.74	2.62
5.	57– जल संसाधन से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं -4701--01-211-1201-2367-निर्माण कार्य	20.00	निरंक	20.00	(+)59.90	79.90

(घ) वे प्रकरण जिनमें प्रावधान से अधिक व्यय को पूरा करने हेतु अभिवांछित राशि से अधिक राशि का पुनर्विनियोग द्वारा निधियां अनुचित रूप में आवर्द्धित की गई

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अन्तिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	13– कृषि 2401-800-0701-7625-कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों का संपूर्ण अनुपूरण (वृहत् प्रबंधन)		10.99	8.75	+9.56	0.81
2	21– आवास तथा पर्यावरण से संबंधित व्यय -4217-01-051-0101-3763-आवासीय भवन		1.86	1.05	+1.20	0.15
3	23– जल संसाधन विभाग -2701-01-203-2894-बांध तथा नहरें		7.72	1.47	+1.62	0.15
4	23– जल संसाधन विभाग -4701-01-202-0101-2897-बांध तथा सम्बद्ध कार्य		26.29	11.20	+14.80	3.60
5	23– जल संसाधन विभाग -4701-01-216-0101-2884-नहरें तथा सम्बद्ध कार्य		13.34	2.97	+3.13	0.16
6	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना 14– कृषि विभाग -2401-796-800-0702-7625-कृषि कार्यक्रम (वृहत् प्रबंधन)		1.65	0.81	+1.06	0.25
7	48– नर्मदा घाटी विकास -4801-01-206-0101-3419-मशीनरी तथा उपकरण		86.75	11.05	+21.18	10.13
8	55– महिला तथा बाल विकास से संबंधित व्यय -2235-02-103-0801-8687-बालिका समृद्धि योजना		3.06	1.44	+2.31	0.87
9	75– जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं 4702-101-9469-नाबार्ड से ऋण सहायता के अधीन		55.47	14.97	+19.28	4.31
10	81– शहरी निकायों को वित्तीय सहायता -2217-05-800-0101-5866-दसवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन शहरी स्थानीय निकायों को आधारभूत सुख सुविधाओं के लिये एक मुश्त अनुदान		38.52	1.95	+5.60	3.65

परिशिष्ठ -XII

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.11 (क) पृष्ठ 38)

व्यपगत बजट प्रावधान के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या एवं नाम	कुल उपलब्ध बचत	अनभ्यर्पित राशि (कुल बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)
1.	2.	3.	4.
क	राजस्व–दत्तमत		
1.	03– पुलिस	215.13	105.38 (48)
2.	06– वित्त विभाग से संबधित व्यय	1344.25	1318.52 (98.8)
3.	08– भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	74.22	22.65 (30.5)
4.	10– वन	140.73	36.35 (25.8)
5.	13– कृषि	67.72	12.15 (17.9)
6.	14– पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	23.14	8.30 (35.9)
7.	15– अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अंतर्गत पचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	55.83	18.20 (32.6)
8.	19– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	116.69	15.58 (13.4)
9.	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	52.26	12.45 (23.8)
10.	27– शालेय शिक्षा	41.81	41.81 (100)
11.	29– न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	36.03	27.55 (76.5)
12.	31– योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	10.24	7.69 (75.1)
13.	33– जनजाति कल्याण	126.13	10.77 (8.5)
14.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना	173.40	44.78 (25.8)
15.	47– जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा	42.65	6.83 (16.01)
16.	58– प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत से संबंधित व्यय	207.69	170.39 (82.0)
17.	61– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	11.79	7.21 (61.2)
18.	64– अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	99.24	31.36 (31.6)
19.	72– गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	6.99	6.99 (100)
20.	79– चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	23.90	23.90 (100)
21.	80– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	226.96	62.06 (27.3)
22.	81– शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	144.13	84.54 (58.7)
23.	82– जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	95.91	28.18 (29.4)

(करोड़ रुपयों में)

1.	2.	3.	4.
24.	90– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.56	6.56 (100)
25.	91– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन –शालेय शिक्षा	13.95	13.95 (100)
26.	92– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत प्रशासन के स्तर का उन्नयन– संस्कृति	5.47	5.47 (100)
	योग (क)	**3362.82**	**2129.61** **(63.3)**
ख	*राजस्व–प्रभारित*		
1.	*10– वन*	*9.72*	*9.42* *(96.9)*
2.	*81– शहरी निकायों को वित्तीय सहायता*	*16.54*	*11.54* *(69.8)*
	योग (ख)	***26.26***	***20.96*** ***(79.8)***
ग	**पूंजीगत–दत्तमत**		
1.	06– वित्त विभाग से संबंधित व्यय	10.34	6.31 (61.0)
2.	08– भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	7.67	6.02 (78.5)
3.	11– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	8.63	5.12 (59.3)
4.	17– सहकारिता	28.71	15.97 (55.6)
5.	23– जल संसाधन विभाग	72.46	15.31 (21.1)
6.	24– लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	76.64	67.10 (87.6)
7.	39– खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	17.83	11.14 (62.5)
8.	41– जनजाति क्षेत्र उपयोजना	109.77	36.04 (32.8)
9.	42– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल	45.69	30.50 (66.8)
10.	45– लघु सिंचाई– निर्माण कार्य	40.68	31.60 (77.7)
11.	48– नर्मदा घाटी विकास	137.36	17.34 (12.6)
12.	57– जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	14.88	7.25 (48.7)
13.	64– अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	41.52	27.03 (65.1)
14.	67– लोक निर्माण कार्य– भवन	61.61	55.67 (90.4)
15.	68– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– भवन	28.20	27.85 (98.8)
16.	75– जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	21.41	7.61 (35.5)
17.	76– लोक निर्माण कार्य विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6.44	5.49 (85.2)
	योग (ग)	**729.84**	**373.35** **(51.2)**
	महायोग (क+ख+ग)	**4118.92**	**2523.92**

परिशिष्ट -XIII

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.12 (क) पृष्ठ 38)

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
1	**2**	**3**	**4**
क. राजस्व– दत्तमत			
1	01– जिला प्रशासन	20.24	23.22
2	07– वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	31.59	34.42
3	16– मत्स्योद्योग	4.85	4.92
4	20– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	107.07	136.64
5	23– जल संसाधन विभाग	26.37	37.45
6	30– पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	38.28	70.31
7	40– कमान क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित व्यय	2.90	3.00
8	44– उच्च शिक्षा	40.20	49.98
9	50– 20 सूत्री क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	0.42	0.49
10	54– कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	1.31	2.75
11	55– महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	103.84	110.62
12	66– पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.51	7.57
13	73– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	18.24	18.59
	योग (क)	**401.82**	**499.96**
ख. राजस्व– प्रभारित			
1.	*08– भू राजस्व एवं जिला प्रशासन*	*0.08*	*0.12*
	योग (ख)	**0.08**	**0.12**
ख. पूंजीगत–दत्तमत			
1.	09– राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	0.09	0.11
2	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	0.98	1.15
3	30– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	0.16	0.17
4	55– महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	1.29	1.33
5	60– जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	3.43	3.83
6	82– जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत वित्तीय सहायता	0.35	0.43
	योग (ग)	**6.30**	**7.02**
	महायोग (क+ख+ग)	**408.20**	**507.10**

परिशिष्ट -XIV

(संदर्भ कण्डिका 2.3.12 (ख) पृष्ठ 38)

अविवेकपूर्ण/ अवास्तविक अभ्यर्पणों के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	प्रावधान से अधिक व्यय	अभ्यर्पित राशि
क.	राजस्व– दत्तमत		
1.	02– सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित व्यय	0.90	1.90
	योग– क	**0.90**	**1.90**
ख.	*पूंजीगत प्रभारित*		
1	लोक ऋण	*263.80*	*612.86*
	योग– ख	*263.80*	*612.86*
	महायोग (क+ख)	**264.70**	**614.76**

परिशिष्ट -XV

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.16 पृष्ठ 40)

वर्ष 2000–2001 के लिए समाधान न किए गए व्यय के आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	अनुदान संख्या	वर्ष के दौरान समाधान न किए गए व्यय की राशि
1	**2**	**3**	**4**
1	2015	32	0.01
2	2040	07	4.52
3	2049	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	729.13
4	2053	08	0.02
5	2059	01, 67	44.00
6	2202	27, 32, 44, 64, 80, 82	2537.24
7	2203	32, 41, 47, 64	31.41
8	2204	27	172.08
9	2205	26, 32, 41, 64, 92	5.89
10	2210	15, 18, 19, 20, 32, 41, 61, 64, 67, 72, 79, 80, 82, 90	131.59
11	2235	72	0.31
12	2245	58	81.00
13	2250	02, 30, 51	1.12
14	2406	10	23.04
15	2408	39	94.03
16	2801	41, 64	16.75
योग	मुख्यशीर्ष–16	अनुदान –27	**3872.14**

परिशिष्ट -XVI

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.17 पृष्ठ 40)

पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण के लिए दोषपूर्ण संस्वीकृति के प्रकरण

क्रम संख्या	संस्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	अनियमितताओं के विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	9	22, 29, 46, 53, 81, 83 और 87	111.28	वित्तीय वर्ष 2000–01 की समाप्ति के उपरांत संस्वीकृतियां जारी की गई।
2	12	ब्याज भुगतान, 15, 18, 26, 32, 41, 56, 64	10.37	जिन शीर्षों से पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण संस्वीकृत किया गया उनमें निधियां अनुपलब्ध।
3	2	4 और 29	0.33	पुनर्विनियोग द्वारा " कार्यालय व्यय " शीर्ष में निधियों की वृद्धि की गई तथा "वेतन एवं मजदूरी" से अन्य शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किया गया।
4	2	6	0.13	पुनर्विनियोग संस्वीकृति के दोनों पक्षों का योग एकसा न होना।
5	4	6,7 और 56	11.74	बचत हेतु अभ्यर्पण संस्वीकृतियों एवं अधिक व्यय के विरुद्ध पुनर्विनियोग संस्वीकृतियों को पृथक जारी न किया जाना तथा सही विवरण प्रस्तुत न करना
		योग	**133.85**	

परिशिष्ट -XVII

(संदर्भ : कण्डिका 2.3.18 पृष्ठ 41)

मार्च 2001 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान	निम्न माह तक व्यय		मार्च 2001 तक कुल व्यय	मार्च 2001 में व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में किए गए व्यय का प्रतिशत
			जून 2000	सितम्बर 2000			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17– सहकारिता	142.48	8.66	19.29	103.57	56.88	54.9
2	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	55.11	5.56	12.08	46.94	23.88	50.9
3	30– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	464.59	54.00	117.78	426.09	234.57	55.1
4	38– रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय	0.03	0.00	0.01	0.02	0.02	100
5	53– अनुसूचित जाति हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को वित्तीय सहायता	10.57	0.01	1.93	9.13	6.42	70.3
6	60– जिला आयोजनागत योजनाओं से संबंधित व्यय	50.40	2.43	9.93	46.97	23.06	49.1
7	74– वित्त विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	150.00	00	00	20.09	18.95	94.3
8	83– जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	13.90	00	0.01	9.40	6.37	67.8
9	85– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रशासन के स्तरों का उन्नयन – पुलिस	9.66	00	00	5.49	5.49	100
10	87– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रशासन के स्तरों का उन्नयन– शहरी प्रशासन एवं विकास	8.26	00	00	4.15	4.15	100
11	88– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रशासन के स्तरों का उन्नयन– न्याय प्रशासन	2.49	00	00	2.62	2.62	100
12	92– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रशासन के स्तरों का उन्नयन– संस्कृति	6.95	00	00	1.48	1.48	100
13	93– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशिष्ट समस्याएं– पर्यटन	18.00	00	00	10.56	10.56	100
14	95– ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रशासन के स्तरों का उन्नयन – ग्रामीण विकास	20.83	00	00	20.83	20.83	100

परिशिष्ट -XVIII

(संदर्भ : कण्डिका 2.4.1 (ख) पृष्ठ 43)

बजट समीक्षा हेतु चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत प्रचुर बचतें

(करोड़ रुपयों में)

क्र.संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना	बचत
1	**2**	**3**
8 – मूराजस्व एवं जिला प्रशासन		
1	6401–800–862–कृषि भूमि अधिनियम	7.45
32-जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय		
2	2220–01–001–0101–2320 – निदेशन एवं प्रशासन	2.98
3	2220–01–105–0101–2822 – फिल्म इकाई की स्थापना	1.43
4	2220–60–106–0101–1479 – जिला प्रचार एवं चलित इकाई की स्थापना	0.50
5	2220–60–106–0101–4065 – विशिष्ट अवसरों हेतु प्रचार	0.60
6	2701–80–001–3956 – विज्ञापन विक्रय एवं प्रचार व्यय	0.92
7	3054–01–800–7724– समाचार पत्रों मे विज्ञापन का प्रकाशन	0.54
42-जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल		
8	5054-03-796-101-0102-5225-बड़े पुल निर्माण कार्य	4.69
9	5054-0-796-101-0102-5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	10.23
10	5054-03-796-337-0102-3710- राज्य राजमार्ग	0.56
11	5054-04-796-800-0102-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	29.96
12	5054-04-796-800-0802-7654-जनजाति क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	3.00
49-अनुसूचित जाति कल्याण		
13	2225-01-001-1474-जिला एव परियोजना प्रशासन	1.54
14	2225-01-001-2296-निदेशन एव प्रशासन	0.43
15	2225-01-277-673-शिक्षा एव अन्य कल्याण गतिविधियों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान	0.61
16	2225-01-277-1396-छात्रावास	2.74
17	2225-01-277-8050-छात्रावृत्ति	3.61
18	2225-01-277-8051-अनुसूचित जातियों का कल्याण–आश्रम एव विद्यालय	1.09
19	2225-01-800-5762-अनुसूचित जातियों क कल्याण हेतु गठित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोग की सरचना	0.22
56-ग्रामोद्योग		
20	2851-103-0701-9200-विपणन विकास (हथकरघा)	0.94
21	2851-107-3778-रेशम उद्योग योजनाओं का क्रियान्वयन	1.35
1	**2**	**3**
22	2851-107-0101-2731-अनुसधान एव प्रशिक्षण	0.49
23	2851-107-0101-5852-6 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाओं की स्थापना	0.47
24	2851-107-0101-8585-पचायत के कार्यक्रमों एव कर्तव्यों के विकेन्द्रीकरण हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालयो की स्थापना	2.20
25	2851-110-0701-9199-परियोजना पैकेज (हथकरघा)	0.57
26	2851-110-0701-9282-विपणन विकास हथकरघा	1.10
67-लोक निर्माण कार्य–भवन		
27	4059-01-051-0101-7611-जिला प्रशासन–16 नवगठित जिलों हेतु 16 जिला कार्यालय भवनों का निर्माण	10.00
28	4059-01-051-0101-8040-जेल भवनों का निर्माण	1.00
29	4059-01-051-0701-7634-जिला न्यायालय, भोपाल के निर्माणाधीन भवन का निर्माण पूर्ण होना	2.00
30	4202-01-202-0101-3490-माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण	1.06
31	4202-02-105-0101-515-अभियात्रिकी/तकनीकी संस्था भवनों का निर्माण	1.05
32	4210-01-110-0101-7649-सौ बिस्तरों वाले अस्पताल भवन के निर्माण हेतु	1.00
33	4210-01-110-0101-7650-अस्पताल भवन के निर्माणार्थ	6.00
34	4210-02-103-0101-4143-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	1.20
35	4210-02-103-0101-4143-आधारभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	31.00
36	4211-101-0101-7651-सामाजिक सुरक्षा तंत्र योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विश्रामालयों का निर्माण पूर्ण होना	8.00
78-ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
37	2851-107-1201-3394-शहतूत रेशम उद्योग का विस्तार	0.71
38	2851-107-1202-8300-टसर कार्यक्रम का विस्तार एवं विकास	5.47
39	2851-107-1203-8300-टसर का विस्तार एवं विकास	3.13

परिशिष्ट -XIX

(संदर्भ : कण्डिका 2.4.1 (ख) पृष्ठ 43)

(क) ऐसे प्रकरण जिनमें व्यय अनुमानों के 5 प्रतिशत से कम था

(राशि लाख रुपयों में)

अनुदान संख्या	मुख्यशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	प्रतिशतता
67	2216(प्रभारित)	3.00	निरंक	0
67	2225 (दत्तमत)	8.50	0.05	0.6
67	2401 (दत्तमत)	11.00	0.49	4.5
67	2515 (दत्तमत)	15.00	0.39	2.6
67	2853 (दत्तमत)	10.00	निरंक	0
67	4853 (दत्तमत)	25.00	0.88	3.5
42	5054 (प्रभारित)	10.00	निरंक	0

(ख) ऐसे प्रकरण जिनमें व्यय अनुमानों के 30 प्रतिशत से कम था

अनुदान संख्या	मुख्यशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	प्रतिशतता
67	2204 (दत्तमत)	14.00	1.42	10.1
67	2205 (दत्तमत)	10.50	0.99	9.4
67	2211 (दत्तमत)	9.50	1.29	13.6
67	4202 (दत्तमत)	620.60	121.70	19.6
67	4210 (दत्तमत)	4912.00	1196.89	24.4
67	4211 (दत्तमत)	1152.88	310.59	26.9
67	4405 (दत्तमत)	4.20	0.84	20
42	5054 (दत्तमत) 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3285.00	288.56	8.8

परिशिष्ट – XX

(संदर्भ : कण्डिका 2.4.1 (ग) पृष्ठ 43)

(क) ऐसे प्रकरण जिनमें योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क)	32– जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय				
1.	2220-01-001-0101-2320-निदेशन एवं प्रशासन	15.92	2.25	15.20	(-)2.97
2	3054-01-800-7724-समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन	निरंक	0.54	निरंक	(-)0.54
(ख)	42– जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य– सड़क एवं पुल				
3	5054-04-796-800-0102-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें)	7.85	25.00	2.89	(-)29.96
(ग)	56– ग्रामोद्योग				
4	2851-107-3778-रेशम उद्योग योजना का क्रियान्वयन	8.23	1.17	8.06	(-)1.34
(घ)	67– लोक निर्माण विभाग– भवन				
5	4059-01-051-0101-7611-जिला प्रशासन–16 नवगठित जिलों हेतु 16 जिला कार्यालय भवनों का निर्माण	निरंक	10.00	निरंक	(-)10.00
6	4059-01-051-0101-8040-जेल भवनों का निर्माण	निरंक	1.00	निरंक	(-)1.00
7	4059-01-051-0701-7634-जिला न्यायालय भोपाल के निर्माणाधीन भवन का निर्माण पूर्ण होना	निरंक	2.00	निरंक	(-)2.00
8	4210-01-110-0101-7649-सौ बिस्तरों वाले अस्पताल भवन के निर्माण हेतु	निरंक	1.00	निरंक	(-)1.00
9	4210-01-110-0101-7650-अस्पताल भवन के निर्माण हेतु	निरंक	6.00	निरंक	(-)6.00
10	4210-02-103-0101-4143-बेसिक न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	निरंक	31.00	निरंक	(-)31.00
11	4211-101-0101-7651-सामाजिक सुरक्षा तंत्र योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विश्राम गृहों का निर्माण पूर्ण होना	निरंक	8.00	निरंक	(-)8.00
	योग	**32.00**	**87.96**	**26.15**	**(-)93.81**

(ख) ऐसे प्रकरण जिनमें योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	व्यय	बचत
	42– जनजाति क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं पुल				
1.	5054-03-796-101-0102-5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	4.96	15.00	9.73	(-)10.23
2	5054-04-796-800-0802-7654-जनजाति क्षेत्रों मे सड़को का निर्माण	निरंक	6.85	3.85	(-)3.00
	योग	**4.96**	**21.85**	**13.58**	**(-)13.23**

परिशिष्ट – XXI

(संदर्भ : कण्डिका 2.4.1 (घ) पृष्ठ 43)

योजनाओं के अंतर्गत व्यय की अधिकता

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं योजनाओं का नाम/मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
	32-जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय			
1.	2220-01-001-0101-5340-जनसंपर्क के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण	2.89	1.53	52.9
2.	2220-01-001-2320-निदेशन एवं प्रशासन	1519.66	390.36	25.7
3.	2220-01-105-0101-2822-फिल्म इकाई की स्थापना	84.56	59.80	70.7
4.	2220-60-102-0101-4573-सूचना केन्द्र	71.32	36.89	51.7
5.	2220-60-106-0101-994-क्षेत्र प्रचार	169.21	43.39	25.6
6.	2220-60-109-2831-फोटो सेवा	63.78	19.26	30.2
	78-ग्रामोद्योग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
7.	2851-107-1201-3394-शहतूत रेशम उद्योग का विस्तार	272.56	271.07	99.5
8.	2851-107-1202-8300-टसर कार्यक्रम का विस्तार एवं विकास	469.43	415.89	88.6
9.	2851-107-1203-8300-टसर का विस्तार एवं विकास	434.12	177.54	40.9
	67-लोक निर्माण–भवन			
10.	2202	17.87	14.78	82.7
11.	2203	11.79	9.57	81.1
12.	2204	1.42	1.42	100
13.	2205	0.99	0.99	100
14.	2210	16.74	12.59	75.2
15.	2403	25.07	24.07	96
16.	2851	5.18	3.80	73.4
17.	4405	0.84	0.84	100

परिशिष्ट -XXII

(संदर्भ : कण्डिका 2.4.2 (क) पृष्ठ 44)

अनुदान संख्या 14 एवं 50 की योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना	आधिक्य की राशि (प्रावधानों की प्रतिशतता) (लाख रुपयां में)		
		1998-99	**1999-2000**	**2000-2001**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
14– पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय				
1	2403-001-4297-संचालनालय स्तर	57.51 (22.8)	---	---
2	2403-101-0101-2549-पशु चिकित्सा अस्पताल एवं औषधालय	289.31 (13.2)	901.35 (15.9)	---
3	2403-102-0101-1108-सधन पशु विकास परियोजना	108.59 (11.1)	12.10 (0.5)	----
4	2403-001-0701-4293-संचालनालय में मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना	0.13 (1.0)	5.07 (101.4)	6.40 (128.0)
5	2403-113-0701-1458-महत्वपूर्ण पशु रोगों का क्रमबद्ध नियंत्रण	6.38 (10.2)	7.55 (34.3)	5.77 (26.2)
6	2403-113-0701-1971-दुग्ध, अंडे, ऊन एवं मांस की उपलब्धता का अनुमान लगाया जाना	14.04 (63.8)	11.75 (34.3)	15.97 (46.8)
50– 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय				
7	2053-800-2987-20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	49.64 (16.7)	14.54 (4.5)	

परिशिष्ट-XXIII

(संदर्भ : कण्डिका 3.1.5.1 पृष्ठ 55)

राज्य प्राप्ति लेखाओं को वापस की गई केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं सम्बन्धी अप्रयुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	जिनने अप्रयुक्त निधियां वापस की	जिला कार्यालयों का नाम	बैंक में जमा अप्रयुक्त राशियां जिन्हें विभागीय प्राप्ति शीर्ष में कोषालय को वापस किया गया
1	सहायक संचालक रेशम उद्योग	रायगढ़	2123074.75
2.	सहायक संचालक रेशम उद्योग	बिलासपुर	55435.00
3	सहायक संचालक रेशम उद्योग	अम्बिकापुर	2492280.00
4	सहायक संचालक रेशम उद्योग	रायपुर	715.00
5	सहायक संचालक रेशम उद्योग	राजनांदगांव	52148.00
6	सहायक संचालक रेशम उद्योग	मण्डला	383882.00
7	सहायक संचालक रेशम उद्योग	बालाघाट	80998.00
8	सहायक संचालक रेशम उद्योग	सिवनी	36642.00
9	सहायक संचालक रेशम उद्योग	नरसिंहपुर	34969.00
10	सहायक संचालक रेशम उद्योग	होशंगाबाद	269474.00
11	सहायक संचालक रेशम उद्योग	बैतूल	148324.00
12	सहायक संचालक रेशम उद्योग	कोरबा	312794.00
13	सहायक संचालक रेशम उद्योग	जबलपुर	1003597.00
14	सहायक संचालक रेशम उद्योग	नारायणपुर	592720.00
15	सहायक संचालक रेशम उद्योग	कांकेर	834790.40
16	सहायक संचालक रेशम उद्योग	दन्तेवाड़ा	175671.00
17	सहायक संचालक रेशम उद्योग	राजगढ़	48109.00
18	सहायक संचालक रेशम उद्योग	उज्जैन	44086.00
19	सहायक संचालक रेशम उद्योग	रायसेन	33087.00
		योग	**8722795.00**

परिशिष्ट-XXIV

(संदर्भ : कण्डिका 3.1.9.1 पृष्ठ 60)

शहतूत कोकूनों के उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण पत्र

(किलोग्राम में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	बिलासपुर	38300	10932	32000	3567	10000	978	1800	79
2.	बालाघाट	19400	14083	19000	9813	16000	7175	14000	7029
3.	गुना	6300	4199	3000	2849	4000	1877	4200	2012
4.	होशंगाबाद	34800	13025	38000	7201	20000	8245	12600	3535
5.	रायपुर	14900	9502	15000	4138	7000	2187	3000	153
6.	राजनन्दगांव	1600	109	1500	57	800	10	240	निरंक
7.	शाजापुर	6100	2140	6000	680	4000	351	1200	354
8.	सिहोर	4100	1949	2000	804	2000	732	1600	629
9.	उज्जैन	8100	1616	5500	600	4000	3500	1200	470
	योग	**133600**	**57555**	**122000**	**29709**	**67800**	**25055**	**39840**	**14261**
	प्रतिशतता		43		24		37		36

परिशिष्ट-XXV

(संदर्भ : 3.1.11.1 पृष्ठ 61)

दोहरे आहरण एवं भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्र

(क) जवाहर रोजगार योजना के खाते से आहरण का विवरण

क्रम संख्या	रोकड़ पुस्तक पृष्ठ संख्या	प्रमाणक संख्या/दिनांक	राशि	प्रयोजन जिसके लिए राशि आहरित की गई
1.	48	21/क/31.7.96	15000	शहतूत की कटाई
2.	49	23/16.8.96	8946	शहतूत की कटाई
3.	52	33/12.9.96	19262	जेटपम्प का क्रय
4.	58	58/25.2.97	14853	विद्युत देयक का भुगतान
5.	62	1/	8750	सरकारी शहतूत केन्द्र लैलूँगा के श्रमिकों को भुगतान
	योग		**Rs.66811**	

(ख) विभागीय शीर्ष से आहरणों का विवरण

क्रम संख्या	देयक क्रमांक एवं दिनांक	प्रमाणक संख्या/ दिनांक	राशि	प्रयोजन जिसके लिए राशि आहरित की गई
1.	191/3.3.97	670/12.3.97	15000	शहतूत की कटाई
2.	191/3.3.97	671/12.3.97	8946	शहतूत की कटाई
3.	114/5.10.96	325/19.10.96	19262	जेटपम्प
4.	187/3.3.97	677/12.3.97	14853	विद्युत देयक
5.	155/11.2.97	--	8750	श्रमिक भुगतान
			66811	

परिशिष्ट-XXVI

(संदर्भ : कण्डिका 3.4.5.2 (ग) पृष्ठ 91)

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कफ परीक्षण, सकारात्मक कफ वाले रोगी तथा नकारात्मक रोगी के रूप में परिवर्तित सकारात्मक कफ वाले रोगी दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	रोगियों की संख्या/ जनसंख्या जिसमें रोगियों की खोज की जानी है	खोजे गए क्षय रोग के प्रकरण	उन प्रकरणों की संख्या जिनके कफ का परीक्षण किया गया	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें कफ के परीक्षण के परिणाम सकारात्मक थे	उपचार द्वारा नकारात्मक में परिवर्तित सकारात्मक रोगियों की संख्या	कफ परीक्षण के संदर्भ में सकारात्मक कफ वाले रोगियों की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1996-97	5902007	71162	196211	10868	18397	06
1997-98	5767972	70524	175231	10134	16870	06
1998-99	5149397	65665	363506	18387	15496	05
1999-2000	5003239	61019	364475	23683	16395	06
2000-01	4458414	63370	291484	22666	15181	08
योग				**85738**	**82339** 96%	

परिशिष्ट-XXVII

(संदर्भ : कण्डिका 3.4.5.2 (घ) पृष्ठ 92)

31 अक्टूबर 2000 तक मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना

पद	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम				संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम			
	संस्वीकृत	कार्यरत	प्रशिक्षित	रिक्त	संस्वीकृत	कार्यरत	प्रशिक्षित	रिक्त
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
जिला क्षय रोग अधिकारी	47	42	31 66%	05 11%	--	--	--	--
एस.टी.एल.एस.	--	--	--	--	08	08	08	--
एस.टी.एस.	--	--	--	--	08	08	08	--
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	47	38	20 43%	09 19%	-	---	--	--
उपचार संयोजक	49	41	29 59%	08 16%	--	--	--	--
एल.टी.	71	71	51 72%	--	25	25	25	--
एक्स–रे टेक्नीशियन	47	45	34 72%	02 4%	--	--	--	--
टी.बी.एच.बी.	--	--	--	--	13	13	--	--
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	--	--	--	--	03	02	01	01
चालक	--	--	--	--	03	03	--	--

परिशिष्ट-XXVIII

(संदर्भ : कण्डिका 3.4.5.2.(ड.) पृष्ठ 92)

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन रोगियों के वर्षवार विवरण

जिले का नाम	वर्ष	समावेशित जनसंख्या	पंजीकृत क्षय रोग प्रकरणों की संख्या								
			नए				पुनः उपचार वाले रोगी				
			सकारात्मक कफ	नकारात्मक कफ	फेंफड़ेतर	योग	फिर से हुए रोगी	विफलता वाले रोगी	चूककर्ता	अन्य	योग
भोपाल	1999	18.5 लाख	1080	714	245	2039	99	59	38	48	244
	2000	18.5 लाख	906	812	278	2056	135	47	80	120	382
विदिशा	1999	11.2 लाख	870	724	63	1657	43	31	51	56	181
	2000	11.2 लाख	716	855	97	1668	53	35	116	126	330
राजगढ़	2001	10 लाख	463	502	48	1013	3	6	100	130	239

परिशिष्ट-XXIX

(संदर्भ : कण्डिका 3.4.5.2 (ड.) पृष्ठ 92)

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन तीन माहों में नकारात्मक कफ में परिवर्तित सकारात्मक कफ के रोगी दर्शाने वाला विवरण पत्र

जिले का नाम	(i)	वर्ष	सकारात्मक कफ वाले रोगियों की कुल संख्या	तीन माहों में कफ		
				सकारात्मक	नकारात्मक	परिवर्तन का प्रतिशत
भोपाल		1999	1080	196	884	81 %
		2000	906	111	795	88 %
विदिशा		1999	870	177	693	80 %
		2000	716	133	583	81 %
राजगढ़		2001	463	65	398	86 %

परिशिष्ट-XXX

(संदर्भ : कण्डिका 3.4.5.2 (ड.) पृष्ठ 92)

1999 एवं 2000 के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन निष्पादन

वर्ष	1999				2000					
जिला	भोपाल		विदिशा		भोपाल		विदिशा		राजगढ़	
जनसंख्या	18.5 लाख		11.2 लाख		18.5 लाख		11. 2 लाख		10 लाख	
निष्पादन दर्शक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
नवीन कफ के प्रकरण– (कफ)+ रोगी– प्रति लाख 50 प्रतिवर्ष	925	1080	560	870	925	906	560	716	500	463
क्षयरोगियों की कुल संख्या– 135 प्रति लाख प्रतिवर्ष	2497	2039	1512	1657	2497	2056	1512	1668	1350	1013
उपचार प्रकरण– 50 प्रतिशत नवीन कफ+ रोगी	540	244	435	181	453	382	358	330	231	239
फेंफड़ेतर प्रकरण– नवीन कफ+रोगियों का 20 प्रतिशत	216	245	174	63	181	278	143	97	92	48
कफ– की तुलना में कफ+ का अनुपात 01:1:2	1080:1296	1080:714	870: 1044	870: 724	906: 1087	906: 872	716: 859	716: 855	463: 555	463: 402
कफ संसत्सम्मति दर 3 माह >=90%	972	884 81%	783	693 80%	815	795 88%	644	583 81%	416	398 86%
निरोगदर >=85%	918	75.22	अनुपलब्ध	85.71	770	77.22	608	55.37	393	अनुपलब्ध
चूक दर <=5%	54	38	739	51	45	80	35	116	23	100

परिशिष्ट-XXXI

(संदर्भ : कण्डिका 3.4.5.3.क (ii) पृष्ठ 94)

नमूना जांच किए गए जिलों में 1996-97 से 2000-2001 के दौरान अंधत्व नियंत्रण हेतु जिला समितियों को सहायतानुदान एवं व्यय के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

(लाख रुपयों में)

जिले का नाम	प्रारंभिक शेष	सहायता अनुदान	उपार्जित ब्याज	योग	व्यय	अंत शेष	अंतिम शेष का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
भोपाल	1.23	26.82	--	28.05	18.01	10.04	36%
बिलासपुर	2.93	86.41	--	89.34	89.30	0.04	0.04%
गुना	1.89	32.39	--	34.28	33.07	1.22	4%
इन्दौर	0.13	37.97	--	38.10	37.32	0.78	2%
जबलपुर	0.26	58.53	--	58.79	53.14	5.65	10%
जगदलपुर	3.00	59.28	--	62.28	56.29	5.99	10%
मंदसौर	0.23	36.50	--	36.73	37.48	(-)0.75	--
सतना	9.07	296.31	--	305.38	305.21	0.17	0.06%
योग	18.74	634.21	--	652.95	629.81	23.14	4%

परिशिष्ट-XXXII

(संदर्भ : कण्डिका 3.4.5.4 (घ) (i) पृष्ठ 97)

31 मार्च 2001 को राष्ट्रीय अन्धत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन नमूना जांच किये गये जिलों के कर्मचारियों के विवरण

पद	संस्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तियों की प्रतिशतता	से रिक्त
1	2	3	4	5	6
नेत्र शल्य चिकित्सक	27	24	3	11	1996-97 (1) तथा 1997-98 (2)
नेत्र शल्य चिकित्सा सहायक	89	78	11	12	1996-97 (8), 1997-98 (1), अनुपलब्ध (2)
शिविर समन्वयक	5	1	4	80	1996-97
नर्स	8	7	1	12	1996-97
शल्य चिकित्सा कक्ष सहायक	6	5	1	17	1996-97
चालक	8	8	निरंक	--	--

परिशिष्ट-XXXIII

(संदर्भ : कण्डिका 3.5.8.3 पृष्ठ 109)

1996-2001 के दौरान सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिये नमूना जांच किये गये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का जनशक्ति विवरण

क्रम संख्या	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के नाम	पदस्थ व्याख्याताओं की संख्या/प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध मानव दिवस	प्रशिक्षण के लिये प्रयुक्त मानव दिवस*					1996-2001 के दौरान प्रयुक्त कुल मानव दिवस	प्रतिवर्ष प्रयुक्त औसत मानव दिवस (प्रतिशत सहित)
			1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अंबिकापुर	2/490	240	178	317	490	14	1239	248 (51%)
2	बेमेतरा	2/490	130	8	120	43	14	315	63(13 %)
3	भोपाल	2/490	371	84	380	163	34	1032	206(42 %)
4	दतिया	2/490	70	12	225	36	21	364	73(15 %)
5	धार	1/245	71	119	120	--	3	313	63(26 %)
6	ग्वालियर	1/245	62	48	82	490	30	712	142(58 %)
7	इन्दौर	2/490	56	28	32	180	147	443	89(18 %)
8	खण्डवा	2/490	131	385	120	233	74	943	189(39 %)
9	खरगौन	2/490	112	74	141	62	490	879	176(36 %)
10	पेन्ड्रा	1/245	190	340	197	80	21	828	166(68 %)
11	रायपुर	2/490	104	199	65	68	29	465	93(19 %)
12	रायसेन	2/490	176	98	122	244	16	656	131(27 %)
13	सिहोर	1/245	91	9	21	326	31	478	96(39 %)
14	शहडोल	2/490	95	71	98	32	--	296	59(12 %)
15	शिवपुरी	1/245	148	184	153	108	91	684	137(56 %)
			2047	**1837**	**2193**	**2555**	**1015**	**9647**	**129**

प्रयुक्त मानव दिवस की संगणना प्रशिक्षु संवर्गों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण (प्रतिव्याख्याता प्रतिवर्ष 245 मानव दिवस) हेतु नियुक्त व्याख्याताओं की संख्या के आधार पर उपलब्ध मानव दिवस प्रशिक्षण अवधि के रूप में की गई है।

परिशिष्ट-XXXIV

(संदर्भ : कण्डिका 3.6.7.5 (i) पृष्ठ 121)

पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पाठ्य पुस्तकों की औपचारिकेतर शिक्षार्थियों के मध्य विलम्बित आपूर्ति तथा वितरण में और विलम्ब के विवरण

क्रम संख्या	नमूना जांच किए गए जिले का नाम	वर्ष	पाठ्य पुस्तक निगम से क्रय की गई पाठ्य पुस्तकों की संख्या	पाठ्य पुस्तक निगम से पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति का दिनांक	क्रय की गई पाठ्य पुस्तकों का मूल्य (रुपये)	योजना कार्यालय को पुस्तकें जारी करने का दिनांक	जारी करने में विलम्ब	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गुना	1995-96	49644	28-12-1995	513581	भंडार पंजी में जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	6 से 7 माह	सहायक संचालक (औपचारिकेतर शिक्षा) द्वारा प्राप्त पाठ्य पुस्तकें परियोजना अधिकारियों को प्रदाय की गई जो आगे औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों को प्रदाय की गई परन्तु औपचारिकेतर शिक्षा शिक्षार्थियों के मध्य पाठ्य पुस्तकों के वास्तविक वितरण का दिनांक प्राप्त नहीं किया और बच्चों से पावती कभी नहीं मांगी गई। वितरित नहीं की जा सकी पुस्तकों की स्थिति भी औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों से प्राप्त नहीं की गई।
		1996-97	37978	27-2-97	334158	भंडार पंजी में जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	8 से 9 माह	
		1997-98	17503	9-11-97	198435	पुस्तकें मार्च 1998 में जारी की गईं।	5 से 9 माह	
		1998-99	--	पुस्तकें खरीदी नहीं गई।				
		1999-2000	62401	4-11-99	506125	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था।	4 से 5 माह	
2	इन्दौर	1995-96	34330	20-10-95	327609	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	4 से 5 माह	
		1996-97	29880	13-1-97	440211	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	6 से 7 माह	
		1997-98	81620	28-10-97	452382	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	4 से 5 माह	
		1998-99	41400	30-12-98	439705	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	6 से 7 माह	
		1999-2000	47280	1-11-99	382857	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	4 से 5 माह	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	झाबुउआ	1995-96	पुस्तकों का क्रय नहीं किया गया					
		1996-97	33850	11-10-96	339750	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	4 से 5 माह	
		1997-98	28933	21-10-97	385759	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	4 से 5 माह	
		1998-99	पुस्तकों का क्रय नहीं किया गया					
		1999-2000	28795	1-11-99	284977	जारी करने का दिनांक अंकित नहीं था	4 से 5 माह	
4	राजनांदगांव	1995-96	11000	31-10-95	102435	10-1-96	6 से 7 माह	
		1996-97	26700	10-10-96	326547	1-12-96	5 से 6 माह	
		1997-98	23199	7-7-97	293365	1-10-97	4 से 5 माह	
		1998-99	27515	6-11-98	303697	12/98	5 से 6 माह	
		1999-2000	30411	15-10-99	259106	11/99	4 से 5 माह	
5	सिवनी	1995-96	33500	10-10-95	318814	11/95	4 से 5 माह	
		1996-97	58440	25-10-96	412350	11/96	4 से 5 माह	
		1997-98	59680	3-12-97	435504	1/98	6 से 7 माह	
		1998-99	पुस्तकों का क्रय नहीं किया गया					
		1999-2000	42830	1-11-99	368528	12/99	5 से 6 माह	
6	टीकमगढ़	1995-96	40830	18-10-95	394619	7-12-95	5 से 6 माह	
		1996-97	32769	16-10-96	374205	7-1-97	6 से 7 माह	
		1997-98	40540	31-10-97	452944	7-11-97	5 से 6 माह	
		1998-99	65000	14-12-98	673070	16-6-99	11 से 12 माह	
		1999-2000	21350	7-1-2000	171400	16-3-2000	8 से 9 माह	
			1007378		**9492133**			

परिशिष्ट-XXXV

(संदर्भ : कण्डिका 3.6.7.7 पृष्ठ 123)

औपचारिकेत्तर शिक्षा के शिक्षणार्थियों की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण

(i) राज्य की संपूर्ण स्थिति

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर शिक्षणार्थियों की संख्या					उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षणार्थियों की संख्या				
	नामांकित तथा पांचवी कक्षा की मण्डल परीक्षा में बैठने हेतु पात्र	पांचवी कक्षा की मण्डल परीक्षा में बैठे	छोड़कर गये (प्रतिशत)	उत्तीर्ण	कुल नामांकित शिक्षार्थियों की तुलना में उत्तीर्ण का प्रतिशत	नामांकित तथा आठवीं की मण्डल परीक्षा में बैठने के पात्र	आठवीं की मण्डल परीक्षा में बैठे	छोड़कर गये (प्रतिशत)	उत्तीर्ण	कुल नामांकित शिक्षार्थियों की तुलना में उत्तीर्ण का प्रतिशत
1995-96	734362	61793	672569 92.0	34498	4.7	54909	16698	38211 69.6	4329	7.8
1996-97	762742	65948	696794 91.4	33110	4.3	60503	25943	34560 57.0	5490	9
1997-98	679238	48833	630405 93.0	22685	3.3	70244	18410	51834 74.0	6434	9.2
1998-99	694547	41964	652583 94.0	19608	2.8	60883	17605	43278 71.0	5195	8.5
1999-2000	536970	23872	513098 95.6	12545	2.3	65182	10514	54668 84.0	3854	5.9

(ii) नमूना जांच किए गए जिलो की स्थिति

1995-96	165222	15247	149975 91.0	8074	4.8	14187	3647	10540 74.0	1144	8
1996-97	159358	15477	143881 90.0	7553	4.7	14973	4364	10609 71.0	1214	8
1997-98	147415	13929	133486 90.5	7635	4.7	14402	4448	9954 69.0	1809	12.6
1998-99	144278	13173	131105 91.0	7187	4.9	14599	5090	9509 65.0	1755	12
1999-2000	82162	7165	74997 91.2	2714*	3.7	6738	2915	3823 57.0	1139*	17

* 1999–2000 के दौरान भोपाल, इन्दौर, रायपुर एवं शिवपुरी के उत्तीर्ण शिक्षणार्थियों की संख्या सम्मिलित नहीं है क्योंकि वे औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के बन्द हो जाने के कारण उनकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

परिशिष्ट-XXXVI

(संदर्भ : कण्डिका 3.12.2 पृष्ठ 134)

भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं का विवरण

क्रम संख्या	मंत्रियों/ अधिकारियों के नाम	यात्रा का दिनांक	देश/स्थान का नाम जिनकी यात्रा की गई	यात्रा का उद्देश्य	किया गया व्यय (लाख रुपयों में)			निम्न द्वारा प्रदत्त निधियां
					वास्तविक	अग्रिम	योग	
1.	(i) कृषि तथा डेयरी विकास मंत्री (ii) सचिव कृषि विभाग (iii) आयुक्त कृषि उत्पादन (iv) प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य विपणन मण्डल	20 सितम्बर, 1998 से 11 अक्टूबर 1998	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, सिंगापुर	अध्ययन दौरा	11.81	--	11.81	म.प्र.राज्य कृषि विपणन मण्डल
2.	(i) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (ii) आयुक्त, हथकरघा	17 से 19 जनवरी 1999 14 से 19 जनवरी 1999	ब्रुसैल्स तथा एण्टवर्प फ्रैंकफर्ट, ब्रुसैल्स तथा एण्टवर्प	हीम टेक्सटाइल मेले में भाग लेने हेतु	अनुपब्ध 1.67	1.62 --	1.62 1.67	हस्त शिल्प विकास निगम राज्य सरकार
3.	पशुपालन मंत्री	18 से 20 मार्च 1999	बैंकॉक (थाईलैण्ड)	VIV- एशिया गहन पशुधन तथा कुक्कुट पालन प्रदर्शिनी में भाग लेने हेतु	0.25	--	0.25	मध्यप्रदेश राज्य पशु धन निगम
4.	(i) आयुक्त कृषि उत्पादन (ii) प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डल	10 से 31 अक्टूबर 1999	दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेन्टाइना मैक्सिकों, अमेरिका, ब्रिटेन तथा नीदरलैण्ड	कोसाम्ब द्वारा आयोजित अध्ययन दौरा	8.92	1.32	10.24	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डल

क्रम संख्या	मंत्रियों/ अधिकारियों के नाम	यात्रा का दिनांक	देश/स्थान का नाम जिनकी यात्रा की गई	यात्रा का उद्देश्य	किया गया व्यय (लाख रुपयों में)			निम्न द्वारा प्रदत्त निधियां
					वास्तविक	अग्रिम	योग	
5.	(i) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (ii) कृषि राज्य मंत्री (iii) सचिव कृषि (iv) प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (v) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	16 से 24 अक्टूबर 1999	स्पेन, स्विट्जरलैंड तथा ब्रिटेन	व्यापार प्रोन्नति दौरा	अनुपलब्ध 4.91 2.55 2.28	--	अनुपलब्ध 4.91 2.55 2.28	भारतीय उद्योग महासंघ मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डल मध्यप्रदेश उद्योग विकास निगम मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
6.	(i) कृषि तथा कमान क्षेत्र विकास मंत्री (ii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डल	19 अगस्त 2000 से 3 सितम्बर 2000	इजरायल, टर्की, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड	अध्ययन दौरा	6.61	--	6.61	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डल
7.	(i) आयुक्त सहकारिता तथा पंजीयक सहकारी समिति (ii) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (iii) पंजीयक सहकारी समिति	4 से 18 जून 1997 --तदैव-- 23 मई 1998 से 2 जून 1998	इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन --तदैव -- जापान, हॉगकॉंग, कोरिया, थाईलैंड	निर्यात व्यापार प्रोन्नति हेतु --तदैव-- सहकारिता संबंधी अध्ययन दौरा	2.46 2.50 1.49	--	2.46 2.50 1.49	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन महासंघ
		योग			**45.45**	**2.94**	**48.39**	

परिशिष्ट-XXXVII

(संदर्भ : कण्डिका 3.12.3 पृष्ठ 134)

दिनांक 28.05.97 तथा 14.01.2000 को रोक लगाए जाने के बावजूद विदेश यात्रा पर जाने वाले मंत्री एवं अधिकारी

क्रम संख्या	मंत्रियों/अधिकारियों का नाम	यात्रा का दिनांक	देश/ स्थान का नाम जिनकी यात्रा की गई	यात्रा का उद्देश्य	किया गया व्यय (लाख रुपयों में)			निम्न द्वारा प्रदत्त निधियां
					वास्तविक	अग्रिम	योग	
1. (I) (ii) (iii)	कृषि तथा डेयरी विकास मंत्री और उनके साथ :– आयुक्त, कृषि उत्पाद सचिव, कृषि प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन मण्डल, म.प्र.	20 सितंबर 1998 से 11 अक्टूबर 1998	आस्ट्रेलिया, फिलीपीन्स, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड	कृषि विपणन की आधारित संरचना एवं प्रणाली का अध्ययन	11.81	--	11.81	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डल
2.	जनशक्ति नियोजन एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री	10 मई 1998 से 21 मई 1998	ब्रिटेन	ब्रिटेन में उच्च तकनीकी शिक्षा में सर्वोच्च कार्य वाले प्रतिनिधियों का मूल्यांकन	3.58	--	3.58	राज्य सरकार द्वारा आने जाने का वायुयान का किराया खाने तथा रहने और ब्रिटिश समिति द्वारा ब्रिटेन में यात्रा, सुरक्षा तथा मार्ग दर्शक का व्यय
3.	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री आयुक्त हथकरधा सहित	14 जनवरी 1999 से 19 जनवरी 1999	फ्रेंकफर्ट, ब्रुसेल्स एण्टवर्प	मासे, फ्रेंकफर्ट में हीमटेक्सटाइल, मेले में भाग लेने हेतु	1.67	1.62	3.29	राज्य सरकार

क्रम संख्या	मंत्रियों/अधिकारियों का नाम	यात्रा का दिनांक	देश/ स्थान का नाम जिनकी यात्रा की गई	यात्रा का उद्देश्य	किया गया व्यय (लाख रुपयों में)			निम्न द्वारा प्रदत्त निधियां
					वास्तविक	अग्रिम	योग	
4.	प्रमुख सचिव, जनजाति कल्याण	20अप्रैल 1999 से 25 अप्रैल 1999	रोम (इटली)	सरगुजा, रायगढ़ तथा जशपुर जिलों के चयनित विकास खण्डों में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित बिहार मध्यप्रदेश जनजाति विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में आई एफ.ए.डी. के साथ ऋण वार्ता में भाग लेने के लिये।	1.07	--	1.07	राज्य सरकार
5.	मंत्री पशुपालन विभाग	18मार्च 1999 से 20 मार्च 1999	थाइलैंड	VIV एशिया गहन पशु धन तथा कुक्कुट पालन प्रदर्शनी	0.25	--	0.25	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन तथा कुक्कुट पालन विकास निगम
6.	आयुक्त एवं संचालक, संस्थागत वित्त व्यवस्था	12 अप्रैल 1999 से 18 अप्रैल 1999	मनीला	मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्रोत प्रबंधन कार्यक्रम के सम्बन्ध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण वार्ता में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु	1.00	--	1.00	राज्य सरकार
7.	कृषि तथा आयकट मंत्री और उनके साथ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश कृषि विपणन मण्डल	19अगस्त 2000 से 3 सितबर 2000	इजराइल, टर्की, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड,		6.61	--	6.61	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डल
8.	मुख्य मंत्री के उप सचिव, तथा उपसचिव वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	26 मार्च 2001 से 28मार्च 2001	अमेरिका	मायक्रोसोफ्ट गवर्मेन्ट लीडर्स कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने के लिये	--	1.87	1.87	राज्य सरकार
		योग			**25.99**	**3.49**	**29.48**	

परिशिष्ट-XXXVIII

(संदर्भ : कण्डिका 3.29 पृष्ठ 157)

उन कंडिकाओं/समीक्षाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन										
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	कृषि						04		07	05	04	20
2.	श्रम									01		01
3.	चिकित्सा शिक्षा									02		02
4.	पचायत एव ग्रामीण विकास			01	04		01	02		14	04	26
5.	राजस्व								01		05	06
6.	सहकारिता									01	04	05
7.	वाणिज्य एव उद्योग						02			06	02	10
8.	आदिम जाति एव जनजाति कल्याण		02						02	03	03	10
9.	मत्स्य पालन								01			01
10.	समाज कल्याण				01					01	01	03
11.	जनसपर्क								01			01
12.	डेयरी विकास							01		01	01	03
13.	योजना एव सांख्यिकी								01			01
14.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एव पुनर्वास									01	01	02
15.	सामान्य प्रशासन									01		01
16.	लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण				07	03	01		02	03	03	19
17.	खाद्य एव नागरिक आपूर्ति									02	01	03
18.	महिला एव बाल कल्याण										01	01
19.	पुनर्वास										01	01
20.	शालेय शिक्षा										01	01
21.	पशुपालन										01	01
22.	ग्रामोद्योग										01	01
23.	औद्यानिकी										02	02
24.	उच्च शिक्षा										01	01
25.	गृह (पुलिस)										01	01
26.	जेल										02	02
27.	शहरी प्रशासन एव विकास										01	01
28.	जनशक्ति प्रबन्धन										01	01
29	सामान्य										02	02
		04	05	02	03			01	--	02	05	22
		04	**07**	**03**	**15**	**03**	**08**	**04**	**15**	**43**	**48**	**150**